वार्षिक रिपोर्ट 2020–21

टी. सी. आई. एल.

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

विषय सूची

निदेशक मंडल	4
वार्षिक आम बैठक की सूचना	8
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	16
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	22
निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक	52
नैगमिक अभिशासन पर प्रमाणपत्र	98
कंपनी के मुख्य कार्यकारी/ मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणपत्र/ घोषणापत्र	99
व्यावसायिक आचार संहिता के अनुपालन में घोषणापत्र	100
एकल वित्तीय विवरण	101
समेकित वित्तीय विवरण	167
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	239

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल

श्री संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व निदेशक (परियोजनाएं)

श्री नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)

श्री कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)

श्री हरि रंजन राव
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

श्री संजीव गुप्ता
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

निदेशक मंडल
(वार्षिक आम बैठक की तिथि तक)

श्री संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (27.01.2021 से)
निदेशक (परियोजनाएं)(अतिरिक्त प्रभार) (01.08.2021 से)

श्री नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त) (27.03.2018 से)

श्री कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी) (01.08.2018 से)

श्री संजीव गुप्ता
निदेशक (सरकार द्वारा नामित) (13.02.2018 से तीन वर्ष की अवधि तक) (अवधि का विस्तार 01.02.2021 से)

श्री हरि रंजन राव
निदेशक (सरकार द्वारा नामित) (21.10.2020 से)

श्री विशाल कोहली
कंपनी सचिव (07.08.2020 से)

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
केडी 180, निकट कोहाट मैट्रो स्टेशन,
पीतम पुरा, नई दिल्ली–110034

लागत लेखापरीक्षक
संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सी–4–ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058

सचिवीय लेखापरीक्षक
संजय चुघ
317, वर्धमान प्लाजा– I,
जे ब्लॉक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

शाखा लेखापरीक्षक
मै. जिमेनेज ऑडिटर्स,
पीओ बॉक्स 368, मतराह पोस्टल कोड 114, ओमान

कुवैत – मै. अल–वाहा ऑडिटिंग ऑफिस,
दूसरी मंजिल, हायला बिल्डिंग,
अहमद अल–जबीर स्ट्रीट, शारक, कुवैत

मै. मूरे स्टीफंस,
छठा तल, न्यूटन टॉवर्स, सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट,
पोर्ट लुइस, मॉरीशस

मै. अली सालेम अलोथरी
सलाउद्दीन स्ट्रीट मलाज, पी.ओ. बॉक्स 4018
रियाध 12642, सउदी अरब

बैंक

इंडियन बैंक
संसद मार्ग, नई दिल्ली

एक्सिस बैंक
सी.आर. पार्क, नई दिल्ली

बैंक ऑफ बड़ौदा
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली

एचडीएफसी बैंक
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

आईसीआईसीआई बैंक
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

इंडस इंड बैंक,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

इंडियन ओवरसीज बैंक
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली/गुड़गांव

भारतीय स्टेट बैंक
विदेशी शाखा, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

पंजाब एंड सिंध बैंक
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

येस बैंक
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

कैनरा बैंक
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली

आईडीबीआई बैंक
नेहरु एन्क्लेव, सीसी 22, होटल कॉन्क्लेव एग्जीक्युटिव,
कालकाजी, नई दिल्ली – 110019.

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.
वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057.

पंजीकृत कार्यालय

टीसीआईएल भवन
ग्रेटर कैलाश–I
नई दिल्ली – 110048.
CIN : U74999DL1978GOI008911

वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रमुख विशेषताएं

₹662 मिलियन का कर पूर्व लाभ

₹22,958 मिलियन के कार्यादेश

निवल मूल्य ₹6,112 मिलियन

₹882.72 मिलियन का विदेशी मुद्रा अर्जन

₹17,658 मिलियन का पण्यावर्त

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली – 110048
CIN : U74999DL1978GOI008911
टेलीफोनः 011–26202020, फैक्सः 011–26242266; वेबसाइटः http://www.tcil.net.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 23 नवंबर, 2021 को दोपहर 12:00 बजे टीसीआईएल भवन, सम्मेलन कक्ष, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 में निम्नलिखित व्यवसायिक उद्देश्यों से आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरणों से युक्त अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और बोर्ड की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ग्रहण करने के लिए।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 का लाभांश घोषित करने के लिए।

3. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

4. लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की लागत को अनुमोदन प्रदान करना।

   एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना, और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना कोई संशोधन किए पारित करनाः–

   संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 और अन्य सभी लागू प्रावधान, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, वित्तीय वर्ष 2021–22 के कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के संचालन के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त मैसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को रुपये का पारिश्रमिक लागू करों सहित 90,000 (केवल नब्बे हजार रुपए) एतद्वारा अनुसमर्थित और पुष्टकृत किए जाते हैं।

   'आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव या उप कंपनी सचिव उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कार्यों, गतिविधियों, चीजों और लेखों को करने के लिए अधिकृत हैं'

5. **उधार लेने की शक्तियों का संवर्धनः**

   विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के पारित करने के लिएः –

   संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ब) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार पूर्व के प्रस्तावों का अधिक्रमण करते हुए, यदि कोई हों तो, बोर्ड की सिफारिश पर और शेयरधारकों की सहमति से भारत और विदेशों में बैंकरों से बैंक गारंटी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए और भारत और विदेश में ऐसे नियमों और शर्तों

पर कंपनी के बैंकरोंधवित्तीय संस्थानोंधनिकायों, केंद्र सरकारध्राज्य सरकार(रों), स्वायत्त निकायों या किसी अन्य सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित संगठनध्प्राधिकरण से अपने विवेक पर समय–समय पर उधार लेने, चुकौती, ब्याज या अन्यथा के रूप में जो भी उचित समझा जाए, फंड आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ और अधिकतम 2500 करोड़ रुपए की सीमा तक जो कंपनी के उद्देश्य के लिए या सामान्य कार्य व्यापार आवश्यक हो, गैर–निधि आधारित लेनदेन के उपयोग के साथ–साथ किसी भी एक समय में बकाया या कंपनी द्वारा कंपनी के बैंकरोंध्सरकार से, भारत सरकार ध्सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लिया जा सकता है।

'आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की सिफारिश पर, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान, निकाय(यों) भारत और विदेशों में स्थित निगमों, केंद्र सरकारध्राज्य सरकार(रों), स्वायत्त निकाय या कोई अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित संगठनों/प्राधिकरणों से निधि आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ और अधिकतम 2500 करोड़ रुपए उधार लेने के एवज में कंपनी की किसी भी अचल या चल संपत्ति सुरक्षा रूप प्रदान करने के लिए दी जा सकती है।

आगे यह संकल्प लिया गया है कि कंपनी के किसी भी एक निदेशक को सामान्य कार्य व्यापार गितिविधियों के निधि आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ और अधिकतम 2500 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ–साथ किसी एक समय के शामिल बकाया से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने, सौदा करने, बातचीत करने और ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए व्यवस्थाएं करने हेतु अधिकृत किया गया है, अथवा भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सामान्य कार्य व्यापार गतिविधियों के लिए इस तरह के उधार में कंपनी के बैंकरों/सरकार से कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋण शामिल नहीं होंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार

(विशाल कोहली)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

प्रति
1. कंपनी के सभी सदस्य
2. कंपनी के सभी निदेशक
2. सांविधिक लेखा परीक्षक
3. सचिवीय लेखा परीक्षक
4. लागत लेखा परीक्षक

टिप्पणियाँ

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, प्रस्तावित विशेष व्यवसाय के लिए भौतिक तथ्यों और कारणों को निर्धारित करने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म नंबर एमजीटी–11 पर एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है और इसके प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक शुरू होने के कम

से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

3. एक ऐसा सदस्य जो कंपनी की कुल वोटिंग प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिकार रखता है वह किसी व्यक्ति को प्रॉक्सि नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति/किसी अन्य शेयरधारक के लिए प्रॉक्सि के रुप में कार्य नहीं करेगा।

4. एक प्रॉक्सि अधिकतम पचास सदस्यों के लिए

5. कोई सदस्य यदि कंपनी के लेखाओं के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो अनुरोध है कि वह इसकी सूचना कंपनी को अग्रिम में दे ताकि प्रबंधन संबंधित सूचना को तैयार कर सके।

6. बैठक के स्थल का मार्गचित्र भी संलग्न है।

7. कोविड–19 महामारी के चलते, नैगमिक मामला मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने अपने दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 और दिनांक 05 मई 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 (सामूहिक रूप से इसे एमसीए परिपत्र कहा जाएगा) के माध्यम से वार्षिक आम बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएम) के जरिए संचालित करने की अनुमति दी है और बैठक में सदस्यों को भौतिक रूप से उपस्थित होने में छूट प्रदान की है। तदनुसार, जो शेयरधारक ओवीएम या वीडीयो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होना चाहते हैं, वह कंपनी को सूचित करें तथा नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें:

   वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले रहे सदस्यों के लिए अनुदेश:

   1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हुए सदस्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर, उन्हें कंपनी के पंजीकृत ईमेल पते से वीसी/ओवीएम हेतु लिंक शेयर किया जाएगा।

   2. वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक के नियम समय से 15 मिनट पहले शुरु हो जाएगी।

   3. शेयरधारकों से बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

   4. बैठक के दौरान किसी बाधा से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वीडियो सुविधा में स्विच करें और अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करें।

   5. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट्स या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्कों के कारण ध्वनि/वीडियो चले जाने जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं। अतरू यह अनुशंसा की जाती है कि इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए स्थायी वाई–फाई–लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

   6. नैगमिक मामला मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के अनुपालन में वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने या वोट डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। फिर भी, निकाय निगमों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है।

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली – 110048
CIN : U74999DL1978GOI008911
टेलीफोनः 011–26202020, फैक्सः 011–26242266; वेबसाइटः http://www.tcil.net.in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुपालन में स्पष्टीकरण वक्तव्य

मद सं. 4 लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुमोदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। कंपनी नियम, 2014 (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम 14 के अनुसार, बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर लागत लेखा परीक्षक के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो अभ्यास में एक लागत लेखाकार हो या लागत लेखाकारों की एक फर्म हो, जो इस तरह की लागत लेखा परीक्षा के लिए पारिश्रमिक की मांग करेगा और लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित उसके पारिश्रमिक पर विचार किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा और बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने 31.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर, मेसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को 90,000/– रुपए पर लागू कर सहित पारिश्रमिक पर लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अब, मेसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को देय पारिश्रमिक की शेयरधारकों द्वारा पुष्टि की जानी है।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार इस संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से चिंतित या कोई रुचि नहीं रखते। संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में काम के घंटों के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

निदेशक एक साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए पूर्वोक्त संकल्प की सिफारिश करते हैं।

मद सं.–5 उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि

आपकी कंपनी भारत और विदेश दोनों में दूरसंचार, आईटी और सिविल के क्षेत्र में विभिन्न परामर्श और टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन करती है। बहु–पक्षीय वित्त पोषण के कम हो जाने और विदेशों में दूरसंचार प्रशासन का निजीकरण हो जान के कारण, परियोजनाओं को बहु–राष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ खुली निविदा के आधार पर अर्जित किया जा रहा है। नतीजतन, प्रत्येक परियोजना में मुनाफा बहुत कम है और भुगतान की शर्तें भी अनुकूल नहीं हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ऑर्डर बुकिंग का लक्ष्य 4,200 करोड़ रुपए रखा गया है इस ऑर्डर बुकिंग को प्राप्त करने के लिए, हमें घरेलू और साथ ही विदेशों में कम से कम 10 बार बोली लगाने यानि 42000 करोड़ रुपए के लिए बोली लगाने आवश्यकता है। इसके लिए हमें ईएमडी यानि बयाना राशि देनी होगी। भारत में, बयाना राशि में वर्तमान में छूट प्राप्त है, लेकिन विदेशों में हमें बोली मूल्य के लगभग 2: की दर से बयाना राशि का भुगतान करना आवश्यक है। यदि कार्य दे दिया जाता है, तो हमें रुपये का पीबीजी देना पड़ सकता है। 210 करोड़ और रुपये का अग्रिम पीबीजी 420 करोड़ रुपए होगा, इसके अलावा, कुछ समय क्लाइंट प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के खिलाफ प्रतिधारण भी जारी करते हैं, जिससे कार्य रुक जाता है। ओईएम के मामले में, भुगतान की शर्तें साख पत्र के विरुद्ध हैं, जो एक गैर–निधिक सुविधा भी है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निधि आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ रुपये की सीमा प्रस्तावित की गई है और गैर–निधि आधारित लेनदेन के उपयोग सहित अधिकतम 2500 करोड़ रुपये की मौजूदा स्वीकृत सीमा के मुकाबले इसे गैर–निधि आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ रुपए तक और अधिकतम 1500 करोड़ रुपये के गैर–निधि आधारित लेनदेन के उपयोग सहित 1500 करोड़ रुपए तक तय किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी नियमित रूप से बैंकरों के साथ बातचीत कर रही है और वित्त पोषित

सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रही है। तदनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि को मंजूरी देने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 11.02.2020 को आयोजित अपनी 244 वीं बैठक में कंपनी की उधार शक्तियों को निधि आधारित लेनदेन के लिए 700 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ाने और अधिकतम 2500 करोड़ रुपए के गैर–निधि आधारित लेनदेन के साथ–साथ किसी भी समय बकाया के लिए उपयोग सहित मंजूरी दी थी। यह प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को दिनांक 18.05.2020 अनुमोदन हेतु पत्र के माध्यम से भेजा गया था। दूरसंचार विभाग से दिनांक 22.09.2021 को प्राप्त पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, उक्त प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है:

1. टीसीआईएल इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा कि कंपनी बैंकोंधवित्तीय संस्थानों/निवेशकों को देय राशि के पुनर्भुगतान का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखेगी और उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. टीसीआईएल समय–समय पर उपलब्ध विकल्पों/लागत प्रभावशीलता के संदर्भ में एक व्यापक समीक्षा करेगा और तदनुसार उचित कार्रवाई करेगा और ऋण और उस पर ब्याज की सेवा के लिए कार्य योजना भी तैयार करेगा।
3. टीसीआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित उधार कुल नकद ऋण सीमा और स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा के भीतर हों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत निर्धारित सीमा के भीतर भी हों।
4. कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित कंपनी अधिनियम/सेबी दिशानिर्देशों और प्रासंगिक लेखा मानक (एएस) आदि के प्रावधानों का पालन करते हैं।
5. टीसीआईएल भारत सरकार को सभी सांविधिक देय राशियों का अप–टू–डेट भुगतान सुनिश्चित करेगा।
6. उधार लेने की सीमा को स्थायी नहीं माना जा सकता है और टीसीआईएल को उत्पन्न राजस्व से ऋण राशि को कम करना सुनिश्चित करना चाहिए। इस संबंध में मासिक आधार पर सूचना दूरसंचार विभाग को अग्रेषित की जानी है।
7. सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना इन उधारों के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जानी चाहिए।

तदनुसार टीसीआईएल अब इसके लिए शेयरधारक की मंजूरी लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार इस संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं। संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में काम के घंटों के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

निदेशक एक विशेष संकल्प के रूप में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए पूर्वोक्त संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार

(विशाल कोहली)
कंपनी सचिव
नई दिल्ली
दिनांक: 02.11.2021

प्रपत्र सं. एमजीटी–11

प्रॉक्सी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में]

सीआईएनः U74999DL1978GOI008911
कंपनी का नामः टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश – I, नई दिल्ली – 110048

सदस्य (ओं) का नाम :
पंजीकृत पता :
ई–मेल पता :
फोलियो नं./कार्यार्थी आईडी :
डीपी आईडी :

मैं/हम, उक्त नामित कंपनी के................. शेयर(रों) का सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम...

   पताः...

   ई–मेल पता. ....

   हस्ताक्षर.. या उसकी अनुपस्थिति में ....

2. नाम...

   पताः...

   ई–मेल पता. ....

   हस्ताक्षर.. या उसकी अनुपस्थिति में ....

3. नाम...

   पताः...

   ई–मेल पता. ....

   हस्ताक्षर..

को मेरा/हमारा प्रॉक्सी नियुक्त करता/करते हूं/हैं जो 23 नवम्बर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे टीसीआईएल भवन के सम्मेलन कक्ष, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली–110048 में आयोजित होने वाली कंपनी की 42वीं आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होंगे और वोट (मतदान होने पर) देंगे और ऐसे संकल्प के संबंध में किसी भी तरह का स्थगनादेश निम्नानुसार होगाः

क्रम सं.	संकल्प	के लिए	के बदले
साधारण कार्य (साधारण संकल्प)			
1.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरणों से युक्त अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और बोर्ड की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ग्रहण करने के लिए।		
2.	वित्तीय वर्ष 2020–21 का लाभांश घोषित करने के लिए।		
3.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु		
विशेष कार्य (साधारण संकल्प)			
4.	लागत लेखापरीक्षकों के देय पारिश्रमिक का अनुमोदन		
विशेष कार्य (विशेष संकल्प)			
5.	प्रत्यायोजन शक्तियों का विस्तार		

नोटः कृपया समुचित कॉलम में सही का निशान (√) लगाएं। यदि किसी या सभी संकल्पों के बदले कोई सदस्य 'के लिए' या 'के बदले' कॉलम को रिक्त छोड़ता है तो प्रौक्सी को उसके द्वारा समुचित समझे जाने वाले तरीके से वोट करने का अधिकार होगा। यदि कोई सदस्य किसी कारण से वोटिंग से अलग रहना चाहता तो उसे संकल्प के बदले बॉक्स में 'अलग' रहने के विकल्प को चुनना होगा।

.................दिवस......................2021 को हस्ताक्षरित

राजस्व मोहर चिपकाएं

______________________ शेयरधारक के हस्ताक्षर

______________________ प्रॉक्सीधारक(कों) के हस्ताक्षर

नोटः इस प्रपत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत् रूप से भरे जाने के बाद बैठक प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दाखिल किया जाना आवश्यक है।

कंपनी का स्थल मानचित्र

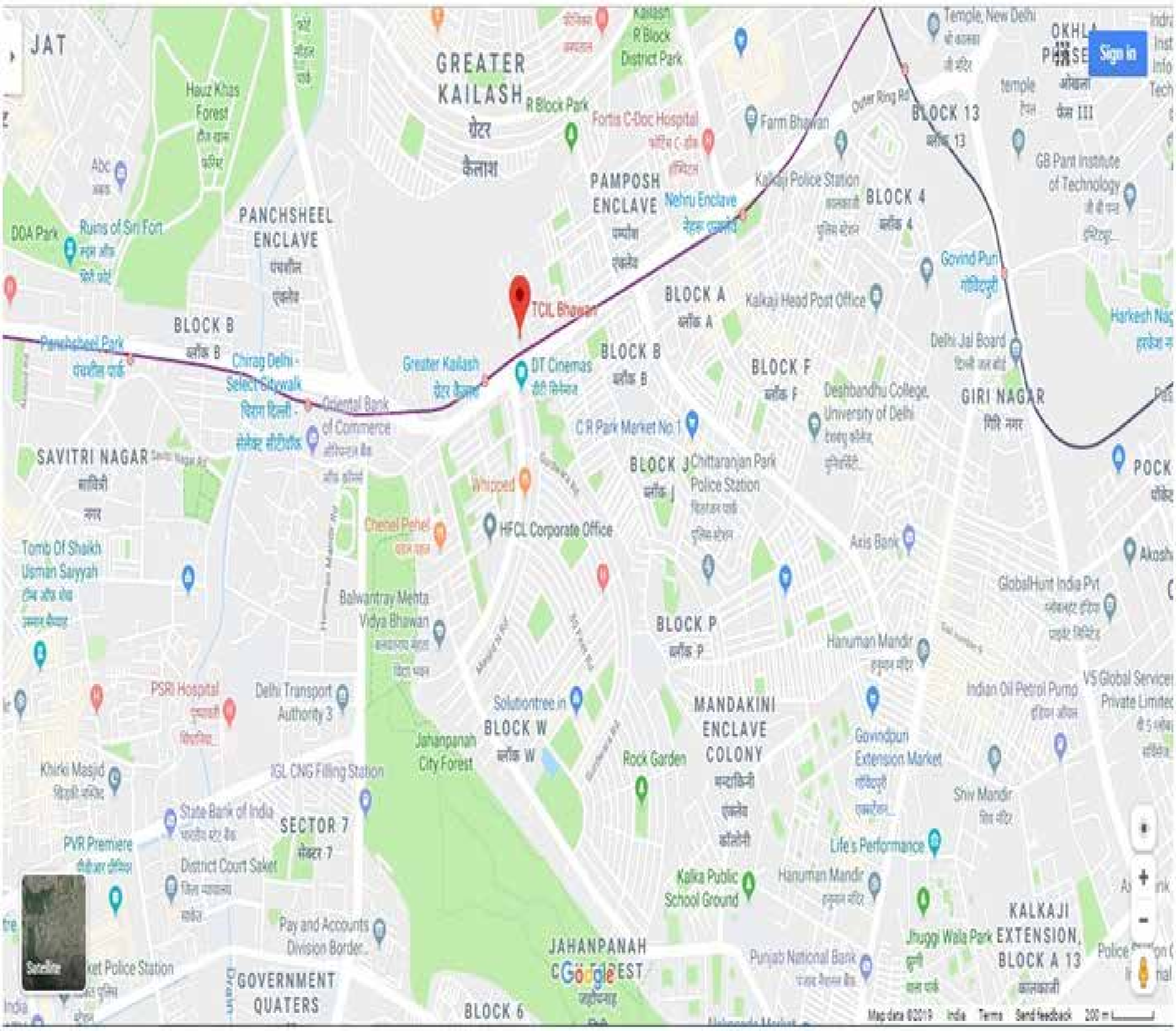

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

श्री संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व निदेशक (परियोजनाएं)

प्रिय शेयरधारकगण,

आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बैठक में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के विकास को लेकर आप कितने प्रतिबद्ध हैं। मैं वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें कंपनी की उपलब्धियों की विशेषताएं, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, बोर्ड रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र शामिल है। इसकी प्रति आपको पहले ही भेजी जा चुकी है और आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा।

अर्थव्यवस्था और उद्योग

कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके साथ औद्योगिक परिदृश्य और आर्थिक वातावरण पर बात करना चाहता हूं।

आज, भारत नवीन कार्यों, उद्यम, कनेक्टिविटी और समृद्धता का एक वैश्विक केंद्र बिंदु बनकर उभर रहा है। भारत, वर्तमान में दूरसंचार बाजार का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जहां जनवरी 2021 तक उपभोक्ता आधार 1,183.49 मिलियन रु. रहा है। वर्ष 2025 तक भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ तक हो जाएगी। डेटा केंद्र बाजार सशक्त रूप से विकास कर रहा है और डेटा ट्रैफिक में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण 2018–23 तक की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत तक रहने की आशा है।

भारत का डिजिटलीकरण उद्योग का सबसे प्रमुख लक्ष्य है और भविष्य के डिजिटल भारत और आत्म निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए डिजिटल अवसंरचना को और सशक्त बनाने पर विभिन्न चर्चाएं व उपाय किए जा रहे हैं। दूरसंचार कई उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य एवं दूरचिकित्सा, ईडीटेक, ओटीटी के माध्यम से मनोरंजन, फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग, ई–वाणिज्य और उद्योगों में दूरगामी क्षेत्रों में काम करना और प्रबंधन को सहज बनाना जैसे क्षेत्र आते हैं।

वर्ष 2021 में भारत के दूरसंचार सेक्टर में एक बड़े स्तर पर विकास होने की आशा है। इस वर्ष देश का 4जी उपयोग तेजी से बढ़ेगा और 3जी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने हाल ही में देश में 4जी सेवा के विस्तार के उद्देश्य से पीएमवाण ी नाम से सार्वजनिक वाईफाई परियोजना शुरु की है। इस योजना के माध्यम से अब राशन की दुकानों, चाय की दुकानों और अन्य गैर–लाइसेंसधारी स्थानों पर आईएसपी के माध्यम से बैंडविड् प्राप्त करते हुए सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं प्रदान किया जाना शामिल है। दूरसंचार विभाग ने 'तरंग संचार' नाम से एक वेबपोर्टल शुरु किया है जो मोबाइल टॉवरों और ईएमएफ उत्सर्जन अनुपालनों पर जानकारी साझा करेगा। भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटी विकास की महत्वाकांक्षी परियोजना में एलओटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।

5जी और हाई–स्पीड कनेक्टिविटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए एक बड़े स्तर पर फाइबर बिछाने और अवसंरचनात्मक विकास किए जाने की आवश्यकता होगी और यह वर्ष 2021 और इसके बाद के समय का प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा। उच्च क्षमता वाली 5जी कनेक्टिविटी को कार्यान्वित करने के लिए फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड किया जाना होगा जिसके लिए एक बड़े स्तर पर निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

कोविड–19 महामारी के विरुद्ध पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लड़ाई जारी है। पर दूसरी ओर, इसके कारण दुनिया भर में काम करने के तरीकों में एक बड़ा परिवर्तन आया है और लोग अब नए युग के डिजिटल अनुप्रयोगों को तेजी से अपना रहे हैं। महामारी और औद्योगिक चुनौतियों को बावजूद, आपकी कंपनी ने अभूतपूर्व प्रतिरोधक क्षमता दिखाई और दुनिया भर में अपने ब्रांड की छवि को यथापूर्व बनाए रखा।

वित्तीय प्रदर्शन विशेषताएं

व्यावसायिक स्तर पर भी हमने तेजी से बदल रहे विनियामक परिदृश्य के साथ आत्मसात किया है और कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को यथापूर्व रखा है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारा प्रदर्शन शानदार रहा। आपकी कंपनी ने वर्ष 2020–21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 17,658 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया जबकि विगत वर्ष यह 17,558 मिलियन रु. था। आपकी कंपनी का कर पश्चात लाभ 528 मिलियन रु. रहा जबकि विगत वर्ष यह 439 मिलियन रु. था।

लाभांश

वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिलने की स्थिति में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कर पश्चात लाभ के 40 प्रतिशत लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है।

परियोजनाएं

वर्ष 2020–21 में टीसीआईएल को परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम की ओर से डीटीसी और क्लस्टर बसों में आईपी सीसीटीवी और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए 1607 मिलियन रु. का कार्यादेश प्राप्त हुआ है।

टीसीआईएल 3 अंचलों के लिए पैकेज सी हेतु टी–फाइबर परियोजना (मूल्य 14925.2 मिलियन रु.) और आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में भारतनेट फेज–II के कार्यान्वयन हेतु एपीएसएफएल परियोजना (मूल्य 4792.9 मिलियन रु.) का निष्पादन कर रहा है।

वर्तमान में आपकी कंपनी बीएसएनएल–सीडीआर परियोजना का भी निष्पादन कर रही है जिसके तहत बीएसएनएल की अपेक्षाओं सहित निजी क्लाउड के रूप में अवसंचना और मंच का आभासीकरण और कस्टम निर्माण किया जाएगा। परियोजना को 3 चरणों में बांटा गया है। चरण–1 के लिए टीसीआईएल को कार्यादेश (3000 मिलियन रु. से अधिक) मार्च 2020 में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह निष्पादनाधीन है।

टीसीआईएल, बीबीएनएल के लिए 'वैरी स्माल अर्पचर टर्मिनल' (वी–सैट) परियोजना का भी निष्पादन कर रहा है जिसका मूल्य 2566.9 मिलियन रु. है तथा जिसमें भारतनेट परियोजना चरण–2 (गेटवे परिचालन सहित) 23 राज्यों में गृह मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय के डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनलों और ग्राम पंचायत स्थानों सहित 4821 दूरगामी स्थलों को बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। हाल ही में, 653 ग्राम पंचायत स्थलों के लिए वीसैट और सौर उपकरणों के प्रापण हेतु एक अतिरिक्त कार्यादेश भी प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य 325 मिलियन रु. है।

आपकी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित एनओएफएन परियोजना का निष्पादन किया है जोकि अब पूरा होने की स्थिति में है।

उपर्युक्त के अलावा, टीसीआईएल उत्तराखंड, ओडीशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे विभिन्न राज्यों में आईसीटी वर्चुअल कक्षा परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी पैन–अफ्रीका ई–नेटवर्क परियोजना (पीएईएनपी) के विस्तारित चरण–II के रूप में ई–वीबीएबी (ई–विद्याभारती और आरोग्य भारती) नेटवर्क परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत अफ्रीकी राष्ट्रों को प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों और अतिविशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों से दूर–शिक्षा और दूर–चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉ एस. जयशंकर द्वारा ई–विद्याभारती और ई–आरोग्य भारती परियोजना का अधिकारिक रूप से अनावरण किया गया।

टीसीआईएल यूएसओएफ के तहत प्रतिस्थापित बीएसएनएल की वाईफाई परियोजना हेतु 1968.82 मिलियन रु. के कार्यादेश को कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, टीसीआईएल हिमाचल प्रदेश सरकार के बिक्री कर एवं आबकारी विभाग के लिए ई–अभिशासन प्रणाली को कार्यान्वित कर रही है।

साथ ही, टीसीआईएल ने उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के साथ दिनांक 21 जनवरी 2021 को राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए प्रमुख बैंकिंग समाधान की आपूर्ति, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और प्रारंभण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपकी कंपनी ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आईसीटी–हार्डवेयर (आरएच) परियोजना (दर्पण) का निष्पादन किया है।

आपकी कंपनी की सिविल शाखा ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 14470.20 मिलियन रु से भी अधिक के कार्यादेश प्राप्त किए हैं। कुछ प्रतिष्ठित वर्तमान परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः

- रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के लिए ओडीशा में उत्तर तटीय रेलवे (ईसीओआर) के तहत विभिन्न स्थानों पर रेलओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण, मूल्य रू. 4368.8 मिलियन रु.।
- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के तहत स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) क अंतर्गत स्मार्ट सिटी परियोजना की डिजाइनिंग, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन, मूल्य 8500 मिलियन रु. (पीएमसी लागत – 91.1 मिलियन रु.)
- एनईएसटीएस, जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन बिहार, झारखंड, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का निर्माण, मूल्य 7300 मिलियन रु.।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार के लिए तूरा (मेघालय) में 500 बेड वाले अस्पताल व 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिसका अनुमानित मूल्य 6500 मिलियन रु. है। वर्तमान में 2760 मिलियन रु. का फेज–1 का कार्य प्रगति पर है।

सउदी अरब में कंपनी ने कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसमें एसटीसी, मोबिली और आईटीसी नामक प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों के सभी 3 मेट्रो कंसार्टियम एएनएम, एफएएसटी और बीएसीएस के लिए दूरसंचार सेवाओं के पुनर्स्थापन का कार्य शामिल है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल, सउदी अरब ने 3304 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया।

कोविड महामारी के कारण कुवैत में 3 माह तक पूरी तालाबंदी रही जिसने हमारे व्यवसाय को प्रभावित किया। फिर भी, टीसीआईएल कुवैत ने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न अवसरों को प्राप्त करने में भाग लिया और 170.08 मिलियन रु. के कार्यादेश प्राप्त किए। टीसीआईएल ने वहां के शिक्षा मंत्रालय के

सउदी अरब में एनबीबी परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल स्प्लाइसिंग का कार्य

लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना को पूरा किया और 855 स्कूलों को फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट किया। वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल कुवैत ने 662.3 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया।

मैसर्स पेट्रोफैक के जरिए कुवैती तेल कंपनी के लिए किया जा रहा फाइबर कार्य

टीसीआईएल ने नेपाल, मॉरीशस और ओमान जैसे कई देशों में विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं का कार्यान्वयन दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से टीसीआईएल का कुल पण्यावर्त 4566.13 मिलियन रहा।

उपर्युक्त के अलावा, टीसीआईएल को कई अन्य प्रतिष्ठित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिया गया है।

समझौता ज्ञापन वरीयता

इस वर्ष, समझौता ज्ञापन में अपने मूल्यांकन के तहत कंपनी को 'अच्छा' वरीयता मिलने की आशा है।

भावी योजनाएं

उच्च विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीसीआईएल निरंतर प्रयासरत है। बाजार में तेजी से बदल रही मांगों के साथ तुरंत आत्मसात कर लेना ही टीसीआईएल का सामर्थ्य है और यही

कारण है कि टीसीआईएल निरंतर अपने कार्यार्थियों की प्रमुख पसंद बना हुआ है। अब टीसीआईएल साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज, आर्टिफिशन इंटैलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों पर केंद्रित हो रहा है। आने वाले वर्षों में इन्हीं क्षेत्रों में टीसीआईएल अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i) क्लाउड एंड एज कंप्यूट, स्पीच/एनएलपी/स्मार्ट बोट्स इत्यादि जैसे तकनीक के नए क्षेत्र
ii) साइबर सुरक्षा
iii) आपदा प्रबंधन
iv) मानवरहित हवाई वाहन
v) सुरक्षित शहर परियोजना – बेंगलुरु और दिल्ली
vi) प्रबंधित सेवाएं
vii) क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशल इंटैलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सहित नई तकनीकें
viii) डिफेंस सिक्योरिटी, भारतीय और वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से प्रशिक्षण

टीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 15वां राष्ट्रीय दूर–संचार शिखर सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त करते हुए

उपर्युक्त के अतिरिक्त, टीसीआईएल मालदीव में भी सिविल हाउसिंग परियोजनाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

नैगमिक अभिशासन

एक व्यावसायिक सत्व के रूप में हमारा हमेशा से यह मानना है कि पारदर्शिता और नैगमिक अभिशासन को सर्वश्रेष्ठ रूप में अपनाते हुए ही हम अपनी विभिन्न पहचान बना सकते हैं। कंपनी की बहुआयामी नैगमिक अभिशासन संरचना जिसमें शिखर स्तर पर निदेशकंडल और अन्य स्तरों पर विभिन्न समितियां नैगमिक अभिशासन के उच्चतम मानदंडों को सुनिश्चित करती है।

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संरचना बहुआयामी है जिसमें शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल और विभिन्न समितियां हैं जो सामूहिक रूप से नैगमिक अभिशासन के उच्चतम मानदंडों और कंपनी कार्यक्षमता के भीतर की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। निदेशक मंडल के पास कंपनी के भीतर और कंपनी कर्मचारियों को संबंध में सभी संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है।

टीसीआईएल में कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहिता है, जो इसके अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। टीसीआईएल की नैगमिक अभिशासन संरचना अपने परिचालनों में नीतिगत व्यावसायिक सिद्धांतों पर बल देता है और गैर सूचीबद्ध सीपीएसई और नैगमिक अभिशासन के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से निर्धारित किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए नैगमिक अभिशासन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करता है।

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, टीसीआईएल को वर्ष 2020–21 में नै.सा.उ. गतिविधियों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी निर्धारित नियमों के अंतर्गत नहीं आती है। फिर भी, सुशासन का दायित्व निभाते हुए और यह देखते हुए कि कंपनी वर्ष 2010 से इन दायित्वों का निर्वाह कर रही है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सी.एस.आर गतिविधियों को कार्यान्वित किया है।

इन गतिविधियों के उपर्युक्त स्वैच्छिक कार्यान्वयन ने एक बड़े स्तर पर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित सी.एस.आर परियोजनाओं को पूरा किया है:

– दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद के माध्यम से कौशल विकास कार्य

– पटना में सूर्या मंदिर परिसर के आसपास विकास कार्य

– महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और वासिम और अकोला जैसे महत्त्वपूर्ण जिलों में स्वास्थय सुविधाओं का नवीनीकरण

– अकोला जिला, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में एलईडी लाइट्स की संस्थापना

उधम सिंह नगर में हैंडसेट मरम्मत प्रशिक्षण

साभार

अंत में मैं भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने सभी मूल्यवान कार्यार्थियों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों, एग्जिम बैंक, ईसीजीसी और अन्य मूल्यवान हितधारकों का उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विशेष रूप से टीसीआईएल पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जो वर्षों से कंपनी के लिए शक्तिस्तंभ बने हुए हैं और जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कंपनी के विकास को नई पहचान दी।

बहुत–बहुत धन्यवाद

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 43वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

1. **प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां**

वर्ष 2020–21 के लिए प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है:

(मिलियन रुपए में)

विवरण	समेकित		एकल	
	2020.21	2019.20	2020.21	2019.20
अन्य आय सहित पण्यावर्त	17,729	17,601	17,658	17,558
कर पूर्व लाभ	(2,452)	(7,838)	662	822
कर हेतु प्रावधान	134	378	134	378
कर पश्चात लाभ	(2,586)	(8,216)	528	444
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	(2,536)	(8,144)	528	444
विनियोजन:				
लाभांश	178	176	178	176
लाभांश कर	-	36	-	36
सामान्य निधि में अंतरण	350	232	350	232
निवल मूल्य	10,232	13,044	6112	5,859

वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी

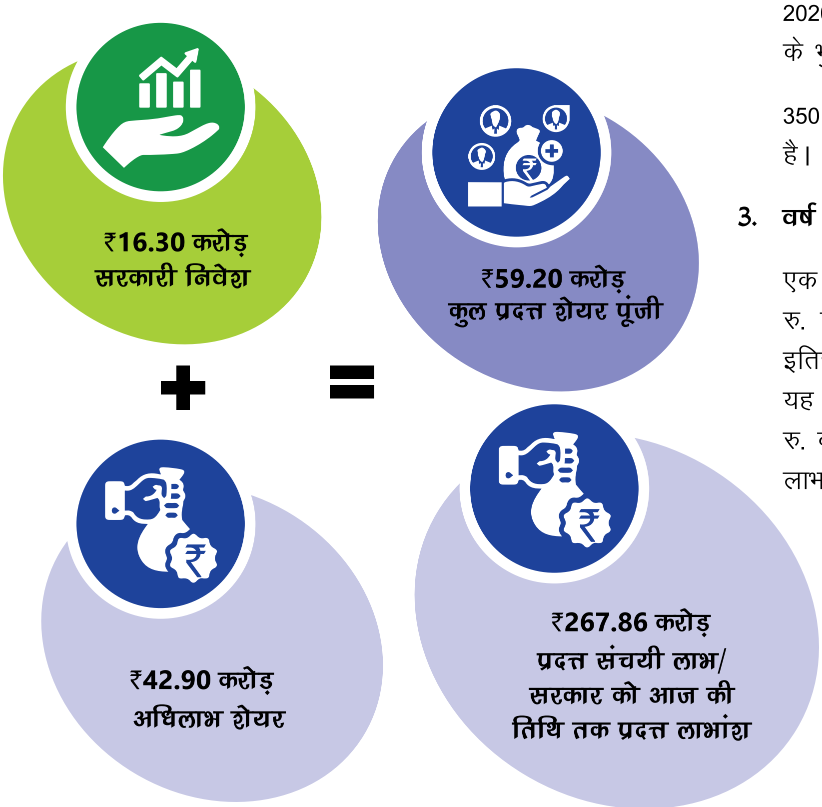

2. **लाभांश के लिए आरक्षित निधि में अंतरण**

वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिलने की स्थिति में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कर पश्चात लाभ के 40 प्रतिशत लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है।

350 मिलियन की राशि सामान्य निधि में अंतरित कर दी गई है।

3. **वर्ष का सिंहावलोकन – एकल टीसीआईएल परिचालन**

एक कठिन वर्ष में अच्छे प्रदर्शन के साथ, हमने 17658 मिलियन रु. का सुदृढ़ पण्यावर्त प्राप्त किया जोकि टीसीआईएल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक है जबकि वर्ष 2020–21 में यह 17,558 मिलियन रु. था। विगत वर्ष के 439 मिलियन रु. के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष कंपनी का कर पश्चात लाभ 528 मिलियन रु. रहा।

4. दृष्टिपथ और लक्ष्य

दृष्टिपथ

“सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के अवसरों का अनुमान लगाकर समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर अग्रसर”.

लक्ष्य

“विश्व स्तर पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में टर्नकी आधार पर इष्टतम समाधान प्रदान करने और विशेष रूप से उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं की सुविधा प्रदान करके विविधता लाने के लिए नेतृत्व करने के लिए.”

5. आगामी योजनाएं

कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आज पूरी दुनिया नई तकनीक के महत्व और विशेषकर डिजिटल रूपांतरण को अपनाने पर विवश हुई है और टीसीआईएल की कार्यसूची में भी यह कार्य सबसे ऊपर है। आज दुनिया में इस क्षेत्र को लेकर तेजी से बढ़ती मांग के साथ आत्मसात करने के लिए टीसीआईएल पूरी तरह से तैयार है और अपने कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहा है:

- सुरक्षित शहर परियोजना – बैंगलुरु व दिल्ली.
- मानवरहित हवाई वाहन.
- प्रबंधित सेवाएं.
- आपदा प्रबंधन.
- रक्षा तंत्र, प्रतिष्ठित भारतीय और वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ प्रशिक्षण.
- क्लाउड और एज कंप्यूट, स्पीच/एनएलपी/स्मार्ट बोट्स इत्यादि तकनीक के नए क्षेत्र.
- क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑर्टिफिशियल इंटैलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सहित नई तकनीकें.
- साइबर सुरक्षा.

उपर्युक्त के अलावा, टीसीआईएल मालदीव में भी सिविल हाउसिंग परियोजनाएं प्राप्त करने को प्रयासरत है

6. निष्पादनाधीन प्रमुख परियोजनाएं

I. घरेलु परियोजनाएं

6.1 तेलंगनाना फाइबर ग्रिड परियोजना (टी–फाइबर)

टी–फाइबर को तीन पैकेजों ए, बी और सी में कार्यान्वित किया जाना है। आपकी कंपनी को पैकेज सी के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के तौर पर 14925.2 मिलियन की तेलंगाना फाइबर ग्रिड (टी–फाइबर) परियोजना प्रदान की गई है। इसके तहत 3 अंचलों (आदिलाबाद, करीमनगर और निजामाबाद), 10 जिलों (आदिलाबाद, कोमाराभेम, मांचेरियल, निर्मल, जगतियल, करीमनगर, पेड्डापल्ले, रजन्ना, कामारेड्डी और निजामाबाद), 180 मंडल और 2604 ग्राम पंचायतें आती हैं।

टी–फाइबर में डीआईटी के बाद ओएफसी कार्य

कार्यक्षेत्र में शामिल हैः प्रोजेक्ट गो लाइव की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए नेटवर्क वास्तुशिल्प का रूट सर्वे, डिजाइन और नियोजन, ओएफसी बिछाने का कार्य (खोदना, ट्रेंचिंग, ओएफसी बिछाना, स्प्लाइसिंग इत्यादि) बीओक्यू को अंतिम रूप देना, स्वीकृत बीओक्यू के आधार पर सबी सक्रिय और निष्क्रिय उपकरणों की आपूर्ति, टी–एनओसी की संस्थापना व कनेक्टिविटी, एंड टू एंड नेटवर्क अवसंरचना की संस्थापना, टेस्टिंग, प्रारंभण, परियोजना और रखरखाव जिसमें एसएचक्यू से जेडएचक्यू, जेडएचक्यू से एमएचक्यू, एमएचक्यू से जीपी और जीपी से हाउसहोल्ड, सिवाए एचएच ओएनटी के, शामिल है।

राज्य मुख्यालय से अंचल (कम से कम 75 प्रतिशत भूमिगत), अंचल से मंडल (कम से कम 75 प्रतिशत भूमिगत), मंडल से ग्राम पंचायत (100 प्रतिशत लीनियर/चेन टेपोलॉजी) और शेष भाग हवाई स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा) ये सब मिलाकर एक वृत्ताकार आर्किटेक्चर बनाते हैं जबकि घरों तक की बाकी कनेक्टिविटी लीनियर आर्किटेक्चर पर आधारित है।

गैर एनओएफएन मंडल यानि कि 131 मंडल के लिए कार्यान्वयन स्वीकृति दे दी गई है। कोविड–19 की चुनौतियों और मिशन भगीरथ डक्ट संबंधी चुनौतियों के बावजूद, टीसीआईएल दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कार्यनिष्पादन में एक अच्छी प्रगति कर चुका है।

कुल निष्पादित कार्य की लागत 1800 मिलियन रु. है जबकि फेज–1 के कार्य की कुल लागत 7070 मिलियन रु. है जिसे 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है।

6.2 एपीएसएफएल परियोजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने 13 जिलों में भारत नेट फेज–II के कार्यान्वयन हेतु एपीएसएफएल (आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लि.) की शुरुआत की। एपीएसएफएल ने ओएफसी बैकबोन कार्य को 3 पैकेजों यानि पैकेज ए,बी और सी में विभाजित किया और 2018–19 में निविदाएं आमंत्रित कीं। टीसीआईएल को 4792.9 मिलियन रु. की कुल लागत के साथ 5 जिलों में पैकेज ए को कार्यान्वित करने की परियोजना प्राप्त हुई और एमएसए पर 8 जनवरी 2019 को हस्ताक्षर किए गए। कार्य में गंतूर, कृष्णा, करनूल, प्रकासम, पश्चिमी गोदावरी जिलों यानि 5 जिलों में 24एफ एडीएसेस केबल का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अवसंरचना स्थापित करना शामिल है।

कार्य क्षेत्र

क. उक्त तालिका के अनुसार 5 जिलों में 265 मंडलों और 4809 ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के लिए 24052 किमी तक के क्षेत्र के लिए फाइबर और इससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति।

ख. दिए गए कार्यक्षेत्र के लिए मौजूदा विद्युत खंबों का उपयोग करते हुए हवाई मार्ग में फाइबर बिछाना।

ग. फाइबर परिसंपत्ति प्रबंधन तंत्र की आपूर्ति और इसका कार्यान्वयन।

घ. परियोजना की कुल लागत 4792.9 मिलियन रु. (पूंजी व्यय रु. 3805.8 मिलियन परिचालन व्यय 987.1 मिलियन रु.)

एपीएसएफएल परियोजना में कार्यरत एक टीम द्वारा बिजली के खंभें के साथ एरियल ओएफसी बिछाने का कार्य प्रगति पर

ङ. आंध्र प्रदेश सरकार के नवीनतम निर्णय के अनुसार परिपूर्णन की तिथि 31 अगस्त 2021 है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- डेटा केंद्रों में एफएएमएस की आपूर्ति और संस्थापना हो चुकी है।
- 850 ग्राम पंचायतों में 108 वृत्तों पर अनुमानित 4044 कि.मी. पर ओएफसी और सहायक मदें बिछाई जा चुकी हैं।.
- आज की तिथि तक कार्य का मूल्य अनुमानित 683.1 मिलियन रु. है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड–19 के चलते मार्च 2020 में कार्य रोकने का निदेश दिया था।
- ताजा निदेश के अनुसार, ओएफसी रिंग्स जहां कार्य पूरा हो चुका है दिनांक 31 अगस्त 2021 तक टीपीए सत्यापन के साथ सुपुर्द किया जाना है।

6.3 बीएसएनएल सीडीआर परियोजना

वर्तमान में, फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम और आईपी आधारित बीएसएनएल के लिए परिचालन समर्थन तंत्र और व्यावसायिक समर्थन तंत्र निम्नलिखित तीन परियोजनाओं से संबंधित है:

क. सीडीआर परियोजना–I (हैदराबाद में दक्षिण डीसी और कोलकाता में पूर्व डीसी).

ख. सीडीआर परियोजना–II (चंडीगढ़ में उत्तरी डीसी और पुणे में पश्चिमी डीसी)

ग. एनआईबी–II परियोजना–3 (बंगलुरु में मुख्य डीसी, पुणे में डीआर, मुंबई और नोएडा में शाखा डीसी)

नई परियोजना का उद्देश्य (जिसे सीडीआर परियोजना–III कहते हैं) इन 8 डेटा केंद्रों की कार्यक्षमता को समेकित करना और हैदराबाद और पुणे में दो अत्याधुनिक डेटा केंद्रों को कार्यान्वित करना है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नए समाधानों के साथ बदले जाएंगे और कुल 15 मिलियन ग्राहक आधार के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न वॉयस और आईपी आधारित इंटरनेट सेवाएं शामिल होंगी।

कार्यक्षेत्र में शामिल है – हार्डवेयर उपकरण की डिजाइनिंग, नियोजन, आपूर्ति, संस्थापना, कॉन्फिगुरेशन, अनुकूलन, एकीकरण, जांच (वैधता व स्वीकार्य परीक्षण) और प्रारंभण, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, माइगरेशन, प्रशिक्षण, परिचालन व रखरखाव तथा एएमसी।

समाधान क्लाउड संकल्पना पर आधारित है जहां बीएसएनएल की आवश्यकताओं हेतु अवसंरचना और प्लेटफार्म वर्चुलाइज्ड किए जाते हैं तथा निजी क्लाउड के तौर पर कस्टम बिल्ट बनाया जाता है। इसके पास रैपिड इलैस्टिसिटी, संसाधन पूलिंग और मापन सेवा जैसी क्लाउड तकनीक की विशेषताएं हैं।

बीएसएनएल की इस प्रतिष्ठित परियोजना में अग्रणी ओईएम ऑफ एप्लीकेशंस और हार्डवेयर हितधारक और साझेदार हैं। परियोजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। फेज–I के लिए पीओ (3000 मिलियन रु. से अधिक) मार्च 2020 में टीसीआईएल को दिया गया। इसका निष्पादन किया जा रहा है।

चूंकि यह परियोजना सभी अनुप्रयोगों और व्यावसायिक प्रवाहों को एक अभिसरित तंत्र में एकत्रित करते हुए एनआईबी–II पी3, सीडीआर पी–I और II की मौजूदा परियोजना का स्थान ले लेगी, यह बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सभी स्थायी लाइन टेलीकॉम और आईपी आधारित सेवाओं हेतु ओएसएस और बीएसएस का एक परिपूर्ण तंत्र बन जाएगी। यद्यपि इस परियोजना में कई जटिलताएं और चुनौतियां रहीं, पर इसके सफल कार्यान्वयन के बाद यह बीएसएनएल और टीसीआईएल दोनों के लिए ही अगले 7–10 वर्षों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बन जाएगी।

6.4 बीबीएनएल अति सूक्ष्म एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) परियोजना

टीसीआईएल को भारत ब्राडबैंट नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा एक टर्नकी परियोजना प्रदान की गई जिसके तहत गेटवेज़ परिचालन सहित भारतनेट परियोजना फेज–II के तहत 23 राज्यों में एमएचए/एमओडी एजेंसियों की डीएसपीटी और ग्राम पंचायतों सहित 4821 दूरदराज क्षेत्रों में बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु बीबीएनएल के सेटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क हेतु गेटवे बेसबैंड उपकरण और वीसैट उपकरण की आपूर्ति, संस्थापना, जांच, प्रारंभण, सीएएमसी शामिल है। ऑर्डर का मूल्य 2566.9 मिलिटन रु. है। कार्यक्षेत्र में प्रारंभण की तिथि से 2 वर्ष तक के लिए वारंटी और वारंटी पूरी होने के बाद 6 वर्ष की सीएएमसी शामिल है।

इस सेटेलाइट आधारित नेटवर्क को इसरो के जीसैट–19 और जीसैट–11 नामक दो उपग्रहों के माध्यम से अहमदाबाद और रांची में स्थापित किया जाएगा। टीसीआईएल को दो गेटवे स्टेशनों यानि दिल्ली (जीसैट–11) और बंगलुरु (जीसैट–19) के लिए के लिए हब गेटवे प्रकरण के प्रापण हेतु एडऑन ऑर्डर दिए गए हैं जिसमें 47 ग्राम पंचायतों के लिए वीसैट और सौर उपकरण कार्य शामिल है। ऑर्डर का मूल्य 306.2 मिलियन रु. है और कार्यक्षेत्र वही है जो मौजूदा ऑर्डर में है।

एनएफएस डिफेंस परियोजना का कार्य प्रगति पर

हाल ही में, बीबीएनएल ने 653 ग्राम पंचायत स्थलों के लिए वीसैट और सौर उपकरणों के प्रापण के लिए एडऑन ऑर्डर दिया है जिसका मूल्य 325 मिलियन रु. है और कार्यक्षेत्र मौजूदा ऑर्डर के समान ही है।

6.5 रक्षा के लिए देशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना

टीसीआईएल ने बीएसएनएल की 'नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम' परियोजना कार्यान्वित की है जिसे राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अधिकृत नेटवर्क रक्षा सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मूल्य 20000 मिलियन रु. है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में कार्य करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में शामिल है – रक्षा सेवाओं के लिए अधिकृत ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और एक्सेस रूट नेटवर्क का सर्वे, डिजाइन, निर्माण और जांच जिसके बाद 3 वर्ष की वारंटी और 7 वर्ष की एएमसी। परियोजना में स्थायी लुब्रिकेटिड डक्ट्स के माध्यम से 10000 किमी. से भी अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाना और सामग्री की आपूर्ति शामिल है। परियोजना की वारंटी पूरी होने के साथ 99 प्रतिशत से भी अधिक लिंक को प्रारंभ किया जा चुका है और 7 वर्ष की एएमसी की अवधि चल रही है।

6.6 टर्नकी आधार पर तीन बेतार लैन नियंत्रक स्थानों (डब्ल्यूएलसी) (पुणे-1, बंगलुरू और चेन्नई) पर ग्रामीण बीएसएनएल के एक्सचेंज और संबद्ध वाई-फाई एक्सेस तंत्र पर 12050 हॉटस्पॉट्स की आपूर्ति, संस्थापना, प्रारंभण, परिचालन और रखरखाव।

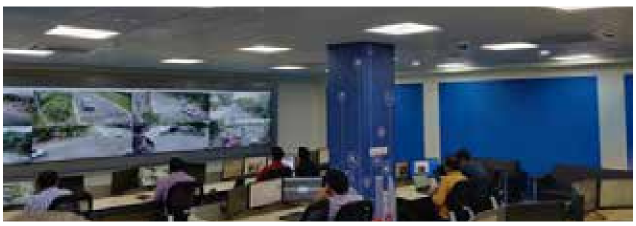

पुणे एनओसी में डब्ल्यूएलसी सेटअप

टीसीआईएल को यूएसओएफ के तहत निधियन बीएसएनएल की वाईफाई परियोजना हेतु 1968.82 मिलियन रु. का कार्यादेश प्राप्त हुआ है। परियोजना को फेज 1, फेज 2 भाग 1 और फेज 2 भाग 2 में विभाजित किया गया है। परियोजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- ग्रामीण बीएसएनएल एक्सचेंजों में डब्ल्यूएलसी एक्सेस तंत्र और वाईफाई हॉटस्पॉट्स के परिचालन व रखरखाव के साथ आपूर्ति संस्थापना और प्रारंभण।
- सभी वाईफाई हॉटस्पॉट्स, डब्ल्यूएलसी उपकरणों और संबद्ध नेटवर्किंग और पॉवर उपकरणों के लिए ईएमएस और सीएमएस तंत्र की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभण।
- केरल, तमिलनाडू, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 12050 ग्रामीण बीएसएनएल एक्सचेंजों में संस्थापित सभी वाईफाई हॉटस्पॉट प्रबंधित करने के लिए चेन्नई, बंगलुरु और पुणे में तीन केंद्रीकृत स्थानों पर डब्ल्यूएलसी उपकरण स्थापित किए जाने हैं।

जनवरी 2019 से डब्ल्यूएलसी तंत्रों और 10000 वाईफाई हॉटस्पॉट स्थान सक्रिय हो चुके हैं और वर्तमान में परियोजना परिचालन व रखरखाव चरण में है।

6.7 भारतीय नौसेना के लिए जीआईएस आधारित ओएफसी नेटवर्क

बीएसएनएल ने 22 जुलाई 2015 को 5558.2 मिलियन रु. (सभी कर सहित) की लागत पर भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अधिकृत प्रयोग के लिए ओएफसी नेटवर्क का कार्य प्रदान किया। नेटवर्क में भारतीय नौसेना

कोच्चि (नेवी परियोजना) में एफडीएमएस की स्थापना की गई

के लिए पूर्णतया सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। परियोजना कार्यक्षेत्र में शामिल है – 96 एफ(रिबन) परियोजना की

प्रकृति में शामिल है – 96 एफ रिबन/48एफ़8एफ(सेंसरी फिबर), भेदनमुक्त केबल, 48 एफ ऑर्मर्ड ऑप्टिक फाइबर केबल, 8 एफ मोबाइल फील्ड केबल, एचडीपीई पीएलबी, डीडब्ल्यूसी, जीआई, आरसीसी पाइप व सहायक उपकरण, एफडीएमएस, जेटी एन्क्लोजर्स, टीएमएफओसी (टैक्टिकल मोबाइल फाइबर ऑप्टिक केबल) व सहायक उपकरण, ओएनआईटी, एफटीएमएस और एफआईपीएस।

इस परियोजना में शामिल है – 19 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 42 स्टेशनों पर 33 नोड्स के साथ चार अंचलों यानि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी अंचलों के बीच वितरित पूरे पहुंच नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना। इस नेटवर्क का महत्व भारतीय नौसेना के अत्यंत संवेदनशील डेटा/ट्रैफिक को 2900 किमी. के ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से सुरक्षित संप्रेषण में है।

वर्तमान में, अनुमानित 2400 किमी का ओएफसी कार्य पूरा कर लिय गया है और 30स्टेशन शुरु हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 8 स्टेशन एंड–टू–एंड पूरे हो चुके हैं और प्रारंभण कार्य प्रगति पर है। शेष स्टेशन भी पूरे होने वाले हैं। प्रशिक्षण लैब भी नौसेना अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कोच्ची में स्थापित किया जा रहा है।

6.8 विदेशी मंत्रालय, भारत सरकार की ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (ईवीबीएबी) नेटवर्क परियोजना

क) ई–वीबीएबी नेटवर्क परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा निधियन की गई परियोजना है जिसके तहत प्रमुख भारतीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु पात्र अफ्रीकी शिक्षार्थियों को कम से कम 15000 छात्रवृत्तियां दी जानी हैं। टीसीआईएल ने ऑनलाईन कार्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा स्वीकृत 6 उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूर–शिक्षा सेवाएं www.ilearn.gov.in पर उपलब्ध हैं जोकि उनके अकादमिक प्रगति का अनुवीक्षण करने और छात्रवृति संबंधी आवेदनों को अनुमोदित करने के लिए एक प्रशासनिक पोर्टल है। यह शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के यूनिवर्सिटी पोर्टल स्वयं पर प्राप्त होती है। इस परियोजना के तहत जुलाई 2021 तक तीन अकादमिक चक्र प्रारंभ हो चुके हैं और 3570 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं। यूजीसी ने ऑनलाइन प्रोग्राम प्रदान करने के लिए और भी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित किया है और टीसीआईएल द्वारा अगले अकादमिक चक्र के लिए इन संस्थानों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है।

भारत–अफ्रीका उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास शिखर सम्मेलन के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

ख) ई–वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में शिक्षार्थियों को ई–सामग्री उपलब्ध कराने और लाइव लैक्चर में भाग लेने के लिए प्रतिभागी अफ्रीकी देशों में प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालय में शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। शिक्षा केंद्रों में दूर–शिक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कंप्यूटर, टीवी मॉनीटर, उच्च गति वाले स्पीड स्कैनर, ऑडियो सिस्टम, कैमरे, इंटरनेट कनेक्शन, फर्नीचर और अन्य अनिवार्य मदें स्थापित रहेंगी। शिक्षार्थियों के लिए परीक्षाओं का भी संचालन किया जा सकता है यदि उनके घरों से परीक्षाओं हेतु पर्याप्त बैंडविड्थ न हो। 14 अफ्रीकी देशें में शिक्षा केंद्र उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है और मलावी व सियरा लियोन में शिक्षा केंद्र सुविधा स्थापित की जा चुकी है।

ग) ई–वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भारत के चयनित अति विशिष्टता प्राप्त अस्पतालों/संस्थानों के माध्यम से अफ्रीकी देशों में अबाध चिकित्सा शिक्षा (टीएम–सीएमई) और दूर–परामर्शी (टीएम–टीसी) नाम से दूर–चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। दूर–चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल की संकल्पना कर ली गई है और जल्द ही इसे लाइव कर दिया जाएगा।

6.9 आईसीटी वर्चुअल कक्षा परियोजनाएं

टीसीआईएल ओडीशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में शिक्षण के स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्कृष्ट उत्पाद प्रदान करने हेतु अत्याधुनिक स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं प्रदान कर रहा है।

ओडिशा के कियोंझर जिले में सरकारी स्कूलों में टीसीआईएल द्वारा लगाए गए डिजिटल कक्षा उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ातीं एक अध्यापिका

प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- भारत भर में स्थित 99 जेएनवी में 1173 स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभण.
- स्कूल शिक्षा विभागायुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए स्मार्ट/वर्चुअल कक्षाओं की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन.
- कॉलेज शिक्षा विशेष आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार हेतु स्मार्ट/वर्चुअल कक्षाओं की आपूर्ति और कार्यान्वयन.
- विशेष आयुक्त, तकनीकी शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए स्मार्ट/वर्चुअल कक्षाओं व प्रबंधन सूचना तंत्र की आपूर्ति और कार्यान्वयन.
- उच्चतर शिक्षा विभाग, ओडीशा सरकार के लिए वर्चुअल कक्षाओं की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन।
- आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (एपीटीडब्ल्यूआरईआईएस), जनजातीय कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए स्मार्ट/वर्चुअल कक्षाओं की आपूर्ति व कार्यान्वयन।
- राज्य परियोजना निदेशक, आरयूएसए, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए वर्चुअल कक्षाओं की आपूर्ति व कार्यान्वयन।

6.10 डीटीसी और क्लस्टर स्कीम बसों में आईपी सीसीटीवी और स्वचलित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली की डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और प्रबंधन

डीटीसी और कलस्टर बसों में आईपी–सीसीटीवी और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन

टीसीआईएल को परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम से डीटीसी और क्लस्टर स्कीम बसों में आईपी सीसीटीवी और स्वचलित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु 1607 मिलियन रु. का कार्यादेश प्राप्त हुआ है।

परियोजना में डीटीसी और क्लस्टर बसों का उपयोग करने वाले यात्रियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उच्च स्तरीय वीडियो निगरानी और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। परियोजना का उद्देश्य डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी कैमरों के माध्यम से यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

परियोजना के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i. साइड 5500 बसों में आईपी सीसीटीवी निगरानी तंत्र। सभी बसों के भीतर, तीन (3) आईपीसीसीटीवी कैमरे, एक(1) 7 इंच का डिस्प्ले, एक(1) एमएनवीआर जिसमें हाउसिंग और स्टोरेज हो, दस(10) पैनिक बटन, एक(1) साउंडर, एक स्ट्रोब, दो (2) ऑडियो कंसोल शामिल हैं।

ii. 5500 बसों, 66 डिपो, 1 दृश्य केंद्र, 1 डेटा केंद्र, 1 कमान और नियंत्रण केंद्र को जोड़ने के लिए एमपीएलएस क्लाउड नेटवर्क।

iii. आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर पूर्णतया सुसज्जित कमान और नियंत्रण केंद्र.

iv. परिवहन विभाग मुख्यालय, डेटा केंद्र और आपदा रिकवरी पर दृश्य केंद्र.

6.11 स्मार्ट सिटी प्रभाग

– **फरीदाबाद स्मार्ट सिटी तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा**

टीसीआईएल फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना में तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक के तौर पर काम कर रहा है। टीसीआईएल फरीदाबाद में सभी स्मार्ट सिटी घटकों की लेखापरीक्षा संस्थापना, प्रारंभण और कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा कर रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

- एफएससीएल के साथ सहमत रूपरेखा के अनुसार आईसीसीसी का भौतिक सेटअप.
- सभी लाइसेंसों सहित सीओटीएस सॉफ्टवेयर.
- आईटी और गैर–आईटी अवसंरचना संस्थापना, विकास, जांच और उत्पादन पर्यावरण सेटअप.
- संबंधित मानकों के अनुसार आईटी और गैर–आईटी अवसंरचना की रक्षा और सुरक्षा.
- उपयोगकर्ता स्वीकार्य जांच करना और अनुप्रयोगों की प्रि–लॉन्च सिक्योरिटी लेखापरीक्षा का संचालन करना.
- यूसीओपी प्लेटफॉर्म के साथ विभिन्न सेवाओं और

समाधान का एकीकरण.

- समान प्रकार के और उपकरणों को एकीकृत करने में समर्थ एक मापनयोग्य तंत्र हेतु प्रावधान विकसित करना (जैसा कि वे आज स्थापित किए गए हों) और जो भावी अनुप्रयोगों और सेंसरों इत्यादि के साथ भी एकीकृत कर सके।

– **नेटग्रिड डेटा केंद्र तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा**

टीसीआईल दिल्ली और बंगलुरु में टियर–III डेटा केंद्रों की डिजाइनिंग, निर्माण, जांच, प्रारंभण, परिचालन और रखरखाव की परियोजना निगरानी/सहकर्मी समीक्षा हेतु परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। नेटग्रिड के लिए डेटा केंद्र बनाया गया है। बनाए गए डेटा केंद्र दिल्ली (डीसी या डीसी के निकट) और बंगलुरु (डीआर) में स्थित होंगे।

– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी)**

टीसीआईएल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण हेतु सुरक्षा परिचालन केंद्र की स्थापना व परिचालन संबंधी परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। टीसीआईएल एनएचए के इकोसिस्टम की सूचना परिसंपत्तियों की निरंतर निगरानी करते हुए साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पता लगाने, विश्लेषण करने, उनकी रिपोर्ट करने और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की सेवाएं देगा। परियोजना में अपने एसओसी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी, घटना का तिथि, समय, हमले के प्रकार का पता लगाने और निर्धारित सेवा स्तरों के दायरे में उसका समाधान प्रदान करना शामिल है।

6.12 दर्पण (नए भारत के लिए ग्रामीण डाक कार्यालयों को डिजिटली प्रौन्नत करना) परियोजना

आपकी कंपनी को डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आईसीटी–हार्डवेयर (आरएच) परियोजना (दर्पण) प्रदान की गई है। परियोजना को निर्माण स्वामित्व व हस्तांतरण (बीओटी) के लीज मॉडल पर मै. मिनोशा इंडिया लिमिटेड (इससे पहले रिकोह इंडिया लिमिटेड) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस ग्रामीण आईसीटी परियोजना का उद्देश्य शाखा पोस्टमास्टरों (बीपीएम) को निम्न ऊर्जा तकनीक समाधान (आईसीटी डिवाइस) प्रदान करना है जिससे 130000 अतिरिक्त विभागीय डाकखानों (ईडीओ) को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, ग्रामीण जनसंख्या को वित्तीय चक्र में जोड़ने में सहायता मिले.

कंसोर्टियम में अग्रणी साझेदार होने के नाते टीसीआईएल पूरी परियोजना के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है जबकि मिनोशा इंडिया लिमिटेड अनुमानित 1,30,000 अतिरिक्त विभागीय डाक कार्यालयों (ईडीओ) के लिए ग्रामीण आईसीटी उपकरणों, सौर पैनलों, सौर यूपीएस की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव करेगा जिसमें कनेक्टिविटी, सेवा केंद्र व सहायता केंद्र स्थापित करने और डीओपी के प्रशिक्षण का प्रावधान है।

परियोजना का मूल्य 13617.3 मिलियन रु. है। टीसीआईएल, रिकोह और डाक विभाग के बीच इस त्रिपक्षीय समझौते पर 24 नवम्बर 2014 को हस्ताक्षर किए गए और रिकोह इंडिया लिमिटेड के नाम को मिनोशा इंडिया लिमिटेड में परिवर्तित करने के समझौते पर 17 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए। परियोजना 24 अगस्त 2016 को प्रारंभ की गई।

परियोजना परिचालनरत है और आज की तिथि तक प्रमुख प्रदायकी यानि कि 1,29,423 ग्रामीण शाखा डाक कार्यालायों पर आरआईसीटी हार्डवेयर अवसंरचना और 100,676 स्थानों पर सौर समाधान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अन्य आवश्यक अवसंरचना में 114 पैन इंडिया सेवा केंद्रों की स्थापना, 1.29 लाख डाक कार्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना और सहायता डेस्क प्रबंधन शामिल है। भारत भर में 200 से भी अधिक लोगों की डेडिकेटिड परियोजना और परिचालन प्रबंधन टीम को तैनात किया गया है।

6.13 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की नेशनल इंटरनेट बैकबोन–II परियोजना–3 (एनआईबी–II, पी–3)

टीसीआईएल ने चार शहरों यानि कि बंगलुरु (मुख्य), नोएडा, मुंबई और पुणे (आपदा रिकवरी) में डेटा केंद्रों में एनआईबी–II मैसेजिंग व स्टोरेज सेवा मंच, ओएसएस एवं बिलिंग, सुरक्षा तंत्र और ईएमएस हेतु अपेक्षित विभिन्न नेटवर्क घटकों के टर्नकी कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चार

एनआईबी नोएडा साईट

चरणों में 10 मिलियन सब्स्क्राइबर क्षमता प्राप्त कर ली गई है. वर्ष–1 का ऑर्डर 1.8 मिलियन लोगों के लिए, वर्ष–2 ऑर्डर विस्तार 3.2 मिलियन, इसके बाद 5 मिलयन तक और 5 से 10 मिलियन तक का विस्तार किया गया। बीएसएनएल को सफलतापूर्वक एएमसी सेवा प्रदान की गई है।

6.14 उद्योग भवन परिसर, नई दिल्ली में सीसीटीवी निगरानी तंत्र

उद्योग भवन, नई दिल्ली में आईपी आधारित सुरक्षा व निगरानी तंत्र तथा संबंधित स्टोरेज, नेटवर्किंग घटक, विद्युत व सिविल वर्क की आपूर्ति, संस्थापना व प्रारंभण.

भवन के क्षेत्रों के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित सीसीटीवी निगरानी तंत्र के लिए विभिन्न घटकों के न्यूनतम तकनीकी विनिर्देश में निम्नलिखित घटक शामिल है:

- आईपी आधारित फिक्स्ड बॉक्स कैमरा
- आईपी आधारित फिक्स्ड डोम कैमरा
- नेटवर्क वीडियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एनवीएमएस)
- नियंत्रण कक्ष आईटी अवसंरचना
- सक्रिय नेटवर्क घटक

6.15 दूरसंचार परामर्शी

वर्ष के दौरान टीसीआईएल द्वारा निम्नलिखित दूरसंचार परामर्शी परियोजनाएं प्राप्त की गईं:

1. **एनसीआरएमपी–II (कार्यार्थी – संबंधित राज्यों के एसपीआईयू) के तहत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के लिए लास्ट–माइल कनेक्टिविटी परामर्शी सेवा और पूर्व चेतावनी प्रसार समाधान जिसका मूल्य लागत 50 मिलियन रु. व जीएसटी है**

   वर्ष 2018 में टीसीआईएल को प्रदान की गई परामर्शी परियोजना का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। टीसीआईएल ने समाधान डिजाइन, टेंडर तैयार करना, फ्लोटिंग और मूल्यांकन कार्य कर लिया है। गोवा, कर्नाटक और केरल के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्य सुपुर्द कर दिया गया है।

2. **चेन्नई से संबंधित कार्य – एएनआई (सीएएनआई) सबमरीन केबल परियोजना (कार्यार्थी – यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग) मूल्य 179.6 मिलियन व जीएसटी**

   टीसीआईएल चेन्नई–अंडमान सबमरीन केबल परियोजना के लिए तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान कर रहा है। टीसीआईएल को परियोजना कार्य चरणबद्ध रूप से वर्ष 2015, 2017 और 2019 में दिया गया। टीसीआईएल ने परियोजना के लिए रूट चयन, बीओक्यू प्राक्कलन और लागत हेतु डीटीएस (डेस्कटॉप अध्ययन), पर्यावरण अध्ययन पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की और संवैधानिक व वन्यजीव संबंधी स्वीकृति प्राप्त की। तकनीकी परामर्शी, अनुवीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीसीआईएल संकल्पना के चरण से

सीएएनआई परियोजना में सबमरीन केबल जोड़ने का कार्य

   लेकर परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन तक शामिल रहा। यूएसओएफ (दूरसंचार विभाग) द्वारा टीसीआईएल को आईएमए (स्वतंत्र अनुवीक्षण एजेंसी) नियुक्ति किया गया।

   परियोजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त 2020 को की गई। सबमरीन केबल की सहायता से द्वीपसमूह में टेलीकॉम बैंडविड्थ को उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में 100 जीबीपीएस बैंडविड्थ के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र के लोगों को ई–शिक्षा, ई–चिकित्सा और ई–अभिशासन सेवाएं प्राप्त हो सकें। पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

3. **लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूह में ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर तैयार करना – मूल्य 26.5 मिलियन रु.**

   टीसीआईएल ने डीपीआर (डेस्कटॉप अध्ययन पर आधारित) तैयार की है जिसमें कोची के मेनलैंड और लक्ष्यद्वीप के 11 द्वीपों की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी शामिल है। परियोजना को केबिनेट द्वारा दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई

गुजरात टीपीए, गोधरा के जिलाधीश कार्यालय में ऑप्टिकल टर्मिनेशन यूनिट को स्थापित किया गया।

4. **गुजरात में भारतनेट–II परियोजना के लिए तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा (कार्यार्थी–जीएफजीएनएल) – मूल्य 400 मिलियन रु. व जीएसटी**

   टीसीआईएल इस परियोजना के लिए लेखापरीक्षा गितिविधियों संबंधी कार्य कर रहा है। गुजरात के 22 जिलों में 200 से भी अधिक इंजिनियरों की टीम तैनात है। परियोजना परिपूर्णन के अंतिम चरण में है। अभी तक टीसीआईएल द्वारा अनुमानित 600 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

5. **महाराष्ट्र के लिए भारतनेट II परियोजना हेतु तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा (कार्यार्थी – महाआईटी) – मूल्य 300 मिलियन रु. व जीएसटी**

   गुजरात की भांति टीसीआईएल महाराष्ट्र में भी लेखापरीक्षा गतिविधियों का कार्यान्वयन कर रहा है जहां इस कार्य के लिए 80 से भी अधिक इंजिनियर तैनात हैं।

6. **केरल के लिए केएफओएन पीएमए हेतु तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा – मूल्य 200 मिलियन रु.**

   टीसीआईएल को केरल के लिए भी टीपीए कार्य प्रदान किया गया है। केएसआईटीआईएल के साथ दिसंबर 2019 को समझौता किया गया। टीसीआईएल द्वारा क्षेत्र में 30 से भी अधिक सदस्यों की टीम को तैनात किया गया है।

7. **एनआईआर ओपीजीडब्ल्यू परियोजना**

   परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। पैकेज सी पूरा होने को है। पैकेज की समस्याएं हल हो चुकी हैं।

   वर्तमान और नई परियोजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियांः

   1. टीसीआईएल को गोवा, कर्नाटक, केरल के लिए ईडब्ल्यूडीएस कार्य संबंधित राज्यों द्वारा परामर्शी सहायता हेतु प्रदान किया गया है।
   2. टीसीआईएल द्वारा तैयार की गई डीपीआर के आधार पर केबिनेट द्वारा दिसंबर 2020 को लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूह की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की मंजूरी दी गई।
   3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चेन्नई–अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2020 को किया गया।
   4. गुजरात भारतनेट II परियोजना के लेखापरीक्षा कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

6.16 इलाहाबाद डिविजन, उत्तर मध्य रेलवे के मुगल सराय–कानपुर खंड में ओएफसी और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापना, जांच और प्रारंभण

टीसीआईएल इलाहाबाद डिविजन में मुगल सराय–कानपुर खंड में सिंक्रोनस डिजिटल हायार्की (एसडीएच) सिस्टम की सिस्टम डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना, जांच और प्रारंभण के साथ साथ 24 फाइबर अंडरग्राउंड आर्मर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल व सिस्टम डिजाइन की ट्रेंचिंग, लेइंग, स्प्लाइसिंग, जॉयंटिंग, टर्मिनेटिंग और कमिश्निंग का कार्य कर रहा है जिसका मूल्य 287.8 मिलियन रु. है। कार्य में निम्नलिखित की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभण शामिल है–

1. नेटवर्क के केंद्रीकृत अनुवीक्षण हेतु एनएमएस सर्वर के साथ कानपुर–मुगल सराय खंड में सिंक्रनस डिजिटल हायार्की (एसडीएच एसटीएम–4) नेटवर्क.
2. आपूर्ति, ट्रैंचिंग, लेइंग, टर्मिनेशन और जांच व प्रारंभण सहित ओएफसी कार्य.
3. एनएसएस व जांच उपकरण के साथ पूरे ऑप्टिकल फाइबर लिंक की अंतिम जांच व प्रारंभ (हॉप वाइज और एंड टू एंड).
4. रेलवे श्रमशक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करना.

6.17 एचपी आबकारी ई–अभिशासन परियोजना

टीसीआईएल हिमाचल प्रदेश कर व आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ई–अभिशासन प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है।

परियोजना में हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग के आबकारी कार्यप्रणाली के स्वचलन के साथ संपूर्ण ट्रैक एवं ट्रेस की डिजाइनिंग, विकास, आपूर्ति, संस्थापना, प्रारंभण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

यह समाधान शराब की बोतलों के गोदाम में बनने से लेकर शराब की दूकानों तक पहुंचने की पूरी गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी पहचान करने के संबंध में ई–अभिशासन समाधान प्रदान करने की संकल्पना पर आधारित है। यह समाधान राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अबाध कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है।

परियोजना में 13 माह की कार्यान्वयन अवधि और 05 वर्ष की परिचालन व रखरखाव अवधि शामिल है। परियोजना का मूल्य 357.6 मिलियन रु. है।

6.18 यूकेएससीबी परियोजना

टीसीआईएल ने उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के साथ दिनांक 21 जनवरी 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग समधान की आपूर्ति, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और प्रारंभण किया जाएगा। कार्यक्षेत्र में शामिल है – पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखंड में राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और उनकी शाखाओं को प्रमुख बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रदान करना और डेटा केंद्र स्थापित करना। परियोजना का मूल्य अनुमानित 250 मिलियन रु. है।

6.19 बेतार अवसंरचना

वर्ष के दौरान, उपर्युक्त दर्पण परियोजना के अलावा टीसीआईएल के बेतार अवसंरचना प्रभाग ने निम्नलिखित परियोजनाओं का निष्पादन किया हैः

1. **कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के एमकिसान पोर्टल के लिए एसएमएस गेटवे सेवाएं प्रदान करनाः**

   यह परियोजना टीसीआईएल को कृषि, सहयोग व किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना पर 20 अप्रैल 2020 से कार्य चल रहा है।

   परियोजना के तहत कृषि, सहयोग व किसान कल्याण विभाग (डीएसीडब्ल्यू) के एमकिसान पोर्टल के माध्यम से भारी संख्या में एसएमएस (मौसम भविष्यवाणी, सरकारी आदेश इत्यादि पर विभिन्न जानकारी के संबंध में किसानों को एसएमएस भेजना) भेजने के लिए एसएमएस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। विभाग एमकिसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी मामलों पर दिशानिर्देश भेज रहा है। विशेषज्ञों से कृषि संबंधी दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए 5 करोड़ से भी अधिका किसानों ने पंजीकृत किया है। दिशानिर्देश भेजने के लिए आईएमडी, आईसीएआर, एसएयू, डीएएचडीएफ, केवीके, एएमएफयू, राज्य सरकारों के लगभाग 6000 विशेषज्ञ पंजीकृत हैं। अनुकूलित एडवाइजरी के लिए प्रत्येक किसान 8 फसलों/कृषि प्रकियाओं का चयन कर सकता है।

   वर्ष 2020–21 के लिए परियोजना का मूल्य अनुमानित 200 मिलियन रु. है। परियोजना के सफल कार्यान्वयन के बाद टीसीआईएल को वर्ष 2021–22 के लिए भी विस्तार मिला है।

2. **कानपुर हवाई अड्डे के लिए व्यावसायिक मोबाइल रेडियो संचार प्रणाली (टेट्रा डिजिटल संचार प्रणाली) का टर्नकी कार्यान्वयनः**

   कानपुर हवाई अड्डे के लिए व्यावसायिक मोबाइल रेडियो संचार तंत्र (टेट्रा डिजिटल संचार तंत्र) कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका मूल्य 29.8 मिलियन रु. है। परियोजना परिचालनरत है। परियोजना में व्यावसायिक मोबाइल रेडियो संचार तंत्र यानि कि टेट्रा बेस आरटी प्रणाली की डिजाइनिंग, आपूर्ति, संस्थापना, जांच और प्रारंभण शामिल है जिसमें हवाई अड्डे और यात्रियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा एजेंसियों और सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले आवश्यक उपकरण और हेंडसेट शामिल हैं। परियोजना अभी वारंटी अवधि में है।

3. **आईबीएस समाधानः**

   टीसीआईएल ने एम्स दिल्ली के भवन और परिसर में एयरटेल, वाई (वोडाफोन–आइडिया) और रिलायंस जियो जैसे मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों के रेडियो सिग्नलों के विकसित जीएसएम 3जी, 4जी नेटवर्क कवरेज हेतु बेतार इन–बिल्डिंग समाधान सफलतापूर्वक प्रदान किया है। परियोजना पर कार्य चल रहा है और प्रतिवर्ष 5 मिलियन रु. की आय प्राप्त हो रही है।

4. **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के लिए नेटवर्किंग हार्डवेयर की आपूर्ति और संस्थापना हेतु परियोजनाः**

   परियोजना में निम्नलिखित मदों के लिए आपूर्ति, संस्थापना और 3 वर्ष की वारंटी शामिल हैः एज स्विच (8 पोर्ट्स), पीओई समर्थित स्टैंडअलोन स्विच, 8 यू रॉक्स, वीओआईपी फोन्स, वीडियो कान्फ्रेंसिंग कोडेक, डिस्प्ले यूनिट (42 इंच फुल एचडी एलईडी) और आईपी फैक्स मशीनें। परियोजना का अनुमानित मूल्य 8 मिलियन रु. है। स्वीकार्य परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और परियोजना अभी वारंटी में है।

5. **यूपीएनईडीए सौर ऊर्जा परियोजनाः**

   परियोजना में उत्तर प्रदेश के 10143 लोहिया आवास और अन्य आवास में सौर पीवी ऊर्जा पैक्स की 5 वर्ष की व्यापक वारंटी के साथ डिजाइनिंग, आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभण शामिल है। टीसीआईएल ने 3175 घरों में संस्थापना और परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है और सौर ऊर्जा पैक्स स्थापित किए हैं। परियोजना अभी वारंटी अवधि में है।

   हाल ही में दिनांक 4 फरवरी 2021 को टीसीआईएल और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बीच अटल टनल के भीतर और आसपास न्यूट्रल अवसंरचना पर एकाधिक मोबाइल ऑपरेटरों की कवरेज प्रदान करने

के लिए आउडडोर पोल्स लगाने और आईबीएस की संस्थापना और प्रावधान हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.20 ई–अभिशासन

1. दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और एचआर अनुप्रयोगः

क. कैनरा बैंक के लिए डीएमएस

टीसीआईएल को कैनरा बैंक से डीएमएस समाधान प्रदान करने की परियोजना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य 184.3 मिलियन रु. है तथा जिसमें 3 वर्ष की वारंटी अवधि और 2 वर्ष की एएमसी होगी। डीएमएस समाधान एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है जिसके तहत दस्तावेजों को प्राप्त, ट्रैक, प्रबंधित और संग्रहीत किया जाता है और पेपरवर्क को कम किया जाता है। अधिकांशतः विभिन्न उपयोगकर्ताओं (इतिहास ट्रैकिंग) द्वारा बनाए और संशोधित किए गए विभिन्न संस्करणों के रिकॉर्ड रखने में सक्षम हैं। डिजिटल दस्तावेजों के प्रबंधन के मामले में ऐसे सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामों पर आधारित है। इस शब्द में सामग्री प्रबंधन प्रणाली की संकल्पना को लेकर कुछ ओवरलैप है। यह डिजिटल परिसंपत्ति, प्रबंधन, दस्तावेज इमेजिंग, वर्कफ्लो सिस्टम और रिकॉर्ड प्रबंधन सिस्टम से संबंधित है। यह परियोजना देश भर के 50000 (बैंक स्टाफ) से भी अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए है।

ख. एनआईएफटी के लिए डीडीएफएस और एचआर अनुप्रयोग

वर्ष 2017 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2 वर्ष की एएमसी और 86 लाख रु. के परियोजना मूल्य के साथ डीडीएफएस (डिजिटल डाक्युमेंट फिलिंग सिस्टम) और एचआर अनुप्रयोगों की समान परियोजना प्रदान की गई।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण रखरखावः

आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2017 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण रखरखाव परियोजना प्रदान की गई। इस परियोजना में मूल उपकरण निर्माता मै. पॉलीकॉम द्वारा स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की देखभाल आयकर विभाग के सभी 56 वीसी स्थापित केंद्रों में की जा रही है। परियोजना का वार्षिक मूल्य 10.2 मिलियन रु. है और इसका वार्षिक आधार पर नवीकरण हो रहा है।

आयकर विभाग में विडियो कॉन्फ्रेसिंग उपकरण का रखरखाव

3. ऑनलाइन परीक्षा

वर्ष 2020–21 के लिए परीक्षार्थियों के एकत्रीकरण, पंजीकरण, प्रवेश परीक्षापत्र जारी करना, देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन, ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराना, मेरिट लिस्ट का मूल्यांकन और तैयार करना जैसे कार्यों के लिए केंद्रीय प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं तकनीक संस्थान (सीआईपीईटी) द्वारा परियोजना प्रदान की गई। परियोजना का प्राक्कलित मूल्य अनुमानित 20 मिलियन रु. है।

4. ट्रैफिक ई–चालान सिस्टमः

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के चलते ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी समर्थित ई–चालान सिस्टम शुरु किया। इस प्रयास में, टीसीआईएल को महाराष्ट्र हाइवे पुलिस से एक परियोजना प्राप्त हुई, जो सीसीटीवी पर तो आधारित नहीं है, पर इसमें ट्रैफिक पुलिस को पीओएस मोबाइल उपकरण से जोड़ा गया है, ताकि कानून तोड़ने वाले और संबंधित चालान की ऑनलाइन निगरानी की जा सके और सभी चालानों के बारे में जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। चालान की राशि भी तुरंत बैंक में अंतरित हो सकेगी। महाराष्ट्र में पांच वर्ष की यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है। इसका अनुमानित मूल्य 5 वर्ष के लिए 600 मिलियन रु. है।

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ई–चालान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है

6.21 सिविल अवसंरचना परियोजनाएं

सिविल प्रभाग इंटैलिजेंट भवन और ग्रीन बिल्डिंग में विशेषज्ञता के साथ भवनों, सड़कों और अन्य विभिन्न सिविल अवसंरचना कार्यों के लिए व्यापक वास्तुशिल्प डिजाइन, परियोजना प्रबंधन परामर्शी, ईपीसी आधार व तृतीय पक्ष गुणवत्ता जांच व लेखापरीक्षा सेवाओं हेत परामर्शी के तौर पर निर्माण गतिविधियों का परिचालन कर रहा है।

सिविल प्रभाग वर्तमान में भारत के 20 से भी अधिक राज्यों में संपूर्ण अवसंरचना सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रक्रियाबद्ध नियोजन, उच्च गुणवत्ता मानक और अद्वितीय कार्यान्वयन

के साथ टीसीआईएल के सिविल प्रभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों से मनोनयन आधार पर और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्क बोली प्रक्रिया के आधार पर वित्त वर्ष 2020–21 में 14470.20 मिलियन रु. से भी अधिक के ऑर्डर बुक किए हैं। सिविल प्रभाग विभिन्न अवसंरचना सेक्टरों के लिए अपनी परियोजना प्रबंधन सेवाएं, ईपीसी सेवाएं और तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है।

तेजी से विकास कर रहे हमारे सिविल प्रभाग की कुछ चल रही/पूरी हो चुकीं परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

- रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के लिए ओडीशा में पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) के तहत विभिन्न स्थानों पर रेल ओवर ब्रिजों (आरओबी) का निर्माण। परियोजना मूल्य 4368.8 मिलियन रु.

- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत स्मार्ट सिटी परियोजना की डिजाइनिंग, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन। परियोजना मूल्य 8500 मिलियन रु. (पीएमसी लागत 91.1 मिलियन रु.)

- एनईएसटीएस, जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार के तहत बिहार, झारखंड, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण। परियोजना का अनुमानित मूल्य 7300 मिलियन रु.

- एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सड़क विभाग, नेपाल सरकार द्वारा निधियन की गई शैलेघात–रामेनछाप–संगतूर सड़क परियोजना। परियोजना का मूल्य 14.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- लुंबिनी विकास ट्रस्ट, नेपाल के लिए लुंबिनी, नेपाल में लुंबिनी मास्टर प्लांस का विकास। परियोजना मूल्य 200 मिलियन नेपाली रु.

- आरईसी फाउंडेशन के तहत सदर/जिला अस्पताल मुजफ्फरपुर में विकास/निर्माण कार्य जिसका मूल्य 80 मिलियन रु. है।

- आइजाल, मिजोरम में 2 फ्लाईओवर और 1 बस टर्मिनल के निर्माण के लिए टैक्नो साध्यता अध्ययन।

- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार हेतु गुरुग्राम, हरियाणा में ग्रामीण विद्युत निगम विश्व मुख्यालय का निर्माण जिसका मूल्य 4000 मिलियन रु. है। यह व्हाइट फेयर फिनिश कंक्रीट वाली गृहा 5 स्टार नेट पॉजिटिव बिल्डिंग है। पूरी हो जाने के बाद विशेष सुविधाओं वाली यह बिल्डिंग एक इतिहास रचेगी। यह बिल्डिंग भावी सुविधायुक्त बिल्डिंगों के विकास में हमारे सिविल प्रभाग की क्षमता और विशेषज्ञता को प्रतिबिंबित करती है।

गुरुग्राम, हरियाणा में आरईसी विश्व मुख्यालय भवन में सौर पेर्गोला और ग्लास फैकेड का कार्य

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार के लिए तूरा (मेघालय) में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण। परियोजना का अनुमानित मूल्य 6500 मिलियन रु. है। वर्तमान में 2760 मिलियन रु. की लागत वाला चरण 1 का कार्य प्रगति पर है।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक सर्किट 1 परियोजना का विकास। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में फैले 39 स्थलों का विकास होगा। परियोजना की कुछ विशेषताएं हैं – लाइट एंड साउंड शो, घाटों का निर्माम व विकास, शौचालय खंड बनाना, मनोरंजन पार्क, सौर ऊर्जा और लैंडस्कैपिंग बनाना। मूल्य 760 मिलियन रु.।

- बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, असम सरकार के लिए बीटीसी क्षेत्र कोकराझार, असम में विभिन्न स्थानों पर सैनिक स्कूल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), ट्रामा केंद्रों, खेल परिसरों और पर्यटन हलकों का निर्माण जिसका मूल्य 6100 मिलियन रु. है।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए शिलांग हवाई अड्डा, मेघालय, तेजू हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश और जोरहाट हवाई अड्डा, असम में विभिन्न भवन कार्यों का निर्माण जिसका मूल्य 745 मिलियन रु. है।

अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के लिए एटीएस टॉवर भवन का निर्माण

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के तहत छत्तीसगढ़ में एक एथनिक पर्यटक गाँव का विकास किया गया।

- छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में एथनिक ग्रामों, बीच विकास घाटों, इको झोंपड़ियों, लिफ्ट और अन्य कार्यों सहित पर्यटन अवसंरचना कार्यों का विकास जिसका अनुमानित मूल्य 3295 मिलियन रु. है।

- नवोदया विद्यालय समिति, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार के लिए एनवीएस उ.प्र. उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम और जम्मू–कश्मीर के तहत जवाहर नवोदया विद्यालयों में निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य जिसका अनुमानित मूल्य 4359 मिलियन रु. है।

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 15 से भी अधिक राज्यों में एएसआई के तहत केंद्र संरक्षित स्मारकों में 79 शौचालय खंडों और 87 चारदिवारियों का निर्माण जिसका मूल्य 1400 मिलियन रु. है।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला, नई दिल्ली में अस्पताल का विस्तार व रखरखाव जिसका मूल्य 2420 मिलियन रु. है।

- भारत के 10 स्थानों पर भूमिगत और भूमि से ऊपर विशिष्ट एकीकृत ईएमपी सुरक्षित ठोस अवसंरचना हेतु तृतीय पक्ष जांच व प्रमाणन एजेंसी (टीपीआईसीए) जिसमें टीपीआईसीए का 165 मिलियन रु. का परामर्शी मूल्य शामिल है और इसका कुल मूल्य 20000 मिलियन रु. है।

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के लिए हितौदा मेकवानपुर जिला, नेपाल में नेपाल भारत मैत्री पॉलीटैक्नीक का निर्माण जिसका अनुमानित मूल्य 365 मिलियन रु. है।

- जनजातीय मामले, भारत सरकार के लिए अरुणाचल प्रदेश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)/एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 250 मिलियन रु. है।

- भौतिक संरचना व परिवहन मंत्रालय, नेपाल सरकार के लिए नेपाल में बेल्हिया से बुटवल को जोड़ने वाली भारतीय सीमारेखा पर दो सर्विस लेन के साथ 6 लेन वाली मानक सड़क का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 650 मिलियन रु. है।

सिविल प्रभाग के नए उपक्रमण:

- विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के लिए भवनों, रेलगाड़ियों, बसों इत्यादि में कूल रूफ पेंट तकनीक का अनुप्रयोग। टीसीआईएल ने दिल्ली की मै. थर्मो कूल, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके पास इन उत्पादों का पेटेंट है और जिन्हें आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित किया गया है।

- राज्य और केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के विभिन्न कार्यार्थियों के लिए भारत भर में ई–वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना।

- राज्य और केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के विभिन्न कार्यार्थियों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए संयंत्रों की स्थापना।

- नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थों को हाइड्रोकार्बन पदार्थ, ईंधन तेल और गैस में परिवर्तनित करने के लिए आवश्यक बहुऊर्जा परिसरों का निर्माण करना। इस सुविधा से पर्यावरण में उल्लेखनीय सुधार के साथ चिरस्थायी ऊर्जा और मूल्य का निर्माण होगा। टीसीआईएल भारत भर में ऐसे परिसर स्थापित करने का प्रयास कर रही है जहां शुरुआत पंचायती राज व मत्स्य पालन मंत्रालय राज्य व केंद्र सरकार के तहत उत्तर पूर्व के 10 स्थानों से की गई है।

- एक समर्पित टीम हाउसिंग और सिविल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी महाद्वीप सहित विभिन्न देशों में व्यापार के अवसर तलाश रही है। आर्थिक विकास मंत्रालय, मालदीव सरकार के तहत मालदीव में विभिन्न स्थानों पर 2000 अफोर्डेबल हाउसिंग इकाइयों और 30 से 50 बिस्तर वाले अस्पतालों के निर्माण हेतु प्रस्ताव।

- सिविल अवसंरचना कार्यों के अनुवीक्षण और मूल्यांकन हेतु आधुनिक और लोचशील परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है जिसमें व्यापक एकीकृत वेब और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। इस एप्लीकेशन की सहायता से बिना किसी झंझट के भौतिक रूप से विविध कितनी भी संख्या के क्षेत्रों की ट्रैकिंग व निगरानी की जा सकती है।

टीसीआईएल निम्नलिखित बीओटी सड़क परियोजनाओं का भी सफलतापूर्वक परिचालन कर रहा है:

- पंजाब में भवानीगढ़–नाभा–गोबिंदगढ़ सड़क कॉरिडोर परियोजना जिसकी लंबाई 55 किमी और मूल्य 900 मिलियन रु. है।
- टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड के तहत मध्य प्रदेश में 1200 मिलियन रु. के मूल्य वाली 57 किमी की बीना–कुरवई–सिरौंज सड़क परियोजना।
- टीसीआईएल लखनाडोन टोल सड़क लिमिटेड के तहत मध्य प्रदेश में 790 मिलियन रु. वाली 38 किमी की लखनाडोन–घनसोर सड़क परियोजना।

वर्ष के दौरान, सिविल प्रभाग ने 2650 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया।

II अंतरराष्ट्रीय परिचालन

6.22 सउदी अरब (के.एस.ए)

सउदी अरब में, आपकी कंपनी प्रमुख रूप से विभिन्न दूरसंचार परिचालकों के लिए बाहरी संयंत्र (ओएसपी) सिविल और फिबर नेटवर्क के टर्नकी कार्यान्वयन का कार्य कर रही है। टीसीआईएल विभिन्न कार्यार्थियों को ओएसपी टेलीकॉम नेटवर्क्स की प्रबंधित नेटवर्क सेवाएं (ओ एंड एम) भी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त टीसीआईएल एरिक्सन, नोकिया और सीबीआरई इत्यादि विभिन्न कार्यार्थियों को तकनीकी विशेषज्ञता भी आउटसोर्स कर रहा है।

सउदी अरब की राष्ट्रीय रूपांतरण योजना 2020 के तहत टीसीआईएल ने वहा की 3 कंपनियों यानि कि इंटिग्रेटिड दवियात (सउदी इलैक्ट्रिसिटी कंपनी (एसईसी के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), सउदी टेलीकॉम कंपनी (एसटीसी) और इंटीग्रेटिड टेलीकॉम कंपनी (आईटीसी) के साथ सउदी सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड (एनबीबी) परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के तहत, टीसीआईएल ने देश के प्रत्येक घर में फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी के तौर पर सिविल और फाइबर अवसरंचना प्रदान की है। टीसीआईएल ने 8000 मिलियन रु. तक के कार्य का निष्पादन किया है।

सउदी अरब में एतिहाद एतिसलात कार्यान्वयन परियोजना में डक्टिंग कार्य

टीसीआईएल सउदी अरब को सउदी अरब में प्रमुख कार्यार्थियों जैसे कि एतिहाद एतिस्लात कंपनी (मोबिली), इंटीग्रेटिड दवियात और इंटीग्रेटिड टेलीकॉम कंपनी (आईटीसी) के साथ फाइबर अवसंरचना प्रबंधित नेटवर्क सेवाओं (ओ एंड एम) का कार्य सुपुर्द किया गया है। टीसीआईएल को सउदी अरब में इंटीग्रेटिड टेलीकॉम कंपनी (आईटीसी) के लिए फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) और मैट्रो नेटवर्क की प्रबंधित नेटवर्क सेवाओं (ओ एंड एम) का कार्य प्रदान किय गया। प्रारंभ होने से अब तक टीसीआईएल कुल 3600 मिलियन रु. के फाइबर अवसंरचना प्रबंधित नेटवर्क सेवाओं (ओ एंड एम) का कार्य कर चुका है।

टीसीआईएल ने प्रमुख दूरसंचार परिचालकों एसटीसी, मोबिली और आईटीसी के अलावा एएनएम, एफएएसटी और बीएसीएस नामक 3 मैट्रो कंसार्टियम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं के रिलोकेशन का कार्य किया है। इन कार्यों के लिए टीसीआईएल ने 650 मिलियन रु. की आय प्राप्त की।

टीसीआईएल सउदी अरब ने एरिक्सन, नोकिया इत्यादि विभिन्न बहुराष्ट्रीय संचालक कंपनियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को आउटसोर्स किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान इसका मूल्य 140 मिलियन रु. रहा। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने 308 मिलियन रु. की कुल व्यापी आय के साथ कुल 3304 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया।

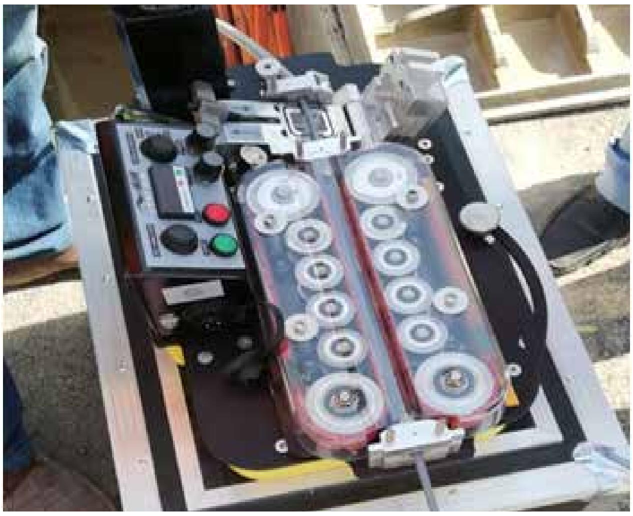

सउदी अरब में ऑप्टिकल फाइबर ब्लोइंग दवियात एनबीबी/सउदी इलैक्ट्रीसिटी–एफटीटीएच परियोजना

6.23 कुवैत

कुवैत में टीसीआईएल कुवैत मै. अहमद युसुफ बेहबेहानी जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रेक्टिंग कंपनी डब्ल्यूएलएल कुवैत के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। टीसीआईएल कुवैत विगत लगभग 40 वर्षों से कुवैत में दूरसंचार टर्नकी और रखरखाव परियोजनाओं को प्राप्त कर रही और उनका कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 1978 से ही टीसीआईएल कुवैत वहां के संचार मंत्रालय के प्रमुख संविदाकार रही है और वहां दूरसंचार नेटवर्क्स के निर्माण एवं रखरखाव हेतु प्रमुख कार्यार्थियों के

लिए निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन करती है:

दूरसंचार कार्य:

- पैसिव नेटवर्क में टर्नकी परियोजनाएं जिसरमें फाइबर और कॉपर केबल नेटवर्क की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना, टर्मिनेशन और जांच शामिल है.
- पब्लिक एड्रेस एवं पेजिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव.
- आंतरिक केबलिंग नेटवर्क (यूटीपी एंड एफओसी) की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव.
- एफटीटीएच नेटवर्क्स का रखरखाव जिसमें ओएलटी, ओएनटी इत्यादि की संस्थापना शामिल है.
- कॉपर केबल एवं फाइबर केबल नेटवर्क्स का रखरखाव.
- ईपीएबीएक्स, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी, लैन नेटवर्क और वीएमएस का परिचालन व रखरखाव.
- दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु डिजिटल पीआरआई, एनेलॉग लाइंस इत्यादि के लिए प्रोन्नत तकनीक एमयूएक्स सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव.
- और दूरसंचार नेटवर्क के लिए संबंधित सिविल कार्य.

वर्ष 2020–21 के दौरान, कुवैत में कोविड महामारी के चलते 3 महीने की पूरी तालाबंदी रही जिसके चलते व्यापार प्रभावित हुआ। हमने कुवैत के मिश्रियफ क्षेत्र में निर्मित क्वारंटीन सेंटर के भीतर दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने में अपने कार्यार्थी केआईपीआईसी की भी मदद की।

हमारी तत्परता के चलते वहां किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई जिसे हमारे कार्यार्थी ने सराहा। टीसीआईएल कुवैत ने वहां 2,639.72 मिलियन रु. के मूल्य की दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी निविदाओं में भाग लिया और 170.08 मिलियन रु. के कार्यादेश प्राप्त किए। टीसीआईएल कुवैत ने मै. एसटीसी (कुवैती दिनार 192,332.19) मूल्य 46.02 मिलियन रु., मै. अवकफ एंड इस्लामिक अफैयर्स (कु.दि. 160,692) मूल्य 38.30 मिलियन रु., मै. शिक्षा मंत्रालय रु. 16.74 मिलियन रु. के कार्यादेश प्राप्त किए। इसके अलावा क्यूनेट, टेल्को, केईएमएस, गल्फ नेट, एजिलिटी और अल–घनीम जैसे कार्यार्थियों से भी कार्यादेश मिले। टीसीआईएल कुवैत ने वहां के शिक्षा मंत्रालय के लिए 855 स्कूलों में फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्ट करने जैसी परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की।

दिनांक 01 अप्रैल 2021 तक टीसीआईएल कुवैत के पास एमओसी, मेटको, विवा, क्वालिटी नेट, केआईपीआईसी, केएनपीसी इत्यादि प्रतिष्ठित कार्यार्थियों से 1432 मिलियन रु. के कार्यादेश हैं।

कुवैत के एक स्कूल में फाइबर बिछाने का कार्य प्रगति पर

टीसीआईएल कुवैत ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 119.3 मिलियन लाभ के साथ 662.3 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया है।

6.24 नेपाल

विगत 19 वर्षों से नेपाल में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराते हुए टीसीआईएल ने नेपाल टेलीकॉम के लिए राष्ट्रीय महत्व की कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। टीसीआईएल ने नेपाल में अन्य दूरसंचार परिचालक एनसैल के लिए भी टर्नकी आधार पर कई ओएफसी निर्माण कार्यों को निष्पादित किया है। टीसीआईएल ने एमओआईसी, नेपाल सरकार के लिए एसएएसईसी सूचना राजमार्ग का परामर्शी कार्य, सार्क दूर–शिक्षा और दूर–चिकित्सा ई–नेटवर्क परियोजना कार्य का भी निष्पादन किया है। टीसीआईएल ने प्रांत 4 और 5 में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) की मिड हिल सूचना राजमार्ग परियोजना के तहत यूटीएल के लिए 2500 किमी ओएफसी नेटवर्क का पूरा सर्वे कार्य किया है। परियोजना में एनटीए द्वारा निर्मित आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसंचार विकास निधि) के तहत दोनों प्रांतों में 22 जिला मुख्यालयों और 52 नगर निगमों के लिए ऑप्टिकल नेटवर्क लीज कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। टीसीआईएल नेपाल ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले चीन के द्वारमार्ग त्रुसुली से रासुवागड़ी तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एनसैल के लिए 80 किमी के ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का निर्माण कार्य पूरा किया है जिसका मूल्य 50 मिलियन रु. है। टीसीआईएल नेपाल सरकार की महत्वाकांक्षी छह लेन वाली सड़क परियोजना को भी पूरा करने वाला है जिसका मूल्य 696.8 मिलियन रु.1114.8 मिलियन नेपाली रूपए है।

इसके अलावा, टीसीआईएल द्वारा प्राप्त की गई अन्य महत्वपूर्ण

परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. नेपाल के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित जिला मकवानपुर में हितौड़ा में भारत नेपाल मैत्री पॉलीटेक्नीक संस्थान का निर्माण जिसका मूल्य 365.2 मिलियन रु. 584.3 मिलियन नेपाली रु. है। साथ ही, 278 मिलियन रु. के मूल्य का चारदिवारी के निर्माण का अतिरिक्त कार्य भी प्राप्त हुआ।

हितौड़ा में नेपाल–भारत मैत्री पॉलिटैक्निक भवन का निर्माण कार्य

2. लुंबिनी मास्टरप्लान के विभिन्न घटकों की विस्तृत डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण जिसका मूल्य 127.5 मिलियन रु. 204.1 मिलियन ने है।

3. भारत के एग्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषित तथा सड़क विभाग के तहत शलीघाट–रामेछाप–संघुटर सड़क के Ch 0+000~49+817 सेक्टर का सुधार/अपग्रेड करना।

शलीघाट–रामेछाप–संघुटर सड़क को निर्माण

4. नेपाल में टीसीआईएल, नेपाल नए कार्यादेश प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है और इसी के चलते हमें दशरथ तालाब, जनकपुर, नेपाल में 'एसईएल धौ' के निर्माण हेतु 112.5 मिलियन रु. का कार्य मनोनयन आधार पर प्राप्त होने की संभावना है जोकि नेपाल के इतिहास में पहला होगा।

5. यह प्रभाग और भी कार्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

क. एनटीए, नेपाल के तहत दूरसंचार उद्योग के लिए साइबर सुरक्षा सिमुलेशन प्रयोगशालाध्सीईआरटी की स्थापना जिसका मूल्य 250 मिलियन रु. है।

ख. नेपाल दूरसंचार कंपनी के अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की आपूर्ति, डिलीवरी, बिछाना, संस्थापना, परीक्षण और सुपुर्दगी जिसका मूल्य अनुमानित 1070 मिलियन ने.रु. 668.75 मिलियन रु. है

ग. नेपाल में रिदी बालकोट रोड से ब्लैक टॉप तक अपग्रेडिंग जिसका मूल्य 960 मिलियन नेपाली रु. 600 मिलियन रु. है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल नेपाल ने 150.7 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया और वर्तमान वित्त वर्ष में इसे और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

6.25 मॉरीशस

टीसीआईएल मॉरीशस ने मॉरीशस टेलीकॉम के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का निष्पादन किया है:

– टेलीकॉम नेटवर्क और बाहरी संयंत्र में अवसंरचना हेतु बहु–आदेश रखरखाव संविदा.
– फाइबर–टू–द–एंटरप्राइज की स्थापना.
– मोबाइल साइट्स और इंटर–एक्सचेंज लिंक्स.
– एफटीटीएच के आवासीय नए कनेक्शन.
– शॉर्ट नोटिस 24X7 पर आपातकालीन मरम्मत.

मॉरिशस में सेंटजीन में आपातकालीन ब्रेकडाउन की मरम्मत की जा रही है।

वर्ष के दौरान, मॉरीशस शाखा ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 26,501,791 मॉ. रु. के लाभ के साथ 98,823,592 मॉ.रु. का टर्नओवर प्राप्त किया है।

6.26 ओमान

टीसीआईएल वर्ष 1987 से ओमान में कार्य कर रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल ने अपने प्रतिष्ठित कार्यार्थी मै. ओमान ब्रॉडबैंड (ओबीबी) के लिए एफटीटीएच नेटवर्क निर्माण कार्य का निष्पादन किया।

फ्रेम एग्रीमेंट टी–003–2018 के तहत मै. ओमान ब्रॉडबैंड के लिए किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ओमान ब्रॉडबैंड के लिए ओएफसी बिछाने हेतु डक्ट सिस्टम का निर्माण
- डक्ट सिस्टम चौबर्स/मैनहोल/हैंडहोल्स की आपूर्ति व संस्थापना
- डक्ट सिस्टम हेतु प्रमुख सड़क क्रॉसिंग्स के लिए हॉरीजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (एचडीडी) का निर्माण
- एफटीटीएच नेटवर्क के लिए स्ट्रीट एफडीएच (फाइबर डिस्ट्रिब्यूशन हब) की संस्थापना
- मौजूदा और नई लेड डक्ट सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को खींचना
- एनएपी/ब्रांच जाएंट्स (बीजेस) में स्प्लाइसिंग फाइबर्स के बाद स्प्लाइस क्लोजर की आपूर्ति व फिक्सिंग
- एफटीटीएच नेटवर्क की स्प्लाइसिंग/टर्मिनेशन/परीक्षण.
- निर्मित एफटीटीएच नेटवर्क के लिए हाउस कनेक्शन हेतु एक घर से दूसरे घर तक पाइपें बिछाना.
- नेटवर्क रखरखाव कार्य जैसे कि डक्ट रूट और डक्ट चौंबरों में डैमेज रेक्टीफाई करना, फाइबर केबल के नुकसान को कम करना, फाइबर केबल्स की ब्रांचिंग/डायवर्जन इत्यादि.

प्राप्त टर्नओवरः वर्ष 2020–21 को दैरान कार्यार्थी मै. ओमान ब्रॉडबैंड से 210.3 मिलियन (ओमानी रियाल यानि 1.091 मिलियन) का टर्नओवर प्राप्त किया गया। पूरे ओमान में ओबीबी क लिए मस्कट, बातिना और दखालिया गवर्नेट्स के लिए कार्यों का निष्पादन किया गया। नए मै. ओबीबी से वर्ष 2020–21 में 101.2 मिलियन रु. (0.528 मिलियन ओमानी रियाल) की कुल ऑर्डर बुकिंग की गई।

7. ऑर्डर बुकिंग

वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल ने कुल 22,958 मिलियन रु. की ऑर्डर बुकिंग की।

8. पूंजी व्यय

वर्ष 2020–21 के दौरान टीसीआईएल का पूंजी व्यय 25 मिलियन रु. रहा।

9. समूह कंपनियां

9.1 सहायक कंपनियां

(i) टीसीआईएल ओमान एलएलसी

इस सहायक कंपनी में टीसीआईएल का इक्विटी स्टेक 70 प्रतिशत है जबकि शेष 30 प्रतिशत शेयर मै. नेशनल टेलीफोन सर्विसेज कंपनी एलएलसी एंड ओमान (एनटीएस) का है। कंपनी ओमान में व्यापार की नई संभावनाओं की तलाश कर रही है।

(ii) तमिनलाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि. (टीटीएल)

टीटीएल की स्थापना वर्ष 1988 में तमिलनाडू औद्योगिक विकास निगम (टिडको) और जापान की मै. फुजीकुरा के सहयोग से दूरसंचार केबल के निर्माण के लिए की गई थी। इसमें टीसीआईएल का स्टेक 49 प्रतिशत है। कार्यादेशों के अभाव में पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के प्रदर्शन के गिरावट आई है। वर्तमान में अधिकांश मांग केबल रिबन प्रकार की केबल्स की है जिसके लिए टीटीएल के पास अपेक्षित विनिर्माण मशीनरी नहीं है। इसे देखते हुए टीटीएल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टीटीएल भूमि के मौद्रीकरण की संभावनाओं को खोज रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, टीटीएल का टर्नओवर शून्य रहा जोकि विगत वर्ष भी यही था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर पश्चात घाटा 98.93 मिलियन रु. रहा जबकि विगत वर्ष यह 140.80 मिलियन रु. था।

(iii) टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल)

टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) टीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 11 जुलाई 2021 को डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर बीना–कुरवई–सिरौंज टोल रोड परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अस्तित्व में आई थी। परियोजना वर्ष 2014 में पूरी हो गई थी। वित्त वर्ष 2020–21 में कंपनी ने 41.05 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया जबकि विगत वर्ष यह 49.18 मिलियन रु. था। कंपनी का कर पश्चात लाभ 13.86 मिलियन रु. रहा जबकि

विगत वर्ष कंपनी को 210.5 मिलियन रु. का घाटा हुआ था। वर्ष के दौरान यह लाभ केवल बुक प्रॉफिट है जोकि भारतीय ले.मा. के प्रावधानों के अनुसार टीसीआईएल के डि–रिकोग्निशन के कारण हुआ है।

(iv)टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल)

टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) टीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका गठन 21 अगस्त 2013 को निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर लखनाडोन–घनसोर सड़क परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। परियोजना को 29 अगस्त 2016 को पूरा किया गया और पथकर संग्रह 6 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुआ। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का परिचालन टर्नओवर 60.94 मिलियन रु. रहा जबकि विगत वर्ष यह 75.60 मिलियन रु. था। कंपनी का कर पश्चात घाटा 29.99 मिलियन रु. था जबकि विगत वर्ष यह 75.63 मिलियन रु. था।

(v) टीसीआईएल यूएसए इंक.

टीसीआईएल यूएसए इंक. टीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसका गठन 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृत निवेश राशि के साथ 29 नवम्बर 2018 को वाशिंग्टन, यूएसए में किया गया था। टीसीआईएल यूएसए इंक. संभावित दूरसंचार सेवा प्रदाताओंध्वेंडरों से व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रही है।

9.2 संयुक्त उपक्रम कंपनियां

(i) भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल)

बीएचएल की स्थापना 1995 में राजस्थान और उत्तर पूर्व में सैल्युलर मोबाइल सेवाओं के परिचालन हेतु मोबाइल दूरसंचार कंपनी, कुवैत और श्याम टेलीकॉम लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कंपनी के तौर पर की गई थी। वर्तमान में बीएचएल में टीसीआईएल और भारती एयरटेल (बीएएल) का शेयर अनुपात 30रू70 है। टीसीआईएल ने चरणबद्ध तरीके से बीएचएल में 1062 मिलियन रु. का निवेश किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने 10339 मिलियन रु. के घाटे के साथ 46,023 मिलियन रु. का टर्नओवर प्राप्त किया जबकि विगत वर्ष 38,741 मिलियन रु. का टर्नओवर और 27,165 मिलियन रु. का कर पश्चात घाटा था।

(ii) टीबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड (टीबीएल)

टीबीएल का गठन 1989 में हुआ था जहां कपनी में टीसीआईएल का हितधारण 44.9 प्रतिशत, टीबीएल इंडिया एलएलसी का 40 प्रतिशत और डीएसएस एंटरप्राइजेज का 15.1 प्रतिशत है। टीसीआईएल ने कंपनी में 8.37 मिलियन रु. की राशि का निवेश किया। वर्ष 2020–21 के दौरान, टीबीएल ने आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति परियोजना का निष्पादन किया जिसका मूल्य 17 मिलियन रु. है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 17.03 मिलियन रु. का परिचालन टर्नओवर प्राप्त किया जबकि इसका कर पश्चात लाभ 0.76 मिलियन रु. रहा। विगत वर्ष यह आंकड़े क्रमशरू 2.1 मिलियन रु. और 0.3 मिलियन रु. थे।

(iii)इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (इक्सिल)

1987 में, टीसीआईएल और दिल्ली राज्य औद्योगिकी एवं अवरंचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने 2 निजी पार्टियों के साथ मिलकर इक्सिल की स्थापना की जिसका उद्देश्य तकनीकी श्रमशक्ति की आपूर्ति और प्रशिक्षण, कंप्यूटर संचार और कार्यालय स्वचलन परियोजनाओं का निष्पादन करना है। टीसीआईएल ने इक्विटी को लेकर इक्सिल में 3.60 मिलियन रु. का निवेश किया। इक्सिल IS/ISO 9001:2008 प्रमाणित कंपनी है और दिल्ली सरकार और विभन्न अन्य सरकारी विभागों को श्रमशक्ति, हार्डवेयर और अन्य कंप्यूटर उपकरणों की आपूर्ति कर रही है। कंपनी अधिसंख्य कंप्यूटर और आईटी पाठ्यक्रमों के लिए नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी परियोजनाओं की उच्च तकनीकी परियोजनाओं के निष्पादन के साथ–साथ कंप्यूटर और सू.प्रौ. पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भी दे रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का परिचालन टर्नओवर 1614.71 मिलियन रु. रहा जबकि पिछले वर्ष यह 1652. 40 मिलियन रु. था। कंपनी का कर पश्चात लाभ 55.70 मिलियन रु. रहा जबकि विगत वर्ष यह 57.22 मिलियन रु. रहा।

(iv)युनाइटेड टेलीकॉम लि. (यूटीएल)

यूटीएल का गठन 2001 में टीसीआईएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल (वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशन्स लि.) और एक स्थानीय साझेदार यानि कि नेपाल वेंचर्स प्रा. लि. ने मिलकर नेपाल में डब्ल्यूएलएल आधारित मूल दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया था। कंपनी नेपाल में मूलभूत मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी और डेटा सेवाएं प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और इसे बड़े स्तर पर घाटा हुआ है।

यह नेपाल सरकार को रायल्टी, बीटीएस साइट प्रभार और अन्य बकाया राशि चुकाने में असमर्थ रही है। सभी भारतीय संयुक्त उपक्रम साझेदारों ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जेवी से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। 31 मार्च, 2021 की समाप्त तक कंपनी का टर्नओवर शून्य रहा और कंपनी अब परिचालनरत नहीं है। वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी कर कर पश्चात घाटा 645.77 मिलियन रु. है जबकि विगत वर्ष यह 795.5 मिलियन रु. था।

10. समेकित वित्तीय विवरण

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

11. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं रखी गई है।

12. नैगमिक अभिशासन और प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट

नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट **अनुलग्नक 'क'** पर संलग्न है। प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ख'** पर संलग्न है

13. टीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सहायक कंपनियों की रिपोर्ट संलग्न करना

आपकी कंपनी टीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न नहीं कर रही है। इस विषय में टीसीआईएल का कहना है कि सहायक कंपनियों के वार्षिक खातों और संबंधित विस्तृत जानकारी को टीसीआईएल और सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को जब भी वे चाहें उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक कंपनियों के वार्षिक खातों को टीसीआईएल के मुख्य कार्यालय और संबंधित सहायक कंपनियों के किसी अंशधारक द्वारा निरीक्षण के लिए भी रखा जाएगा। टीसीआईएल मांगे जाने पर किसी भी शेयरधारक को सहायक कंपनियों के खातों के विवरण की एक हार्ड कॉपी प्रस्तुत करेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रावधानों के संदर्भ में, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में निर्दिष्ट की गई हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और **अनुलग्नक 'ग'** के रूप में संलग्न है।

14. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और निर्गम का संरक्षण

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और निर्गम के संरक्षण से संबंधित जानकारी को इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'घ'** में संलग्न किया गया है।

15. गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन

आपकी कंपनी के पास एक स्थापित गुणवत्ता प्रणाली है जिसमें संगठन के सभी कारक जैसे कि लोग, कार्य, पर्यावरण, संसाधन और बुनियादा ढांचा, ग्राहकों की आवश्यकताएं, सामग्रियां और खरीद, सेवाओं के प्रावधान, परियोजना निष्पादन, पर्यावरण और सुरक्षा मामले शामिल हैं। टीसीआईएल का गुणवत्ता नीति वक्तव्य अपने कर्मचारियों और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि, निरंतर सुधार और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। टीसीआईएल को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणपत्र अगले तीन वर्ष यानि 2023 तक नवीकृत किया गया है।

पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के लिए टीसीआईएल के प्रमाणपत्र ISO 14001:2015 अंतरराष्ट्रीय मानक को 2019 में तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। इस प्रमाणपत्र के लिए सर्वे लेखापरीक्षा इस वर्ष प्रमाणन निकाय के बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए टीसीआईएल के प्रमाणपत्र ISO 45001:2018 अंतरराष्ट्रीय मानक को वर्ष 2019 में प्राप्त किया गया और यह मार्च 2022 तक वैध है। इस प्रमाणपत्र के लिए सर्वे लेखापरीक्षा इस वर्ष प्रमाणन निकाय के बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

टीसीआईएल ने 2019 में दो अतिरिक्त आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र – ISO/IEC 20000–1:2011 (सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रणाली (आईटीएसएमएस) और ISO 22301:2012 (व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) के लिए) प्राप्त किए। ये दोनों प्रमाणपत्र अप्रैल 2022 तक वैध है। इस वर्ष इन दोनों प्रमाणपत्रों के लिए निगरानी लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 प्रमाणपत्र

टीसीआईएल ने सीएमएमआई–डीईवी वी2.0 हेतु एक्सटर्नल बैंचमार्क अप्रेजल को सफलतापूर्वक पूरा किया।

16. प्रशिक्षण व विकास

टीसीआईएल में हम व्यक्तित्व को विकसित करने में विश्वास

करते हैं, और इस प्रकार टीम और संगठन को सशक्त बनाते हैं। यह बदले में, दुनिया भर में हमारे ग्राहकों को बेहतर व्यावसायिक परिणाम और लाभप्रदता प्राप्त करने में मदद करता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे व्यवसाय को उच्च तकनीक संचालन की विशेषज्ञता प्राप्त है, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कर्मचारी नवीनतम तकनीकों के साथ अद्यतित हो। एक सतत् प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, हम अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रबंधन और स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। बाहरी प्रशिक्षण से गुजरने के बाद प्रत्येक कर्मचारी से आंतरिक प्रशिक्षण में भाग लेने और उसी विषय पर प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। हम गैर–अधिकारियों के विभिन्न कौशल सेटों के विकास पर भी काम करते हैं, उन्हें विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें नवीनतम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय कौशल और भविष्य में सफल अधिकारी बनने के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रशिक्षण शामिल है। वित्त अधिकारियों को विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों की नवीनतम प्रक्रियाओं और नीतियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रेलवे सिग्नलिंग, ईडीपीएम और लीडरशिप डेवलमेंट प्रोग्राम जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

टीसीआईएल में हम प्रबंधकों को व्यावहारिक दिशानिर्देशों के साथ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं। हमारा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ कर्मचारियों को उनके अपने व्यवहार की स्पष्ट समझ प्रदान करता है ताकि वे और अधिक प्रभावशाली टीम सदस्य और लीडर बन सकें। युवाओं को समुचित मंच प्रदान किए जाते हैं जहां वे बेझिझक अपने विचार रखें और बेहतरी के सुझाव दें तथा कार्याथियों के साथ भी सहज होकर गहन चर्चाएं कर सकें। योजनाबद्ध तरीके से विकास के अवसर निश्चित रूप कर्मचारियों के कैरिअर विकास में अत्यंत लाभदायक होते हैं।

कर्मचारी की शैक्षिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टीसीआईएल में उच्च शिक्षा हेतु अवकाश प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, एक विशेष प्रमाणन प्राप्त करने वाली श्रमशक्ति की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हम अपने युवा इंजिनियरों और प्रबंधकों को प्रमाणन कार्यक्रमों जैसे ईडीपीएम, पीएमपी,सीसीएनए आदि जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करते हैं।

हम, टीसीआईएल में प्रबंधकों को व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों को प्रेरित करने, बनाए रखने और कोचिंग के लिए व्यवहारिक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। हमारे प्रशिक्षण कर्मचारियों को अपने व्यवहार की स्पष्ट समझ देते हैं जिससे कि वे अधिक प्रभावी टीम नेता बनकर उभरें। इसमें उनके तनाव के व्यवहार की मैपिंग के साथ–साथ यह भी बताया जाता है कि टीम के अन्य सदस्यों के कैसे प्रेरित करें। अपने कर्मचारियों को अधिक सक्रिय बनाने और प्रेरित करने के लिए टीसीआईएल समय–समय पर कई तनावमुक्ति और योग संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

17. कार्मिक

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कंपनी में 848 नियमित कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित) हैं जिनमें 399 कार्यपालक और 449 गैर कार्यपालक हैं। टीसीआईएल अपनी मानव संसाधन शक्ति को अपनी प्रमुख परिसंपत्ति मानता है और अपने कर्मियों के विकास पर जोर देते हुए विशेष ध्यान रखता है। टीसीआईएल अपनी भर्ती नीति के अनुसार प्रत्याशियों की ध्यानपूर्वक छंटनी करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से अपनी श्रमशक्ति में वृद्धि करता है। टीसीआईएल विभिन्न समाचार पत्रों और वेबसाइट में विज्ञापन देते हुए संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रत्याशियों की सीधी भर्ती करता है। कंपनी की एक बेहद आकर्षक वेतनामान संरचना है जो कर्मचारियों की योजनाबद्ध वृद्धि को सुनिश्चित करती है। अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व. और शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशियों को आरंक्षण दिए जाने के संबंध में आपका संगठन भारत सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करता है।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

कोविड 19 महामारी के चलते, टीसीआईएल ने विभिन्न कल्याकारी उपाय किए और ई 4 स्तर तक के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की।

टीसीआईएल के सभी कर्मचारियों के लिए एक शिकायत समाधान प्रणाली विकसित की गई है। उनकी शिकायतें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुनते हैं और मा.सं. प्रभाग द्वारा प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए तदवर्ती कार्रवाई की जाती है।

कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

कर्मचारियों के कल्याण हेतु टीसीआईएल में दो दिवसीय कोविड 19 आरटी–पीसीआर टैस्ट शिविर लगाया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह आयोजित किए जाने का प्रावधान है जहां कर्मचारी की सेवाओं को सम्मानित किया जाता है। कोविड 19 के चलते सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया और यदि समारोह आयोजित किए गए तो कोविड 19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का गंभीरता से पालन किया गया।

दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

टीसीआईएल में भारत सरकार के आरक्षण प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग प्रत्याशियों का प्रविष्टि स्तर के पदों पर चयन किया जाता रहा है। दिव्यांग कर्मचारियों के साथ कोई भेद–भाव नहीं किया जाता और उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान समझा जाता है। किसी भी दिव्यांग कर्मचारी को दूरगामी या संवेदनशील क्षेत्रों में कभी तैनात नहीं किया गया है। दिव्यांग कर्मचारियों को दुगनी दर पर परिवहन भत्ता दिया जाता है। भवन के भीतर भी दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के हर संभव इंतजाम किए गए हैं।

अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारियों का कल्याण

टीसीआईएल अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों को पूरा महत्व देते हुए उनका पालन करता रहा है। टीसीआईएल में सामान्य और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। भर्ती के समय भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अनु.जा.ध्अनु.ज.जा. ध्अ.पि.व. प्रत्याशियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। स्थानांतरण और तैनाती के समय भी इन कर्मचारियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा जाता है। अनु.जा.ध्अनु.ज.जा. और अ.पि.व. कर्मचारियों कल्याण और उनकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

टीसीआईएल में महिला सशक्तिकरण

दिनांक 31.03.2021 तक टीसीआईएल के कुल स्टाफ यानि 848 में से महिलाओं की संख्या 112 है। आपकी कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं।

विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं की मैपिंग की जाती है और उन महिलाओं की पहचान की जाती है जो नेतृत्वकारी भूमिकाओं के निर्वहन में सक्षम हैं। अनुक्रमण की योजना बनाई गई और संगठन में महिलाओं का अग्रणी भूमिकाओं के लिए अभिज्ञापन किया गया। जॉब रोटेशन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन में परियोजना प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन/निष्पादन, व्यावसायिक विकास वित्त और मा.सं. के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर और भूमिकाएं मिलें।

टीसीआईएल में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता और भर्ती के समय महिला प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। महिला प्रतिनिधियों को संगठन की विभिन्न समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मातृत्व, गर्भपात या अन्य आपातकाल में अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। बोर्ड द्वारा घर से कार्य की अनुमति भी पारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं के लिए देर तक काम करने पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी स्थानों पर जल, शौचालय व साफ–सफाई रहे। टीसीआईएल सभी कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर कौशल विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। महिला कर्मचारियों ने क बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्य–जीवन संतुलन और यौन शोषण जैसे विभिन्न मुद्दों पर निरंतर चर्चाएं की जाती हैं।

टीसीआईएल भवन में दिनांक 8 मार्च, 2021 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसमें सभी महिला कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान की ओर से 'आध्यात्मिकता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया।

18. राजभाषा (हिंदी) का उपयोग

आपकी कंपनी कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही कई कदम उठाती रही है। टीसीआईएल केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं। सितंबर माह में 01–09–2020 से 15–09–2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। कोविड 19 संबंधी सीमाओं का गंभीरता से पालन करते हुए इस पखवाड़े में टीसीआईएल ने अपने कर्मचारियों के लिए दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इनमें से एक प्रतियोगिता हिंदी स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को स्थल पर ही विषय दिया गया जिसपर उन्होंने विभिन्न काव्य रचनाएं की। हिंदी के उपयोग के लिए टीसीआईएल के सभी कंप्यूटरों पर युनिकोड और अन्य एडवांस टूल्स स्थापित किए गए हैं।

19. सतर्कता

- सतर्कता प्रभाग सतर्कता मामलों का निपटान करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग/दूरसंचार विभाग के सतर्कता प्रभाग को तिमाही रिपोट भेजता है। इस अवधि के दौरान, एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन सतर्कता स्वीकृतियां दी गईं। इस अवधि के दौरान कें.स.आ. द्वारा जारी आदेशोंध्अनुदेशों को अनुपालनार्थ सभी संबद्ध को परिपित्रित किया गया। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रारंभिक मूल्य पर की गई खरीद/अनुबंधों का एक सारांश टीसीआईएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया।

- टीसीआईएल कर्मचारियों ने चल/अचल संपत्ति के अर्जन, निपटान संबंधी प्रपत्र समयबद्ध प्राप्त किए गए और संबंधित कार्रवाई की गई। कर्मचारियों के एपीआर की छंटनी नियमित आधार पर की जाती है। जिन लोगों ने एपीआर में अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री संबंधी सूचना दी है

और अनुलग्नक–III (चल संपत्ति के अर्जन, निपटान हेतु प्रपत्र) नहीं भरा है, उन्हें पत्र जारी किए गए।

- के.स.आ. दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवम्बर 2020 तक टीसीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस बार की विषयवस्तु थी, 'सतर्क भारत समृद्ध भारत'। इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 'सतर्क भारत समृद्ध भारत' पर ग्रेटर नोएडा उत्पादकता परिषद के निदेशक श्री आर.डी. मिश्रा ने एक व्याख्यान दिया। इस सप्ताह के दौरान टीसीआईएल प्रबंधन ने सभी आयोजनों में विशेष रुचि प्रदर्शित की।

- आईईएम की 32वीं और 33वी बैठक का आयोजन क्रमशरू 11 अगस्त और 17 नवम्बर 2020 को किया गया। वर्तमान प्रारंभिक मूल्य 50 मिलियन रु. ही है। आईईएम की 33वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारतीय और विदेशी परियोजनाओं के डेटा को पृथक किया जाएगा और बाद की आईईएम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। ईओआई चरण पर आईएएम का संदर्भ शामिल किया जा सकता है ताकि किसी भी तरह के संभावित विवाद को आईईएम द्वारा प्रारंभिक चरण पर निपटा दिया जाए।

20. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी/सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यताओं के अनुसार आपकी कंपनी ने एक विस्तृत व्हिसल ब्लोअर नीतिध्सतर्कता तंत्र को विकसित किया है। यह आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।.

21. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनिवार्यताओं के अनुरूप नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व की विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ड.'** पर है।

22. संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रपत्र एओसी–2 **अनुलग्नक च(1) से च(9)** पर है।

23. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में निदेशक अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के आधार पर यह पुष्टि करते हैं किः

1) वार्षिक लेखा की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किय गया है और कोई सामग्री छूटी नहीं है।

2) यहां उचित लेखांकन नीतियों और प्रचलनों को निरंतर प्रयोग में लाया गया है और निदेशकों ने अपने उचित और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं ताकि 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।। वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और की सामग्री छूटी नहीं है।

3) कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित देखभाल के साथ कार्य किए गए हैं।

4) यह कि वार्षिक लेखा 'व्यावसायिक विचार' के आधार पर तैयार किए गए हैं।

5) निदेशकों ने सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया है और इस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जा रहा है।

24. निदेशकगण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के नेतृत्व में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

1. श्री संजीव कुमार को दिनांक 27 जनवरी 2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

2. दूरसंचार विभाग के आदेश सं. ई–3–5ध्2019–पीएसए दिनांक 31–08–2019 के माध्यम से श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), टीसीआईएल को दिनांक 01–09–2019 से 3 माह की अवधि के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सुपुर्द किया गया जिसे आगे संबंधित दूरसंचार विभाग के आदेशों के माध्यम से 15.11.2019 और 03.03.2020 को विस्तार दिया गया। इस प्रकार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), टीसीआईएल दिनांक 01.09.2019 से 31.05.2020 और फिर 27.10. 2020 से 26.01.2021 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। वर्ष के दौरान वे निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर बने रहे।

3. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (सरकारी नामिति) दिनांक 19 अगस्त 2020 तक टीसीआईएल के निदेशक पद पर रहीं और उसके बाद उनके स्थान पर श्री हरि रंजन राव को दिनांक 21 अक्टूबर 2020 से इस पद पर नियुक्त किया गया।

4. श्री रामहित राम जोकि दिनांक 27 अगस्त 2019 से टीसीआईएल निदेशकमंडल में गैर–अधिकृत स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए, उनका 13 जनवरी 2021 को आकस्मिक निधन हो गया।

5. श्री संजीव गुप्ता को उनकी कार्यावधि समाप्त होने पर दिनांक 01 फरवरी 2021 को निदेशक (सरकारी नामिति) के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त के अलावा श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), श्री नरेंद्र जैन, निदेशक (वित्त) और श्री कामेंद्र कुमार, निदेशक (तकनीकी) समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक अपने–अपने पद पर बने रहे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सभी निदेशक चार (4) बोर्ड बैठकों में शामिल हुए सिवाए सुश्री विनोद कोतवाल जोकि 07 अगस्त और 13 अगस्त 2020 की बैठक में शामिल नहीं हुईं और श्री रामहित राम, जोकि 13 अगस्त, 2020 और 09 नवम्बर 2020 की बैठक में शामिल नहीं हुए।

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक दिनांक 23 नवम्बर 2020 को आयोजित हुई और श्री संजीव गुप्ता, निदेशक (सरकारी नामिति) को छोड़कर सभी निदेशकों ने भाग लिया।

25. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का विवरण

31 मार्च, 2021 तक कंपनी के पदनामित प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं)
3. श्री नरेंद्र जैन, निदेशक (वित्त)
4. श्री कामेंद्र कुमार, निदेशक (तकनीकी)
5. श्री विशाल कोहली, कंपनी सचिव

श्री विशाल कोहली को दिनांक 07.08.2020 से कंपनी सचिव के रूप में पदनामित किया गया और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक(केएमपी) बनाया गया। इस तिथि तक सुश्री रश्मि चावला, उप कंपनी सचिव केएमपी में शामिल थीं।

सभी निदेशकों/केएमपी का संक्षिप्त विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

26. वार्षिक प्रतिफल का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में समीक्षाधान वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक प्रतिफल का सार प्रपत्र सं. एमजीटी–9 में **अनुलग्नक–छ** पर है।

27. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019–20 हेतु कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संचालन मै. अग्रवाल एस एंड असोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ज'** पर संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के तहत प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और टिप्पणियां **अनुलग्नक 'झ'** में हैं।

28. कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमों, 2014 के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की सूचना

कर्मचारी पारिश्रमिक के संबंध में नियम, 2014 कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाने वाला (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तहत प्रत्येक कंपनी के लिए आवश्यक है कि वे अपनी रिपोर्ट में आहरित पारिश्रिमक प्राप्त करने वाले सर्वोच्च दस कर्मचारियों और निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के नामों का उल्लेख करे।

हालांकि, नैगमिक मामले मतंर्लाय की अधिसूचना दिनांक 05. 05.2015 के अनुसार कंपनी को उक्त प्रावधानों से छूट प्राप्त है और इसीलिए ऐसे विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

29. निदेशक मंडल द्वारा इसके अपने कार्य प्रदर्शन द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत बयान,

नैगमिक मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 05.06.2015 के संदर्भ में, कंपनी को उपरोक्त प्रावधान से छूट दी गई है औऐर इसीलिए अब प्रकीटकरण की आवश्यकता नहीं है।

30. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कंपनी का कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसीलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

31. अरक्षित ऋणः

31.03.2021 तक टीसीआईएल का अरक्षित ऋण 1309 मिलियन रु. है।

32. जमाएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम, 2014 (जमाओं की स्वीकृति) की धारा 73 के तहत जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

33. अंतर अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभांश, वोटिंग या अन्य प्रकार से अंतर अधिकारों के किसी भी इक्विटी शेयर को जारी नहीं किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतरू, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 4(4) के तहत प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

34. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

35. कंपनी के भावी परिचालनों और स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कि गए महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विनियामकों/अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो कंपनी के भावी परिचालनों और स्थिति को प्रभावित करे।

36. लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 20113 की धारा 8 और 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (नियम), नियम 2018 के नियम 8(5) के साथ पढ़ा जाने वाला (किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं), पुनः अधिनियमतियों(ओं) या संशोधन(ओं) यदि कोई हो, को कंपनी ने सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित अधिनियम के तहत उचित खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखा है।

निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, मै. संजय गुप्ता एंड असोसिएट्स को लागत लेखाकार के रूप में (फर्म पंजीकरण संख्या 000212) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। जैसा कि अधिनियम के तहत अपेक्षित है लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए सदस्यों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक की सूचना में विवरणित है।

37. वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, जिनसे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि संबंधित हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(1) के संबंध में, सिवाए वहां जब वार्षिक रिपोर्ट में कहीं इनका प्रकटीकरण हो, वित्त वर्ष की समाप्ति के बीच और इस रिपोर्ट की तिथि से पहले ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

38. एमएसई से वार्षिक प्राप्ति

वर्ष 2020–21 के दौरान, टीसीआईएल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, एमएसई के माध्यम से 25 प्रतिशत खरीद के के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। वर्ष 2020–21 के दौरान एमएसई के माध्यम से वास्तविक खरीद 2806.40 मिलियन रु. थी जोकि कुल खरीद 4874.83 मिलियन रु. का 57.56 प्रतिशत है। टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में से केवल एमएसई से खरीद का लक्ष्य 25 प्रतिशत रखा है। यह सूचना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधित पोर्टल पर डाल दी गई है।

39. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी ने कार्यस्थल पर यौनउत्पीड़न से रोकथाम, निषेध और निवारण हेतु एक समिति का गठन किया है।

वर्ष की समाप्ति पर, दो मामले लंबित थे जिसमें क वित्त वर्ष 2018–19 से आगे लिया गया है जबक एक मामला वित्त वर्ष 2019–20 में नया दर्ज किया गया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

40. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह घोषणा की गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत कंपनी उस स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करती है जो अधिनियम की धारा 149(6) के तहत प्रदान किया गया है। ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा पास करने के लिए दिए गए विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा इसे समयसीमा के भीतर इसका पालन किया जाएगा।

41. लेखापरीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2020–21 के लिए टीसीआईएल की लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै. विजय गुप्ता एंड कंपनी, को नियुक्त किया।

इसके अलावा, निम्नलिखित विदेशी शाखा लेखापरीक्षकों को भी नियुक्त किया गया:–

कुवैत	–	मै. अल–वाहा ऑडिटिंग कार्यालय
ओमान	–	मै. जिमेनेज ऑडिटर्स
मॉरीशस	–	मै. मूर स्टीफंस
सउदी अरब–I	–	मै. अली सलीम अलोत्री
सउदी अरब–II	–	मै. अली सलीम अलोत्री

42. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की सूचना

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की धोखाधड़ी का कोई मामला निदेशक मंडल को रिपोर्ट नहीं किया गया।

43. कोविड–19

वित्त वर्ष 2020–21 कोविड–19 से बुरी तरह प्रभावित रहा। प्रारंभिक तालाबंदी के चलते भारती अर्थव्यवस्था सिकुड़ कर 8 प्रतिशत (आईएमएफ–विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2021) पर आ गई और प्रमुख उद्योग प्रभावित हुए। कोविड–19 संकट को प्रबंधित करने में लोगों, व्यापारियों और सरकारों के लिए हाइपर–कनेक्टिविटी तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिक अदा की। महामारी के चलते द्रुत विकास की संभावनाओं को झटका लगा। कोविड–19 महामारी ने परिचालन संबंधी कई चुनौतियों को जन्म दिया, लोगों की डिजिटल दुनिया के प्रति निर्भरता बढ़ने लगी और कंपनी को तदनुसार अपनी योजनाओं में तत्काल परिवर्तन करने पड़े।

इसके अलावा, टीसीआईएल सुरक्षित कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर भारत सरकार और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही है।

44. आभार

निदेशक मंडल भारत और विदेश में अपने बहुमूल्य कार्यार्थियों द्वारा इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखने, सहायता करने और बल देने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है।

निदेशक मंडल संयुक्त उपक्रम भागदीरों, तकनीकी भागीदारों और व्यावसायिक साझेदारों से निरंतर मिलने वाले सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है।

आपके निदेशकगण दूरसंचार विभाग और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों, एग्जिम बैंक, ईसीजीसी और बैंकर्स द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण टीसीआईएल की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं जिनके अथक परिश्रम और समर्पित प्रतिबद्धता के बल पर हमारी कंपनी ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07566882
दिनांकः 31/08/2021
स्थानः नई दिल्ली

दूरसंचार

वायर लाइन परियोजनाएं
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एफटीटीएच, वाईफाई, वीसैट नेटवर्क, सेटेलाइट संचार (सैटकॉम) ओपीजीडब्ल्यू, सबमरीन केबल, आपदा प्रबंधन

वायरलेस परियोजनाएं
टेट्रा, सेल्यूलर जीएसएम–आर, 3जी, 4 जी, इन–बिल्डिंग समाधान,

सिविल व वास्तुकला

सांस्थानिक भवनों, सड़कों, पुलों, विमानपत्तनों, साइबर पार्क, नागर अवसंरचना, स्मार्ट भवनों की डिजाइनिंग और निर्माण

सूचना प्रौद्योगिकी

डेटा सेंटर, ई–नेटवर्क्स, ई–अभिशासन, दूरसंचार बिलिंग समाधान, सुरक्षा व निगरानी, दूर–शिक्षा व दूर–चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), आईसीटी स्कूल, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट अनुप्रयोग

हितधारक के प्रति वचनबद्धता
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व
नवीनता
उपयुक्त गुणवत्ता
पर्यावरण हितैषी
कर्मचारी कल्याण
व्यावसायिक
टी. सी. आई. एल.
उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट	अनुलग्नक 'क'
प्रबंधन वार्ता व विश्लेषण रिपोर्ट	अनुलग्नक 'ख'
निर्दिष्ट प्रपत्र एओसी–1 में सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की विशेषताएं	अनुलग्नक 'ग'
ऊर्जा संरक्षण, तकनीक आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और अन्य खर्च के संबंध में जानकारी	अनुलग्नक 'घ'
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत रिपोर्ट	अनुलग्नक 'ङ'
प्रपत्र एओसी–2 जिसमें संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का पूरा विवरण है	अनुलग्नक 'च(1) से च(9)'
प्रपत्र सं. एमजीटी–9 में कंपनी के वार्षिक प्रतिफल का सार	अनुलग्नक 'छ'
कंपनी की "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट"	अनुलग्नक 'ज'
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए पर्यावलोकन पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर	अनुलग्नक 'झ'

अनुलग्नक 'क'

नैगमिक अभिशासन पर कंपनी की रिपोर्ट

क. नैगमिक अभिशासन

नैगमिक अभिशासन से आशय है एक कंपनी की आचार नीति, नैतिक मूल्य और नैतिकता जिसके बल पर कंपनी नैतिक मानदंडों को अपनाते हुए और नियमों व कानूनों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन व्यवहार को सुनिश्चित करती है। नैगमिक अभिशासन को अपनाते हुए कंपनी अपना परिचालन इस प्रकार से करती है कि इसके ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, निधि प्रदाताओं और कुल मिलाकर संपूर्ण समाज में नैतिक मूल्य स्थापित किए जा सकें। इस प्रकार, अच्छे नैगमिक अभिशासन के प्रमुख पहलु हैं – नैगमिक संरचना में पारदर्शिता, प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की भावना होना और निदेशकमंडल की अपने शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदारी रहना। टीसीआईएल में हम सुनिश्चित करते हैं कि सबी भौतिक मामलों का समयबद्ध और सटीक प्रकटीकरण हो, सभी अनिवार्य नियमों का गंभीरता से पालन हो, हितधारकों के अधिकार सुरक्षित रहें, नियमों का उल्लंघन करने पर समुचित कार्रवाई हो और उच्च प्रबंधन बिना किसी निहित स्वार्थ है के सभी प्रक्रियाओं को सहजता से पूरा करे। नीतिगत व्यावसायिक आचरण, सत्यनिष्ठा और मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता वो साधन हैं जो हमारे हितधारकों का विश्वास कंपनी पर बनाए रखते हैं और यही हमारी नैगमिक अभिशासन की विशेषता है।

नैगमिक अभिशासन से आशय है अपने सभी हितधारकों के विश्वास को और मूल्यवान संबंधों को बनाए रखना। आपकी कंपनी में प्रबंधन निदेशक मंडल के प्रति और निदेशक मंडल हितधारकों के प्रति उत्तरदायी है जिससे कि कंपनी के लिए निर्णय लेने वाला व्यक्ति उत्तरदायी रहे। आपकी कंपनी वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और नैगमिक अभिशासन को सुनिश्चित करती है और यह भी मानती है कि यदि किसी हितधारक के अधिकारों का हनन होता है तो उसे तुरंत समाधान मिले। पादर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी केवल अपने पूर्व–निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अभिमुख रहे और निहित स्वार्थों से दूर रहे। आपकी कंपनी यह भी सुनिश्चित करत है कि उच्च प्रबंधन सहज और निर्बाध कार्य करे और उनके कार्यों में किसी निहित स्वार्थ का हस्तक्षेप न हो।

नैगमिक अभिशासन रूपरेखा

नैगमिक अभिशासन नियमो, व्यवहार और प्रक्रियाओं की एक ऐसी रूपरेखा है जिसके द्वारा कंपनी निर्णय लेती है और जिसके बल पर कंपनी को नियंत्रित, निदेशित और अभिशासित किया जाता है। यह कंपनी प्रबंधन, इसके निदेशक मंडल, इसके हितधारकों और अन्य हितधारकों जैसे कि ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकारी और औद्योगिकी निकायों के बीच संबंधों का एक सेट है।

- कानून का इसकी मूल भावना के साथ अनुपालन
- पारदर्शिता जो संदेह को दूर कर दे
- जहां हमारी कंपनी परिचालनरत है उन देशों के कानूनों का अनुपालन
- सरल और पारदर्शी नैगमिक संरचना जो पूरी तरह से व्यावसायिक जरूरतों पर आधारित हो
- प्रबंधन शेयरधारकों की पूंजी का स्वामी नहीं न्यासी है

टीसीआईएल में हम निम्नलिखित नैगमिक अभिशासन सिद्धांतों और चलनों का अनुसरण करते हैं जोकि टीसीआईएल के व्यापार को अभिशासित और नियंत्रित करते हैं

टीसीआईएल में हमारा मानना है कि यह सुनिश्चित करना निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि टीसीआईएल कंपनी की गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों को अपनाए और ऐसी गतिविधियों और नैगमिक प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करे। हमारा मानना है कि अच्छा नैगमिक अभिशासन ग्राहकों की तेजी से बदल रही आवश्यकताओं और तकनीकी प्रोन्नतियों के बीत एक वैश्विक, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक और विनियमित बाजार में चिरस्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए टीसीआईएल की क्षमता का एक प्रमुख कारक है।

नैगमिक सामाजिक संरचना

कंपनी की एक बहु–स्तरीय नैगमिक अभिशासन संरचना है जिसमें शीर्ष स्तर पर कंपनी का निदेशक मंडल और विभिन्न समितियां सामूहिक रूप से कंपनी की कार्यशैली में नैगमिक अभिशासन और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानदंडों को सुनिश्चित करती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की रणनीति के सफल कार्यान्वयन हेतु नैगमिक अभिशासन का एक सशक्त और प्रभावी तंत्र विद्यमान रहे। बोर्ड प्रबंधन के प्रदर्शन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और कंपनी के प्रबंधन को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी कंपनी के संपूर्ण रणनीतिक विकास, नेतृत्व विकास अंतरराष्ट्रीय अवसरों, अभिशासन की मजबूती, ब्रांड मूल्य के संवर्धन और कंपनी की वैश्विक छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। बोर्ड को कंपनी और इसके कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती है।

टीसीआईएल की अपने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहित है जोकि कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। निदेशकमंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को लेकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का घोषणापत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। साथ ही, टीसीआईएल के पास सुपरिभाषित टीसीआईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम भी हैं जोकि सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट टीसीआईएल के लोकाचार को दर्शाती है और इसके संचालन के नैतिक व्यापार सिद्धांतों के लिए इसकी निरंतर प्रतिबद्धता, सर्वोत्तम प्रथाओं और कंपनी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मानती है, जो असूचीबद्ध सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए है व इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैगमिक अभिशासन के मानकों के अनुसार पालन किया गया है।

ख. सत्यनिष्ठा संधि

टीसीआईएल ने सत्यनिष्ठा संधि यानि इंटेग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रारंभ में, खरीद की सीमा का स्तर जो इस संधि के तहत 100 मिलियन रु. था, अब कम हो गया है। सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के संदर्भ में निविदा/परियोजनाओं की सीमा का मूल्य 31.03.2020 को 50 मिलियन रु. था। टीसीआईएल ने अपने सर्वर में हस्ताक्षरित आईपी दस्तावेजों को संग्रहीत करने की प्रक्रिया को भी लागू किया है। कंपनी सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा और देखरेख के लिए समय–समय पर स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षणों (आईईएम) की बैठकें भी कर रही है और संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी को आईईएम की वार्षिक रिपोर्ट भी सुपुर्द की गई है।

ग. सूचना का अधिकार

महाप्रबंधक (परि.प्रकोष्ठ.) को दिनांक 09 मई 2019 से सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 79 आरटीआइ आवेदनों के प्रत्युत्तर दिए गए:

- निर्णय जहां अनुरोध स्वीकार किए गए – 66
- निर्णय जहां आरटीआइ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुरोध अस्वीकृत किए गए – 9
- एक्ट की धारा 6(3) क तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को हस्तांतरित अनुरोधों की संख्या – 4

घ. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकमंडल की चार बार बैठक हुई – 7 अगस्त 2020, 13 अगस्त 2020, 09 नवम्बर 2020 और 05 फरवरी 2021. कोविड महामारी के चलते लोक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय आदेश सं. 3(2)/2016–MGMT दिनांक के माध्यम से कें.सा.से.उद्यमों को बोर्ड/बोर्ड समितियों की बैठकें करने के संबंध में कुछ छूट प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय रा.रा.क्षे. दिल्ली और हरियाणा, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने भी अपने आदेश सं. ROC/Delhi/AGM Ext-/2020/11538 दिनांक 08 सितंबर 2020 के माध्यम से कोविड – 19 महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बोर्ड की बैठकों के आयोजन को लेकर तीन महीने यानि 31.12.2020 तक की राहत प्रदान की। दिनांक 23 नवम्बर 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की संख्या और 31 मार्च, 2021 तक निदेशकगण, समिति सदस्य और अध्यक्षता के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	2020–21 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या (*)	समितियों की संख्या (टीसीआईएल सहित) (**)	
					सदस्य	चेयरमैन /अध्यक्ष
श्री संजीव कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (27.01.2021 से)	1	ला.न.	1	0	1
***श्री राजीव गुप्ता	निदेशक (परियोजनाएं) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (26.01.21 तक)	4	जी हां	3	3	शून्य
श्री नरेंद्र जैन	निदेशक (वित्त)	4	जी हां	1	1	शून्य
श्री कामेंद्र कुमार	निदेशक (तकनीकी)	4	जी हां	2	3	शून्य
#श्री संजीव गुप्ता	निदेशक (सरकारी नामिति)	4	नहीं	शून्य	3	2
##श्रीमती विनोद कोतवाल	निदेशक (सरकारी नामिति) (19 अगस्त 2020 तक)	शून्य	ला.न.	ला.न.	शून्य	शून्य
##श्री हरिरंजन राव	निदेशक (सरकारी नामिति) (21.10.2020 से)	2	जी हां	शून्य	3	2
###श्री रामहित राम	स्वतंत्र निदेशक (13. 01.2021 तक)	1	जी हां	शून्य	शून्य	शून्य

* अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या के लिए केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों पर ही विचार किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों, निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

** समितियों की संख्या जहां निदेशक एक सदस्य है, में अध्यक्षता शामिल है।

*** दूरसंचार विभाग के आदेश सं. ई–3–5/2019–पीएसए दिनांक 31–08–2019 के माध्यम से श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), टीसीआईएल को दिनांक 01–09–2019 से 3 माह की अवधि के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सुपुर्द किया गया जिसे आगे संबंधित दूरसंचार विभाग के आदेशों के माध्यम से 15.11.2019 और 03.03.2020 को विस्तार दिया गया। इस प्रकार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), टीसीआईएल दिनांक 01.09.2019 से 31.05.2020 और फिर 27.10.2020 से 26.01.2021 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। वर्ष के दौरान वे निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर बने रहे।

श्री संजीव गुप्ता को उनकी कार्यावधि समाप्त होने पर दिनांक 01 फरवरी 2021 को निदेशक (सरकारी नामिति) के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सभी निदेशक चार (4) बोर्ड बैठकों में शामिल हुए सिवाए सुश्री विनोद कोतवाल जोकि 07 अगस्त और 13 अगस्त 2020 की बैठक में शामिल नहीं हुईं और श्री रामहित राम, जोकि 13 अगस्त, 2020 और 09 नवम्बर 2020 की बैठक में शामिल नहीं हुए।

###श्री रामहित राम, स्वतंत्र निदेशक, टीसीआईएल के आकस्मिक निधन के कारण उनकी कार्यावधि दिनांक 13.01.2021 को समाप्त हो गई।

ड़ निदेशक मंडल की जानकारी

निदेशक मंडल को कंपनी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त है जिसमें वार्षिक आय और पूंजी बजट, कंपनी के वित्तीय परिणाम दिखाने वाले लेखाओं का सावधिक विवरण, कंपनी की वित्तीय योजनाएं, लेखापरीक्षा समितियों सहित विभिन्न समितियों के कार्यवृत्त, सहायक कंपनियों और संयुक्त कंपनियों का विवरण, कोई भौतिक संबंधित डिफॉल्ट, किसी विनियामक/सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन/गैर–अनुपालन शामिल है।

च. लेखापरीक्षा समिति

आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत संबंधित प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में एक लेखापरीक्षा समिति है। लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है और फिर उसे अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की भी समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय विवरणों में समस्त जानकारी का प्रकटीकरण एकदम सटीक, पर्याप्त और विश्वसनीय हो। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्षमता की पर्याप्तता की समीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षा की संरचना भी शामिल है। लेखापरीभा समिति कार्य में निम्न शामिल हैः

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उनकी नियुक्ति, पारिश्रमिक और अवधि की समीक्षा करनाय
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र और प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना,
3. वित्तीय विवरणों और तदनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना,
4. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन और तदनुसार संशोधन करना और यह तय करना कि उस संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन साधारण व्यावसाय के आधार पर हुआ है या फिर ऑर्म्स लैंग्थ आधार पर,
5. इंटर–कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की छंटनी करनाय
6. जहां तक आवश्यक हो कंपनी की परिसंपत्तियों या शपथपत्रों का मूल्यांकन करना,
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करना जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उनका मूल्यांकन करना वे पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का वही अर्थ है जोकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5)(ई) में परिभाषित हैय
8. जोखिम प्रबंधन तंत्र का मूल्यांकन करनाय
9. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त निधियों के पूर्ण उपयोग का अनुवीक्षण करना,
10. आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु कार्यक्षेत्र, कार्यक्षमता, अवधि और पद्धति का गठन करना,
11. सतर्कता तंत्र को देखना,
12. डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कोई मामला जिसे उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया,
13. अन्य कोई मामला जिसे निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति को समय–समय पर सुपुर्द किया जाता रहा हो

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

क) आंतरिक नियंत्रण तंत्र और लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां प्राप्त करना।
ख) उपरोक्त निर्दिष्ट मदों के संबंध में किसी मामले की जांच करना
ग) बाहरी स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करना
घ) कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करना

गठन

दिनांक 31.03.2021 तक लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः

1. श्री हरि रंजन राव, चेयरमैन
2. श्री संजीव गुप्ता, सदस्य
3. श्री राजीव गुप्ता, सदस्य

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की चार बार बैठक हुई – 07 अगस्त 2020, 13 अगस्त 2020, 09 नवम्बर 2020 और 05 फरवरी, 2021.

निदेशकमंडल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की श्रेणी, उनके गठन और बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	उपस्थिति
1.	श्रीमती विनोद कोतवाल	अध्यक्षा (19.08.2020 तक)	निदेशक (सरकारी नामिति)	शून्य
2.	श्री हरि रंजन राव	अध्यक्ष (03.11.2020 से)	निदेशक (सरकारी नामिति)	2
3.	श्री संजीव गुप्ता	सदस्य	निदेशक (सरकारी नामिति)	4
4.	श्री रामहित राम	सदस्य (13.01.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3
5.	श्री राजीव गुप्ता	सदस्य (30.01.2021 से)	निदेशक (परियोजनाएं)	1

*श्रीमती विनोद कोतवाल, निदेशक (सरकारी नामिति), टीसीआईएल दिनांक 19 अगस्त 2020 तक समिति के अध्यक्ष पद पर रहीं और उसके बाद उनके स्थान पर श्री हरि रंजन राव दिनांक 03.11.2020 से समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। श्री रामहित राव, जोकि स्वतंत्र निदेशक के पद पर समिति के सदस्य थे, उनका दिनांक 13.01.2021 को असामयिक निधन हो गया।

ज. निदेशक मंडल की उप-समितियां

1. मनोनयन और पारिश्रमिक समिति

मनोनयन और पारिश्रमिक समिति के कार्य हैं – निदेशक मंडल को कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक, वेतन में संशोधन, प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी), भत्तों का भुगतान और सामान्य कार्मिक नीतियों के संबंध में अनुशंसा करना। 31 मार्च, 2021 तक पारिश्रमिक समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

1. श्री संजीव गुप्ता, अध्यक्ष
2. श्री कामेंद्र कुमार, सदस्य
3. श्री हरि रंजन राव, सदस्य

निदेशकों के पारिश्रमिक, केएमपी, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियो के संबंध में मनोनयन और पारिश्रमिक समिति द्वारा गठित नीति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के तहत प्रकटीकरण

सीपीएसयू होने के नाते, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की योग्यता और पारिश्रमिक का मापदंड भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। यद्यपि, नैगमिक मामले मंत्रालय ने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के माध्यम से छूट प्रदान की है।

2. जोखिम प्रबंधन समिति

टीसीआईएल के निदेशक मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यों की देखरेख करती है

31 मार्च, 2021 तक निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

1. श्री हरि रंजन राव – अध्यक्ष
2. श्री राजीव गुप्ता – सदस्य
3. श्री संजीव गुप्ता – सदस्य

झ. अनुपालन अधिकारी का नाम, पता और संपर्क विवरण

वर्तमान में श्री विशाल कोहली, महाप्रबंधक (कंपनी सचिव व विधि) कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं। अनुपालन अधिकारी से निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

श्री विशाल कोहली, महाप्रबंधक (कंपनी सचिव व विधि)
फोन नं.: 011– 26202126 (का.)
ई–मेल: vishal.kohli@tcil.net.in

ण. वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक आम बैठकों की संख्या	वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थल	पारित विशेष संकल्प
42वीं	2019-20	23.11.2020	15:00 बजे	टीसीआईएल भवन	शून्य
41वीं आस्थगित बैठक	2018-19	20.11.2019	12:00 बजे	टीसीआईएल भवन	1
41वीं मूल बैठक	2018-19	30.09.2019	12:00 बजे	टीसीआईएल भवन	शून्य
40वीं	2017-18	25.09.2018	12:00 बजे	टीसीआईएल भवन	2

ट. प्रकटीकरण

(क) सहायक कंपनीः कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सहायक कंपनियों का पण्यावर्तधनिवल मूल्य 20 प्रतिशत से कम है।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरणः संबंधित पार्टी के लेन–देन का विवरण लेखां मानक–18 के अनुसार है और लेखाओं का अंग है। इसके अलावा संबंधित पार्टी लेनदेन का पूरा विवरण एओसी–2 के अनुलग्नक च(1) से च(9) तक संलग्न है।

(ग) लेखा व्यवहार का प्रकटीकरणः आपकी कंपनी वित्तीय विवरणों की तैयारी में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती है। कंपनी ने किसी भी लेखांकन मानक में निर्धारित उपचार से अलग कार्यनीति को नहीं अपनाया है।

(घ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सामान्यतया भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का पालन किया है।

ठ. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, नैतिकता, वित्तीय मामलों, व्यवसाय संचालन, जोखिम मामलों सहित कोर मूल्यों के बारे में उन्मुखीकरण और प्रेरणात्मक दिशानिर्देश दिए जाते हैं। सामान्य अभ्यास पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय, कंपनी के ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद, नैगमिक प्रशासन पर दिशानिर्देश के साथ हस्ताक्षरित करना होता है।

उपर्युक्त के अलावा, निदेशकों को नैगमिक अभिशासन पर प्रशिक्षण और डीपीई और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित अन्य विषयों हेतु भी नामित किया जाता है। हालांकि, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 के राष्ट्रव्यापी रूप से फैलने के कारण निदेशकों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत कठिन था। फिर भी टीसीआईएल भवन में एक प्रतिष्ठित एडवोकेट के माध्यम से विवाचन और संबंधित मामलों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें टीसीआईएल के सभी कार्यकारी निदेशकों ने भाग लिया।

ड. व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र

व्हिसल ब्लोइंग से आशय है संगठन के भीतर कोई भी अनुचित कार्य की सूचना देना। संगठन के भीतर कुछ भी गलत हो रहा हो, तो उसकी रिपोर्ट होना आवश्यक है और इसके लिए भी एक स्वतंत्र संरचना अपेक्षित होती है। टीसीआईएल में हम अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों के सुरक्षित, नीतिगत और अनुपालनकारी आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। इसी के चलते कंपनी की एक व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र है जिसके माध्यम से कंपनी के निदेशकगण और अधिकारी ऐसी सभी घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जो कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध हो और जहां धोखाधड़ी या अनैतिकता दिखाई दे। पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है। कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

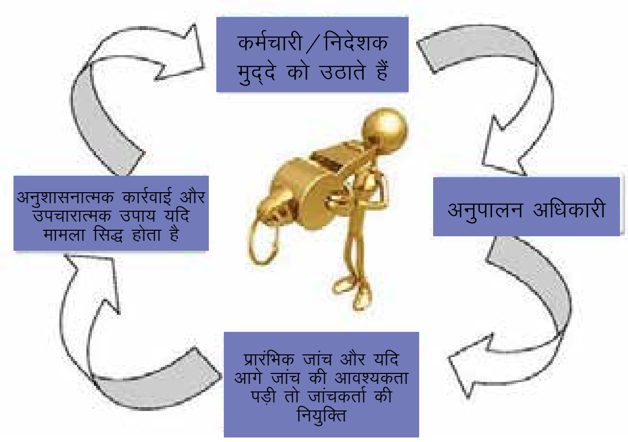

ड. संचार के साधन

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं। कंपनी की एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से विभिन्न शेयरधारकों को उनके हितों संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है।

छ. कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी प्रदान करना

कंपनी के वार्षिक परिणामों और निविदाओं और केरियर संबंधी अवसरों के संबंध में समय–समय पर कंपनी की वेबसाइट यानि www.tcil.net.in पर जानकारी प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक 'ख'

प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण

क. औद्योगिक संरचना और विकास

आज के समय में भारत नवीनता, उद्यमशीलता, कनेक्टिविटी और समृद्धता का एक नया वैश्विक केंद्रबिंदु बनकर उभर रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है जिसका उपभोक्ता आधार जनवरी 2021 तक 1,183.49 मिलियन दर्ज किया गया। भारत सरकार की उदारीकरण और सुधारवादी नीतियों के चलते भारतीय दूरसंचार सेक्टर तेज गति से विकास कर रहा है और उपभोक्ता मांग में वृद्धि हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक भारत में सक्रिया इंटरनेट उपयोकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ तक हो जाएगी। डेटा ट्रैफिक में अभूतपूर्व वृद्धि के चलते 2018–23 तक डेटा केंद्र बाजार में 8.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

भारत का डिजिटलीकरण उद्योगों का प्रमुख लक्ष्य है और भावी डिजिटल भारत और आत्म–निर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूरसंचार सेवाएं कई उद्योगों की रीढ़ बन चुका है जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य और दूरचिकित्सा, ईडीटेक, ओटीटी प्लेटफार्मों पर मनोरंजन, फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग, ई–वाणिज्य और यहां तक कि उद्यमों/कॉरपोरेट्स के लिए रिमोट कार्य और प्रबंधन।

आज इस महामारी के चलत जहां लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल साधनों पर निर्भरता बढ़ रही है, वहीं भारतीय दूरसंचार सेक्टर भी 5जी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है।

जहां तक तकनीकों की बात है, तो इस दिशा में दूरसंचार उद्योग में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्ष 2021 में भारतीय दूरसंचार सेक्टर में कई बड़ी विकास गतिविधियां होंगी जिससे सभी दूरसंचार परिचालकों को विकास की नई दिशा मिलेगी। इस वर्ष में 3जी सेवाएं संभवतः समाप्त हो जाएंगी और 4जी तकनीक को आत्मसात किया जाएगा। इसी के चलते सरकार ने हाल ही में पीएम वाणी नाम से अपनी सार्वजनिक वाईफाई परियोजना का अनावरण किया है। इसके माध्यम से अब आईएसपी से बैंडविड्थ प्राप्त करते हुए राशन, चाय व अन्य दूकानों पर भी सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (ओआरएएन) तकनीक, जोकि किसी नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को पृथक करती है, अब वर्ष 2021 के बाद से नेटवर्क निर्माण की प्रमुख पद्धति बन जाएगी। हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने 'तरंग संचार' नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें मोबाइल टॉवरों और ईएमएफ उत्सर्जन अनुपालनों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की परियोजनाओं पर काम कर रही है और एलओटी इन शहरों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

5जी और उच्च–गति कनेक्टिविटी से आत्मसात करने के लिए, बड़े स्तर पर फाइबरीकरण और औद्योगिक विकास की आवश्यकता है जोकि 2021 और उसके बाद आने वाले समय में कार्य का प्रमुख क्षेत्र होगा। उच्च क्षमता वाली 5जी कनेक्टिविटी के लिए पूरे फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड करने की आवश्यकता है जिसमें एक बड़े स्तर पर निवेश किए जाने की संभावना है।

2021 में, हम हाइपर कनेक्टिविटी (कहीं भी, कुछ भी, किसी भी समय) का एक युग देखने वाले हैं। इसमें एक बड़े स्तर पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी हैं और इसीलिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है। हाल ही में यूपीआई/डिजिटल बैंकिंग प्लेफार्मों पर बढ़ रही निर्भरता इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है।

औद्योगिक एलओटी, कनेक्टिड मोबिलिटी, स्मार्ट होम्स और ऑटोनॉमस अपलाएंसेज और गेजेट्स ये सभी एक बड़े स्तर पर हाइपर कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। 2021 में भी यही चलन जारी रहेगा। स्मार्ट शहरों को भी निर्बाध कार्य करने के लिए एक सशक्त डिजिटल न्यूट्रल नेटवर्क की आवश्यकता है। वर्ष 2021 हाइपर वर्टिकलाइजेशन (स्वास्थ्य सुविधाएं/शिक्षा/विनिर्माण इत्यादि) का वर्ष होगा और इसे एक लचीले नेटवर्क वास्तुशिल्प की आवश्यकता होगी।

नए युग के डिजिटल अनुप्रयोगों पर बढ़ती निर्भरता के चलते इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में बने रहने के लिए द्रुत गति से नवीनता को आत्मसात करना अनिवार्य है। इसे आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में संपूर्ण प्रभावशीलता को बेहतर करने के लिए नई तकनीकों को आत्मसात करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

आज , भारत दुनिया में नवीनता का वैश्विक केंद्रबिंदु बनकर

उभरा है और अपनी वैश्विक छवि को बनाए रखने के लिए टीसीआईएल विविधता, एकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक पहुंच और सशक्त परियोजना प्रबंधन क्षमता पर केंद्रित रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

ख. स्वॉट विश्लेषण

सामर्थ्यः

एक अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण वातावरण में, चपलता और नवीनता के बल पर ही निरंतर सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन के सभी व्यवसायों और पहलुओं में तकनीक सबसे प्रमुख साधन बन गई है और अब उन्हीं संगठनों का भविष्य उज्ज्वल है जो डिजिटल क्रांति में योगदान दे सकते हैं।

नई तकनीकों और नवीन विचारों को अपनाने में टीसीआईएल हमेशा से अग्रणी रहा है। यही कारण है कि इतने वर्षों में भारत और विदेशी परियोजनाओं के निष्पादन में टीसीआईएल की छवि बेहतर ही हुई है।

टीसीआईएल के सामर्थ्य में निम्नलिखित शामिल हैः

- व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ लोचशील रहते हुए आत्मसात करना
- नवीनतम तकनीकों के प्रति ग्राह्यशील रहना
- वैश्विक स्तर पर 70 से भी अधिक देशों में उपस्थिति
- विभिन्न देशों की सरकारों और दूरसंचार मंत्रालयों का पंजीकृत साझेदार होना
- अच्छी ब्रांड इक्विटी और ट्रैक रिकॉर्ड
- दूरसंचार, सू.प्रौ., सिविल अवसंरचना, रेलवे सिग्नलिंग इत्यादि क्षेत्रों में संकल्पना से लेकर संपूर्णता तक परामर्शी और टर्नकी परियोजना कार्यान्वयन।
- भारत और कई अन्य देशों, जैसे कि मध्यपूर्व, सीएलएमवी और अफ्रीकी देशों में अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी इन–हाउस कार्य करने की क्षमता
- प्रशिक्षित श्रमशक्ति
- भारत सरकार का सानिध्य और समर्थन

कमजोरियांः

- बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, परियोजनाओं को प्राप्त करने का मार्जिन तेजी से घट रहा है जिसके चलते कंपनी का लाभ घट रहा है
- दूरसंचार विभाग और साथी सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कि बीएसएनएल/एमटीएनएल/बीबीएनएल से ओसपी/ओएफसी नेटवर्कों के लिए भी कोई सुनिश्चित संसाधन या प्राथमिक स्तर पर परियोजनाएं प्राप्त न होना
- व्यावसायिक मॉडल के बीओटी/आस्थगित भुगतान संविदाओं में परिवर्तित होने के कारण उच्च कार्यक्षमता की आवश्यकता होना
- निविदाओं और आरएफपी को लेकर टीसीआईएल मुख्य रूप से रिएक्टिव बिजनेस एक्वीजिशन मॉडल पर निर्भर है
- पूरी तरह से सेवाध्परियोजना निष्पादन और प्रबंधन कंपनी होने के नाते ओईएम विनिर्माताओं पर अत्यधिक निर्भरता
- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उपक्रमों के गठन के लिए स्वायत्तता का अभाव
- परियोजनाओं के निष्पादन के लिए टीसीआईएल के पास कोई इन–हाउस विशेषज्ञता नहीं है और यह अधिकांशतया अपने वेंडरों पर निर्भर है
- भारत और नेपाल कंपनी के टीएसपी में साझेदार होने के कारण बीएसएनएल द्वारा टेलीकॉम टेंडरों में बिडिंग करने से अपात्र घोषित कर दिया गया

अवसरः

डिजिटल इकोतंत्र ने विभिन्न संगठनों के लिए असीमित विकास, उत्पाद नवीनता, ग्राहक अनुभव, उत्पादकता सुधार और प्रभावशीलता, चपल निर्माण और जोखिम प्रबंधन तथा विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्षमता में सुधार जैसे क्षेत्रों में अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। महामारी के चलते इंटरनेट ट्रैफिक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नेटवर्क लोड और अवसंरचना अनुकूलन, प्रभावशीलता बढ़ाने और ग्राहकों को दूरसंचार संबंधी सुरक्षा प्रदान करने जैसी कई चुनौतियां आज दूरसंचार सेक्टर के समक्ष हैं। इसके अलावा, बायोमैट्रिक्स से रोबोटिक्स तक प्रौन्नत तकनीकें आज दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। जैसे–जैसे उपकरण एक–दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, डेटा खपत भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। निश्चित रूप से इससे अवसरों को नए द्वार खुलेंगे, जिसमें शामिल हैः

- दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार क गई राष्ट्रीय डिजिटल

संचार नीति 2018 में कई ऐसे कारक शामिल हैं जो देश की सूचना और संचार अवसंरचना को मजबूती प्रदान करते हैं जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एमटूएम, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5जी और इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। इसने दूरसंचार कंपनियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।

- भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन द्वारा वर्ष 2022 तक सभी गांवों में ब्राडबैंड एक्सेस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया जिसमें 30 लाख रूट कि.मी. तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और 2024 तक प्रति हजार आबादी के लिए टॉवर सघनता को 0.42 से 1 टॉवर तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। निश्चित रूप से इस कार्य में कई संभावनाएं मिलती हैं।
- विमुद्रीकरण के चलते डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लोगों का रुझान बढ़ा है और मोबाइल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग की अवधारणाओं को बल मिला।
- डेटा ट्रैफिक में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते डेटा केंद्रों की मांग बढ़ी है।
- मोबाइल आइडेंटिटी जैसी नई तकनीक उभर कर आ रही है।
- उपभोक्ता अब कन्वर्ज्ड बंडल खरीद रहे हैं जोकि मोबाइल, वॉयस, ब्राडबैंड और टीवी सीरिज का कॉम्बिनेशन है।
- आईबीएस/स्माल सैल और संबंधित जानकारी/तटस्थ अवसंरचना पर आईएसपीएस.
- आर्टिफिशल इंटैलिजेंस (एआई) एल्गोरिदम डेटा विश्लेषण को प्रभावित कर रहे हैं और दूरसंचार सेक्टर में विभिन्न अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज के समय में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) उद्योगों पर सर्वाधिक प्रभाव डाल रहे हैं।
- मानव से मशीन और मशीन से मशीन संचार के लिए स्मार्ट औद्योगिक प्रक्रियाएं और समाधान हेतु क्लाउड और एज तकनीकों का विकास हो रहा है।
- तार और बेतार संचार दोनों ही कनेक्टिविटी तकनीकों का निरंतर विकास हो रहा है।
- साइबर–हमलों की बढ़ती संख्या, निम्न सुरक्षा वाले एलओटी उपकरण, नए सीपीयूज हार्डवेयर संवेदनशीलता और लोगों की कंप्यूटर अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता के चलते जोखिम सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं।
- क्लाउड कंप्यूटिंग दूरसंचार क्षेत्र के भीतर तेजी से विकसित हो रही तकनीक है। एलओटी उपकरणों के प्रसार और अधिक अत्याधुनिक एमएल एल्गोरिदम के उपयोग के चलते कंप्यूटिंग ऊर्जा की मांग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य सेक्टरों में आईसीटी का उपयोग बढ़ा है।

खतरेः

कंपनी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैंः

- कोविड–19 के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना
- विदेशों में स्थानीय बोलीदाताओं को प्राथमिकता मिलना
- बीओओटी/आस्थगित भुगतान मॉडल पर परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए एक बड़े स्तर पर कार्यशील पूंजी की आवश्यता है, जबकि पूंजी आधार बहुत कम है
- बहुपक्षीय निधिक एजेंसियां दूरसंचार परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियन उपलब्ध नहीं कराती हैं
- दूरसंचार और सिविल उद्योग का कायान्तरण होना
- ओईएम विनिर्माताओं और छोटी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा मिलना
- वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, कोविड–19 प्रसार और वैश्विक व्यापार तनाव के चलते मुद्रा में अस्थिरता
- बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते वैश्विक निविदाओं में मार्जिन का लगातार घटना
- तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी के चलते मौजूदा नेटवर्क साधनों का अप्रचलित हो जाना

ग. खंड-वार प्रदर्शन

वर्ष 2020–21 में टीसीआईएल का खंड वार प्रदर्शन निम्नानुसार है:

सेक्टर	आय (मिलियन रु. में)
प्राथमिक	
दूरसंचार	5450.80
सिविल	2591.76
परामर्शी व सेवा ठेके	
व्यापारिक गतिविधियां	1852.70
अन्य परिचालन आय	339.08
गौण	
अंतरदेशीय परियोजनाएं	12962.80
विदेशी परियोजनाएं	4566.13

घ. दृष्टिकोण

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी प्रौन्नत तकनीकों के बढ़ते चलन के चलते अब व्यवसाय करने की पद्धतियों में परिवर्तन हो रहा है। टीसीआईएल ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और वह अग्रणी दूरसंचार कंपनी बनने की ओर अग्रसर है।

डिजिटल इकोतंत्र में अपनी उपस्थिति का विविधीकरण करने और दीर्घकालीन विकास की गति बनाए रखने के लिए, हम नई संभावनाओं को खोजते हुए और उभरते अवसरों और को भुनाने को प्रयासरत हैं। इससे न केवल हमारी कार्यप्रणाली की विविधता बढ़ रही है बल्कि एक ही क्षेत्र पर हमारी अत्यधिक निर्भरता भी कम हो रही है।

साथ ही, टीसीआईएल विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयासों को नई दिशा दे रहा है।

उपयोगिता से लेकर रूपांतरण तक, अर्थव्यवस्था के विकास में कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोविड–19 महामारी के चलते पूरी दुनिया के उद्योग–धंधे प्रभावित हुए हैं और विशेषकर उद्यमों में डिजिटल तकनीकें हावी हो रही है और व्यवसाय अब हाइब्रिड वर्क मॉडल और ई–वाणिज्य की ओर केंद्रित हो गया है।

जैसे–जैसे उद्योगों का डिजिटलीकरण हो रहा है, वैसे–वैसे इस क्षेत्र से संबंधित अभूतपूर्व संभावनाओं ने भी जन्म लिया है। आंतरिक तौर पर हमारा प्रयास यही है कि हम इन संभावनाओं की तलाश करते हुए बाजार में प्रत्येक स्पर्धा के लिए तैयार रहे और कुल मिलाकर डिजिटल भारत के स्वप्न को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। इस दृष्टि से जो भावी दिशा तय हुई है, उसमें निम्नलिखित क्षेत्र प्रमुख हैं:

- क्लाउड एंड एज कंप्यूट, स्पीच/एनएलपी/स्मार्ट बोट इत्यादि प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र.
- साइबर सुरक्षा
- ई–अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और नवीकृत ऊर्जा
- मानवरहित हवाई वाहन
- साइबर सुरक्षा और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन (एनएफवी)
- सुरक्षित शहर परियोजना – बंगलुरु और दिल्ली
- प्रबंधित सेवाएं
- क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन
- डिफेंस सुरक्षा, भारत और विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रशिक्षण
- मालदीव में हाउसिंग परियोजनाओं की तलाश करना
- बेतार भुगतान प्रणालियों पर केंद्रित होना
- स्मार्ट शहर और स्मार्ट अनुप्रयोग
- राजमार्गों, भवनों और ऊर्जा परियोजनाओं सहित परियोजनाओं से संबंधित अवसंरचना का ऊर्जा प्रबंधन

ड़ जोखिम और चिंताएं/जोखिम प्रबंधन नीति

कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर की कंपनियों को चुनौती दी है कि वे अपनी कार्यपद्धतियों को बदले, नए सिरे सोचे और रणनीति बनाएं, नए जोखिमों का सामना करे और उनके बिल्कुल नए समाधान निकाले। कोविड–19 से निपटते हुए उद्योगों की पहली प्राथमिकता अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा है। विविध बाजारों और भूगौलिक परिदृश्य में एक जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक कार्य करते हुए टीसीआईएल के समक्ष कई प्रकार को जोखिम और चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, टीसीआईएल के पास एक सुस्थापित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो हमारी परिचालन

रूपरेखा का मुख्य आधार है। इसे नियमित अंतराल पर अपडेट किया जाता है और यह हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, जोखिमों और नियंत्रणों के साथ एकीकृत है। जोखिमों की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए टीसीआईएल रणनीतिक और परिचालन दोनों ही स्तरों पर तालमेल बनाते हुए कार्य करती है ताकि कंपनी के विकास की गति बाधित न हो।

रूपरेखा और संबंधित प्रक्रियाएं व्यावसायिक परिणामों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित को प्रबंधित करती है:

- जोखिम वातावरण को समझना और संपूर्ण संभावनाओं का निर्धारण करना
- जोखिम कम करने की नीतियों का निर्धारण करना
- संसाधनों का आवंटन और संबंधित जोखिमों का पूरी सक्रियता से प्रबंधन
- जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता का अनुवीक्षण – वैल्यु चैन में नीचे से बोर्ड तक के स्तर पर

हमारी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा जोखिमों के अभिज्ञापन, प्रबंधन और अवलोकन पर एक निरंतर अभिवृत्ति रखती है। यह निरंतरता बहुत महत्वपूर्म है क्योंकि इसके बल पर हम जोखिमों का पूरी ईमानदारी के साथ आकलन कर सकते हैं और उनका व्यावहारिक समाधान ढूंढ सकते हैं जोकि हमारे रणनीतिक प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

उभरते जोखिमों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए टीसीआईएल की एक तीन स्तरीय संगठनात्मक संरचना है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन तंत्र को आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति देखती है जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक या इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। और अधिक सुदृढ़ प्रक्रिया के लिए कंपनी ने एक पृथक जोखिम प्रबंधन समिति बनाई है जो कंपनी की जोखिम वहन क्षमता, जोखिम सहिष्णुता और नियमित जोखिम आकलन (जोखिम अभिज्ञापन, जोखिम परिमाणकता और जोखिम मूल्यांकन) इत्यादि के निर्धारण सहित जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। उक्त समिति के गठन और विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में है जोकि वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

जोखिम प्रबंधन रूपरेखा की सावधिक समीक्षा निदेशक मंडल और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है जिसमें जोखिमों, प्रमुख जोखिमों पर प्राथमिक आधार पर काम करना और ऐसे जोखिमों को कर करने की कार्य योजना पर प्रस्तुतियां प्रबंधन के समक्ष रखी जाती हैं।

इसके अलावा, आपकी कंपनी की एक विधिवत् अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति का उद्देश्य है एक सुपरिभाषित अभिवृत्ति के साथ जोखिम प्रबंधन करना। नीति में निकट भविष्य में कंपनी को प्रभावित करने वाले जोखिमों का समयबद्ध अभिज्ञापन, आकलन और अधिमान्यता को लेकर एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है। नीति में अभिज्ञापित किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों के लिए समुचित कार्यनीति का प्रस्ताव रखना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम पर समय रहते काम किया गया और उसे कम किया गया। नीति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका निम्नलिखित है:

1) परिचालक, रणनीतिक और बाहरी जोखिम(ओं) के मूल्यांकन और उन्हें कम करने के संबंध में जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपनी नैगमिक अभिशासन संबंधी उत्तरदायित्वों को निभाने में बोर्ड की सहायता करना.
2) कंपनी की जोखिम नीतियों और संबंधित कार्यों का अनुवीक्षण और अनुमोदन
3) विभिन्न वक्तव्यों और प्रकटीकरण की समीक्षा और अनुमोदन
4) संगठन में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाना और सहायता प्रदान करना

जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड द्वारा अपनी 14 मई 2018 की बैठक में उक्त नीति की समीक्षा की गई। जोखिम प्रबंधन समिति की मौजूदा भूमिका को निम्नलिखित स्तर पर बढ़ाया गया:

1) जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना और इसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना
2) उभरते जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करने, जोखिम मूल्यांकन करने और संबंधित कार्यों को अधिमान्यता देने के साथ जोखिम कम करने संबंधी योजनाओं को विकसित करना और जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए समुचित कदम उठाना
3) बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले कार्यों को संबंधित विनिर्दिष्ट नियमों व कानूनों का पालन करते हुए पूरा करना।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसका औचित्य

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का एक सेट शामिल होता है जो एक संगठन को दिशा प्रदान करने, दक्षता बढ़ाने और नीतियों के पालन को मजबूत करने के लिए लागू किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण – विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रभावी और कुशल संचालन सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने और लागू कानूनों और नियमों का पालन करने में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। आंतरिक नियंत्रण एक संगठन की परिसंपत्तियों के लिए सुरक्षा उपायों की स्थापना करते हैं और धोखाधड़ी करने के अवसरों को कम करते हैं और त्रुटियों को एक संगठन के दैनिक कार्यों में जाने की अनुमति देते हैं।

टीसीआईएल में मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र हैं, और हमारा वित्तीय अधिकार शक्तियों, नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से स्पष्ट रूप से उपयुक्त प्रबंधन स्तरों पर परिभाषित किया गया है।

तकनीकी और वित्तीय संचालन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रणालियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीसीआईएल के सभी खाते आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षा के अधीन हैं। आपकी कंपनी के पास पर्याप्त नियंत्रण, प्रक्रियाएं और नीतियां हैं, जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए पूर्णता सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करती है।

टीसीआईएल की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें इसकी प्रणालियां और प्रक्रियाएं तथा विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रचालन, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन की पूर्ण स्थिति के साथ स्वतंत्र आधार पर ऑडिट और जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता करने के लिए भी जिम्मेदार है।

छ. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संरक्षण से संबंधित जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध घ में रखी गई है।

ज. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अलग अनुभाग **अनुबंध ङ** निदेशकों की रिपोर्ट के रूप में शामिल है।

अनुलग्नक 'ग'

प्रपत्र एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 129 की उप–धारा(3) के पहले प्रावधान के अनुपालन में)

सहायक/संबद्ध/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की विशेषताओं सहित विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी लाख रु. में प्रस्तुत की जानी है)

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
2.	जिस तिथि से कंपनी का अर्जन प्रारंभ हुआ है	11.07.2012
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	1,957.00
6.	भंडार व अतिशेष	(6029.55)
7.	कुल परिसंपत्तियां	7156.13
8.	कुल देयताएं	11228.68
9.	निवेश	0
10.	कुल पण्यावर्त	1757.62
11.	कराधान पूर्व लाभ	138.59
12.	कराधान हेतु प्रावधान	0
13.	कराधान पश्चात लाभ	138.59
14.	प्रस्तावित लाभांश	-
15.	शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)	100

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड
2.	जिस तिथि से कंपनी का अर्जन प्रारंभ हुआ है	21.08.2013
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	2,311.00
6.	भंडार व अतिशेष	(1709.47)
7.	कुल परिसंपत्तियां	8572.50
8.	कुल देयताएं	7970.97
9.	निवेश	0
10.	कुल पण्यावर्त	609.47
11.	कराधान पूर्व लाभ	(299.80)
12.	कराधान हेतु प्रावधान	0
13.	कराधान पश्चात लाभ	(299.80)
14.	प्रस्तावित लाभांश	-
15.	शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)	100

नोटः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं।

एन.ए. फारूकी	**विशाल कोहली**	**नरेंद्र जैन**	**संजीव कुमार**
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 06942419	डीआईएन 07566882

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 31.08.2021

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	तमिनलाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड
2.	जिस तिथि से कंपनी का अर्जन प्रारंभ हुआ है	13.05.1988
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमेय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	4,567.62
6.	भंडार व अतिशेष	(17,231.67)
7.	कुल परिसंपत्तियां	1866.90
8.	कुल देयताएं	14530.95
9.	निवेश	0
10.	कुल पण्यावर्त	6.54
11.	कराधान पूर्व लाभ	(989.26)
12.	कराधान हेतु प्रावधान	0
13.	कराधान पश्चात लाभ	(989.26)
14.	प्रस्तावित लाभांश	-
15.	शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)	49%

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	टीसीआईएल ओमान एलएलसी
2.	जिस तिथि से कंपनी का अर्जन प्रारंभ हुआ है	17.09.2008
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	01.01.2020 TO 31.12.2020
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमेय दर	ओमानी रियाल 1 OR = रू. 190.9550
5.	शेयर पूंजी	286.43
6.	भंडार व अतिशेष	6.38
7.	कुल परिसंपत्तियां	297.70
8.	कुल देयताएं	4.89
9.	निवेश	0
10.	कुल पण्यावर्त	5.63
11.	कराधान पूर्व लाभ	3.20
12.	कराधान हेतु प्रावधान	0.48
13.	कराधान पश्चात लाभ	2.72
14.	प्रस्तावित लाभांश	-
15.	शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)	70%

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं।

एन.ए. फारूकी	**विशाल कोहली**	**नरेंद्र जैन**	**संजीव कुमार**
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 06942419	डीआईएन 07566882

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	टीसीआईएल यूएसए इंक.
2.	जिस तिथि से कंपनी का अर्जन प्रारंभ हुआ है	29.11.2018
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	01.01.2020 to 31.12.2020
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमेय दर	यू एस डॉलर 1 यूएसडी= Rs. 73.4850
5.	शेयर पूंजी	608.14
6.	भंडार व अतिशेष	(258.36)
7.	कुल परिसंपत्तियां	370.84
8.	कुल देयताएं	21.06
9.	निवेश	0
10.	कुल पण्यावर्त	1.66
11.	कराधान पूर्व लाभ	(36.40)
12.	कराधान हेतु प्रावधान	0
13.	कराधान पश्चात लाभ	(36.40)
14.	प्रस्तावित लाभांश	-
15.	शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)	100%

नोटः विवरण के अंत में निम्नलिखित जानकारी दाखिल की जाएगी:

1. सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन आरंभ नहीं किया है – ला.न.
2. सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया या बेचा गया – ला.न.
3. तुलनपत्र को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए समेकित किया गया है
4. कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं।

एन.ए. फारूकी	**विशाल कोहली**	**नरेंद्र जैन**	**संजीव कुमार**
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) डीआईएन 06942419	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 07566882

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021

भाग "ख": संबद्ध व संयुक्त उपक्रम

संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के संबंध में कंपनी नियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

संबद्ध/संयुक्त उपक्रमों का नाम	टीबीएल इंटरनेशनल लि. (टीबीएल)	भारती हेक्साकॉम लि. (बीएचएल)	युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)	इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स नाइजीरिया लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र तिथि	31.03.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2021 (अनंकेक्षित)	-
2. तिथि जिससे संबद्ध या संयुक्त उपक्रम को संबद्ध या अर्जित किया गया	16.06.1989	20.04.1995	10.10.2001	01.04.1987	15.06.1982
3. वर्ष की समाप्ति पर कंपनी द्वारा आयोजित संबद्ध/संयुक्त उपक्रमों का शेयर					
संख्या	87,641	7,50,00,000	57,31,900	36,000	26,000
संबद्ध/संयुक्त उपक्रमों में निवेश की राशि (लाख रु. में)	83.73	10,620.00	3,584.19	36.00	शून्य
धारण प्रतिशत का विस्तार	44.94%	30%	* 26.66%	36%	40%
4. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	धारित शेयर पूंजी के प्रतिशत के कारण	धारित शेयर पूंजी के प्रतिशत के कारण	धारित शेयर पूंजी के प्रतिशत के कारण	धारित शेयर पूंजी के प्रतिशत के कारण	धारित शेयर पूंजी के प्रतिशत के कारण
5. संबद्ध/संयुक्त उपक्रम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नीचे नोट 3 का संदर्भ लें
6. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारण का निवल देय (लाख रु. में)	168.92	59,580	0	1333.72	---
7. वर्ष के लिए लाभ/हानि (लाख रु. में)					
समेकन में विचार	7.65	(1,03,400)	0	557.64	-
समेकन में विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	नीचे नोट 3 का संदर्भ लें

* प्रभावी शेयरधारिता घटकर 12.46% हो गई।

1. सहयोगियों या संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका संचालन शुरू होना अभी बाकी है – लागू नहीं
2. उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया है – लागू नहीं
3. नाइजीरिया में संयुक्त उद्यम कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटैंट्स नाइजीरिया लिमिटेड के मामले में कोई लेनदेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह कई सालों से प्रचालन में नहीं है, तदनुसार, समेकन में विचार नहीं किया गया।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नाकारात्मक आंकड़े हैं।

एन.ए. फारूकी समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)	**विशाल कोहली** कंपनी सचिव	**नरेंद्र जैन** निदेशक (वित्त) डीआईएन 06942419	**संजीव कुमार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 07566882

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021

अनुलग्नक 'घ'

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और अन्य खर्च के संबंध में जानकारी

(क) ऊर्जा का संरक्षण

आज की तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया में ऊर्जा संरक्षण और अनुकूलन का महत्व जारी है। टीसीआईएल में, हम अपनी ऊर्जा दक्षता को लगातार कम करने के उद्देश्य से लगातार ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित कर रहे हैं, जबकि हमारी परिचालन प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के रिसाव की पहचान भी रखते हैं। प्रत्यक्ष ऊर्जा बचत और नवीकरण ीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने कार्यों को और अधिक कुशल बनाने के लिए कंपनी लगातार नए तरीके तलाश रही है। हम मानते हैं कि वातावरणीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है और वो यह कि व्यावसायिक सफलता पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि, टीसीआईएल विनिर्माण चिंता का विषय नहीं है, इसलिए इसके संचालन में ऊर्जा की कोई महत्वपूर्ण खपत भी नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण के उपाय निम्नानुसार हैं:

- टीसीआईएल कंपाउंड के भीतर स्ट्रीट लाइटिंग को पूरा करने के लिए 3.6 केडब्ल्यूपी क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे ऊर्जा की बचत की व्यवस्था समय–समय पर मौजूदगी के आधार पर होती है।
- सभी मंजिलों पर एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जा रही है।
- टीसीआईएल मुख्यालय में लिफ्टों को ऊर्जा कुशल घटकों (मोटर्स, नियंत्रकों, आदि) के साथ नवीनीकृत किया गया है।
- भवन में विभिन्न भवन सेवाओं के संचालन और निगरानी के लिए एक कम्प्यूटरीकृत माइक्रोप्रोसेसर आधारित भवन प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।
- टीसीआईएल भवन के अंदर सभी एयर कंडीशनरों को सुबह 9.00 बजे से चला कर शाम 7.00 बजे तक बंद कर दिया जाता है।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

आज, प्रौद्योगिकी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाने और नवाचार ने हमें विभिन्न बाधाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने ग्राहकों के बीच एक ब्रांड छवि बनाने में मदद की।

डिजिटल अनुभवों के भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयास में, हम नवाचार, सेवा, ग्राहक संबंधों और उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित करना जारी रखते हैं। विभिन्न स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान के विकास के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आदि के लिए प्रायोजित किया जाता है। संरचित आंतरिक प्रशिक्षण भी उनके कौशल विकास को और संवारने के लिए इंजीनियरों की टीम को प्रदान किए जाते हैं। अगले संवर्ग में पदोन्नति के समय सभी अधिकारियों के लिए पीएमपी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के लिए कुल विदेशी मुद्रा आय और व्यय इस प्रकार है:

क. कुल विदेशी मुद्रा अर्जनः 12.01 मिलियन यू एस डॉलर यानि 882.72 मिलियन रुपए)

ख. कुल विदेशी मुद्रा बहिर्गमनः शून्य यू एस डॉलर यानि (शून्य रुपए)

हमारे देश में अब तक कुल विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन होने के बाद से 284.12 मिलियन यू एस डॉलर की राशि है।

अनुलग्नक 'ड.'

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व की विस्तृत रिपोर्ट

1. **कंपनी की नै.सा.उ. नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा है जिसमें परियोजनाओं के अवलोकन अथवा शुरू किए गए कार्यक्रमों और नै.सा.उ. नीति सहित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का संदर्भ शामिल है**

टीसीआईएल की यह धारणा है कि वो हमेशा से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार लोगों के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है जिसके कारण वह अपने धारणागत प्रबंधन कार्यों व कार्यान्वयन और नैतिक प्रणालियों का सृजन करता है और वितरण को सक्षम बनाता है। इसी कारण टीसीआईएल ने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के सभी पहलुओं और आंतरिक संचालन, गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में स्थिरता पर संतुलित जोर देने के साथ ही साथ क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण की सुविधा के लिए पहल और परियोजनाएं शुरु करने, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरे–भरे और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के हाशिए पर तथा निम्न स्तर पर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का उत्थान पर भी अपना ध्यान रखा है।

डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के शीर्षक में नै.सा.उ. गतिविधियों के साथ समायोजन को बिठाते हुए धारणीयता का सिद्धांत भी रखा गया है क्योंकि अधिनियम में नै.सा.उ. गतिविधियों की परिकल्पना की गई है और नै.सा.उ. नियमों में स्थिरता के पहलु को जोड़कर एक–दूसरे के पूरक किया जा सकता है क्योंकि दोनों का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना ही है।

नै.सा.उ. समिति ने सामाजिक उत्तरदायित्व यानि कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी (नै.सा.उ. नीति) पर नीति तैयार की है और कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने नै.सा.उ. समिति की सिफारिश के अनुसार ही अपनी मंजूरी दी है।

2. **नै.सा.उ. समिति का गठन**

समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम/कार्य प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित नै.सा.उ. समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान नै.सा.उ. समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री संजीव गुप्ता, निदेशक (सरकारी नामिति)	निदेशक (सरकारी नामिति)	2	2
2.	श्री कामेंद्र कुमार	निदेशक (तकनीकी)	2	2
3.	श्री हरिरंजन राव, (21.10.2021 से)	निदेशक (सरकारी नामिति)	1	1
4	विनोद कोतवाल (19.08.2020 तक)	निदेशक (सरकारी नामिति)	1	0
5	श्री रामहित राम (13.01.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1

3. नै.सा.उ. समिति के गठन, नै.सा.उ. नीति और नै.सा.उ. परियोजनाओं के लिए वेबलिंक

   https://www.tcil.net.in/corporate_social_responsibility.php

4. कंपनी नियम 2014 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुपालन में नै.सा.उ. परियोजनाओं के प्रभावी निर्धारण का विवरण, यदि लागू हो (संलग्न रिपोर्ट)रू लागू नहीं (वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल नै.सा.उ. बजट 10 करोड़ रु. के प्रारंभिक मूल्य से कम है)

5. कंपनी नियम 2014 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुपालन में उपलब्ध राशि और वित्त वर्ष हेत निपटान के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण.

क्र सं.	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष से आगे निर्धारण के लिए उपलब्ध राशि (रू. में)	वित्त वर्ष के लिए निर्धारण हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो
	-	NIL	NIL

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभरू विगत तीन वर्षों का औसत निवल लाभ नकारात्मक (नै.सा.उ. नियमों के अनुसार विदेशी परियोजनाओं/लाभांश के लाभ के अलावा) रहा है। फिर भी कर पश्चात लाभ के 2 प्रतिशत अंश को स्वैच्छिक रूप से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नै. सा.उ. गतिविधियों हेतु बजट में शामिल किया गया है।

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः शून्य (औसत निवल लाभ 26.60 करोड़ रु. है)

(ख) विगत वित्त वर्षों के नै.सा.उ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अतिशेषः शून्य

(ग) वित्त वर्ष हेतु निर्धारण के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई होः शून्य

(घ) वित्त वर्ष के लिए कुल नै.सा.उ. बाध्यताएं (7इ–7ब): शून्य

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात लाभरू रु. 44.43 करोड़

वित्त वर्ष 2019–20 से आगे वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नै. सा.उ. बजट के तौर पर कर पश्चात लाभ का स्वैच्छिक 2 प्रतिशत लिया गया

8. क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई या नहीं की गई नै.सा.उ. राशि

वित्त वर्ष (1)(2)(3)(4) के लिए खर्च की गई कुल राशि (लाख रु. में)	खर्च नहीं की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च नहीं नै.सा.उ. राशि में हस्तांतरित की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी भी राशि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (लाख रु. में)	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
134.96	68.69	Refer to Note (1)	-	-	-

(1) नोटः 15.91 लाख रु. की राशि जोकि वित्त वर्ष 2020–21 में देय अग्रिम राशि के रूप में ली गई थी और 01 अगस्त 2021 तक खर्च नहीं हुई तथा दिनांक 31 जुलाई 2021 तक खर्च की गई राशि को खर्च नहीं की गई नै.सा.उ. राशि में हस्तांतरित कर दिया गया।

8(ख) वित्त वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं के बदले नै.सा.उ. राशि का विवरणः

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची टप्प में गतिविधियों की सूची की मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रु. में)	वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	31.03.2021 तक धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु खर्च नहीं की गई नै.सा.उ. राशि में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन की पद्धति सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की पद्धति द्द कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	नै.सा.उ. पंजीकरण संख्या
1	अतिरिक्त विकास कार्य, सूर्या मंदिर के आसपास, मरची, पटना	स्वास्थ्य एवं शौचालय सुविधा प्रोत्साहन	नहीं	बिहार	मरची, पटना	1 वर्ष	14.00	13.76	0.24	हां	-	लागू नहीं
2	अकोला जिला, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में एलईडी लाइट्स की संस्थापना	ग्रामीण विकास	नहीं	महाराष्ट्र	अकोला	6 माह	15	0.00	15.00(2)	नहीं	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए)	लागू नहीं
3	रोगी स्ट्रैचर ट्राली, व्हीलचेयर इत्यादि जैसा स्वास्थ्य उपकरणों को प्रदान करते हुए वाशिम और अकोला, महाराष्ट्र के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का नवीनीकरण	स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोत्साहित करना	नहीं	महाराष्ट्र	अकोला, वाशिम	3 माह	34.50	0.00	34.50	हां	-	लागू नहीं
4	मोगा जिला, पंजाब, जोकि एक महत्वाकांक्षी जिले के रूप में सूचीबद्ध है, में दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद 2020–21 के माध्यम से कौशल विकास	व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना	नहीं	पंजाब	मोगा	6 माह	10.92	0.00	10.92	हां	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद (टीएसएससी)	CSR00009264
5	वित्त वर्ष 2019–20 से सूर्या मंदिर परिसर के आसपास, मरची, पटना में विभिन्न विकास कार्य–घाट की सफाई और निर्माण, अप्रोच सड़क बनाना, पेयजल, शौचालय सुविधा निर्माण इत्यादि	स्वास्थ्य एवं शौचालय सुविधा प्रोत्साहन	नहीं	बिहार	मरची, पटना	3 वर्ष	66.29	61.66	4.63	हां	-	लागू नहीं
6	वित्त वर्ष 2019–20 से आगे दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद (टीएसएससी) के माध्यम से कौशल विकास	व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना	नहीं			1 वर्ष	17.68	12.376	0.00	हां	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद (टीएसएससी)	CSR00009264
73	सुरक्षित पेयजल प्रणाली उपकरण की आपूर्ति, संस्थापनाः निम्नलिखित स्थानों में स्थापित 2 वातानुकूलित जल सृजन उपकरणः– 1. द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका, गुजरात अब्दुल कलाम मेमोरियल, रामेश्वरम, तमिलनाडू वर्ष 2018–19 से जारी	स्वास्थ्य सुविधा प्रोत्साहन	नहीं	गुजरात, तमिलनाडू	द्वारका, रामेश्वरम	3 वर्ष	22.8	0.00	3.40	हां	-	लागू नहीं
कुल							181.19	87.796	68.69			

(1) 15.91 लाख रु. की राशि जोकि वित्त वर्ष 2020–21 में देय अग्रिम राशि के रूप में ली गई थी और 01 अगस्त 2021 तक खर्च नहीं हुई तथा दिनांक 31 जुलाई 2021 तक खर्च की गई राशि को खर्च नहीं की गई नै.सा.उ. राशि में हस्तांतरित कर दिया गया।

(2) 15.0 लाख रु. की राशि को नै.सा.उ. परियोजना के लिए महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए) में अग्रिम के रूप में हस्तांतरित किया गया। परियोजना के सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

8 (ग) वित्त वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य में खर्च की गई नै.सा.उ. राशि का विवरणः

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
क्र सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची ट्प् में गतिविधियों की सूची की मदें	स्थानीय क्षेत्र(हा/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रु. में)	वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	31.03.2021 तक ध् ारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु खर्च नहीं की गई नै.सा.उ. राशि में हस्तांतरित राशि	
				राज्य	जिला				नाम	नै.सा.उ. पंजीकरण संख्या
1	एथलीटों के प्रशिक्षण. खेल संरचना विकास हेतु एनएसडीएफ को दी गई निधि	राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैराओलिंपिक खेलों और ओलिंपिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण	नहीं	संपूर्ण भारत	संपूर्ण भारत	1 वर्ष	5.0	नहीं	एनएसडीएफ	ला.न.
2	नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा सफाई निधि	मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना	नहीं	संपूर्ण भारत	संपूर्ण भारत	1 वर्ष	5.0	नहीं	गंगा सफाई निधि	ला.न.
3	पीएम केयर्स फंड	पीएम केयर्स फंड	नहीं	संपूर्ण भारत	संपूर्ण भारत	1 वर्ष	32.72(1)	नहीं	पीएम केयर्स फंड	ला.न.
कुल							**42.72**			

Note: (1) MCA OM: CSR–05/1/2020–CSR–MCA दिनांक 28.03.2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दी गई राशि

8 (घ) प्रशासनिक उपरिशीर्ष में खर्च की गई राशिः रु. 4.44 लाख

8 (ड़) प्रभाव आकलन, यदि कोई हो, में खर्च राशिः लागू नहीं

8 (च) वित्त वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ड़) के लिए खर्च की गई कुल राशिः 134.96 लाख

8 (छ) निर्धारण के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः शून्य

क्रम सं.	विवरण	राशि (लाख रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य (औसत निवल लाभ रु. (26.60) करोड़
(ii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	134.96
(iii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों में नै.सा.उ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अतिरेक, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बाद के वित्तीय वर्ष में निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

9 (क) पिछले तीन वर्षों में खर्च नहीं की गई नै.सा.उ. राशि का विवरणः

क्रम सं.	विगत वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार खर्च नहीं नै. सा.उ. राशि में हस्तांतरित की गई कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगे के वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाने हेतु शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (लाख रु. में)	हस्तांतरण की तिथि	
लागू नहीं							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(ओं) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई नै.सा.उ. राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारंभ हुई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च की गई संचित राशि (लाख रु. में	पूरी की गई/चल रही परियोजना की स्थिति
1	लागू नहीं	सूर्या मंदिर परिसर के आसपास, मरची, पटना में विभिन्न विकास कार्य – घाट की सफाई और निर्माण, अप्रोच सड़क बनाना, पेयजल, शौचालय सुविधा निर्माण इत्यादि	2019-20	1 वर्ष	66.29	61.66	61.66	परियोजना पूरी हो गई है
2	लागू नहीं	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद (टीएसएससी) के माध्यम से कौशल परिषद	2019-20	1 वर्ष	17.68	12.376	17.68	परियोजना पूरी हो गई है
3	लागू नहीं	सुरक्षित पेयजल प्रणाली उपकरण की आपूर्ति, संस्थापना: निम्नलिखित स्थानों में स्थापित 2 वातानुकूलित जल सृजन उपकरण:– 1. द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका, गुजरात 2. अब्दुल कलाम मेमोरियल, रामेश्वरम, तमिलनाडू	2018-19	3 वर्ष	22.8	0.0	19.4	परियोजना पूरी हो गई है
4	N.A.	**पीएम केयर्स फंड** (1)	2018-19	-	32.72	32.72	32.72	परियोजना पूरी हो गई है

(1) वित्त वर्ष 2018–19 से आगे ली गई राशि को MCA OM: CSR&05/1/2020-CSR-MCA दिनांक 28.03.2020 के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में दिया गया.

10. पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण या अर्जन के मामले में, वित्त वर्ष (परिसंपत्ति वार विवरण) में खर्च की गई नै.सा.उ. राशि के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति के संबंध में विवरण दाखिल करें.

(क) पूंजी परिसंपत्ति (ओं) के निर्माण या अर्जन की तिथि. शून्य

(ख) पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण या अर्जन हेतु खर्च की गई नै.सा.उ. की राशि– शून्य

(ग) सत्व या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिसके नाम ऐसी पूंजी परिसंपत्ति पंजीकृत की गई, पता इत्यादि सहित. शून्य

(घ) निर्मित या अर्जित पूंजी परिसंपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूरा पता और पूंजी परिसंपत्ति का स्थान)– शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के तहत औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में विफल रही, तो कारण बताएं.

क्रम सं.	वि.व. 2020–21 के लिए नै.सा.उ. परियोजनाध्गतिविधि	नै.सा.उ. बजट (लाख रू. में)	खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	खर्च नहीं की गई राशि (लाख रू. में)	कारण
1	सूर्या मंदिर परिसर, मरची, पटना के आसपास अतिरिक्त विकास कार्य	14.00	13.76	0.24	परियोजना पूरी हो गई है। भुगतान क्रयादेश शर्तों पर किया जाएगा।
2	रोगी स्ट्रैचर ट्राली, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, व्हीलचेयर इत्यादि जैसा स्वास्थ्य उपकरणों को प्रदान करते हुए वाशिम और अकोला, महाराष्ट्र के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का नवीनीकरण	34.50	0.00	34.50	महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों के अस्पतालों के लिए 134 व्हीलचेयरों और 134 ही रोगी स्ट्रैचर ट्रॉलियों की प्राप्ति के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से जारी 17.71 लाख की राशि का क्रयादेश.
3	मोगा जिला, पंजाब, जोकि एक महत्वाकांक्षी जिले के रूप में सूचीबद्ध है, में दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद 2020–21 के माध्यम से कौशल विकास	10.92	0.00	10.92	टीसीआईएल और दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद के बीच पंजाब के मोगा जिले में 78 प्रत्याशियों को हैंडसेट मरम्मत प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना प्रगतिशील है।
4	अकोला जिला, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में एलईडी लाइट्स की स्थापना	15.00	0.00	15.00	नै.सा.उ. परियोजना के लिए महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए) को अग्रिम राशि स्वरूप 15 लाख रु. की राशि प्रदान की गई। परियोजना सितंबर 2021 में पूरी होने की संभावना है।

क्रम सं.	नै.सा.उ. परियोजनाएं/ गतिविधियां वि.व. 2019–20	नै.सा.उ. बजट (लाख रू. में)	खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	खर्च नहीं की गई राशि (लाख रू. में)	कारण
1	स्वास्थ्य एवं सफाई सुविधाः सूर्या मंदिर परिसर के आसपास, मरची, पटना में विभिन्न विकास कार्य – घाट की सफाई और निर्माण, अप्रोच सड़क बनाना, पेयजल, शौचालय सुविधा निर्माण इत्यादि	66.29	61.66	4.63	परियोजना पूरी हो गई है भुगतान क्रयादेश शर्तों पर किया जाना है

क्रम सं.	नै.सा.उ. परियोजनाएं/गतिविधियां वि.व. 2019–20	नै.सा.उ. बजट (लाख रु. में)	खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	खर्च नहीं की गई राशि (लाख रु. में)	कारण
1	सुरक्षित पेयजल प्रणाली उपकरण की आपूर्ति, संस्थापनाः निम्नलिखित स्थानों में स्थापित 2 वातानुकूलित जल सृजन उपकरण :– 1. द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका, गुजरात 2. अब्दुल कलाम मेमोरियल, रामेश्वरम, तमिलनाडू	22.8	19.4	3.4	क. 2 उपकरण स्थापित किए गए हैं ख. रखरखाव अनुबंध के अनुसार, शेष भुगतान को भुगतान शर्तों पर जारी किया जाएगा।

12. नै.सा.उ. समिति का उत्तरदायित्व विवरण कि नै.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण नै.सा.उ. प्रयोजनों और कंपनी नीति के अनुपालन में किया गया है।

नै.सा.उ. गतिविधियों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 और लो.उ.नि. दिशानिर्देशों के अनुपालन में है और नै.सा.उ. प्रयोजनों और कंपनी नीति को चरितार्थ करता है।

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

(अध्यक्ष, नै.सा.उ. समिति)

अनुलग्नक 'च-1'

फॉर्म सं. एओसी – 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	2.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अधीनस्थ असुरक्षित ऋण।
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा 10 साल की सरकारी प्रतिभूति की ब्याज दर पर आवश्यकता के अनुसार किश्तों में टीएलटीआरएल को 2.98 करोड़ रुपए का ऋण।
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	07.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 245वीं बैठक में उल्लिखित।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता	**कामेन्द्र कुमार**	**नरेंद्र जैन**
निदेशक (परियोजनाएं)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06993918	डीआईएन 07578257	डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च–2'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप–धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	11.04 करोड़ रु. तक का अतिरिक्त अधीनस्थ अरक्षित ऋण
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई होः	लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार, टीसीआईएल निदेशक मंडल के अनुमोदन द्वारा 11.04 करोड़ रु. की अतिरिक्त अधीनस्थ अरक्षित ऋण राशि टीबीटीआरएल में प्रभावी निवेश दर यानि 10 वर्ष में आवश्यकतानुसार दी जाएगी।
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई होः	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) – सहायक कंपनी
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन 06993918

कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 07578257

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

अनुलग्नक 'च-3'

फॉर्म सं. एओसी – 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्‌स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्‌स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) और टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) – सहायक कंपनियां
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीबीटीआरएल और टीएलटीआरएल के साथ अधीनस्थ ऋण समझौते का निष्पादन
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा टीबीटीआरएल और टीएलटीआरएल के साथ अधीनस्थ ऋण समझौते के निष्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा 04.08.2020 को परिसंचरण से संकल्प पारित किया गया और 07.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 245वीं बैठक में उल्लेख किया गया।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन 06993918

कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 07578257

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च–4'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीटीएल की सांविधिक और कार्यशील पूंजी निधि के लिए 12,61,122/– रुपए और वैधानिक भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, लिस्टिंग शुल्क और एजीएम के लिए व्यय के लिए 47,64,625/– रुपए की राशि
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा टीटीएल को लंबित वैधानिक, कानूनी, ऑडिट से संबंधित और साथ ही धन के अनुसमर्थन के लिए व अन्य आवश्यक भुगतानों के लिए 12,61,122/– रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। पहले ही टीटीएल कर्मचारियों के एक महीने के वेतन के लिए, लिस्टिंग शुल्क और एजीएम व्यय के लिए 47,64,625/– रुपये की धन की राशि टीटीएल को हस्तांतरित की जा चुकी है।
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा 26.05.2020 को परिसंचरण से संकल्प पारित किया गया और 07.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 245वीं बैठक में उल्लेख किया गया।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता	**कामेन्द्र कुमार**	**नरेंद्र जैन**
निदेशक (परियोजनाएं)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06993918	डीआईएन 07578257	डीआईएन 06942419

अनुलग्नक 'च-5'

फॉर्म सं. एओसी – 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल) – सहयोगी कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	उनकी कंपनी में 70% विदेशी निवेश को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	विनिवेश समिति की सिफारिश के अनुसार और दूरसंचार विभाग की अनुमति/सहमति/अनुमोदन के अधीन, टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा बीएचएल में 70 फीसदी विदेशी निवेश को सक्षम बनाने के प्रस्ताव के लिए सरकार के पास आवेदन दाखिल करने की मंजूरी मांगी गई
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा 08.05.2020 को परिसंचरण से संकल्प पारित किया गया और 07.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 245वीं बैठक में इसका उल्लेख किया गया।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता	**कामेन्द्र कुमार**	**नरेंद्र जैन**
निदेशक (परियोजनाएं)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06993918	डीआईएन 07578257	डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च-6'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीसीआईएल द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए टीसीआईएल और टीबीटीआरएल के बीच समझौता
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	इस विषय पर कार्य किया जा रहा है
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	'लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है:
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	(क) टीबीटीआरएल के अधीनस्थ ऋण पर ब्याज की बुकिंग के संबंध में 01.04.2017 से 31.03.2020 तक 18,07,83,041/– की राशि।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	(ख) 24,95,28,712/– रुपये के लिए टीबीटीआरएल को दिए जाने वाले अधीनस्थ ऋण को न्यून किए जाने का प्रावधान जो 31.03.2020 तक टीसीआईएल की पुस्तकों में प्रदान किया जाना है।
	(ग) टीबीटीआरएल को 18,07,83,041/– रुपए के अधीनस्थ ऋण पर ब्याज को न्यून किए जाने के प्रावधान को बट्टे खाते डाला गया।
	टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में 13.08.2020 को आयोजित टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में उल्लिखित।
	लागू नहीं

राजीव गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन 06993918

कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 07578257

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च-7'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीसीआईएल द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए टीसीआईएल और टीएलटीआरएल के बीच समझौता
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	इस विषय पर कार्य किया जा रहा है
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा टीसीआईएल की खाता–पुस्तकों में टीएलटीआरएल को अधीनस्थ ऋण पर ब्याज की बुकिंग के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। 01.04.2017 से 31.03.2020 तक 8,21,07,545/–रुपए और किसी प्रकार की न्यूनता का प्रावधान नहीं रखा गया है।
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	दिनांक 13.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन 06993918

कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 07578257

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च-8'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीसीआईएल और टीटीएल के बीच समझौता और उस पर आगे किए जाने वाले संशोधन
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	इस विषय पर कार्य चल रहा है
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई होः	लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई होः	क) टीटीएल को 42,09,70,323/– रुपए तक के ऋण पर ब्याज की बुकिंग जो कि दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2020 तक है
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	ख) टीटीएल को 43,84,31,943/– रुपए के अधीनस्थ ऋण को कम किए जाने का प्रावधान जो टीसीआईएल की खाता–पुस्तकों में 31.03.2020 तक प्रदान किया जाना है
	ग) टीटीएल को 42,09,70,323/– रुपए के अधीनस्थ ऋण पर ब्याज के प्रति न्यूनता के प्रावधान को बट्टे खाते में डालना।8
	दिनांक 13.08.2020 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में।
	लागू नहीं

राजीव गुप्ता	**कामेन्द्र कुमार**	**नरेंद्र जैन**
निदेशक (परियोजनाएं)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06993918	डीआईएन 07578257	डीआईएन 06942419

फॉर्म सं. एओसी – 2

अनुलग्नक 'च-9'

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा(1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा अन्य पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म्स लैंग्थ लेनदेन शामिल हैं

1. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेन देन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
(ण) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां)	लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
(ज) जैसा कि धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित है, उस आम बैठक की तिथि जिसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।	लागू नहीं
2. उन अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण जो आर्म्स लैंग्थ लेनदेन पर आधारित नहीं है	
(क) संबंधित पार्टी का/के नाम और संबंध की प्राकृति	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) – सहायक कंपनी
(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्राकृति	टीटीएल की लंबित वैधानिक, कानूनी और आवश्यक भुगतानों की मंजूरी के लिए आवश्यकतानुसार 18,50,000/– रुपए की विधिक और कार्यशील पूंजी निधि
(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए
(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसरण में, टीसीआईएल के बोर्ड द्वारा लंबित वैधानिक, कानूनी और आवश्यक भुगतानों की मंजूरी के लिए टीटीएल को 18,50,000/– रुपए की राशि
(ण) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(यां), यदि कोई हो:	दिनांक 22.12.2020 को टीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा परिसंचरण के द्वारा पारित संकल्प और 05.02.2021 को टीसीआईएल भवन, नई दिल्ली में आयोजित टीसीआईएल के निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक में इसका उल्लेख किया गया।
(च) अग्रिम रुप से प्रदत्त राशि, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

राजीव गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन 06993918

कामेन्द्र कुमार
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 07578257

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

अनुलग्नक 'छ'

प्रपत्र सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिफल का सारांश 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन में]

(I) पंजीकरण एवं अन्य विवरण,

(i)	सीआईएन	**U74999DL1978GOI008911**
(ii)	पंजीकरण तिथि	**10/03/1978**
(iii)	कंपनी का नाम	**टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड**
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	**केंद्र सरकार की कंपनी**
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	**टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली** - 110048
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं	**नहीं**
(vii)	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो का नाम, पता और संपर्क विवरण	**मै. इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, जी-65, बाली नगर, नई दिल्ली -**

(II) कंपनी की प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां

सभी व्यावसायिक गतिविधियों, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान दे रही हैं:

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी को कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	दूरसंचार परियोजनाएं	61900	31.16%
2.	सिविल / अवसंरचना परियोजनाएं	410 & 421	14.82%
3.	परामर्शी एवं सेवा अनुबंध	62020	41.49%
4.	व्यापारिक गतिविधियां	461	10.59%

(III) धारक, सहायक और संबद्ध कंपनियों का विवरण-

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारण / सहायक/ संबद्ध	शेयर धारण का प्रतिशत	लागू होने वाला खंड
1.	टीसीआईएल ओमान एलएलसी पी.ओ. बॉक्स 3340, आरयूडब्ल्यूआई, पोस्टल कोड 112, मस्कट, ओमान	C.R.No. 1/05406/2	सहायक कंपनी	70%	2(87)
2.	तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) नं.16, प्रथम तल, अजीज मुल्क, थर्ड स्ट्रीट, थाउसेंड लाइट्स, चेन्नई, तमिलनाडू 600006 भारत.	L32201TN1988PLC015705	सहायक कंपनी	49%	2(87)
3.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) कमरा.नं.301, थर्ड फ्लोर, टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 भारत	U45204DL2012GOI238685	सहायक कंपनी	100%	2(87)
4.	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल), कमरा नं. 302, थर्ड फ्लोर, टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 भारत	U45400DL2013GOI256742	सहायक कंपनी	100%	2(87)
5.	युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, पुतली सड़क, काठमांडू, नेपाल.	UBI Number – 604363898	सहायक कंपनी	100%	2(87)
6.	युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल), त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, पुतली सड़क, काठमांडू, नेपाल	नेपाल की कंपनी	संबद्ध	26.66%	2(6)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारण / सहायक/ संबद्ध	शेयर धारण का प्रतिशत	लागू होने वाला खंड
7.	भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल) भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज – II, नई दिल्ली 110070 भारत	U74899DL1995PLC067527	संबद्ध	30%	2(6)
8.	इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) प्रशासनिक बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, नई दिल्ली 110020 भारत	U74899DL1987GOI027481	संबद्ध	36%	2(6)
9.	टीबीएल इंटरनेशनल लि.(टीबीएल) बी–7, (दूसरा तल) राजौरी गार्डन, नई दिल्ली – 110027 भारत	U36999DL1989PLC036647	संबद्ध	44.94%	2(6)

(IV) शेयर धारण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

i) श्रेणीबद्ध शेयरधारणः

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष की समाप्ति तक धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रोत्साहक (1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) केंद्र सरकार	**5,91,71,200**	**28,800***	**5,92,00,000**	**100%**	**591,71,200**	**28,800***	**5,92,00,000**	**100%**	0
(ग) राज्य सरकार (एं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) निकाय निगम.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड.) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क)(1) :-	**5,91,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**591,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**0**
(2) विदेशी									0
क) एनआरआई– व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) अन्य–व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब) निकाय निगम.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
म) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (I)(2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रमोटर का कुल शेयरधारण (क)=(क)(1)+(क)(2)	**5,91,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**591,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**0**
ख. सार्वजनिक शेयरधारण 1. संस्थान									
(क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) राज्य सरकार(ओं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) उपक्रम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ) विदेशी उपक्रम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (ख)(1):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर-संस्थान									
(क) निकाय निगम. (i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) समुद्रपार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष की समाप्ति तक धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(ख) व्यक्तिगत (i) व्यक्तिगत 1 लाख रु. तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) 1 लाख रु. से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(c) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (ख)(2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(ग). जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महा योग (क+ख+ग)	**591,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**5,91,71,200**	**28,800**	**5,92,00,000**	**100%**	**0**

* व्यक्तिगत सरकारी नामित शेयरधारक

(ii) प्रमोटरों का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत तक शेयरधारण			कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	5,91,71,200	99.951%	0	5,91,71,200	99.951%	0	0
2	श्री अनिल कुमार गौतम, सरकार नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
3	श्री बी.के. नाथ, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
4	सुश्री संगीता चुघ, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
5	श्री मुमताज अहमद, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
6	श्री राजेश शर्मा, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
7	श्री आर.के. कौशिक, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
8	श्री अमित यादव, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
9	श्री हरिरंजन राव, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
10	श्री देवेंद्र यादव, सरकारी नामिति	**5,92,00,000**	**100%**	**0**	**5,92,00,000**	**100%**	**0**	**0**
11	श्री सुनील निरानियन, सरकारी नामिति	3600	0.006%	0	3600	0.006%	0	0
	योग	**5,92,00,000**	**100%**	**0**	**5,92,00,000**	**100%**	**0**	**0**

(iii) **प्रमोटरों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई न हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें)**

क्र. सं.	अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	5,91,71,200	99.951 %	5,91,71,200	99.951 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी(जैसे कि आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	5,91,71,200	99.951 %	5,91,71,200	99.951 %

क्र. सं.	श्री बी.के. नाथ, सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी(जैसे कि आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/वृद्धि दिनांक अनुसारः	श्री अनिल कुमार गौतम, सरकारी नामति से शेयरों के हस्तांतरण के कारण 06.03.2020 से कटौती			
3	वर्ष के अंत तक	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %

क्र. सं.	सुश्री संगीता चुघ सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी(जैसे कि आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %

क्र. सं.	श्री मुमताज अहमद सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि / कमी(जैसे कि आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी / वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %

क्र. सं.	श्री राजेश शर्मा सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि / कमी(जैसे कि आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी / वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %

क्र. सं.	श्री आर.के. कौशिक सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि / कमी(जैसे कि आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी / वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %

क्र. सं.	श्री देवेन्द्र यादव सरकारी नामिति	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	3,600	0.006 %	3,600	0.006 %
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी(जैसे कि आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/वृद्धि दिनांक अनुसारः	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के अंत तक	0	0	0	0

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा):

क्र. सं.	सर्वोच्च 10 शेयरधारकों में प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/ कमी(जैसे कि आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/ वृद्धि दिनांक अनुसारः	शून्य			
3	वर्ष के अंत तक (यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो पृथकता की तिथि तक)	0	0	0	0

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का शेयरधारणः

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी(जैसे कि आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/हलचल इक्विटी आदि) के कारण प्रमोटरों के शेयरों में कमी/वृद्धि दिनांक अनुसारः	शून्य			
3	वर्ष के अंत तक	0	0	0	0

V) ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित ब्याज सहित कंपनी का ऋण, लेकिन भुगतान के लिए नहीं (रुपए में राशि)

(आंकड़े रु. में.)

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	1,33,27,51,175.00	1,291,288,648.00	0	2,624,039,823.00
ii) नियत ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0.00
iii) उपार्जित ब्याज पर नियत नहीं	6,158,217.00	0	0	6,158,217.00
कुल (i+ii+iii)	**1,338,909,392.00**	**1,291,288,648.00**	**0**	**2,630,198,040.00**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	0	0	0	0
* कटौती	(1,194,084,167.00)	(1,065,964,631.00)	0	(2,260,048,798.00)
निवल परिवर्तन	**(1,194,084,167.00)**	**(1,065,964,631.00)**	**0**	**(2,260,048,798.00)**
वित्त वर्ष की समाप्ति तक ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	144,659,796.00	225,324,017.00	0	369,983,813.00
ii) नियत ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii) उपार्जित ब्याज पर नियत नहीं	1,65,429.00	0	0	1,65,429.00
कुल (i+ii+iii)	**144,825,225.00**	**225,324,017.00**	**0**	**370,149,242.00**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधन का पारिश्रमिकः

(आंकड़े रु. में.)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पू.का.नि./प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (27.01.21 से)	निदेशक (परियोजनाएं) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.03.2020 से) अतिरिक्त प्रभार	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	
		श्री संजीव कुमार डीआईएन 07566882	श्री राजीव गुप्ता डीआईएन 06993918	श्री कार्मेंद्र कुमार डीआईएन 07578257	श्री नरेंद्र जैन डीआईएन 06942419	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 के खंड 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कुल वेतन	5,98,245	41,22,386	41,11,936	41,89,973	**1,30,22,540**
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	98,429	7,55,466	2,22,888	2,71,656	**13,48,439**
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के तहत वेतन बदले मुनाफा	0	0	0	0	**0**
2.	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	**0**
3.	इक्विटी में हलचल	0	0	0	0	**0**
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	0 0	0 0	0 0	0 0	**0** **0**
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें –भविष्य निधि –चिकित्सा	61,415 0	3,95,697 35,347	3,22,604 12,188	3,25,903 20880	**11,05,619** **68,415**
	कुल (क)	**7,58,089**	**53,08,896**	**46,69,616**	**48,08,412**	**1,55,45,013**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

(आंकड़े रु. में.)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	**श्री रामहित राम (13.01.2021 तक) स्वतंत्र निदेशक** DIN: 08547512	कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक – बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	45,000 0 0	45,000 0 0
	कुल (1)	**45,000**	**45,000**
	2. अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक – बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल(2)	शून्य	शून्य
	कुल(ख)= (1+2)	**45,000**	**45,000**
	कुल प्रबंधनात्मक पारिश्रमिक (क)+(ख)		**1,55,90,013**
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा		लागू नहीं

प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधन वर्ग का पारिश्रमिक

(राशि रु. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक					कुल
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी		मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव	उप कंपनी सचिव	
		श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (27.01.2021 तक) DIN: 07566882	श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 01.03.2020) DIN: 06993918	श्री नरेंद्र जैन, निदेशक (वित्त) DIN: 06942419	श्री विशाल कोहली, महाप्रबंधक (सीएस एंड लीगल) (07.08.2020 से) F4546	सुश्री रश्मि चावला, उप-महाप्रबंधक (स. व वि.) उप कंपनी सचिव (07.08.2020 तक) F8545	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 के खंड 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कुल वेतन	5,98,245	41,22,386	41,89,973	12,67,768	7,39,434	**1,09,17,806**
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	98,429	7,55,466	2,71,656	4,320	944	**11,34,815**
	(ब) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के तहत वेतन के बदले मुनाफा	0	0	0	0	0	**0**
2.	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	**0**
3.	इक्विटी में हलचल	0	0	0	0	0	**0**
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**0** **0**
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें –भविष्य निधि –चिकित्सा	61,415 0	3,95,697 35,347	3,25,903 20880	1,10,885 10,000	60,881 1,113	**9,54,781** **67,340**
	कुल	**7,58,089**	**53,08,896**	**48,08,412**	**13,92,973**	**8,06,372**	**1,30,74,742**

VII. अपराध का जुर्माना/दंड/कम्पाउंडिंग:

प्रकार	कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/दंड/कम्पाउंडिंग/शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनस. ीएलटी/ न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	0	0	0	0	0
दंड	0	0	0	0	0
कंपाउंडिंग	0	0	0	0	0
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	0	0	0	0	0
दंड	0	0	0	0	0
कंपाउंडिंग	0	0	0	0	0
ग. अन्य अधिकारियों द्वारा की गई चूक					
जुर्माना	0	0	0	0	0
दंड	0	0	0	0	0
कंपाउंडिंग	0	0	0	0	0

अनुलग्नक 'ज'

संजय चुघ
बी कॉम (एच), एफ.सी.एस
कंपनी सचिव

317, वर्धमान प्लाजा– I,
जे ब्लॉक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (1) और नियम 9 (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) अनुपालन में, नियम 2014)

सेवा में,
सदस्य,
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड.

हमने टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (इसके बाद इसे टीसीआईएल/कंपनी कहा जाएगा) द्वारा सुनैगमिक चलन और प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में सचिवालय लेखा परीक्षा का संचालन किया है। सचिवालय लेखा परीक्षा का संचालन कुछ इस प्रकार किया गया है जिसे मुझे नैगमिक संचालनों/संवैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन हेतु और उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का एक समुचित आधार मिला है।

टीसीआईएल की पुस्तिकाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और दर्ज कराए गए रिटर्न्स और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड्स और सचिवालय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि मेरे मतानुसार कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक समाप्त वित्तवर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे दिए संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी की एक समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र है, जिसके आधार पर निम्न रिपोर्ट तैयार की गई:

मैंने 31 मार्च, 2020 तक समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तिकाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और दर्ज कराए गए रिटर्न्स और अन्य रिकॉर्ड्स की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन में जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम

(ii) सुरक्षा अनुबंध (विनियामक) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियमय लागू नहीं

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन बनाए गए विनियामक और उप नियम – लागू नहीं

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधार के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम

(v) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन निर्दिष्ट निम्नलिखित विनियामक एवं दिशानिर्देशः–

(क) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का तदवर्ती अर्जन) विनियामक 2011 – लागू नहीं

(ख) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियामक, 1992 – लागू नहीं

(ग) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) विनियामक 2009 – लागू नहीं

(घ) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशानिर्देशय – लागू नहीं

(ङ) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व लिस्टिंग) विनियामक, 2008 – लागू नहीं

(च) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (रजिस्ट्रार से निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियामक, 1993 कंपनी अधिनियम एवं कार्यार्थी से लेनदेन – लागू नहीं

(छ) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची बटाना) विनियामक, 2009 – लागू नहीं

(ज) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी/खरीद) विनियामक, 1998 – लागू नहीं

(vi) कंपनी के अन्य प्रयोज्य कानूनों के तहत अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दाखिल सांविधिक प्रमाणपत्र के आधार पर सत्यापित किया गया है।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खंडों के अनुपालन में जांच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानदंड 1 (लेखापरीक्षा अवधि के लिए अनिवार्य नहीं)

(ii) लिस्टिंग, समझौता और भारतीय सुरक्षा एवं विनिमेय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड – लागू नहीं.

(iii) सीपीएसई (डीपीई दिशानिर्देश) के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियामकों, दिशा निर्देशों, मांगो इत्यादि के अनुपालन में निम्नलिखित पर्यावलोकन किए हैं:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (4) और सीपीएसई दिशा निर्देशों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या यथानिर्दिष्ट है। एक स्वतंत्र निदेशक की दिनांक 13 जनवरी 2021 को हुई आकस्मिक मृत्यु के कारण उनकी कार्यावधि समाप्त हो गई।

ख) अधिनियम और सीपीएसई दिशा निर्देशों के तहत लेखापरीक्षा समिति नाम से समितियों का समुचित गठन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के प्रावधानों का अनुपालन।

ग) कार्यात्मक निदेशकों (अ.प्र.नि./प्र.नि. सहित) की संख्या के संबंध में नैगमिक अभिशासन पर लो.उ.नि. दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुपालन में यह संख्या बोर्ड का वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उक्त के संबंध में पर्यावलोकन–

सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का चयन इसके प्रशासनिक मंत्रालय यानि कि दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नियुक्त करने के लिए कंपनी निरंतर दूरसंचार विभाग से संचार संप्रेषण कर रही है।

(vii) **हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि** कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार गठित करना आवश्यक है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।

सामान्यतया, बोर्ड की बैठकों की सूचना के संबंध में सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचित किया जाता है, कार्यसूची और संबंधित नोट्स कम से कम 7 दिन पूर्व भेज दिए जाते हैं और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु और बैठक में पूर्व कार्य सूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण देने और प्राप्त करने के लिए एक समुचित तंत्र है

बोर्ड/समिति बैठक(ओं) द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णय बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और यदि कोई विरोध हो, तो उसे कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किया जाता है।

(viii) **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं** कि कंपनी के आकार और परिचालन को देखते हुए कंपनी के पास प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र है।

(ix) **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों के अनुपालन में कंपनी के मामलों के संबंध में कोई विशेष इवेंट/कार्रवाई नहीं हुई है।

संजय चुघ
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोडः I1999DE134400
FCS No: 3754
C.P. NO. 3073

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अगस्त, 2021
UDIN: F003754C000827852

इस रिपोर्ट को हमारी समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जोकि अनुलग्नक 'क' में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है.

अनलग्नक क*

सेवा में,
सदस्य,
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

इस पत्र को, समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अपना मत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2. सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की सटीकता के बारे में तार्किक आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने यथासंभव लेखापरीक्षा चलनों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया। जांच आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं और चलनों के माध्यम से हम तार्किक रूप से अपना मत व्यक्त करते हैं।

3. हमने कंपनी की खाता बहियों और वित्तीय रिकॉर्डों की सटीकता और समुचितता को सत्यापित नहीं किया है.

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा इवेंट्स होने को लेकर प्रबंधनात्मक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

5. नैगमिक और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण जांच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी स्थिरता का आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों के परिचालन को लेकर प्रबंधन की प्रभावशीलता का परिणाम है।

7. कोविड–19 और देश के लॉकडाउन/प्रतिबंधों की परिस्थितियों ने कंपनी के रिकॉर्ड/दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को प्रभावित किया है।

संजय चुघ
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोडः I1999DE134400
FCS No: 3754
C.P. NO. 3073

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक – 25 अगस्त, 2021

अनुलग्नक 'झ'

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपनी सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवालय लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए पर्यावलोकन पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपनी सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवालय लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए पर्यावलोकन पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर निम्नलिखित हैः

पर्यावलोकनः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कंपनी (निदेशकों की पात्रता एवं नियुक्ति) नियम, 2014 जिसे नैगमिक मामलों पर लो.उ.नि. दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.2 और 3.1.4 के साथ पढ़ा जाए के अनुपालन के संदर्भ में कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की गैर–नियुक्ति के कारण होने वाला गैर–अनुपालनः

1. कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा (4) और सीपीएसई दिशानिर्देशों के तहत यथानिर्दिष्ट ही होनी चाहिए। वित्त वर्ष के शुरुआत में एक स्वतंत्र निदेशक के आकस्मिक निधन के कारण दिनांक 13.01.2021 को उनकी कार्यावधि समाप्त कर दी गई।

   उपर्युक्त पर्यावलोकन का प्रत्युत्तरः यह उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग कंपनी के निदेशक मंडल और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करता है। इस पर विचार करते हुए, टीसीआईएल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग को निरंतर स्मरण करा रहा है ताकि डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को पूरा किया जा सके। कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों कि नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग को कई अनुस्मारक भेजे गए हैं।

2. अधिनियम में यथानिर्दिष्ट (1) लेखापरीक्षा समिति नाम से और (2) कंपनी मनोनयन और पारिश्रमिक समिति का समुचित गठन।

   उपर्युक्त पर्यावलोकन का प्रत्युत्तरः ध्यानपूर्वक दिया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा टीसीआईएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति/मनोनय के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके लिए दूरसंचार विभाग के साथ टीसीआईएल निरंतर संचार संप्रेषण कर रहा है।

3. कार्यात्मक निदेशकों (अ.एवं प्र.नि./प्र.नि. सहित) की संख्या के संदर्भ में नैगमिक मामलों पर लो.उ.नि. दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुपालन में यह संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.

उपर्युक्त पर्यावलोकन का प्रत्युत्तरः जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित है, टीसीआईएल अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग से निरंतर आग्रह कर रहा है। अतरू, दूरसंचार विभाग द्वारा टीसीआईएल के बोर्ड में किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नियुक्ति/नामित किए जाने पर स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII) और (VIII) के साथ धारा 149(8) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

नैगमिक अभिशासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड,
टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश–1,
नई दिल्ली–110 048

नैगमिक अभिशासन, जैसा कि **लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और केंद्रीय सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम मंत्रालय,** भारत सरकार द्वारा केंद्रीय उपक्रमों के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश 2010 के अधीन अनुबद्ध है, की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से हमने **31 मार्च, 2021** को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** के सभी संगत प्रलेखों की जांच की है। हमने यह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण किए हैं, जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रमाणन के उद्देश्य से आवश्यक थे।

हमारी जांच, पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी क्षमता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का निर्वाह किया है।

हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की हमारे द्वारा जांच, हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दी गई सूचना के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्र सरकार के उपक्रमों के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश, 2010 की सभी अनिवार्य शर्तों का पालन किया है। कंपनी अधिनियम 2013 और लो.उ.वि. दिशानिर्देश का कंपनी निरंतर अनुपालन कर रही है।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 25.08.2021

संजय चुघ
कंपनी सचिव
सी.पी. सं. 3073
UDIN: F003754C000827852

कंपनी के मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणपत्र/घोषणापत्र

हम, संजीव कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और नरेंद्र जैन, निदेशक (वित्त), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में यह प्रमाणित करते हैं किः

(1) हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण और अयथार्थ विवरण नहीं है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण नहीं है जो भ्रामक हो सकता है और

(ii) यह विवरण कंपनी की स्थिति की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं तथा वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुसार हैं।

(2) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता का अतिक्रमण करता हो।

(3) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन या परिचालन की कमियों, यदि कोई हमारी जानकारी में हो, को लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उजागर किया है तथा उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है।

(4) हमने, जहां लागू हो, लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक समिति को निम्नलिखित संकेत दिया हैः

क. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो।

ख. वर्ष के दौरान नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा इसको वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, तथा

ग. किसी महत्वपूर्ण छलकपट की घटना आज यदि कोई हो, जिसमें प्रबंधन या कोई कर्मचारी शामिल हो तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो।

(संजीव कुमार)	**(नरेंद्र जैन)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.08.2021

व्यावसायिक आचार संहिता के अनुपालन में घोषणापत्र

मै. एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशकों और प्रबंधन कर्मियों हेतु कंपनी की व्यावसायिक और नीतिगत आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में कंपनी को बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से सहमति प्राप्त हुई है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2021

(संजीव कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एकल वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
भारतीय ले.मा. के अनुपालन में एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एकल वित्तीय वक्तव्यों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट जिसमें लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का बयान की वह कब समाप्त हुआ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है (और इसके आगे इसे 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है।

हमारी राय में और हमारे लिए पूर्णतः जानकारी के लिए हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत एक निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आवश्यक तरीके से सत्य जानकारी देते हैं और, भारतीय अधिनियम के खंड 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार पढ़े गए, ('इंडस्ट्रीज एएस') और लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, आमतौर पर इंडस्ट्रीज सहित भारत में जो स्वीकार किए जाते हैं, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) लाभ और कुल व्यापक हानि, इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह जो उस तारीख को समाप्त हुआ है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत (लेखा परीक्षा) के मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमने जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की स्वतंत्र आचार संहिता के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी की गई नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में शामिल पांच शाखाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा नहीं किया था, जिनकी वित्तीय जानकारी रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 20201तक 45981.49 लाख और वर्ष का कुल राजस्व 43447.61 लाख रुपए उस तारीख को समाप्त हो गए, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है जबकि निवल नकद प्रवाह 1010.78 लाख रु. रहा। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें और हमारी राय के अनुसार है, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से यह रिपोर्ट उन्हीं पर आधारित है।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है पर एकल वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी तरह का आश्वासनयुक्त निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, अन्य जानकारी को पढ़ना हमारा दायित्व है और ऐसा करते हुए यह देखना भी हमारा दायित्व है कि अन्य जानकारी भौतिक रूप से अनियमित न हो या फिर हमें एकल वित्तीय विवरण तैयार करते हुए कोई भी गलतबयानी प्राप्त न हो।

यदि, हमारे कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी में कोई गलतबयानी हुई है, तो हमारे लिए उसे दर्ज कराना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी दर्ज नहीं कराना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासनिक प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य सिद्धांतो के अनुपालन में अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन की सही जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लखित है। इस उत्तरदायित्व में यह भी शामिल है – कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा क लिए

एकल वित्तीय विवरण

और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों का रखरखावय समुचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय लेना और प्राक्कलन बनाना जो सटीक और दायित्वपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और रखरखाव जोकि किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण की गई गलतबयानी से मुक्त हों और कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों का सही और सटीक वर्णन करते हों।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन यह तय करने के लिए भी उत्तरदायी है कि कंपनी यथाप्रयोज्य नियमानुसार परिचालन करने में सक्षम है बशर्ते कि निदेशक मंडल ने कंपनी को लिक्विडेट करने या इसका परिचालन बंद करने का निर्णय न लिया हो या फिर उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प न हो।

निदेशकमंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात पर एक तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण की जाने वाली किसी भी तरह की गलतबयानी से मुक्त हैं और इस पर अपना मत व्यक्त करना हमारा दायित्व है। तार्किक आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है पर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुपालन में की जाने वाली लेखापरीक्षा घटित होने वाली किसी भी तरह की गलतबयानी का हर बार पता लगा लेगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से होने वाली गलतबयानी तभी भौतिक मानी जाएगी जब व इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करे।

लेखा मानकों के अनुपालन में किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को भी बनाए रखते हैं। हमः

- यह प्रयास करते हैं कि वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम यह है कि वह त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक नुकसान व कारण हो सकते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता उपलब्ध है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन में चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला गया है और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है तो वह जो कि कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है वह ही चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों पर आधारित हैं, हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चिंता का विषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता इन एकल वित्तीय विवरणों में होने वाली किसी भी तरह की गलतबयानी का पता लगाने का आधार बिंदु है क्योकि तार्किक रूप से बुद्धिमान उपयोगकर्ता का निर्णय एकल वित्तीय विवरणों को प्रभावित करता है। हम अपने लेखापरीक्षा कार्य की प्रकृति में (1) भौतिक रूप से प्रमात्रात्मक और गुणवत्तात्मक तथ्यों को शामिल करते हैं और (2) एक वित्तीय विवरणों में पता लगाई गई गलतबयानी के प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं।

हम, अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय व महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को भी शामिल करते हैं, जो ऑडिट के दौरान हमारे सामने आती हैं।

हम एक बयान के साथ शासन के उन आरोपों को भी देखते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए भी जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां यह लागू हों, संबंधित सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. हम, **अनुलग्नक–क** में अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों के ऐसे चेक के आधार पर अपनी रिपोर्ट देते हैं: हमने उपयुक्त और हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार विचार किया है।

2. जैसा कि (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) कंपनी आदेश, 2016 (भारत सरकार द्वारा जारी किया गया) के आदेश के अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में, हम **अनुलग्नक–ख** में दिए गए एक बयान के उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले के अनुसार।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और ऊन्हे प्राप्त किया जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे,

    (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें अब तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों से ही हमारी परीक्षा प्रकट होती है और हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न प्राप्त नहीं की गई है। हमसे,

    (ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से निपटान किया गया है,

    (घ) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो का स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट द्वारा इक्विटी में किए गए परिवर्तन का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ अनुबंधों के रुप में हैं,

    (ड़) हमारी राय में, उपर्युक्त स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनियों के नियम 2015 (भारतीय लेखा मानक) के अनुसार, संशोधित हैं।

    (च) हमें जानकारी दी गई कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो कंपनी के लिए लागू नहीं होते,

    (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक–ग** में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत कंपनी की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

    (ज) कंपनी के ऑडिट नियम – 2015 (ऑडिट एंड ऑडिटर) के अनुसार, हमारी राय में व हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य मामलों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने के संबंध में, हमें:

    i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 3 का संदर्भ लें,

    ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था और जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी,

    iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी,

4. धारा 197 (16) के तहत ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल मामले के संबंध में अधिसूचना के अनुसार सं जी. एस. आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 की सरकारी कंपनियों के अधिनियम की धारा 19 डी के प्रावधानों में छूट दी गई है। आकस्मिक रूप से, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया धन इस धारा के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
FRN: 007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M.No.: 097900
UDIN: 21097900AAAAAP7443
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 अगस्त 2021

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध– 'क'

(हमारी तारीख की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैरा 8 में संदर्भित विवरण)

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक लेखा परीक्षा के ऑडिट के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की जाने वाली दिशाओं के सांकेतिक वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 143 (5) के तहत जारी किया गया:–

क्रम सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, तो इनके साथ–साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है और कंपनी वर्तमान में उसी के लिए 'ईआरपी' पैकेज का उपयोग कर रही है। कार्यान्वित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, सू.प्रौ. प्रणाली से बाहर कोई भी लेखा लेनदेन नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखाओं की सत्यनिष्ठा में कोई बाधा नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को विद्यमान ऋणों में छूट के मामलों / छूट / राइट ऑफ डीबीएस / ऋण / ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है। यदि, ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होंगे।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण के लिए कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/छूटों/छूटों / ऋणों/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या मामलों का पुनर्गठन नहीं होता है। एकल वित्तीय विवरणों को संदर्भ नोट सं. 54 के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बट्टे खाते/प्रावधान किए: **तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लि.** **ऋण/कर्ज/ब्याज** बट्टे खाते में डाला गया — प्रावधान रु.806.79 लाख — रु.15.9 लाख **टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड** **ऋण/कर्ज/ब्याज** बट्टे खाते में डाला गया — प्रावधान रु. 498.07 लाख — रु.849.02 लाख
3.	क्या केंद्रीय / राज्यों की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/या उसे उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को विशिष्ट योजना के लिए केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से कोई फंड नहीं मिला है। इसलिए यह क्लॉज लागू नहीं होता।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
FRN: 007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M.No-: 097900
UDIN: 21097900AAAAAP7443

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध– 'ख'

(हमारी तारीख की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैरा 9 में संदर्भित)

(i) इसकी अचल संपत्तियों के संबंध में:

(क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है,

(ख) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा अचल संपत्तियों का सालाना सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस तरह के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं देखी गई थीं। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है,

(ग) अधिग्रहित भूमि और भवनों की अचल संपत्तियों के संबंध में, जो हमारे द्वारा जांचे गए प्रबंधन और रिकॉर्ड द्वारा दर्ज की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और पंजीकृत बिक्री विलेख /हस्तांतरण विलेख / संप्रेषण विलेख/अदालत की परीक्षा के आधार पर है। हमें प्रदान किए गए आदेश के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि ऐसी अचल संपत्तियों के शीर्षक कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट तिथि के अनुसार आयोजित किए जाते हैं,

(ii) इसकी मालसूचियों के संबंध में, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई सामग्रीगत विसंगतियां नहीं देखी गईं,

(iii) कंपनी, कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई भी ऋण नहीं दिया गया। इसके मद्देनजर, उप खंड (ख) और (ग) आदेश के खंड 3 (iii) लागू नहीं होते,

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के सभी अनिवार्य प्रावधानों का ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में अनुपालन किया गया हैय

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियमों और कंपनियों के नियम 2015 (डिपॉजिट्स की स्वीकृति) के अनुभाग 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधानों को कंपनी के लिए जनता से स्वीकार किए गए जमा के संबंध में लागू नहीं किया गया है।

(vi) हमने कंपनी द्वारा अपने नागरिक निर्माण प्रभाग में से एक के संबंध में अधिनियम की धारा 148 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने इस तरह के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है,

(vii) वैधानिक बकायों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सेवा कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, कस्टम, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और किसी भी अन्य सामग्री वैधानिक देय का शुल्क कंपनी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के साथ आम तौर पर वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा किया गया है। ऐसी कोई बकाया राशि नहीं थी जो 31 मार्च, 2020 तक बकाया हो, उस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वे देय हो गए,

अधिनियम का नाम	बकाए की प्रकृति	राशि (लाख रूपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
स्थानीय बिक्री कर और निर्माण अनुबंध अधिनियम	बिक्री कर की मांग	19.38	2002-03,2003-04, 2005-06 - 2006-07	वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखंड.
स्थानीय बिक्री कर और निर्माण अनुबंध अधिनियम	बिक्री कर की मांग	154.09	2009-10, 2014-15, 2015-16 - 2016-17	वाणिज्यिक कर विभाग, जबलपुर. लखनाडोन और बीकेएस परियोजना
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर की माँग (बीएसएनएल को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ)	5,408.41	2016-17 - 2017-18	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर की मांग	706.53	वर्ष 2000-01, 2005-06 और 2006-07	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर की मांग	949.50	वर्ष 2007-08 to,2010-11 और 2015-16	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आयकर अधिनियम	आयकर की मांग	2,726.24	वर्ष 2013-14,2014-15, 2016-17 और 2017-18.	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम	आयकर की मांग	1020.50	वर्ष 2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)

viii) हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार और डिबेंचर धारकों को बकाया चुकाने में कोई चूक नहीं की है,

(ix) हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं उठाया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया।

(x) हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी ध्यान में नही आई या वर्ष के दौरान ऐसा कुछ रिपोर्ट किया गया हो,

(xi) अधिसूचना के संदर्भ में दी गई छूट के मद्देनजर जी.एस. आर. 453 (ई) दिनांक 5 जून 2015 को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई धारा 197 के प्रावधान में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पढ़ा गया है, जिसके अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं होते,

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और यह जहां भी लागू हो वहां के विवरण का लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों के लिए नोटों में खुलासा किया गया है,

(xiv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैंय

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

FRN: 007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M,N.: 097900
UDIN: 21097900AAAAAP7443

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त 2021

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध– 'ग'

(हमारी तारीख की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 10 (जी) में संदर्भित के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च 2020 तक **टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ('कंपनी')** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन करते हुए नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') के अनुसार, इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन सहित, अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, इसकी सुरक्षा की रक्षा परिसंपत्तियां, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी पर आधारित है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार ऑडिट किया (भारत सरकार के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट') और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक लेखा परिक्षा की है। जहां मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जहां एक भौतिक कमजोरी भी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना भी है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं, तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान किया गया है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्रीगत प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण

सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगाड़ सकता है।

हमारी राय

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। 31 मार्च, 2020, भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय लेखा परीक्षा के दिशा–निर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

FRN: 007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M,N.: 097900
UDIN: 21097900AAAAAP7443

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त 2021

31 मार्च 2021 तक तुलनपत्र

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
I. परिसंपत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	3	2,402.74	2,705.09
(ख) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	4	1,087.81	1,870.08
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	5	2,068.56	2,715.93
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	19,715.91	19,718.67
(ii) व्यापार प्राप्य	7	1,107.60	853.96
(iii) ऋण	8	13,953.06	12,864.79
(iv) अन्य	9	8.14	8.32
(ङ.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	21	4,012.02	3,201.61
(च) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	10	4,479.22	2,225.03
		48,835.06	**46,163.48**
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) माल सूचियां	11	624.21	1,215.27
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	12	204,431.44	174,814.29
(ii) नकदी व नकदी समानक	13	20,827.04	8,409.68
(iii) अन्य बैंक शेष	14	4,483.15	8,289.38
(iv) ऋण	15	5,676.56	5,650.58
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां	16	3,207.72	2,727.18
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	106,399.78	113,866.56
		345,649.90	**314,972.94**
कुल परिसंपत्तियां		**394,484.96**	**361,136.42**
इक्विटी व देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	2A	5,920.00	5,920.00
(ख) अन्य इक्विटी	2B	55,198.79	52,667.79
कुल इक्विटी		**61,118.79**	**58,587.79**
देयताएं			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	-	-

31 मार्च 2021 तक तुलनपत्र (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(ii) व्यापार प्राप्य	19	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,129.46	1,628.52
(ख) प्रावधान	22	4,725.62	3,223.68
		5,855.08	**4,852.20**
(2) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	3,699.83	26,240.40
(ii) व्यापार प्राप्य	24		
क) लघु, सूक्ष्म उद्यमों पर कुल बकाया राशि		247.81	788.60
ख) लघु, सूक्ष्म और अन्य उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों पर कुल बकाया राशि		199,532.66	164,133.83
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	80,783.70	64,154.02
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	26	29,162.36	24,562.74
(ग) प्रावधान	27	14,084.73	17,816.84
		327,511.09	**297,696.43**
कुल इक्विटी व देयताएं		**394,484.96**	**361,136.42**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

नोट 1 से 63 लेखाओं के अभिन्न अंग हैं

यह तुलनपत्र समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
आय			
परिचालनों से आय	28	174,929.29	174,090.35
अन्य	29	1,651.37	1,486.13
कुल आय		**176,580.66**	**175,576.48**
परिचालन व्यय			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	30	2,023.18	3,906.77
स्टाक इन व्यापार की खरीद		16,578.43	21,997.51
स्टाक इन व्यापार में मालसूचियों में परिवर्तन	31	-	-
उप–ठेकेदार व्यय		110,420.05	93,844.97
कर्मचारी लाभ व्यय	32	29,160.03	29,964.22
वित्त लागत	33	871.83	2,340.23
मूल्यह्रास व अमूर्तिकरण व्यय	3,4&5	1,221.46	1,595.77
प्रशासनिक व अन्य व्यय	34	8,528.83	11,628.55
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		219.34	48.51
किए गए प्रावधान		939.42	2,031.68
कुल व्यय		**169,962.57**	**167,358.21**
अपवादजनक मदें व कर पूर्व लाभ		6,618.09	8,218.27
अपवादजनक मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		**6,618.09**	**8,218.27**
कर व्यय	35		
– वर्तमान कर		2,155.20	3,206.87
– आस्थगित कर		(813.69)	568.20
कर व्यय का योग		**1,341.51**	**3,775.07**
अवधि (क) के लिए लाभ		**5,276.58**	**4,443.20**
अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i) **मदें जिन्हें लाभ व हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है**			
विदेशी अंतरण पर होने वाला विनिमय अंतर		158.37	(7,438.04)
आय कर प्रभाव		(39.86)	1,872.01

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
अनुवर्ती अवधियों में लाभ व हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने हेतु निवल अन्य व्यापक आय/हानि		118.51	(5,566.03)
(ii) मदें जो लाभ व हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं होंगी			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/(हानि)		(1,452.34)	(1,177.37)
आय कर प्रभाव		365.52	296.32
तदवर्ती अवधियों में लाभ व हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं होने वाली निवल अन्य व्यापक आय/(हानि)		(1,086.82)	(881.05)
अन्य व्यापक आय/(हानि) निवल कर (i+ii) (ख)		(968.31)	(6,447.08)
निवल कर (क+ख) सहित वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**4,308.27**	**(2,003.88)**
अर्जन प्रति शेयर 10 रु. प्रत्येक (रु. में) :	60		
– मूल		8.91	7.51
– तनुकृत		8.91	7.51

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

नोट 1 से 63 लेखाओं के अभिन्न अंग हैं

यह लाभ व हानि लेखा समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
क	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कराधान पूर्व निवल लाभ	6,618.09	8,218.27
	अपवादजनक मदें	-	-
	कराधान पूर्व निवल लाभ और अपवादजनक मदें	6,618.09	8,218.27
	निम्न हेतु समायोजन :		
	–मूल्यह्रास व अमूर्तिकरण व्यय	1,221.46	1,595.77
	–विदेशी विनिमेय हानि/लाभ	158.37	(7,438.04)
	–परिसंपत्तियों की बिक्री/रद्दी पर हानि/लाभ	(0.15)	3.84
	–ब्याज आय	(874.02)	(1,102.10)
	–लाभांश आय	-	(10.80)
	–ब्याज व्यय	871.83	1,413.72
	–संदिग्ध ऋणों/पेशगियों के लिए प्रावधान	939.42	1,673.54
	–बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	-	4.40
	–निवेश के मूल्य में अवमूल्यन हेतु प्रावधान	-	358.14
	–आस्थगित लाभ योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि	(1,452.34)	(1,177.37)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**7,482.66**	**3,539.37**
	–निम्न हेतु समायोजन :		
	–विविध देनदारों में परिवर्तन	(29,961.19)	(23,316.33)
	–मालसूचियों में परिवर्तन	591.06	251.82
	–व्यापार प्राप्य में परिवर्तन	34,858.04	14,180.76
	–अन्य वर्तमान/गैर वर्तमान देयताओं व प्रावधानों में परिवर्तन	(3,970.20)	30,117.57
	–अन्य वर्तमान/गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	3,578.22	(12,365.00)
	परिचालनों से सृजित नकदी	**12,578.59**	**12,408.19**
	–देय आयकर	(2,310.08)	(2,755.22)
	अपवादजनक मद हेतु नकद प्रवाह	**10,268.51**	**9,652.97**
	अपवादजनक मदें	-	-
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी – (क)	**10,268.51**	**9,652.97**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	–विनिमेय लाभ/हानि सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(257.71)	(1,960.77)
	–उपकरण की बिक्री से आगे	768.39	53.75
	–निवेश में परिवर्तन	2.76	(543.90)
	–अन्य बैंक शेष में परिवर्तन	3,806.23	1,985.99
	–प्राप्त ब्याज	548.58	162.55
	–प्राप्त लाभांश	-	10.80
	निवेश गतिविधियों से (में उपभुक्त) निवल नकदी – (ख)	**4,868.25**	**(291.58)**

31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	–दीर्घकालीन उधारों का पुनर्भुगतान	(154.56)	(378.25)
	–देय ब्याज	(787.57)	(1,260.27)
	–देय लाभांश व लाभांश वितरण कर	(1,777.27)	(2,116.90)
	वित्तीय गतिविधियों (–ग) से (में उपभुक्त) निवल नकदी	**(2,719.40)**	**(3,755.42)**
	नकदी व बैंक शेष में निवल अभिवृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**12,417.36**	**5,605.97**
	अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं बैंक शेष	8,409.68	2,803.71
	अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं बैंक शेष	20,827.04	8,409.68
	नकदी एवं बैंक शेष में निवल कमी/वृद्धि	**12,417.36**	**5,605.97**

नोट :

1. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को भारतीय लेखा परीक्षा मानक–7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।
2. अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों के साथ शेष राशि 0.02 लाख रू. (पिछले वर्ष 0.02 लाख रू.) शामिल है जो विदेशी शाखाओं द्वारा अभिरक्षित है और मुद्रा विनिमय के कारण कंपनी की स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती।
3. गतिविधियों के लिए उधार न लेने और 31 मार्च 2021 तक पूंजी प्रतिबद्धताओं को निपटाने के लिए 27,743.71 लाख रू. की राशि (पिछले वर्ष 10,667.46 लाख रू.)
4. कोष्ठक में दिए गए अंक ऋणात्मक मानों को दर्शाते हैं।
5. जहां भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःनिर्मित/पुनःसमूहित/रद्दोबदल की गई है।

यह नकद प्रवाह समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांकः 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

रिपोर्टिंग अवधि – 1 अप्रैल, 2020 की शुरूआत तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति – 31 मार्च, 2021 तक शेष
5,920.00	-	5,920.00

ख. अन्य इक्विटी

	शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन	यौगिक वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	भंडार व अधिशेष			किसी विदेशी परिचालन में वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमेय अंतर	अन्य व्यापक आय पर अन्य मदें	कुल
			सामान्य भंडार	अन्य भंडार	प्रतिधारण अर्जन			
रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल, 2020 की शुरूआत तक शेष			**63,533.83**	**-**	**-**	**(9,145.01)**	**(1,721.03)**	**52,667.79**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय					5,276.58	118.51	(1,086.82)	4,308.27
घटाइए: वर्तमान वर्ष में देय लाभांश व लाभांश वितरण कर					1,777.27			1,777.27
समाप्ति पर शेष			63,533.83	-	3,499.31	(9,026.50)	(2,807.85)	55,198.79
सामान्य भंडार में अंतरण			3,499.31		(3,499.31)			
रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2021 की समाप्ति तक शेष			**67,033.14**	**-**	**-**	**(9,026.50)**	**(2,807.85)**	**55,198.79**

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1.1 सामान्य

(क) कॉर्पोरेट जानकारी

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) 1978 में भारत में शेयरों द्वारा निगमित और अधिवास द्वारा सीमित एक कंपनी है। टीसीआईएल, एक प्रमुख इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी है जो दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है। भारत सरकार के दूस संचार मंत्रालय के अधीन अनुसूची क के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और एक मिनी रत्न श्रेणी में आती है। कंपनी दुनिया भर के विकासशील देशों में दूरसंचार, सिविल और आईटी के सभी क्षेत्रों में भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी की मुख्य क्षमता स्विचिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, सेल्युलर सर्विसेज, रूरल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैक बोन ट्रांस सिस्टम, आईटी एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई–गवर्नेंस, 3जी / 4जी नेटवर्क और सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में है।

(ख) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

यह नोट इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की एक सूची प्रदान करता है। इन नीतियों को लगातार प्रस्तुत किए गए सभी वर्षों के लिए लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

(ग) तैयारी का आधार

i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में

कंपनी के वित्तीय विवरणों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार किया गया है।

ii) ऐतिहासिक लागत परिपाटी

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित के अलावा एक ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया गया है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विचार जो उचित मूल्य पर मापा जाता है, तथा
- उचित मूल्य पर मापी गई लाभ योजना – योजना परिसंपत्तियाँ।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग

(क) अनुमान और निर्णय का उपयोग

भा.ले.मा. के अनुरूप वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा गैर–आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं।

लेखांकन नीतियों को लागू करने के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी, जो कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, उनमें निम्नलिखित नोट शामिल हैं:

- **वित्त पट्टे का वर्गीकरण**

  अगले वित्तीय वर्ष में सामग्री समायोजन के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में मान्यताओं और अनुमान अनिश्चितताओं के बारे में जानकारी निम्नलिखित में शामिल हैं:

  - व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि।
  - नोट 17 और 22 • प्रावधान।
  - नोट 18 • कर की गणना।

(ख) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंसशीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

किसी संपत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है:

जब सामान्य परिचालन चक्र में महसूस किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो

अथवा, मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया हो

या रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों में ऐसा किए जाने की उम्मीद है, या

नकद या नकद समतुल्य जब तक कि एक्सचेंज किए जाने

से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए एक दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया गया है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक वर्तमान देयता है जबः

इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद हो या यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया गया है

यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के साथ तय होने के कारण या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने के लिए बिना शर्त अधिकृत नहीं है

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–वर्तमान संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रसंस्करण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीनों की अवधि निर्धारित की है।

1.3 आय / व्यय का रिकॉर्ड

राजस्व अभिज्ञापन

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। इस विचार के अनुसार सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर और कर्तव्य शामिल नहीं हैं। कंपनी ने सामान्य तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है।

(क)परामर्श और/या सेवा अनुबंध

सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त राजस्व का प्रदर्शन दायित्व के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो समय संतोषप्रद भी है।

यदि समय के साथ संतुष्ट होने के मामले में, राजस्व को मान्यता दी जाती है, तो प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की गई वास्तविक सेवा के आधार पर यह भौतिक प्रगति, प्रयासों पर विचार करने के बाद इनपुट या आउटपुट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेन–देन की कुल अनुमानित लागत, खर्च किए गए समय, सेवा प्रदर्शन या किसी अन्य विधि का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त लागत का अनुपात जो प्रबंधन विचारकों को उचित लगता है।

अन्य मामलों में जहां प्रदर्शन की बाध्यता समय के साथ संतुष्टी प्रदान नहीं करती राजस्व को उसी समय मान्यता प्राप्त होती है जब परिसंपत्ति का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, आमतौर पर परिसंपत्ति के वितरण पर ही यह मान्यतप्राप्त सिद्ध हो जाता है।

यदि अनुबंधों में कई प्रदर्शन दायित्व शामिल हों, तो लेन–देन की कीमत अकेले बिक्री मूल्य पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित की जाती है। इसलिए एक समय में एक इकाई की बिक्री के मामले में प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट परक होता है, और इसलिए प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व को एक बिंदु पर मान्यता दी जाती है।

(ख)व्यापार आय

व्यापार आय को उस समय बिंदु के आधार पर पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, जो आम तौर पर परिसंपत्ति के वितरण पर होता है।

(ग) टर्नकी परियोजनाएं (लागत से अधिक अनुबंध सहित)

टर्नकी अनुबंधों के तहत, कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है।

टर्नकी अनुबंधों के लिए, लेनदेन मूल्य है जो ग्राहक के साथ अनुबंधित स्तर पर सहमत हो। पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनपुट विधि का उपयोग करते हुए समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है, क्योंकि ग्राहक संपत्ति को नियंत्रित करता है और यह बनाया या बढ़ाया जाता है।

टिप्पणियाँः

i) जहां सामग्री की आपूर्ति और कार्यों के लिए एक अनुबंध एक इकाई नहीं है, सामग्री की आपूर्ति के लिए राजस्व का हिसाब 1.3 (ख) के तहत व्यापारिक आय के रूप में लगाया जाता है, जबकि कार्यों का उपरोक्त के अनुसार 1.3 (ग) के तहत टर्नकी परियोजना के अनुसार हिसाब किया जाता है।

ii) सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध

के मामले में, सामग्री की आपूर्ति से आय 1.3 (ख) के तहत ली जाती है, जबकि सेवाओं के लिए सेवा अनुबंध के तहत 1.3 (क) के तहत लिया जाता है।

(घ) निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं:

i) कंपनी द्वारा की गई बीओटी परियोजनाओं के संबंध में प्रदान की गई निर्माण सेवाओं के लिए राजस्व से संबंधित निर्माण को पूर्णता विधि का उपयोग करके निर्माण की अवधि के दौरान मान्यता प्रदान की गई है।

ii) सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं से ऐसी परियोजनाओं के टोल संग्रह के लिए राजस्व से राहत जब राशि देय हो तो वसूली निश्चित है।

iii) जिस तरह से साइड सुविधाओं अथवा अतिरिक्त सुविधाओं के लिए लाइसेंस फीस का हिसाब किया जाता है।

1.4 वारंटी / रखरखाव अवधि के लिए प्रावधान

(क) अनुबंध के पूरा होने पर या जब वारंटी अवधि 1.3 (ग) के तहत कवर की गई परियोजनाओं के लिए अनुबंध के संदर्भ में शुरू होती है, तो अनुमानित अवधि के अनुसार वारंटी अवधि ६ रखरखाव खर्च के लिए प्रावधान किया जाता है। पूर्व के वर्षों में बनाए गए अतिरिक्त प्रावधान को वारंटी अवधि पूरी होने के बाद 'अन्य परिचालन आय' के माध्यम से वापस लिखा गया है।

(ख) 1.3 (ख) के तहत कवर की गई आपूर्ति पर, अनुमानित अवधि के अनुसार वारंटी अवधि / रखरखाव खर्च के लिए प्रावधान किया गया है। पूर्व के वर्षों में बनाया गया अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो, तो वारंटी अवधि पूरी होने के बाद 'अन्य परिचालन आय' के माध्यम से वापस लिखा जाता है।

1.5 पट्टों की स्वीकृति

पट्टे

कंपनी अनुबंध की स्थापना पर आकलन करती है कि क्या अनुबंध है, या इसमें पट्टा है। अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग की अवधि को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने संक्रमण प्रभाव दृष्टिकोण को पहचानने के लिए संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2019 (संक्रमण तिथि) के रूप में इंडस 116 को 'पट्टों' के रूप में अपनाया है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियां बनाने के लिए लीज देनदारियों को मान्यता देती है।

उपयोग की संपत्ति

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख में उपयोग की गई परिसंपत्तियों को पहचानती है (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है)। उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनरू माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की सही संपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान शामिल हैं, जो किसी भी पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन से कम नहीं हैं। पट्टे की अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान शुरू होने की तारीख से सीधे–उपयोग के आधार पर संपत्ति का सीधा–सीधा मूल्य घटाया जाता है।

यदि लीज अवधि या लागत के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है, तो खरीद विकल्प के अभ्यास को दर्शाता है, मूल्यह्रास की गणना संपत्ति का अनुमानित उपयोग करके की जाती है।

पट्टा देयताएं

लीज की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज अवधि के दौरान किए जाने वाले भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई देनदारियों की पहचान करती है। पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान (पदार्थ सार सहित निर्धारित भुगतान सहित) किसी भी लीज प्रोत्साहन प्राप्य, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल हैं जो एक इंडेक्स या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों की उम्मीद को बढ़ाते हैं। पट्टे के भुगतान में कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प का व्यायाम मूल्य भी शामिल होता है और पट्टे को समाप्त करने के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टा शब्द कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाता है तो विभिन्न लीज भुगतानों को जो किसी इंडेक्स या रेट पर निर्भर नहीं होते उन्हें खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है (जब तक कि वे इन्वेंट्री का उत्पादन करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जब उस अवधि के दौरान जिस स्थिति में भुगतान होता है।

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी लीज की प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से

निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ की तारीख के बाद, लीज देयताओं की राशि ब्याज की अभिवृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ जाती है और किए गए लीज भुगतान के लिए कम हो जाती है। इसके अलावा, लीज की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, तो लीज टर्म में बदलाव, लीज पेमेंट में बदलाव (उदाहरण के लिए, एक इंडेक्स या रेट में बदलाव के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में बदलाव होता है। इस तरह के पट्टे भुगतान का निर्धारण करें) या अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने के लिए एक विकल्प के मूल्यांकन में बदलाव होता है।

लीज देनदारियों और उपयोग में आने वाली संपत्तियों को नोट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई) और नोट ऑफ नॉन करेंटिव फाइनेंशियल लिबिलिटीज – बोरिंग्स और नोट ऑफ करंट फाइनेंशियल देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लीज भुगतान को वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली नकदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अल्पकालिक संपत्ति के पट्टें और अल्पकालिक पट्टे कंपनी ने सभी परिसंपत्तियों के शॉर्ट टर्म पट्टों के लिए राइट–ऑफ–यूज एसेट्स और लीज देनदारियों की पहचान नहीं करने का फैसला किया है, जिनकी लीज अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम–मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में पहचानती है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे, जिसके लिए कंपनी को एक वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब की पट्टे की शर्तों पर पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के रुप में मान्यता दी जाती है।

1.6 स्टोर, स्पेयर, स्टॉक–इन–ट्रेक और कार्यक्रम में काम करना

इन्वेंटरीः –स्टोर्स, स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस

(क) अनइंस्टॉल किए गए स्टोर और पुर्जों सहित स्टोर और पुर्जों की कीमत निर्धारित की जाती है। लागत जो कि औसत आधार पर निश्चित है।

(ख) स्टॉक–इन–ट्रेड का मूल्य कम करने योग्य मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है।

(ग) खरीद के वर्ष में ढीले उपकरण चार्ज किए जाते हैं।

(घ) विदेश में उस परियोजना के पूरा होने पर जब उस देश में किसी नई परियोजना का अनुमान नहीं होता और वारंटी अवधि के दौरान भी परिसंपत्तियों/दुकानों की आवश्यकता नहीं होती तो परिसंपत्तियों/स्टोर्स को त्याग दिया जाता है और एक इकाई से संबंधित के रूप में निपटान करके परिमार्जित और मूल्यवान घोषित किया जाता है।

(ड़) ऐसे अनुबंधों के लिए प्रगति से कार्य करना चाहिए जिनके लिए लेखांकन नीति के अनुसार राजस्व मान्यता मूल्य और अधिक लाभकारी हों।

1.7 विदेशी मुद्राओं का अंतरण

विदेशी मुद्राएं

प्रत्येक विदेशी परिचालन के वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) का उपयोग करके मापा जाता है जिससे इकाई संचालित होती है ।

लेन–देन और शेष

विदेशी मुद्रा में लेन–देन शुरू में गैर–जिम्मेदार कार्यात्मक मुद्रा दरों पर दर्ज किया जाता है, जिस तिथि पर लेनदेन पहले मान्यता के लिए योग्य होता है।

मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है, रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय के कार्यात्मक मुद्रा स्थान दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान या अंतरण पर होने वाले विनिमय अंतर को निम्नलिखित अपवाद के साथ लाभ या हानि के रूप में अभिज्ञापित किया जाता है:

- मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर निम्नलिखित के अपवाद के साथ लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं जैसे विदेशी स्टेटमेंट (ब्रांच / साइटऑफिस) और रिपोर्टिंग इकाई को शामिल करने वाले वित्तीय वक्तव्यों में उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, ऐसे विनिमय अंतरों को प्रारंभ से ही ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन विनिमय अंतरों को इक्विटी से लाभ या हानि के लिए शुद्ध निवेश के निपटान पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

- मौद्रिक वस्तुओं पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जिन्हें विदेशी निवेश करने वालों के बचाव के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ये ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं जब तक कि शुद्ध निवेश का निपटान नहीं किया जाता है, उस समय तक संचयी राशि को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

- उन मौद्रिक वस्तुओं पर मतभेदों का आदान–प्रदान करने के लिए कर प्रभार और ऋण साख भी ओसीआई में दर्ज किए जाते हैं।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेन–देन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके अनुवाद किया जाता है और गैर–मौद्रिक आइटम जो एक विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, मापे जाने पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुदित किया जाता है।

प्रस्तुति मुद्रा में अंतरण

एक इकाई के परिणाम और वित्तीय स्थिति जिसकी कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है, को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक प्रस्तुति मुद्रा में अंतरित किया जा सकता है

(क) प्रस्तुत की गई प्रत्येक बैलेंस शीट के लिए सेट और देनदारियों के रूप में (यानी तुलनात्मक विवरण सहित) उस बैलेंस शीट की तारीख में समापन दर पर अनुवाद किया जाएगाय

(ख) प्रस्तुत किए गए लाभ और हानि के प्रत्येक विवरण के लिए आय और व्यय (तुलनात्मक सहित) लेनदेन की तारीखों में विनिमय दरों पर अनुवादित किए जाएंगे और

ग) सभी परिणाम के विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी।

- उपरोक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट विनिमय अंतर (सी) से परिणामः और लेनदेन की तारीखों और विनिमय दरों पर आय और व्यय का अनुवाद करना।
- शुरुआती नेट संपत्तियों को समापन दर पर अनुदित करना जो पिछली समापन दर से अलग है।

इन विनिमय अंतरों को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि विनिमय दरों में परिवर्तन का वर्तमान पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता और भविष्य में परिचालन से नकदी प्रवाह होता है। विनिमय मतभेदों की संचयी राशि को विदेशी परिचालन के निपटान तक इक्विटी के एक अलग घटक में प्रस्तुत किया जाता है।

एक विदेशी ऑपरेशन के निपटान पर, उस विदेशी ऑपरेशन से संबंधित विनिमय मतभेदों की संचयी राशि, अन्य व्यापक आय में मान्यता और इक्विटी के अलग–अलग घटक में जमा होती है, इक्विटी से लाभ या हानि (जैसे वर्गीकरण समायोजन) से पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा। जब निपटान पर लाभ हानि को मान्यता दी जाती है।

1.8 उधार लेने की लागत

उधारी

उधार को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त लेन–देन लागत का उधार और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। आय के बीच कोई अंतर (लेन देन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.9 निवेश

निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराये की पैदावार के लिए या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए समायोजित की जाती है, और जिस पर कंपनी द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है, उसको निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित संपत्ति की लागत और जहां लागू उधार लागत भी शामिल है, शुरू में निवेश की संपत्ति को इसकी लागत पर मापा जाता है। इसके बाद के खर्च को परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संभावना होती है कि भविष्य में व्यय से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे तो वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत व्यय होने पर खर्च की जाती है।

निवेश (भारत ले.मा. 101 और 27)

भारत में या भारत के बाहर सहायक, संयुक्त उपक्रम और सहयोगियों में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी लागत वहन की जाती है। मूल्य में गिरावट हो सकती है, अगर कंपनी वार्षिक परीक्षण के दौरान हानि का सामना करती हैय फिर निवेश को कम मूल्य पर दिखाया जाता है। ऐसे मामले में जहां निवेश स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत किया जाता है और पिछले 12 महीनों के लिए लागत मूल्य से कम पर उद्धृत किया जा रहा है, ऐसे मामलों में, इसकी लागत को स्थायी गिरावट और कम मूल्य के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रदर्शन में सुधार करने पर, इन निवेशों की लागत तक का मूल्यांकन किया जाता है।

निर्विवाद निवेश के मामलों में, अगर छत्तीस महीने तक कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट होती है, तो निवेश को कम मूल्य पर दिखाया जाता है। यदि कंपनी ने एक ऐसे उपक्रम में निवेश किया है जिसमें लंबी अवधि की अवधि के साथ परिचालन परियोजना है, तो प्रारंभिक अवधि के दौरान कोई हानि नहीं होती, जिसमें कंपनी को नुकसान होने की आशंका है, जब तक कि पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती है, अनुमोदित व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार । ऐसी शुरुआती अवधि के बाद, इस तरह की कंपनी में निवेश के मूल्य में कमी के आधार पर हानि को मान्यता दी जाती है। हालाँकि, यदि सममूल्य पर निवेश

की प्राप्ति के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ समझौता किया जाता है, तो निवेश को बराबर मूल्य पर दिखाया जाना जारी रहेगा। प्रदर्शन में सुधार पर, इन निवेशों को लागत तक माना जाता है।

1.10 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन – बीओटी परियोजनाएं

मूर्त संपत्ति

(क) सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के अनुसार मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है।

अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित अनंत के रूप में किया जाता है या परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उपयोगी आर्थिक जीवन में परिशोधित किया जाता है और हर साल जब भी कोई संकेत या अमूर्त संपत्ति खराब हो जाती है तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन अवधि और विधि की समीक्षा की जाती है।

(ख) संग्रह के अधिकार

कंपनी द्वारा की गई बीओटी परियोजनाओं के संबंध में रियायत अवधि प्रदान करने वाली निर्माण सेवाओं के लिए प्राप्त किया जाने वाले टोल संग्रह के अधिकार रियायत अवधि के दौरान टोल राजस्व एकत्र करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। टोल संग्रह के अधिकारों को परियोजना के पूरा होने पर संचयी निर्माण लागतों पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें लेखांकन नीति 1.3 में दिए गए मार्जिन भी शामिल हैं (घ) नकारात्मक अनुदानों के लिए देय दायित्व, यदि कोई हो, तो परियोजना के पूरा होने तक, इसे पूंजी कार्य–प्रगति के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। प्रशासनिक और अन्य उदार खर्च जो अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, अमूर्त संपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में आवंटित किए जाते हैं।

अमूर्तिकरण

- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 साल की अवधि में एस एल एम पद्धति के अनुसार संशोधित किया जाता है
- टोल संग्रह अधिकार (अमूर्त संपत्ति) रियायती अवधि / वर्ष के लिए वास्तविक राजस्व के अनुपात में अनुमानित समझौते पर अमूर्त किए जाते हैं जो अमूर्त संपत्ति से कुल अनुमानित राजस्व के रूप में परियोजना के लिए प्रदान किया जाता है और बाद के वर्षों में कुल रियायती अवधि के लिए संशोधित अनुमानित कुल राजस्व के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संशोधित किया गया है।

1.11 अनुबंध पूरा करना

टर्नकी नौकरियों पर राजस्व लेखांकन नीति 1.3 (सी) के अनुसार मान्यता प्राप्त है। अनुबंध के अंतिम कार्य पूरा होने और रखरखाव / वारंटी अवधि शुरू होने पर अनुबंध को पूरा माना जाता है।

1.12 भारत और विदेशों में फिक्स्ड परिसंपत्तियों में परिवर्तन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अधिग्रहण या निर्माण की लागत से कम संचित मूल्यह्रास पर लिखे गए हैं और यदि कोई है तो हानि के लिए लिखें। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधी संबंधित लागत को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियों का उपयोग करने के लिए बकाया नहीं रह जाता। संपत्ति, संयंत्र और विदेशी मुद्रा में खरीदे गए उपकरण खरीद की तारीख पर विनिमय दर के आधार पर लागत पर दर्ज किए जाते हैं।

कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के प्रत्येक घटक/हिस्से की लागत की पहचान और निर्धारण करती है अगर घटक/भाग की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कुल जीवन की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता के कारण होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। बैलेंसशीट तिथि में उपयोग के लिए तैयार परिसंपत्तियों की लागत का खुलासा पूंजीगत कार्य–प्रगति के तहत किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उचित हो, तो उन्हें समायोजित किया जाता है। (भारतीय लेखा मानक 16 के रूप में)

स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास

- लीज की अवधि में लीजहोल्ड भूमि परिशोधन की जाती है।
- लीज की अवधि में लीजहोल्ड भवनों का मूल्यह्रास किया जाता है। यदि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पट्टे की अवधि से कम है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जाएगा।

- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर अन्य अचल संपत्तियों पर छूट प्रदान की जाती है।
- कम से कम ₹ 5000/– रुपए के मूल्य की पूंजीगत वस्तुएँ अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाती हैं।

1.13 पूंजी सब्सिडी / अनुदान

अनुदान

- सरकार से प्राप्त अनुदान को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी आवंटित शर्तों का अनुपालन करेगी।
- आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान लाभ या हानि में स्थगित और मान्यता प्रदान है जिन्हें वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय में प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान को गैर–वर्तमान देनदारियों में आस्थगित आय के रूप में शामिल किया गया है और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के आधार पर सीधे–सीधे लाभ या हानि का श्रेय दिया जाता है।

1.14 कराधान

कर

अस्थायी अंतरों के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन और कर नुकसान से निपटने के लिए समायोजित रुप से प्रत्येक क्षेत्र के लिए लागू आयकर दर के आधार पर वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय पीरियड की अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट और वर्तमान आयकर प्रभार की गणना की जाती है, उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बनाए गए या निश्चित रूप से लागू किए गए कर कानूनों के आधार पर भी गणना की जाती है जहां कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और सहयोगी, कर योग्य आय का संचालन और उत्पादन करते हैं। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन होते है। यह उन प्रावधानों को स्थापित करता है जहां कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि के आधार पर उपयुक्त हों।

संपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरण में उनकी ली जाने वाली राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी मतभेदों पर देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर कर, दरों (और कानूनों) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं और जब संबंधित आस्थगित आयकर संपत्ति का हिस्सा होता है या स्थगित आयकर कर देयता का निपटान किया जाता है, तो इसे लागू करने की उम्मीद की जाती है।

आस्थगित कर आस्तियों को सभी घटाए गए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर नुकसानों के लिए पहचाना जाता है, यदि यह संभव है कि उन अस्थायी मतभेदों और नुकसानों का उपयोग करने के लिए भविष्य में कर योग्य राशि उपलब्ध होगी।

स्थगित कर देनदारियों को निवेश की राशि और कर के आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, इन सबिडियरीज, शाखाओं और सहयोगियों और ब्याज संयुक्त व्यवस्था जहां कंपनी अस्थायी मतभेदों के उलटने के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि मतभेद निकट भविष्य के लिए वापसी नहीं करेगा।

सहायकों, शाखाओं और सहयोगियों की निवेश की कर राशि और कर आधारों और संयुक्त व्यवस्था में ब्याज के बीच अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, जहां यह संभावना नहीं है कि अंतर भविष्य में वापस उभरेंगे और कर योग्य लाभ उपलब्ध नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

स्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को तब सेट किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बंद करने के लिए कथित रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब स्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियां और कर देयताएं ऑफसेट हैं जहां इकाई को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और या तो एक एटबैसिस पर बसने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति का एहसास करने और एक साथ देयता का निपटान करने के लिए।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है, इस हद तक कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे असमानता में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त होती है।

1.15 एजेंसी के लेनदेन

(i) बिल की प्राप्ति/अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर एजेंसी/प्रायोजन शुल्क का भुगतान किया जाता है। यह हिसाब के आधार पर है।

(ii) कुछ देशों में परियोजनाओं के संबंध में, एजेंटों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से व्यापार का लेन–देन किया जाता है। ऐसे एजेंटों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के नाम पर संपत्ति और देनदारियों को प्राकृतिक खातों के तहत कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी परियोजना के निष्पादन और लाभ/हानि के लिए प्रमुख और जिम्मेदार है और एजेंट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से लेनदेन का मार्ग इन देशों में कानून और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार है।

1.16 परिनिर्धारित नुकसान / दावे

ग्राहक या कंपनी द्वारा काटे गए तरल नुकसान /दावों को प्रवेश आधार पर माना जाता है और विविध खर्चों / आय में हिसाब लगाया जाता है।

1.17 सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ

अल्पकालिक दायित्व

वेतन और वेतन के लिए देयताएं, गैर–मौद्रिक लाभों सहित, जो 12 महीने की अवधि के बाद पूरी तरह से तय होने की उम्मीद है और जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं। कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों का निपटान होने पर अपेक्षित अवधि की रिपोर्टिंग अवधि में मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंसशीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसके दौरान की अर्जित अवकाश और बीमारी की छुट्टी के लिए देयताएं 12 महीने की पूर्ण अवधि के साथ पूरी तरह से तय नहीं हैं, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य को मापने के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन लिया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। अनुभव, समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनरू मापन लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

दायित्वों को बैलेंसशीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं होता चाहे वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

रोजगार के बाद के दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

क) परिभाषित लाभ योजना जैसे कि ग्रेच्युटी, रोजगार के बाद की चिकित्सा योजनाय तथा

ख) भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजनाएं।

उपदान: 'टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट' के साथ जुड़े कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान किया जाता है जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा पॉलिसी ली है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त नीति को लागू रखने के लिए भुगतान / देय राशि का लाभ और हानि, खाते से किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए, कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता प्रदान करती है।

सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागतों को उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके रोजगार की अवधि में अर्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और नुकसान उस अवधि में अन्य व्यापक आय में आरोपित या जोड़े जाते हैं, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1.18 देयताएं / आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तथ्यों और मामले के कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

1.19 पूर्व प्रदत्त खर्चे

25000/– तक के पूर्व प्रदत्त खर्चों को चालू वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है और खाते के प्राकृतिक प्रमुखों को प्रभारित किया जाता है।

1.20 विविध

i अतिदेय प्राप्तियों पर ब्याज के लिए दावों पर विचार किया जाता है

ii एक्सपोर्ट इंसेंटिव और बीमा दावों के दावे एडमिट होने पर कार्यान्वित किए जाते हैं।

iii बीओटी टोल रोड परियोजना के मामले में, ओवरले पर किए गए खर्च का उसी वित्तीय वर्ष में शुल्क लिया

जाएगा।

1.21 हानि

1) वित्तीय संपत्ति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह ठीक है। इंडस्ट्रीज 109 को वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिमों पर हानि की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल की आवश्यकता होती है।

कंपनी हानि की मान्यता के लिए श्सरलीकृत दृष्टिकोणश का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मानता है।

2) गैर–वित्तीय संपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि आंतरिक ध् बाहरी कारकों के आधार पर कोई सांकेतिक संपत्ति हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि, जिसकी संपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन की गई राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और कमी को हानि के रूप में माना जाता है और मान्यता प्राप्त है। लाभ और हानि के लिए यदि, पोर्टिंग की तारीख पर एक संकेत हो कि पहले से मूल्यांकन की गई हानि का कोई अस्तित्व नहीं है, तो पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि फिर से प्राप्त की जाती है और संपत्ति वसूली योग्य राशि पर परिलक्षित होती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि तदनुसार लाभ और हानि के बयान में उलट हो जाती है।

1.22 वित्तीय उपकरण

एक वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

प्रारंभिक अभिज्ञापन और मापः – सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य और लेन–देन लागत पर पहचाना जाता है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होता है, भी समायोजित किया जाता है।

अनुवर्ती मापनः –

1) **अमूर्तिकृत लागत पर वित्तीय साधन** – यदि दोनों निम्न स्थितियाँ मिलें तो वित्तीय लागत को परिमित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तारीखों को जन्म देती हैं, जो मूल रूप से बकाया मूलधन और ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान करती हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

2) **लाभ या हानि (एफ वी टी पी एल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) पर स्थापित होती है**

एक वित्तीय परिसंपत्ति वर्गीकृत एफवीटीपीएल है यदि इसे व्यापार के लिए वर्गीकृत किया गया है या प्रारंभिक मान्यता के आधार पर इस तरह के रूप में नामित किया गया है। अन्य मामलों में, कंपनी प्रारंभिक मान्यता के आधार पर प्रत्येक वित्तीय साधन को एफ वी ओ सी आई या एफवीटीपी एल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है।

वित्तीय परिसंपत्ति

- **वित्तीय संपत्ति का परिपक्वता से उपयोग**

  यदि कंपनी के सकारात्मक इरादे हैं और परिपक्वता के लिए ऋण की प्रतिभूतियों को रखने की क्षमता है, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिपक्वता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हेल्ड–टू–मेच्योरिटी फाइनेंशियल एसेट्स को शुरू में उचित मूल्य के साथ–साथ किसी भी सीधे–सीधे लेन–देन की लागत से पहचाना जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, आयोजित परिपक्वता वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि के नुकसान का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

- **ऋण और प्राप्य**

  ऋण और प्राप्य फिक्स्ड या निर्धारित भुगतान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें एक सक्रिय बाजार में उद्धृत नहीं किया जाता है। इस तरह की परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य और किसी भी सीधे लेनदेन की लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ऋण और प्राप्तियां प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि के नुकसान का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापे जाते हैं। ऋण और प्राप्ति में नकद और नकद समतुल्य, और व्यापार और अन्य प्राप्य शामिल होते हैं।

- **नकदी और नकदी समानक**

नकदी और नकदी समानक में नकद शेष राशि (कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस) शामिल होती है और अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता के साथ कॉल डिपॉजिट जो उनके उचित मूल्य में परिवर्तन के महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होते हैं, और कंपनी द्वारा अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं।

- **उपलब्ध वित्तीय बिक्री के लिए**

उपलब्ध–बिक्री के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों का किसी भी उपरोक्त श्रेणी में वर्गीकृत नहीं हैं। उपलब्ध बिक्री के लिए वित्तीय संपत्ति शुरू में उचित मूल्य से अधिक किसी भी सीधे लेनदेन योग्य लागत पर पहचानी जाती है।

- **व्यापार प्राप्य**

व्यापार प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में हानि के लिए कम प्रावधानों के चलते प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी शुरू में जारी किए गई सिक्योरिटीज और अधीनस्थ देनदारियों को पहचानती है, जो वे उत्पन्न हुई हैं। अन्य सभी वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों सहित) को व्यापार तिथि पर शुरू में मान्यता दी जाती है, जो कि निर्धारित तिथि से कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

कंपनी एक वित्तीय दायित्व को तब पहचानती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है।

कंपनी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को अन्य वित्तीय देनदारियों की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। इस तरह की वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर किसी भी सीधे लेनदेन योग्य लागत से पहचाना जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

अन्य वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट और व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं।

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 2 क : इक्विटी शेयर पूंजी

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

क. प्राधिकृत, निर्गमित, सदस्यताप्राप्त और प्रदत्त शेयर पूंजीः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत शेयर पूंजी				
10/– रु. प्रत्येक इक्विटी शेयर	160,000,000	16,000	160,000,000	16,000
जारी, सब्सक्राइब व भुगतान किया गया इक्विटी शेयर पूंजी				
पूर्णतः भुगतान किया गया 10/– रु. प्रत्येक इक्विटी शेयर	59,200,000	5,920	59,200,000	5,920
कुल	**59,200,000**	**5,920**	**59,200,000**	**5,920**

ख) शेयरों की संख्या का समायोजनः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
खुला शेष	59,200,000	5,920	59,200,000	5,920
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
समापन शेष	**59,200,000**	**5,920**	**59,200,000**	**5,920**

ग) शेयरधारकों का कंपनी की 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
इक्विटी शेयर		
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति द्वारा धारित (सं.)	59,200,000	59,200,000
स्वामित्व (%)	100	100

नोट :

i) भारत के राष्ट्रपति के नामितियों के रूप में भारत सरकार के आठ अधिकारियों के पास 10 रु. प्रत्येक के 28,000 शेयर हैं.

ii) तुलनपत्र की तिथि से अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी ने :

  i) बोनस शेयरों के तौर पर पूर्ण प्रदत्त शेयर आवंटित नहीं किए

  ii) शेयरों की कोई श्रेणी वापिस नहीं ली.

iii) प्रत्येक इक्विटी में वोट का अधिकार है और कंपनी ने शेयरों की एक ही श्रेणी यानि इक्विटी शेयर ही निर्गमित किए हैं.

iv) सदस्यों का वोटः प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या इक्विटी शेयर के धारक के रूप में एक वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति या तो सामान्य प्रॉक्सी या वोट धारक की ओर से एक वोट देगा.

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 2खः अन्य इक्विटी

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
i)	**सामान्य भंडार**		
	खुला शेष	63,533.83	61,207.53
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	3,499.31	2,326.30
	समापन भंडार	**67,033.14**	**63,533.83**
ii)	**लाभ व हानि विवरण में अतिशेष**		
	खुला शेष		
	अवधि के लिए लाभ	5,276.58	4,443.20
	घटाइएः		
	देय लाभांश	1,777.27	1,755.96
	देय लाभांश कर वितरण	-	360.94
	सामान्य भंडार में अंतरण	3,499.31	2,326.30
	समापन शेष	-	-
iii)	**इक्विटी के अन्य घटक**		
	विदेशी परिचालनों के अंतरण पर विनिमेय अंतर (निवल कर)	(9,026.50)	(9,145.01)
	आस्थगित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानियां (निवल कर)	(2,807.85)	(1,721.03)
	उप योग (iii)	**(11,834.35)**	**(10,866.04)**
	कुल (i+ii+iii)	**55,198.79**	**52,667.79**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 3 : संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

3क – मूर्त परिसंपत्तियां (अंतरदेशीय)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास					निवल खंड	
	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अस्थायी संरचना	48.27	-		-	48.27	48.27	-		-	48.27	-	-
भूमि	34.37	-		-	34.37	-	-		-	-	34.37	34.37
भवन–आवासीय	66.47	-	-	-	66.47	40.74	0.99		-	41.73	24.74	25.73
फर्नीचर व जुड़नाव	685.08	3.25	-	(5.42)	682.91	645.63	6.55		(4.91)	647.27	35.64	39.45
कार्यालयी संयंत्र व उपकरण	216.75	0.60	-	(2.14)	215.21	206.32	4.90		(2.02)	209.20	6.01	10.43
विद्युत उपकरण	378.23	68.42	-	(6.41)	440.24	324.01	24.11		(3.90)	344.22	96.02	54.22
वाहन	158.08	-	-	(11.27)	146.81	109.23	9.45		(11.27)	107.41	39.40	48.85
संयंत्र व मशीनरी	710.33	14.49	-	(9.04)	715.78	521.18	25.66		(1.07)	545.77	170.01	189.15
कंप्यूटर	1,123.78	28.12	-	(233.63)	918.27	1,030.77	37.04		(233.38)	834.43	83.84	93.01
प्रशिक्षण उपकरण	229.03	0.49	-	(0.22)	229.30	204.91	4.00		(0.22)	208.69	20.61	24.12
कुल	**3,650.39**	**115.37**	-	**(268.13)**	**3,497.63**	**3,131.06**	**112.70**	-	**(256.77)**	**2,986.99**	**510.64**	**519.33**
विगत वर्ष	3,645.69	98.35	-	(93.65)	3,650.39	3,040.62	151.42	-	(60.98)	3,131.06	519.33	605.07

3ख – मूर्त्त परिसंपत्तियां (विदेशी)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड						मूल्यह्रास						निवल खंड	
	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	एक्स. लाभ/ हानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल, 2019 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	एक्स. लाभ/ हानि	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अस्थायी संरचना	27.84	-	-	-	(0.71)	27.13	27.84	-	-	-	(0.71)	27.13	-	-
फर्नीचर व जुड़नाव	99.79	0.09	-	(1.07)	(2.47)	96.34	75.61	3.32	-	(1.03)	(1.91)	75.99	20.35	24.18
कार्यालय संयंत्र व मशीनरी	87.10	9.29	-	(10.30)	(2.08)	84.01	79.18	4.25	-	(10.11)	(1.89)	71.43	12.58	7.92
विद्युत उपकरण	154.78	3.83	-	(2.85)	(3.76)	152.00	106.54	8.40	-	(2.53)	(2.67)	109.74	42.26	48.24
वाहन	2,640.66	63.58	-	(67.83)	(54.78)	2,581.63	1,721.66	187.45	-	(61.40)	(37.96)	1,809.75	771.88	919.00
संयंत्र व मशीनरी	2,756.30	47.81	-	(92.09)	(62.90)	2,649.12	1,599.48	145.46	-	(84.82)	(40.11)	1,620.01	1,029.11	1,156.82
कंप्यूटर	165.94	5.95	-	(11.14)	(4.50)	156.25	136.34	15.41	-	(8.02)	(3.40)	140.33	15.92	29.60
कुल	**5,932.41**	**130.55**	-	**(185.28)**	**(131.20)**	**5,746.48**	**3,746.65**	**364.29**	-	**(167.91)**	**(88.65)**	**3,854.38**	**1,892.10**	**2,185.76**
विगत वर्ष	5,368.88	532.07	-	(402.32)	433.78	5,932.41	3,445.19	381.87	-	(377.40)	296.99	3,746.65	2,185.76	1,923.69
महा योग (3क+3ख)	**9,582.80**	**245.92**	-	**(453.41)**	**(131.20)**	**9,244.11**	**6,877.71**	**476.99**	-	**(424.68)**	**(88.65)**	**6,841.37**	**2,402.74**	**2,705.09**
विगत वर्ष महा योग (3क+3ख)	9,014.57	630.42	-	(495.97)	433.78	9,582.80	6,485.81	533.29	-	(438.38)	296.99	6,877.71	2,705.09	2,528.76

नोट: 1. कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 4 : उपयोग का अधिकार – परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड						मूल्यह्रास						निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्वि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	विनिमेय लाभ/हानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	विनिमेय लाभ/हानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक
(अंतरदेशीय)														
भूमि – कार्यालय	605.16	-	-	-	-	605.16	134.99	6.11	-	-	-	141.10	464.06	470.17
भवन – कार्यालय	723.88	-	-	(63.04)	-	660.84	182.89	13.36	-	(1.09)	-	195.16	465.68	540.99
भवन – परियोजना	166.90	54.25	-	(5.06)	-	216.09	36.54	48.50	-	(5.06)	-	79.98	136.11	130.36
कुल अंतरदेशीय	**1,495.94**	**54.25**	**-**	**(68.10)**	**-**	**1,482.09**	**354.42**	**67.97**	**-**	**(6.15)**	**-**	**416.24**	**1,065.85**	**1,141.52**
विगत वर्ष (अंतरदेशीय)	1,266.00	229.94	-	-	-	1,495.94	298.85	55.57	-	-	-	354.42	1,141.52	967.15
विदेशी										-				
भवन – परियोजना	975.66	-	-	(881.08)	(18.35)	76.23	247.10	29.04	-	(216.13)	(5.74)	54.27	21.96	728.56
विगत वर्ष (विदेशी)	-	975.66	-	-	-	975.66	-	234.88	-	-	12.22	247.10	728.56	-
कुल (अंतरदेशीय+ विदेशी)	**2,471.60**	**54.25**	**-**	**(949.18)**	**(18.35)**	**1,558.32**	**601.52**	**97.01**	**-**	**(222.28)**	**(5.74)**	**470.51**	**1,087.81**	**1,870.08**
विगत वर्ष (अंतरदेशीय विदेशी)	**1,266.00**	**1,205.60**	**-**	**-**	**-**	**2,471.60**	**298.85**	**290.45**	**-**	**-**	**12.22**	**601.52**	**1,870.08**	**967.15**

नोटः 1. कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं

नोट 2

क. भूमि–कार्यालय उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जिसके तहत वीएसएनएल से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया और पट्टा अवधि पर इसका मूल्यह्रास हुआ है।

ख. भवन–कार्यालय उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जिसके तहत वीएसएनएल से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया और इसका मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम में परिभाषित उपयोगी जीवन के आधार पर हुआ है।

ग. भवन–परियोजनाएं (अंतरदेशीय व विदेशी) औप पट्टा अवधि पर इसका मूल्यह्रास हुआ है।

नोट 5: अमूर्त्त परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास					निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्वि/समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/समाया.`जन	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/समाया.`जन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
कर संग्रह अधिकार (13 वर्ष 6 माह)	7,683.91	-	-	-	7,683.91	4,968.73	646.77	-	-	5,615.50	2,068.41	2,715.18
कंप्युटर सॉफ्टवेयर	398.59	0.09	-	-	398.68	397.84	0.69	-	-	398.53	0.15	0.75
कुल	**8,082.50**	**0.09**	**-**	**-**	**8,082.59**	**5,366.57**	**647.46**	**-**	**-**	**6,014.03**	**2,068.56**	**2,715.93**
विगत वर्ष	8,082.32	0.18	-	-	8,082.50	4,594.54	772.03	-	-	5,366.57	2,715.93	3,487.78

नोट 6 : गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियांः निवेश

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घकालीन निवेश		
संयुक्त उपक्रमः		
लागत पर कूटबद्व		
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स नाइजीरिया लि.		
26000 (विगत वर्ष 26000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 1 नैरा प्रत्येक के और 40 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं		
मूल मान	3.75	3.75
घटाइएः नैरा के अवमूल्यन के कारण मूल्य में कटौती	3.75	3.75
	-	-

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
भारती हैक्साकॉम लि.		
7,50,00,000 (विगत वर्ष 7,50,00,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 10 रु. प्रत्येक के हैं और 30 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	10,620.00	10,620.00
टीबीएल इंटरनेशनल लि.		
87,641 (विगत वर्ष 87,641) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जो 100 रु. प्रत्येक के और 44.94 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	83.73	83.73
इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लि.		
36,000 (विगत वर्ष 36,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 100 रु. प्रत्येक के और 36 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	36.00	36.00
युनाइटेड टेलीकॉम लि. नेपाल		
57,31,900 (विगत वर्ष 57,31,900) इक्विटी शेयर 100 नेपाली रु. प्रत्येक के हैं और 26.66 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	3,584.19	3,584.19
	14,323.92	**14,323.92**
सहायक कंपनियां		
लागत पर अकूटबद्ध		
टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान		
1,05,000 (विगत वर्ष 1,05,000) 1 ओमानी रियाल प्रत्येक के इक्विटी शेयर जो 70 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं	120.92	120.92
टीसीआईएल बीना टोल रोड लि.		
1,95,70,000 (विगत वर्ष 1,95,70,000) 10 रु. प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर जो 100 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं	1,957.00	1,957.00
टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि.		
2,31,10,000 (विगत वर्ष 2,31,10,000) 10 रु. प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर जो 100 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं	2,311.00	2,311.00
टीसीआईएल यूएसए इंक.		
1,37,488 (विगत वर्ष शून्य) 5 अमेरिकी डॉलर प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त शेयर जो 100 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं	486.00	486.00
शेयर अनुप्रयोग राशि	102.97	105.73
	4,977.89	4,980.65
लागत पर कूटबद्ध		
तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लि.		
2,23,83,700 (विगत वर्ष 2,23,83,700) 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो 49 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं	2,238.37	2,238.37
(31 मार्च, 2021 तक बाजार मूल्य 4.65 रु. (विगत वर्ष 1.20 प्रत्येक)		
घटाइएरू निवेश के मूल्य में अवमूल्यन हेतु प्रावधान	1,824.27	1,824.27
	414.10	414.10
कुल	**19,715.91**	**19,718.67**
कूटबद्ध निवेश का समग्र मूल्य	414.10	414.10
अकूबद्ध निवेश का समग्र मूल्य	19,301.81	19,304.57
कूटबद्ध निवेश का बाजार मूल्य	1,040.84	268.60

वर्ष के दौरान, 29 नवम्बर 18 को मै. टीसीआईएल यूएसए इंक. को संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। सहायक कंपनी की प्राधिकृत पूंजी समग्र रूप से वोटिंग कॉमन स्टॉक की एकल श्रेणी के 1,000,000 शेयरों के बराबर है जहां समान मूल्य 5 अमेरिकी डॉलर प्रति शेयर है। विगत वर्ष के दौरान 5 यूएस डॉलर प्रत्येक के समान्य स्टाक की 1,37,488 पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी ने 1,40,130 अमेरिकी डॉलर (102.97 लाख रु. के समकक्ष) की राशि अंतरित की जबकि शेयर अनुप्रयोग राशि का आवंटन अभी किया जाना है।

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 7: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घकालीन व्यापार प्राप्य (आस्थगित क्रय अवधि पर व्यापार प्राप्य सहित)		
अरक्षित		
व्यापार प्राप्य अच्छे माने गए	-	-
प्रतिधारण राशि अच्छी मानी गई	1,107.60	853.96
जमाधन जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ व्यापार प्राप्य	1,157.43	1,176.22
	2,265.03	2,030.18
घटाइए: हानि भत्ते हेतु प्रावधान	1,157.43	1,176.22
कुल	**1,107.60**	**853.96**

नोट 8: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: ऋण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
पेशगियां		
नकदी में या अन्य प्रकार से या प्राप्त किए जाने वाले मान हेतु वसूली योग्य पेशगियां		
रक्षित		
– संबंधित पार्टियां अच्छी मानी गई	1,165.73	1,165.73
अन्य अच्छी मानी गई		
– स्टाफ पेशगियां (जो वाहनों पर प्रथम प्रभार के बदले रक्षित पेशगियों और अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार के बदले रक्षित गृह निर्माण पेशगियों का प्रतिनिधित्व करती हैं)	16.92	32.23
अरक्षित		
संबंधित पार्टियां जो अच्छी मानी गईं**	12,739.29	11,626.97
क्रय जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ संबंधित पार्टियां**	2,813.09	1,964.07
	15,552.38	13,591.04
घटाइए : संबंधित पार्टियां – हानि भत्ते के लिए प्रावधान	2,813.09	1,964.07
	12,739.29	11,626.97
अन्य अच्छी मानी गई	1.64	1.67
उपार्जित ब्याज पर ऋण पर देय नहीं	29.48	38.19
कुल	**13,953.06**	**12,864.79**

* तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि. से देय 1165.73 लाख रु. की राशि का प्रतिनिधित्व करती है (विगत वर्ष रु. 1165.73 लाख)

** एसपीवी से 10311.31 लाख रु. का प्रतिनिधित्व करती है (टीसीआईएल बीना टोल रोड लि. और टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि.) (विगत वर्ष 10795.10 लाख रु.)

नोट 9: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बैंक जमाएं		
12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ जमा	0.15	0.14
(गारंटी के बदले बैंक के पास रक्षित)		
अच्छी मानी गईं सुरक्षा जमाएं	7.99	8.18
कुल	**8.14**	**8.32**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 10: अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
आय कर रिफंड प्राप्य		
स्रोत पर कर कटौती और अग्रिम कर	6,281.74	4,037.69
घटाइए: आयकर हेतु प्रावधान	1,802.52	1,812.66
कुल	**4,479.22**	**2,225.03**

नोट 11: वर्तमान परिसंपत्तियां : मालसूचियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
मालसूचियां		
प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यांकित और प्रमाणित (लागत पर मूल्यांकित)		
– परियोजना स्थल पर भंडार व कलपुर्जे (उप–ठेकेदारों सहित)	681.50	1,273.41
घटाइए: अप्रचलित/धीमी गति के भंडारों हेतु प्रावधान	57.29	58.14
कुल	**624.21**	**1,215.27**

नोट 12: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बिल प्राप्य		
अरक्षित		
क. छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
व्यापार प्राप्य जो अच्छे माने गए	97,552.21	64,043.39
प्रतिधारण राशि जो अच्छी मानी गई	1,124.60	953.54
क्रय जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ व्यापार प्राप्य	6,623.88	6,728.13
	105,300.69	**71,725.06**
ख. अन्य		
व्यापार प्राप्य जो अच्छे माने गए	67,260.17	72,028.20
प्रतिधारण राशि जो अच्छी मानी गई	786.40	3,469.97
	68,046.57	**75,498.17**
ग. अप्राप्त	37,708.06	34,319.19
कुल (क+ख+ग)	**211,055.32**	**181,542.42**
घटाइए : हानि भत्ते के लिए प्रावधान	6,623.88	6,728.13
कुल	**204,431.44**	**174,814.29**

* तमिलनाडू टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड सहायक कंपनियों की देय राशि में 6596.07 लाख रु. (विगत वर्ष 6472.65 लाख) (नोट 53(क) में भी संदर्भित)

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 13: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: नकदी व नकदी समानक

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
नकदी व नकदी समानक		
क. हाथ रोकड़ (ब्याज शेष सहित)	19.37	23.96
ख. बैंकों के साथ शेष		
वर्तमान खातों में '	1,704.33	1,767.91
काल खातों में	9.17	9.16
	1,713.50	**1,777.07**
घटाइए: बैंकों में अवरुद्ध कोषों के बदले प्रावधान ''	47.32	51.59
	1,666.18	**1,725.48**
जमा खातों में		
3 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ जमा	13,787.93	6,650.40
बचत बैंकों में	1.01	9.84
कुल – ख	**15,455.12**	**8,385.72**
ग. ट्रांजिट में राशि	2,064.41	-
घ. हाथ में चौक	3,288.14	-
कुल – (क+ख+ग+घ)	**20,827.04**	**8,409.68**

* इथियोपियन बीर (ईटीबी) 951.92 (समकक्ष 1675 रु.) विगत वर्ष ईटीबी 951.92 समकक्ष रु. 2175.0) अप्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा

** अलाइड बैंक ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया और अल खलीफा बैंक, अल्जीरिया का बहुत समय पहले ही लिक्विडेशन हो गया था और बाकाय शेष के लिए प्रावधान पूर्व वर्षों के खातों में किया जा चुका है.

नोट 14: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: अन्य बैंक शेष

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अन्य बैंक शेष		
3 माह से अधिक पर 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ जमा	1,116.42	309.94
ओवरड्राफ्ट सुविधा के बदले बैंकों में रक्षित सावधिक जमा	3,366.73	7,979.44
कुल	**4,483.15**	**8,289.38**

नोट 15: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: ऋण व अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ऋण		
नकदी या अन्य प्रकार से वसूला गया अग्रिम या वसूले जाने हेतु मान		
रक्षित (अच्छा माना गया)		
स्टाफ अग्रिम (वाहनों पर प्रथम प्रभार के बदले अचल संपत्ति और वाहन अग्रिमों पर प्रथम प्रभार के बदले गृह निर्माण पेशगियों का प्रतिनिधित्व)	9.13	12.50
	9.13	12.50
अरक्षित		
अच्छे माने गए	354.71	396.21
उपार्जित ब्याज जो अच्छे माने गए ऋणों पर देय नहीं है	8.79	6.23
उपार्जित ब्याज जो जमाओं पर देय नहीं	308.68	418.17
(कार्यार्थी टीसीआईएल के नाम पर जमा 357 लाख रु. (विगत वर्ष 638 लाख रु.)		
अन्य		
अच्छी मानी गई सुरक्षा जमाएं	4,995.25	4,817.47
कुल	**5,676.56**	**5,650.58**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 16: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	5,134.56	3,719.03
घटाइएरू आयकर हेतु प्रावधान	1,926.84	991.85
कुल	**3,207.72**	**2,727.18**

नोट 17: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
नकदी या अन्य प्रकार से वसूला गया अग्रिम या वसूले जाने हेतु मान		
उप-ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को पेशगियां		
अरक्षित		
अच्छी मानी गई	20,898.43	21,874.32
संदिग्ध मानी गई	3,186.42	3,192.68
	24,084.85	25,067.00
घटाइए: संदिग्ध पेशगियों के लिए प्रावधान	3,186.42	3,192.68
	20,898.43	21,874.32
उपार्जित ब्याज जो पेशगियों पर देय नहीं	1,183.19	847.42
ग्राहकों से देय राशि		
प्रगतिशील कार्य	434,691.39	454,360.36
घटाइए: प्राप्त बिल	358,381.49	368,257.79
	76,309.90	86,102.57
वसूलीयोग्य अन्य कर	8,008.26	5,042.25
कुल	**106,399.78**	**113,866.56**

नोट 18: गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: उधार

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
कुल	-	-

नोट 19: गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यमों पर कुल बकाया राशि	-	-
ख. लघु उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों के अलावा अन्य लेनदारों पर कुल बकाया राशि	-	-
कुल	-	-

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 20 : गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. पट्टा देयताएं	707.76	1,230.29
ख. अन्य	421.70	398.23
कुल	**1,129.46**	**1,628.52**

नोट 21: आस्थगित कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
आस्थगित कर देयता:		
स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित	566.41	1,125.81
कुल	566.41	1,125.81
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,958.40	1,989.37
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	801.96	803.53
अवकाश नकदीकरण/बोनस के लिए प्रावधान	620.88	549.72
हानि भत्तों के लिए प्रावधान	708.00	494.32
अन्य	489.19	490.48
कुल	4,578.43	4,327.42
निवल आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां	**(4,012.02)**	**(3,201.61)**

नोट 22: गैर वर्तमान प्रावधान

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	1,917.54	1,282.85
ख. अवकाश वेतन नकदीकरण	2,183.74	1,130.82
ग. अन्य (कर्मचारी लाभ)	624.34	810.01
कुल	**4,725.62**	**3,223.68**

नोट 23: वर्तमान वित्तीय देयताएं: उधार

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क) रक्षित ऋण		
बैंकों से *	1,446.59	13,327.51
(प्राप्यों, स्टाक्स और बैंक सावधिक जमाओं के बदले रक्षित ओवरड्राफ्ट)		
ख) अरक्षित ऋण		
लघु सावधिक ऋण		
बैंकों से विदेशी मुद्रा ऋण	2,253.24	12,912.89
कुल	**3,699.83**	**26,240.40**

बैंकों से रक्षित ऋणों में शामिल है:

*आईडीबीआई बैंक लि. और बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त 1446.59 लाख रु. की राशि (विगत वर्ष 6907.86 लाख रु.) को 3366.73 लाख रु. (विगत वर्ष 7979.44 लाख रु.) की सावधिक जमा राशि के बदले रक्षित रखा गया।

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 24: वर्तमान वित्तीय देयताएं: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को बकाया राशि*	247.81	788.60
क) लघु उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों पर कुल बकाया राशि	199,257.89	163,895.46
ख) संबंधित पार्टियों को बकाया राशि	274.77	238.37
कुल	**199,532.66**	**164,133.83**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट 2006 (एमएसएमईडी) प्रकटीकरण

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमियों पर बकाया राशि कंपनी के पास उपलब्ध नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क) मूल राशि और उस पर ब्याज प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता पर अदेय है:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमियों पर बकाया मूल राशि	247.81	788.60
''उपर्युक्त पर बकाया ब्याज	-	-
(ख) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाहर आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान राशि के साथ एमएसएमईडी एक्ट, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददाता द्वारा देय ब्याज की राशि	-	-
(ग) भुगतान करने में होने वाले विलंब क अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया पर वर्ष के दौरान नियत तिथि से बाद में) पर एमएसएमईडी एक्ट. 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर उपार्जित ब्याज का राशि और शेष अदेय राशि	-	-
(ड.) अनुवर्ती वर्षों में भी देय और शेष अन्य ब्याज की राशि जिसका भुगतान उस तिथि तक होगा जब तकएमएसएमईडी एक्ट 2006 की धारा 23 के तहत कटौतीयोग्य खर्च की अनुमति के बिना लघु उद्यमियों को वास्तविक भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है.	-	-

* कंपनी ने निविदा जारी करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 के हत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को अभिज्ञापित किया है। सूचना को केवल प्राप्त होने वाली जानकारी के आधार पर ही एकत्र किया गया है।

नोट 25: वर्तमान वित्तीय देयताएं: अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. दीर्घकालीन ऋणों पर वर्तमान परिपक्वता	1.65	61.58
ख उपार्जित ब्याज जो उधारों पर देय नहीं है	66.36	270.01
ग.. अन्य	80,715.69	63,822.43
कुल	**80,783.70**	**64,154.02**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 26: अन्य वर्तमान देयताएं

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. ग्राहकों से अग्रिम	21,558.71	20,081.48
ख. अन्य देय राशि (जीएसटी, बिक्री कर, सेवा कर और अन्य सहित)	7,603.65	4,481.26
कुल	**29,162.36**	**24,562.74**

नोट 27: वर्तमान प्रावधान

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. वारंटी अवधि व्ययों के लिए प्रावधान '	12,463.33	14,073.84
ख. कर्मचारी लाभ	1,606.57	3,728.17
ग. अन्य		
असमाप्त परियोजनाओं में हानियों के लिए प्रावधान	14.83	14.83
कुल	**14,084.73**	**17,816.84**

* वारंटी अवधि व्ययों के लिए प्रावधानः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
खुला शेष	14,073.84	14,067.29
जोड़िएः वर्ष के दौरान प्रदत्त	1,561.11	3,489.84
घटाइएः वर्ष के दौरान आहरित	842.60	300.35
घटाइएः वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	2,329.02	3,182.94
समापन शेष	**12,463.33**	**14,073.84**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 28 : परिचालनों से आय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
I. उत्पादों की बिक्री	18,527.04	24,025.87
II. सेवाओं की बिक्री		
क) पूरी की गई टर्नकी परियोजनाएं	100,094.26	23,319.19
ख) प्रगतिशील वृद्धि/घटाव		
प्रगतिशील समापन कार्य	434,691.39	454,360.36
घटाइए: प्रगतिशील प्रारंभिक कार्य और समायोजन	454,360.36	383,939.37
	(19,668.97)	70,420.99
ग) रखरखाव /सेवा अनुबंध	66,191.55	51,011.51
घ) परामर्शी परियोजनाएं	4,948.50	3,285.77
ड.) अन्य परियोजनाएं	1,446.10	563.78
III. अन्य परिचालन आय		
उप–ठेकेदार से अग्रिम पर ब्याज	762.63	919.30
उप–ठेकेदार से प्राप्त ऊपरी शीर्ष	-	1.50
निविदाओं की बिक्री	1.66	1.51
बट्टे खाते में डाले गए वारंटी अवधि व्यय हेतु प्रावधान	842.60	300.35
ठेकेदारों से नामिकायन शुल्क	0.42	42.55
बट्टे खाते में डाले गए अतिरेक प्रावधान ६ देयताएं	1,783.50	198.03
कुल	**174,929.29**	**174,090.35**

नोट 29: अन्य आय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज (सकल)		
स्थायी जमा	549.36	277.60
कर्मचारियों को ऋण	2.86	3.42
अन्य रू सहायक कंपनियों के लिए ऋण पर ब्याज	1,626.66	6,838.61
घटाइएरू बट्टे खाते में डाली गई राशि (संदर्भ नोट 54)	1,304.86	6,017.53
	321.80	821.08
अन्य गैर–परिचालन आय		
प्राप्त लाभांश	-	10.80
अन्य	404.37	373.23
विदेशी मुद्रा विनिमेय पर लाभ	372.98	-
कुल	**1,651.37**	**1,486.13**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 30 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. भंडार व कलपुर्जे		
खुला स्टाक	1,273.41	1,520.76
जोड़िए: खरीद	1,472.02	3,657.18
घटाइए: स्टाक बिक्री	53.72	-
घटाइए: समापन स्टाक	681.50	1,273.41
उपभुक्त भंडार व कलपुर्जे	**2,010.21**	**3,904.53**
ख. खुले उपकरण		
खुला स्टाक	-	-
जोड़िए: खरीद	12.97	2.24
घटाइए: समापन स्टाक	-	-
उपभुक्त खुले उपकरण	12.97	2.24
कुल (क + ख)	**2,023.18**	**3,906.77**

नोट 31: स्टाक इन व्यापार की मालसूचियों में परिवर्तन

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
समापन स्टाक	-	-
प्रारंभिक स्टाक	-	-
स्टाक में वृद्धि/कमी	-	-

नोट 32 : कर्मचारी लाभ व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन (विदेशी डीए सहित)	23,355.86	23,790.45
अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान	32.20	16.01
भविष्य एवं अन्य कोष योगदान	1,538.83	1,567.76
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	804.17	864.86
कैंप व्यय सहित स्टाफ कल्याण	276.84	349.25
वर्दियां	10.01	5.34
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी)	166.84	354.32
बोनस	4.58	3.85
कर्मचारी आवास हेतु किराया:		
सकल:	1,137.22	1,024.74
घटाइए: वसूलियां	1.00	1.23
अवकाश वेतन नकदीकरण	257.38	464.81
बाल शिक्षा भत्ता	1.58	1.29
भत्ते	1,150.04	1,190.39
अवकाश यात्रा रियायत	48.88	58.38
उपदान	279.74	198.57
कर्मचारी दुर्घटना सामूहिक बीमा	2.32	1.37
पीएफ प्रशासनिक प्रभार	13.28	14.45
सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना	81.26	59.61
कुल	**29,160.03**	**29,964.22**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 33: वित्तीय लागतें

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज		
सावधिक ऋणों पर ब्याज व्यय	-	97.52
ओवरड्राफ्ट एवं अन्य उधारों पर ब्याज व्यय	787.57	1,162.75
विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर हानि	-	926.51
पट्टा देयताओं पर ब्याज	84.26	153.45
कुल	**871.83**	**2,340.23**

नोट 34: प्रशासनिक और अन्य व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
किराया	1,182.19	1,153.76
किराया और कर	1,836.32	1,953.66
बीमा	376.73	491.67
बैंक और गारंटी प्रभार	439.30	387.14
व्यापार प्रोत्साहन	27.81	100.72
एजेंसी कमीशन और प्रायोजन शुल्क	132.12	264.97
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	97.31	175.88
परामर्शी	42.91	210.79
विद्युत और जल	167.70	228.80
टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	161.57	168.65
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	123.66	162.79
यात्रा	543.30	865.72
विज्ञापन	7.71	53.23
पुस्तक व पत्रिकाएं	1.44	2.02
सेमीनार व प्रशिक्षण	2.66	60.46
मरम्मत व रखरखाव		
संयंत्र व मशीनरी	158.80	151.66
भवन	170.76	86.22
अन्य	54.47	80.57
चालू वाहन व रखरखाव	441.15	516.75
विविध खर्च	240.96	214.85
लेखापरीक्षकों का शुल्क		
लेखापरीक्षा शुल्क	37.21	47.67
कराधान मामले	20.54	13.80
प्रमाणन सहित अन्य सेवाएं	8.77	13.36
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.70	0.28
किराया प्रभार		
मशीनरी	8.03	12.08
वाहन	504.60	569.48
निदेशकों का सिटिंग शुल्क	0.45	1.50
वारंटी अवधि व्यय हेतु प्रावधान	1,561.11	3,489.84
परिसंपत्तियों की बिक्री/रद्दीकरण पर हानि	47.55	3.84
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	-	4.40
दान	0.36	3.00
सुरक्षा व रखरखाव	130.64	138.99
कुल	**8,528.83**	**11,628.55**

OTHER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(All amounts are in Rupees in Lakhs, unless otherwise stated)

नोट 35: कर व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर (ओसीआई में कर प्रभाव सहित)	1,926.85	991.85
पूर्व वर्षों हेतु कराधान के लिए प्रावधान	(97.31)	46.69
आस्थगित कर प्रभार	(813.69)	568.20
कुल	**1,015.85**	**1,606.74**

36. उचित मूल्य माप

क. वित्तीय परिसंपत्तियां व देयताएं

नीचे दर्शाए गए वित्तीय दस्तावेज में वर्ग की मात्रा और उचित मूल्य इस प्रकार हैं

31 मार्च, 2021 तक	लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	अमूर्तिकरण लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	414.10		19,301.81
(ii) व्यापार प्राप्य			205,539.04
(iii) नकदी एवं नकदी समानक			20,827.04
(iv) अन्य बैंक शेष			4,483.15
(v) ऋण			19,629.62
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			8.14
कुल	**414.10**	**-**	**269,788.80**
वित्तीय देयताएं			
(i) उधार (उपार्जित ब्याज जो देय न हो, सहित)	-	-	3,701.48
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	199,780.47
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	81,911.51
कुल	**-**	**-**	**285,393.46**

31 मार्च, 2020 तक	लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	अमूर्तिकरण लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	414.10	-	19,304.57
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	175,668.25
(iii) नकदी एवं नकदी समानक	-	-	8,409.68
(iv) अन्य बैंक शेष	-	-	8,289.38
(v) ऋण	-	-	18,515.37
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	8.32
कुल	**414.10**	**-**	**230,195.57**
वित्तीय देयताएं			
(i) उधार (उपार्जित ब्याज जो देय न हो, सहित)	-	-	26,301.98
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	164,922.43
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	65,720.96
कुल	**-**	**-**	**256,945.37**

ख उचित मूल्य अनुक्रम

बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

उचित मूल्य के विभिन्न स्तरों को नीचे परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: एक सक्रिय बाजार में समान उपकरणों के लिए उद्धृत कीमतें,

स्तर 2: सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) देखे जाने योग्य बाजार इनपुट, स्तर 1 में इनपुट के अलावाय तथा

स्तर 3: इनपुट यानि देखने योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। निष्पक्ष मूल्य पूरे या कुछ हिस्सों में शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य या मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो न तो उसी उपकरण में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होते हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होते हैं।

ख.1 उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और देनदारियां - पुनरावर्ती उचित मूल्य माप

31 मार्च, 2021 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
निवेश	414.10	-	19,301.81

31 मार्च, 2020 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
निवेश	414.10	-	19,304.57

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

अनिश्चित निवेश के उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए, कंपनी स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। मूल्यवान द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें निम्नानुसार हैं:

क) संपत्ति दृष्टिकोण – नेट संपत्ति मूल्य विधि

ख) आय दृष्टिकोण – रियायती नकदी प्रवाह ("DCF") विधि
ग) बाजार दृष्टिकोण – उद्यम मूल्य/बिक्री एकाधिक विधि

ख 2 निष्पक्ष लागत पर मापा गया उपकरणों का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	अग्रेषित मूल्य	उचित मूल्य	अग्रेषित मूल्य	उचित मूल्य
निवेश	2,238.37	414.10	2,238.37	414.10

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्तियां, सुरक्षा जमा, संबंधित पक्षों को ऋण, अन्य वित्तीय संपत्ति, अल्पकालिक उधार, व्यापार देय और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियां आदि उपकरण अथवा माध्यम हैं जिनसे उचित मूल्य अल्पकालिक परिपक्वता के द्वारा काफी हद तक उनकी मूल कीमत का अनुमान लगता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया गया है जिस पर उपकरण परिसमापन बिक्री के अलावा इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में आदान–प्रदान किया जा सकता है।

37. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

कंपनी की गतिविधियों के द्वारा ही इसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और क्रेडिट जोखिम के बारे में पता चलता है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निरीक्षण के लिए प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है। यह नोट जोखिम के स्रोतों को बताता है जिनके लिए इकाई का खुलासा किया गया है और कैसे इकाई वित्तीय विवरणों में जोखिम और संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

क. क्रय जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जहां एक प्रतिपक्षी कंपनी को अपनी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहती है। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी में मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां और अमूर्त लागत पर मापा वित्तीय संपत्ति से प्रभावित होने का जोखिम होता है। कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफॉल्ट पर नजर रखती है और इस जानकारी को वह अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

क.1 क्रय जोखिम प्रबंधन

कंपनी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। विभिन्न विशेषताओं के साथ वित्तीय उपकरणों के प्रत्येक वर्ग के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की जाती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्ग के लिए धारणाओं, इनपुट और कारकों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग के आधार पर निर्दिष्ट करती है।

क. वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम
ख. सामान्य क्रय जोखिम
ग. उच्च क्रय जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट क्षति प्रदान करती है:

परिसंपत्ति कंपनी	वर्गीकरण का आधार	प्रत्याशित क्रय हानि हेतु प्रावधान
न्यून क्रय जोखिम	नकदी व नकदी समानक, अन्य बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12 माह की प्रत्याशित क्रय हानि
सामान्य क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	पूर्णकालिक प्रत्याशित क्रय हानि या 12 माह की प्रत्याशित क्रय हानि
उच्च क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	पूर्णकालिक प्रत्याशित क्रय हानि या इसके लिए पूर्ण प्रदत्त

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी आजीवन क्रेडिट नुकसान के लिए विवेकाधिकार से काम लेती है।

क्रय वरीयता	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. न्यून क्रय जोखिम	नकदी एवं नकदी समानक	20,827.04	8,409.68
	अन्य बैंक शेष	4,483.15	8,289.38
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.14	8.32
	ऋण	6,890.33	6,888.40
ख. मध्यम क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य	205,539.04	175,668.25
	ऋण	12,739.29	11,626.97
ग. उच्च क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य	7,781.31	7,904.35
	ऋण	2,813.09	1,964.07

नकदी और नकदी समानक और बैंक जमा

नकदी और नकदी समानकों और बैंक जमा से संबंधित क्रेडिट जोखिम को देश भर के विभिन्न बैंकों में अत्यधिक रेटेड बैंकों और विविध बैंक जमा और खातों को स्वीकार करने में ही प्रबंधित किया जाता है।

व्यापार और अन्य प्राप्तियां

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या समूह द्वारा निर्धारित किए गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। उचित लागत पर उपलब्ध बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ सौदा करने के लिए है।

कंपनी किसी भी एकल प्रतिपक्ष या समान विशेषताओं वाले प्रतिपक्षियों के समूह या किसी भी महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम के संपर्क में नहीं आती है। व्यापार प्राप्तियों के विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल हैं। ग्राहक डिफॉल्ट दरों के प्रबंधन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर व्यापार प्राप्तियों की क्रेडिट गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो पिछले नहीं हैं या अच्छे होने के बावजूद हैं।

व्यापार प्राप्तकर्ताओं को अपेक्षित क्रेडिट हानि और/या अनुमानित अपरिवर्तनीय रकम पर प्रदान या अक्षम किया जाता है, जो कि पहचान किए गए ग्राहकों पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त पिछले डिफॉल्ट अनुभव के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के रूप में व्यापार प्राप्तियों पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता।

अन्य वित्तीय संपत्तियों को अमूर्त लागत पर मापा जाता है

अमूर्त लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पार्टियों और कर्मचारियों, सुरक्षा जमा और अन्य के लिए ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है।

क. 2 वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रय हानि

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि की पहचान करती है, जिसमें कंपनी ने ऊपर परिभाषित मानदंडों के आधार पर डिफॉल्ट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विश्लेषण करके प्रावधान का प्रतिशत परिभाषित किया है और इस तरह के प्रावधान प्रतिशत को जीवनकाल के अपेक्षित क्रेडिट नुकसान को पहचानने के लिए माना जाता है। व्यापार प्राप्तियां (उन लोगों के अलावा जहां डिफॉल्ट मानदंड मिले हैं)।

31 मार्च, 2021 तक

विवरण	भूल-चूक पर अनुमानित सकल वहन राशि	भूल-चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट घाटा	हानि प्रावधान की वहन राशि शुद्ध
व्यापार प्राप्य	213,320.35	3.65%	7,781.31	205,539.04
नकदी व नकदी समानक	20,827.04	0.00%	-	20,827.04
अन्य बैंक शेष	4,483.15	0.00%	-	4,483.15
ऋण	22,442.71	12.53%	2,813.09	19,629.62
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.14	0.00%	-	8.14

31 मार्च, 2020 तक

विवरण	भूल-चूक पर अनुमानित सकल वहन राशि	भूल-चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट घाटा	हानि प्रावधान की वहन राशि निवल
व्यापार प्राप्य	183,572.60	4.31%	7,904.35	175,668.25
नकदी व नकदी समानक	8,409.68	0.00%	-	8,409.68
अन्य बैंक शेष	8,289.38	0.00%	-	8,289.38
ऋण	20,479.44	9.59%	1,964.07	18,515.37
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.32	0.00%	-	8.32

हानि भत्ता समाधान

31 मार्च, 2020 तक हानि भत्ता	**9,868.42**
वर्ष के दौरान मानी गई क्षति/हानि (उलट)	939.42
घटाइए: बट्टे खाते में डाली गई राशि	213.44
31 मार्च, 2021 तक हानि भत्ता	**10,594.40**

ख. परिनिर्धारित जोखिम

नकद जोखिम यानि कंपनी को वित्तीय देनदारियों से जुड़े उन दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई होगी जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्रदान करके सुलझाए जाते हैं। तरलता या नगदी के प्रबंधन के लिए कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध होगी। लंबी अवधि की वित्तीय देनदारियों के साथ–साथ नकद– निर्वाह के कारण दिन–प्रति–दिन व्यवसाय के कारण निर्धारित सावधि ऋण सेवा का भुगतान करके, सावधानीपूर्वक निगरानी करके कंपनी अपनी नकदी की आवश्यकताओं को प्रबंधित करती है। 180–दिन के लिए लंबी अवधि की नकदी की आवश्यकता होती है और 360–दिन की लुकआउट अवधि मासिक की पहचान की जाती है।

वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित अव्यवस्थित उधार सुविधाओं तक पहुंच है:

अस्थायी दर	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्ति (नकद क्रय और अन्य सुविधाएं)	12,746.76	2,087.11

प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद की स्थिति और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नजर रखता है। कंपनी बाजार की नकद प्रवाह पर भी अपनी नजर रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है।

ख.1वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है। तालिका में खुलासा किया गया है कि राशि में नकदी प्रवाह रियायत से परे है।

31 मार्च, 2021	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
(i) उधार (उपार्जित ब्याज सहित)	3,701.48	-	-	-	-	3,701.48
(ii) व्यापार प्राप्य	199,780.47	-	-	-	-	199,780.47
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	80,782.05	469.52	44.07	16.55	599.32	81,911.51
कुल	**284,264.00**	**469.52**	**44.07**	**16.55**	**599.32**	**285,393.46**

31 मार्च, 2020	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
(i) उधार (उपार्जित ब्याज सहित)	26,301.98	-	-	-	-	26,301.98
(ii) व्यापार प्राप्य	164,922.43	-	-	-	-	164,922.43
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	64,092.44	679.91	286.13	62.74	599.74	65,720.96
कुल	**255,316.85**	**679.91**	**286.13**	**62.74**	**599.74**	**256,945.37**

ग. बाजार जोखिम

(I) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति है कि लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम के एक्सपोजर को कम किया जाए। 31 मार्च 2021 को, ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार मे हुए ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव कंपनी पर पड़ा है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं।

उधार पर ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
परिवर्तनीय दरें	3,701.48	26,301.98
निर्धारित दरें	-	-
कुल	**3,701.48**	**26,301.98**

निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में संभावित परिवर्तन के लिए लाभ और हानि की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित वित्तीय साधनों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं।

ब्याज संवेदनशीलता*	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ब्याज दरें – 100 मूल अंकों द्वारा वृद्धि (31 मार्च, 2021 : 100 मूल अंक)	(27.70)	(196.82)
ब्याज दरें – 100 आधार बिंदुओं द्वारा कटौती (31 मार्च 2021 : 100 आधार अंक)	27.70	196.82

* अन्य स्थिर दरों का बनाए रखना

विदेशी विनिमेय	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	विदेशी मुद्रा राशि (संपूर्ण रूप में)	आईएनआर	विदेशी मुद्रा राशि (संपूर्ण रूप में)	आईएनआर
वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंक वर्तमान खाता/कॉल जमा				
अ.डॉ.	8,630.57	6.34	7,388.48	5.57
जीबीपी	72.64	0.07	72.57	0.07
यूरो	3,964.94	3.41	5,183.86	4.31
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य				
अ.डॉ.	2,795,976.38	2,054.62	3,134,140.88	2,364.70
ऋण (बैंक)				
अ.डॉ.	3,066,258.65	2,253.24	17,114,495.00	12,912.89
निवल प्रकटीकरण				
अ.डॉ.	(5,853,604.46)	(4,301.52)	(20,241,247.40)	(15,272.02)
जीबीपी	72.64	0.07	72.57	0.07
यूरो	3,964.94	3.41	5,183.86	4.31

निम्नलिखित महत्वपूर्ण दरें लागू की गई हैं:

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

मुद्रा	वर्ष की समाप्त तक स्पाट दरें	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अ.डॉ.	73.485	75.450
जीबीपी	100.880	93.135
यूरो	86.035	83.195

कर के बाद लाभ / (हानि) पर विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन की संवेदनशीलता विश्लेषण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

मुद्रा	वर्ष +200 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष -200 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अ.डॉ.	(64.38)	(228.57)	64.38	228.57

मुद्रा	वर्ष +1000 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष –1000 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
जीबीपी	0.01	0.01	(0.01)	(0.01)

मुद्रा	वर्ष +1000 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष –1000 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
यूरो	0.26	0.32	(0.26)	(0.32)

38. पूंजी प्रबंधन नीतियां

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्यों को कंपनी की एक सतत चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करने के साथ–साथ जोखिम के स्तर के साथ मूल्य निर्धारण उत्पादों और सेवाओं द्वारा शेयरधारकों को पर्याप्त वापसी प्रदान करना है।

कंपनी अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वित्तीय स्थिति के बयान के मुताबिक इक्विटी प्लस के अधीनस्थ ऋण, कम नकद और नकद समकक्षों के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के प्रकाश में समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित की गई राशि निम्नानुसार संक्षेप में दी गई है:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घकालीन ऋण	-	-
कुल इक्विटी	61,118.79	58,587.79
इक्विटी अनुपात के लिए दीर्घकालीन ऋण	-	-

चूंकि 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च 2020 तक दीर्घकालीन ऋण शून्य था, अतः दीर्घकालीन इक्विटी अनुपात को भी शून्य दर्शाया गया है

वित्तीय गतिविधियों से होने वाली देयताओं का समाधान

वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न समूह की देनदारियों में परिवर्तन निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं:

विवरण	दीर्घकालीन उधार	अल्पकालीन उधार	नकदी व नकदी समानक	निवल ऋण
1 अप्रैल 2020 तक निवल ऋण	-	26,301.98	8,409.68	17,892.30
नकदी गतिविधि:				-
– से आगे	-	-	-	-
– पुनर्भुगतान	-	22,600.50	-	22,600.50
– देय ब्याज	-	787.57	-	787.57
– नकदी एवं बैंक गतिविधि	-	-	12,417.36	12,417.36
अन्य गैर–नकदी गतिविधि				
– ऋण की पुनर्रचना मे लाभ		-	-	-
– ब्याज व्यय	-	787.57	-	787.57
निवल ऋण/(अतिशेष) 31 मार्च, 2021 तक	**-**	**3,701.48**	**20,827.04**	**(17,125.56)**

लाभांश

विवरण	राशि
वर्ष 2019–20 में देय अंतिम लाभांश	1,755.96
वर्ष 2020–21 में देय अंतिम लाभांश	1,777.27

39. आकस्मिक देयताएं

विवरण	01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.2021 तक समापन शेष
आयकर मामलों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता (देखें (i) नीचे)	4,382.27	1,020.50	-	5,402.77
बिक्री कर मामलों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता (देखें (ii) नीचे)	148.62	24.85	-	173.47
सेवा कर मामलों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता (देखें (iii) नीचे)	5,408.41	-	-	5,408.41
विवादित दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता (देखें (iv) नीचे)	41,311.80	18,888.89	(17,150.17)	43,050.52
समाप्त हो चुके पैकेजों पर देयताएं	824.00	-	-	824.00

(i) आयकर मामले

वर्तमान आयकर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे भारत और विदेशों में प्रचलित कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही किए गए हैं और अपीलीय अधिकारियों के निर्णय पर आधारित हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के कंपनी अधिनियम यू/एस143 (3) का आकलन 2018–19 तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि उन मुद्दों के संबंध में कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता जिनके लिए अपीलीय अधिकारियों (कंपनी द्वारा या राजस्व विभाग द्वारा) के द्वारा अपील दायर की गई है।

(ii) बिक्री कर

उत्तराखंड व्यापार कर विभाग द्वारा, आकलन वर्ष 2002–03, 2003–04, 2005–06 और 2006–07 लिए एक मांग उठाई गई है जिसे कंपनी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। 1997–98 से 2001–02 तक कंपनी के पक्ष में ही कंपनी ने (19.38 लाख रु.) की उक्त मांग के लिए अपील प्राधिकारी के साथ मामला अपील के अंतर्गत डाला हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग, जबलपुर, लखनादौन और बीकेएस परियोजना द्वारा मांग की गई है। कंपनी अपील प्राधिकारी के साथ (154.09 लाख रु.) के साथ उक्त मांग के खिलाफ अपील कर चुकी है।

(iii) सेवा करः

कंपनी ने एनएसएफ – ओएफसी परियोजना में मेसर्स बीएसएनएल पर सेवा कर की प्रयोज्यता के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। कार्यालय आयुक्त सीजीएसटी (ऑडिट), नई दिल्ली ने उक्त परियोजना में मेसर्स बीएसएनएल को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर देयता के रूप में 5,408.41 लाख रुपए की मांग करते हुए एक अवलोकन जारी किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के लंबित निपटान की मांग की वसूली के खिलाफ रोक लगा दी है।

(iv) विवादित दावे

कंपनी के रूप में किसी भी कानून के न्यायालय के अधीन या किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवादित दावों और उस पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऋण के रूप में इन दावों को स्वीकार किया गया है और इसी प्रकार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 तक दायर किए गए काउंटर क्लेम की राशि 39730.48 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 – 41,819.86 लाख रुपये) के हिसाब से भी नहीं ली गई है।

40. दी गई गारंटी का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बकाया बैंक गारंटी	65,802.97	83,201.17
समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी	1,980.27	6,292.78
टीटीएल की ओर से दी गई बैंक गारंटी	409.88	409.88
कॉर्पोरेट गारंटी जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है	318.87	318.87

41. जारी किए गए क्रय पत्रों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बकाया क्रय पत्र	2,908.70	5,774.96

42. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

कैपिटल अकाउंट पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और 31 मार्च, 2021 तक शून्य (31 मार्च, 2020 तक – शून्य) के रूप में प्रदान नहीं की गई।

43. विदेशी मुद्रा प्रकटीकरण का विवरण

(i) **विदेशी मुद्रा (अरक्षित) में देय राशि निम्नानुसार है:**

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा (संपूर्ण रूप में)	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा (संपूर्ण रूप में)
क) आयात लेनदार				
डीएसपीटी	1,957.93	अ.डॉ. 26,64,395.00	2,001.90	अ.डॉ. 26,53,287.50
पीजीसीआईएल	96.69	अ.डॉ. 1,31,581.38	99.27	अ.डॉ. 1,31,581.38
नेवी	शून्य	शून्य	263.53	अ.डॉ. 3,49,272.00
ख) अरक्षित ऋण (बैंक)	2,253.24	अ.डॉ. 3,066,258.65	12,912.89	अ.डॉ. 17,114,495.00

(ii) विदेशी मुद्रा (अरक्षित) में देय राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा (संपूर्ण रूप में)	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा (संपूर्ण रूप में)
निर्यात देनदार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बैंकों के पास कॉल जमा/वर्तमान खाता	6.34	अ.डॉ. 8,630.57	5.57	अ.डॉ. 7,388.48
	0.07	जीबीपी 72.64	0.07	जीबीपी 72.57
	3.41	यूरो 3,964.94	4.31	यूरो 5,183.86

(iii) विदेशी परियोजनाएं / शाखाएं: परियोजना अवधि आमतौर पर 1 से 3 वर्ष तक होती है। एक ही मुद्रा में देयता / प्राप्तियां तथा अनहेज्ड हिस्सा भी परियोजना के पूरा होने के बाद अधिशेष को भारत में प्रत्यावर्तित करने का प्रतिनिधित्व करता है।

44. क) विदेशी मुद्रा में आय/व्यय

विवरण	31 मार्च,2021 तक	31 मार्च,2020 तक
प्रवाह		
विदेशी परियोजनाओं से वापस मिली राशि	8,827.18	3,869.51
व्यय		
सी आई एफ आधार पर (व्यापारिक माल) पर आयात	शून्य	शून्य
संविदा भुगतान	259.23	शून्य
अन्य	शून्य	96.91

ख) आयातित और स्वदेशी सामग्री का उपभोग:

मद	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	
	राशि	उपभोग का कुल प्रतिशत	राशि	उपभोग का कुल प्रतिशत
क) आयात:				
स्टोर्स व स्पेयर्स (पूर्जे)	-	-	-	-
फुटकर औजार	-	-	-	-
ख) स्वदेशी:				
स्टोर्स व स्पेयर्स (पूर्जे)	2,010.21	99.36	3,904.53	99.94
फुटकर औजार	12.97	0.64	2.24	0.06
कुल	**2,023.18**	**100.00**	**3,906.77**	**100.00**

ग) भारतीय ले.मा. 21 के अनुपालन में, कंपनी के पास कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है

प्रभाग	कार्यात्मक मुद्रा	प्रदर्शित मुद्रा
टीसीआईल	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
टीसीआईल – मॉरिशस	मॉरिशस	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – कुवैत	कुवैती दीनार	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – सऊदी अरब	सऊदी रियाल	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – ओमान	ओमानी रियाल	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – सिएरा लिओन	सिएरा लिओन लि	भातीय रुपया
टीसीआईएल – अल्जीरिया	अल्जीरियन दीनार	भातीय रुपया
टीसीआईल – इथोपिया	ईथोपियन बिर	भातीय रुपया
टीसीआईएल – बोत्सवाना	बोत्सवाना पूला	भातीय रुपया
टीसीआईएल – नेपाल	नेपाली रुपया	भातीय रुपया
टीसीआईएल – भूटान	एनयू	भातीय रुपया
टीसीआईएल – संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब दीरहम	भातीय रुपया
टीसीआईएल – कतर	कतर रियाल	भातीय रुपया
टीसीआईल – श्रीलंका	श्री लंका रुपया	भातीय रुपया
टीसीआईएल – मेसेडोनिया	मेसेडोनियन दीनार	भातीय रुपया

45. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी नियम 2014 की (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व निती) के मद्देनजर, इन नियमों में परिभाषित नियम 2 (एफ) के संदर्भ में कंपनी के पास 'नेट प्रॉफिट्स' यानि शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं कार्य है और इसलिए कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर खर्चे करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 219.35 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसमें से 203.66 लाख रुपये की राशि भारत में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और 15.68 लाख रुपये मॉरीशस

में वहां के स्थानीय कानून की आवश्यकता के अनुसार खर्च किए गए हैं।

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च हेतु लेखा पर दिशानिर्देश नोट के संबंध में प्रकटीकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है।

क) नै.सा.उ. खर्च में शामिल खर्चों के विभिन्न शीर्षकों का विस्तृत विवरण:

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना का विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	स्वच्छ गंगा निधि	स्वच्छ गंगा निधि में योगदान	5.00	-
2	सूर्या मंदिर, पटना में विकास व विस्तार कार्य	बाढ़ इत्यादि के दौरान अपेक्षित अतिरिक्त सिविल कार्य.	80.29	-
3	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद के माध्यम से कौशल विकास	23.30	5.30
4	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	एनएसडीएफ में निधि योगदान	5.00	-
5	पीएम केयर्स फंड	एमसीए ओएण के अनुसार पीएम केयर्स फंड	32.72	-
6	स्वास्थ्य देखभाल	पेयजल तंत्र उपकरण की आपूर्ति संस्थापना	3.40	19.40
7	स्वास्थ्य देखभाल	स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करने के लिए वासिम व अकोला, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का नवीनीकरण	34.50	-
8	विभिन्न गांवों में लाइट्स लगाना	अकोला जिला, महाराष्ट्र में एलईडी लाइट्स लगाना	15.00	-
9	भारतीय रेलवे	परियोजना साध्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप प्रोद्योगिकी विकास के लिए स्टार्टअप का निधियन	-	8.85
10	नै.सा.उ. उपरिखर्च व्यय		4.45	4.42
11	स्थानीय कानून के अनुसार सी.एस.आर. मॉरीशस व्यय		15.68	10.54
	कुल योग		**219.34**	**48.51**

(ख) नै.सा.उ. खर्च के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i) वर्ष की समाप्ति तक कंपनी द्वारा किया गया कुल खर्च 219.34 लाख रु. (विगत वर्ष 48.51 लाख रु.) रहा।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की जाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि – 88.86 लाख.

iii) वर्ष के दौरान खर्च का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकदी में	अभी नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	नकदी में	अभी नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
i) किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
ii) उपरोक्त उद्देश्य (1) के अतिरिक्त	219.34	-	219.34	48.51	-	48.51
कुल	**219.34**	**-**	**219.34**	**48.51**	**-**	**48.51**

46. बीएसएनएल, एमटीएनएल, एमपीआरआरडीए, पीजीसीआईएल और अन्य सहित ये सभी देनदार और लेनदार पुष्टिकरण व समाधान के अधीन हैं।

47. पूर्णकालिक निदेशकों व कंपनी सचिव के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पर 31 मार्च, 2021 तक किसी प्रकार का कोई देय नहीं था (पूर्व वर्ष – शून्य).

48. क) कर्मचारी लाभ व्यय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक शामिल हैः –

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
वेतन और भत्ते	143.71	168.37
भविष्य निधि योगदान	11.05	11.32
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.68	2.01

वित्त वर्ष 2020–21 में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक लेनदेन

विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	कंपनी सचिव
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	6.97	137.42	20.24
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ	0.61	10.44	1.71
अन्य दीर्घकालीन रोजगार लाभ	-	-	-
समाप्ति लाभ	-	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-	-
कुल	**7.58**	**147.86**	**21.95**

ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्ण कालिक निदेशक ग्रुप ग्रेच्युटी–कम–लाइफ एश्योरेंस योजना और समूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए 3.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3.47 लाख रुपये) का भुगतान कंपनी द्वारा कंपनी के नियमों के तहत किया गया है।

49 (क) कुवैत में, अनुबंधों के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद सहित सभी लेनदेन एजेंटों/जेवी कंपनियों के नाम पर किए गए हैं। 31 मार्च, 2021 तक एजेंटों/जेवी कंपनियों के नाम पर फिक्स्ड एसेट्स का बट्टे खाते में डाला गया मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 338. 20 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 तक – 412.29 लाख रुपये) रहा है।

(ख) कंपनी ने सरकारी प्राधिकरणों के साथ रियायत समझौते के अनुसार निर्माण–परिचालन–अंतरण (बीओटी) आधार पर तीन परियोजनाएं शुरु कीं. तीन में से दो को अलग–अलग एसपीवी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इन समझौतों के तहत, टोल संग्रह या वार्षिक भुगतान की रियायत अवधि 13 से 26 वर्ष तक की होती है। उक्त रियायत अवधि के अंत में, पूरी सुविधाएं संबंधित सरकारी प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा पारित बिलों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा चल रहे विरेध प्रदर्शन के कारण दिनांक 01.10.2020 से टोल सड़कों को बंद कर दिया गया जिससे नाभा टोल संग्रह प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई।

(ग) कंपनी, भारत सरकार के डाक विभाग (डीओपी) को आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव की सेवाओं के लिए हार्डवेयर, पेरिफेरेल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्रामीण सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों की एक परियोजना पर कार्य कर रही है। डीओपी द्वारा कंपनी को किया जाने वाला भुगतान माइलस्टोन से लिंक्ड है। भुगतान माइलस्टोन के चलते इस परियोजना के संबंध में दिनांक 31.03.2021 तक अप्राप्त देनदारियां 20,137 लाख रु. (विगत वर्ष 24,304 लाख रु.) हैं।

50. भारत और भारत से बाहर के उद्यमों में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लेखा नीति सं. 1.9 के अनुसार मान दिया जाता है। वर्ष के दौरान, कंपनी को संयुक्त उपक्रम कंपनी से शून्य लाभांश प्राप्त हुआ है।

51. टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2014–15 से 2019–20 के लिए अपने नियमित कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन योजना हेतु 1,561.53 लाख रु. का प्रावधान किया। योजना अभी अनुमोदन के लिए लंबित है और वित्त वर्ष 2014–15 से 2019–20 के बीच कई कर्मचारी अधिवर्षिताध्त्यागपत्रध्मृत्यु के कारण सेवा में नहीं हैं। अतः संबंधित तिथि के बीच इस योजना को लागू करना साध्य नहीं है। अतरू परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन योजना हेतु किए गए 1561.53 लाख रु. के प्रावधान को वित्त वर्ष 2020–21 में वापिस शामिल कर लिया गया है और यह योजना मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी हो पाएगी।

52. कंपनी ने अपने सभी नियमित सीडीए कर्मचारियों के लिए 2018–19 तक सातवें वेतन संशोधन को लेकर 57.20 लाख रु. तक का प्रावधान रखा। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान यह प्रावधान शून्य रहा (विगत वर्ष शून्य)

53. वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व वर्षों में, जिनकी अब जरूरत नहीं थी, देयताओं/प्रावधानों के प्रति 221.97 लाख रु. की राशि (विगत वर्ष 198.03 लाख रु.) को वापिस लिया।

54. (क) तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि. (टीटीएल), सहायक कंपनी जिसे पहले बीआईएफआर कहा जाता था, एक बीमार कंपनी है और पुनर्स्थापना के दौर में है।

कंपनी ने कुछ आयामों पर आधारित भावी प्राक्कलित नकद प्रवाह को तैयार किया है और कंपनी की बकाया राशि के रूप में अतिशेष निधि उपलब्ध है। ऐसी अतिशेष निधि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) अच्छा माना गया और शेष बकाया ऋण के लिए हानि का प्रावधान किया गया। यह देखते हुए कि टीटीएल बीमार है और परिचालन में नहीं है, ऐसे में टीटीएल से ब्याज की वसूली नहीं हो सकती और इसे बट्टे खाते में डाला गया है। ऋण, हानि प्रावधान और बट्टे खाते की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ऋण	1,165.73	1,165.73
व्यापार प्राप्य	7,402.86	10,682.35
कुल	**8,568.59**	**11,848.08**
बट्टे खाते में डाला गया ऋण	(806.79)	(4,209.70)
हानि प्रावधान	(3,942.12)	(3,926.22)
कुल (निवल हानि और बट्टे खाते में डाली गई राशि)	**3,819.68**	**3,712.15**

(ख) कंपनी ने अपनी पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) के अधीनस्थ आरक्षित ऋण दिया था। सहायक कंपनी की संचित हानि इसके निवल मूल्य से भी बढ़ गई है और निवल मूल्य नकारात्मक हो गया है। अतः कंपनी ने कुछ आयामों पर आधारित भावी प्राक्कलित नकद प्रवाह पर काम किया है और इसके लिए उपलब्ध अतिशेष निधि का उपयोग किया है। ऐसी अतिशेष निधियों का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) अच्छा माना गया है और शेष बकाया ऋण के लिए हानि प्रावधान किया गया है। टीबीटीआरएल की वित्तीय स्थिति और नकारात्मक निवल मूल्य को देखते हुए कंपनी से ब्याज की वसूली होती नहीं दिख रही है जिसके चलते इसे खातों में बट्टे खाते में दिखाया गया है। ऋण, हानि प्रावधान और बट्टे खाते की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ऋण	10,521.47	10,634.77
व्यापार प्राप्य	(4,98.07)	(1,807.83)
कुल	(2,813.09)	(1,964.07)
बट्टे खाते में डाला गया ऋण	**7,210.31**	**6,862.87**

ग) कंपनी ने अपनी पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल) को अधीनस्थ अरक्षित ऋण दिया है। कंपनी ने कुछ आयामों पर आधारित भावी प्राक्कलित नकद प्रवाह पर काम किया है और इसके लिए उपलब्ध अतिशेष निधि का उपयोग किया है जिसमें उपार्जित ब्याज शामिल है। ऐसी अतिशेष निधि का निवल वर्तमान मूल्य बकाया राशि से अधिक है और कोई हानि प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। दिनांक 31.03.2021 तक कंपनी की ऋण स्थिति रु. 5,528.98 लाख है (31.03.2020 तक 4764.10 लाख रु.)

55. भारतीय ले.मा. के अनुसार प्रकटीकरण

कर्मचारी लाभः

क) भविष्य निधि

कंपनी, भारतीय भविष्य निधि अधिनियम 1976 के तहत बनाए गए भविष्य निधि खाते में हर महीने मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत की अंशदान राशि डालती है। निधि का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। निश्चित अवधि के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक सीमित है। हालांकि, ट्रस्ट को उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित सदस्यों के योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना होता है। फंड की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, जिसमें परिसंपत्ति पर रिटर्न शामिल है, जैसे कि बैलेंस शीट का तारीख निर्धारित योजना के तहत होना एक जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा है। वर्ष के दौरान कंपनी का कुल योगदान 1,538.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,567.76 लाख रुपए था) रहा है।

ख) उपदान

कंपनी की एक निर्धारित ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है, जो अधिकतम 20 लाख रुपये है और सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति तथा विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया गया है और ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसका नाम है "टेलीकम्युनिकेन्स कंसल्टेंट्स एम्पलॉयज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट" है जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्युटी–कम–लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एक्चुरियल वैल्यूएशन पर आधारित वास्तविक देयता 279.74 लाख रुपये है, जो लाभ और हानि के तहत है तथा 151.58 लाख रुपए की राशि अन्य व्यापक आय के रुप में दी गई है। खातों की किताबों में कुल प्रावधान 128.16 लाख रुपए है। एलआईसी ने रुपये की अपनी मांग बढ़ाई और तदनुसार 364.04 लाख रुपया (पिछले वर्ष 591.08 लाख रुपए थे) वर्तमान देयता के तहत दिया गया और 137.05 लाख रुपया (पिछला वर्ष 372.93 लाख रु.) गैर–चालू देयता में दिया गया है।

ग) अवकाश नकदीकरण

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति पर/सेवानिवृत्ति के समय कंपनी के पास 300 दिनों के (अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश) अवकाश की सुविधा है। वर्ष के दौरान कंपनी ने वास्तव में 623.06 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि खाते में माना जाने वाला खर्च 257.38 लाख रुपये रहा और 1026.82 लाख रुपए अन्य व्यापक आय के रुप में दिए गए। एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर, 31–3–2021 को अवकाश के नकदीकरण के प्रति दायित्व का वर्तमान मूल्य 2396.61 लाख रुपये है।

हालांकि कंपनी के पास 31.03.2021 तक 2463.33 लाख रुपये का प्रावधान है फिर भी अतिरिक्त राशि (2463.33 – 2396.61 लाख रुपए) अर्थात् 66.72 लाख रुपए है। पूर्व वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधान के कारण प्रबंधन ने भविष्य में, यदि कोई हो तो आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त प्रावधानों को वापस नहीं लेने का फैसला किया है।

घ) सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा योजना है (जिन लोगों ने सेवानिवृत्ति के उपरांत कंपनी की योजना को ले रखा है) लेखांकन नीति संख्या 1.17 के अनुसार कंपनी ने एक्चुअरी वैल्यूएशन के आधार पर इस खाते को देयता प्रदान की हुई है।

उपदान (निधिक), अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना की स्थिति बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है:

क्रम सं.	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
		(निधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
	छूट दर वि.व. 19–20	6.25%	6.25%	6.25%
	वेतन वृद्धि दर वि.व. 19–20	4.00%	4.00%	4.00%
	छूट दर वि.व. 20–21	7.05%	7.05%	7.05%
	वेतन वृद्धि दर वि.व. 20–21	4.00%	4.00%	4.00%
1	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**			
	01.04.2020 तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,048.21	1,735.47	1,317.56
	ब्याज लागत	249.59	93.39	81.26
	वर्तमान सेवा लागत	235.45	163.99	-
	देय लाभ	(479.60)	(623.06)	(26.32)
	दायित्व का बीमांकिक (लाभा)/हानि	(129.67)	1,026.82	577.10
	31.03.2021 तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,923.98	2396.61	1,949.60
2	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**			
	01.04.2020 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,285.00	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	205.30	-	-
	अंशदान	591.08	-	-
	देय लाभ	(479.60)	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	-
	ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	21.91	-	-
	31.03.2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,623.69	-	-
3	**योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**			
	01.04.2020 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,285.00	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	205.30	-	-
	अंशदान	591.08	-	-
	देय लाभ	(479.60)	-	-
	ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	21.91	-	-
	31.03.2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,623.69	-	-
	निधिक / (अनिधिक) स्थिति	(300.29)	(2,396.61)	(1,949.60)
4	**अभिज्ञापित बीमांकिक लाभ/हानि**			
	01.04.2020 तक बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-
	निवल ब्याज लागत में शामिल राशि के अलावा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-

क्रम सं.	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
		(निधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
	दायित्वों पर बीमांकिक लाभध्हानि	(21.91)	1,026.82	577.10
	अनुभव भिन्नता के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	(129.67)	-	-
	31.03.2021 पर अभिज्ञापित बीमांकिक लाभ/हानि	(151.58)	1,026.82	577.10
5	**बैलेंस शीट और लाभ व हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त योग**			
	31.03.2021 तक दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,923.98	2,396.61	1,949.60
	31.03.2021 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,623.69	-	-
	वितपोषण की स्थिति	-	-	-
	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां / (देयता)	(300.29)	(2,396.61)	(1,949.60)
6	**लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**			
	वर्तमान सेवा लागत	235.45	163.99	-
	ब्याज लागत	249.59	93.39	81.26
	योजनागत परिसंपत्तियों पर आपेक्षित प्रतिफल	(205.30)	--	--
	वर्ष में शुद्ध एक्चुरियल (लाभ) / हानि को दी गई मान्यता	(151.58)	1,026.82	577.10
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	128.16	1,284.20	658.36
7	**बीमांकिक लाभ / हानि का विस्तृत विवरण**			
	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	117.83	-	-
	वित्तीय धारणा में बदलाव से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ) / हानि	(207.91)	-	(109.01)
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(39.59)	1026.82	686.11
8	**परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्व रूपरेखा**			
	प्रथम वर्ष	380.50	275.40	33.18
	द्वितीय वर्ष	495.47	359.91	38.90
	तृतीय वर्ष	348.84	252.47	47.15
	चौथा वर्ष	515.80	324.58	53.38
	पांचवां वर्ष	340.20	214.91	58.30
	छठे वर्ष से अधिक	1994.05	1501.37	590.87

56. खंडवार रिपोर्टिंग – भारतीय ले.मा. 108 के अनुसार

कंपनी के प्रचालन खंड को एक रणनीतिक व्यापार इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खंड के साथ प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के अनुसार, संबंधित निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों और समूह महाप्रबंधकों के माध्यम से अलग–अलग व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है। इन व्यावसायिक इकाइयों की समीक्षा कंपनी के संबंधित निदेशकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों को सूचित राशियां भारतीय ले.मा. के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए लेखा सिद्धांतों पर आधारित हैं। खंडवार प्रदर्शन खंड राजस्व और खंज परिणाम यानि कि अपवादजनक मदों से पूर्व परिचालन गतिविधियों से लाभ या हानि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। तदनुसार, वित्तीय लागतेंध्आय, गैर–परिचालन व्यय और अपवादजनक मदें व्यक्तिगत खंड में आवंटित नहीं की जाती हैं।

अंतर खंड मूल्य निर्धारण और शर्तों की समीक्षा प्रबंधन द्वारा की जाती है और बाजार की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए इनमें परिवर्तन किया जाता है और इस तरह से नियमों मे होने वाला परिवर्तन भी समय समय पर दिखता है।

खंड परिसंपत्ति में, प्रत्येक खंड द्वारा सीधे प्रबंधित संपत्ति शामिल हैं और मुख्य रूप से प्राप्त की गई, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य–में–प्रगति, अमूर्त संपत्तियां, विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां, आविष्कार, नकदी और नकद समकक्ष व अंतर–खंड संपत्तियां शामिल हैं। खंड देनदारियों में मुख्य रूप से परिचालन दायित्व शामिल हैं। खंड पूंजीगत व्यय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्तियों के अतिरिक्त शामिल हैं।

खंड संयोजन की पहचान इस प्रकार हैः –

- दूरसंचार परियोजनाएं
- सिविल / अवसंरचना परियोजनाएं
- परामर्श और सेवा अनुबंध
- व्यापारिक गतिविधियां
- अन्य परिचालन आय

खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति और देयताएं प्रत्येक खंड में मान्यतप्राप्त मात्रा में शामिल हैं। अन्य गैर–आवंटन योग्य खर्चों में राजस्व और व्यय शामिल हैं जो व्यक्तिगत खंडों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं।

(i) परिचालन खंड सूचना

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लि. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी परिचालन खंड पर भारतीय ले.मा.– 108 के पालन में

	विवरण	दूरसंचार परियोजनाएं		सिविल/अवसंरचना परियोजनाएं		परामर्शी व सेवा परियोजनाएं		व्यापार गतिविधियां		अन्य परिचालन आय		अनावंटित		कुल	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	**क. खंड आय**														
	बाह्य पण्यावर्त	54,507.65	64,000.82	25,917.64	29,739.37	72,586.15	54,861.05	18,527.04	24,025.87	3,390.81	1,463.24	-	-	174,929.29	174,090.35
	अंतरिक खंड पण्यावर्त	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	योग	**54,507.65**	**64,000.82**	**25,917.64**	**29,739.37**	**72,586.15**	**54,861.05**	**18,527.04**	**24,025.87**	**3,390.81**	**1,463.24**	**-**	**-**	**174,929.29**	**174,090.35**
2	**ब्याज, कर एवं अन्य समायोजन से पूर्व खंड परिणाम**	**7,780.12**	**13,407.61**	**178.45**	**1,537.34**	**7,311.94**	**9,013.08**	**169.03**	**2140.41**	**(1,266.78)**	**1,463.24**	**110.37**	**(7,787.27)**	**14,283.12**	**19,774.41**
	घटाइए: ब्याज व्यय	94.16	645.45	-	-	128.37	429.25	192.08	-	142.18	-	230.79	339.02	787.57	1,413.72
	जोड़िए: ब्याज आय	11.52	354.37	470.46	78.24	**145.96**	424.60	77.27	-	159.90	-	8.90	244.89	874.02	1,102.10
	जोड़िए: पूर्वकालिक अवधि आय (निवल)	-	-	-	-	**-**		-	-	-	-	-		-	-
	जोड़िए: अन्य आयः (व्यय)	(2,873.56)	(3,173.86)	(680.49)	(1,145.62)	(3,303.83)	(1,758.83)	(141.40)	(112.05)	(198.53)	-	(553.67)	(5,054.16)	(7,751.48)	(11,244.52)
	जोड़िए: अपवादजनक मद	-	-			**-**	-	-		-	-	-		-	-
	कर पूर्व लाभ	**4,823.92**	**9,942.67**	**(31.58)**	**469.96**	**4,025.70**	**7,249.60**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.24**	**(665.19)**	**(12,935.56)**	**6,618.09**	**8,218.27**
	वर्तमान कर	-	-	-	-	-	-	-	-			2,155.20	3,206.87	2,155.20	3,206.87
	आस्थगित कर	-	-	-	-	-	-	-	-			(813.69)	568.20	(813.69)	568.20
	कर पश्चात लाभ	**4,823.92**	**9,942.67**	**(31.58)**	**469.96**	**4,025.70**	**7,249.60**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.24**	**(2,006.70)**	**(16,710.63)**	**5,276.58**	**4,443.20**
	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(968.31)	(6,447.08)	(968.31)	(6,447.08)
	निवल कर सहित कुल व्यापक आय	**4,823.92**	**9,942.67**	**(31.58)**	**469.96**	**4,025.70**	**7,249.60**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.24**	**(2,975.01)**	**(23,157.71)**	**4,308.27**	**(2,003.88)**
3	**अन्य जानकारी**														
	खंड परिसंपतियां	139,371.70	123,517.16	48,352.17	35,402.34	135,080.40	95,160.99	36,547.79	32,682.30	-	-	35,132.91	74,373.63	394,484.96	361,136.42
	खंड देयताएं	113,293.04	87,649.18	47,506.34	32,386.67	128,896.22	76,745.63	29,116.83	25,872.30	-	-	14,553.75	79,894.85	333,366.17	302,548.63
	पूंजी व्यय	83.73	559.40	18.47	85.42	192.79	398.73	0.00	58.24	-	-	5.27	734.41	300.26	1,836.20
	मूल्यह्रास	154.80	316.83	675.04	435.71	217.34	448.46	19.79	26.92	-	-	154.48	367.85	1,221.46	1,595.77

नोट:

(i) वर्ष के दौरन स्थायी परिसंपतियों में दिए गए सकल योग से संबंधित पूंजी व्यय

(ii) स्थायी परिसंपतियों, प्रगतिशील पूंजी कार्य, वर्तमान परिसंपतियों और ऋणों एवं अग्रिमों सहित खंड परिसंपतियां

(iii) रक्षित ऋणों, अरक्षित ऋणों, वर्तमान देयताओं और प्रावधाओं सहित खंड देयताएं

(iv) अंतरराष्ट्रीय परिचालनों हेतु आंकड़े भी उपर्युक्त में शामिल हैं

(ii) भूगौलिक खंड जानकारी

(राशि लाख रु. में)

	विवरण	2020.21	2019.20
1.	**खंड राजस्व –बाह्य पण्यावर्त**		
	– भारत के भीतर	129,267.99	103,304.15
	–भारत से बाहर		
	सऊदी अरब	32,872.27	55,430.80
	अन्य	12,789.03	15,355.40
	कुल आय	174,929.29	174,090.35
2.	**खंड परिसंपततियां**		
	– भारत के भीतर	342,860.04	292,512.21
	–भारत से बाहर		
	सऊदी अरब	35,689.83	53,798.54
	अन्य	15,935.09	14,825.67
	कुल परिसंपततियां	394,484.96	361,136.42
3.	**खंड देयता**		
	– भारत के भीतर	292,609.93	259,869.93
	–भारत से बाहर		
	सऊदी अरब	26,820.68	29,603.18
	अन्य	13,935.56	13,075.52
	कुल देयता	333,366.17	302,548.63
4.	**पूंजी व्यय**		
	– भारत के भीतर	169.71	328.29
	भारत से बाहर		
	सउदी अरब	121.00	40.26
	कुवैत	5.27	1,295.22
	अन्य	4.28	172.43
	कुल खर्च	300.26	1,836.20

57. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय ले.मा.–24 के अनुपालन में 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री संजीव कुमार (27.01.2021 से)

श्री राजीव गुप्ता (26.01.2021 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)

ii) पूर्णकालिक निदेशक

श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री नरेंद्र जैन, निदेशक (वित्त)

श्री कामेंद्र कुमार, निदेशक (तकनीकी)

iii) कंपनी सचिव

श्री विशाल कोहली (07.08.2020, अपराह्न से)

श्रीमती रश्मि चावला (07.08.2020, पूर्वाह्न तक)

ख. सहायक कंपनियां

तमिनलाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि. (टीटीएल)

टीसीआईएल ओमान एलएलसी

टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल)

टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल)

टीसीआईएल यूएसए इंक.

ग. सहायक कंपनियां/संयुक्त उपक्रम कंपनियां

टीबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड (टीबीएल)

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल)

युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स नाइजीरिया लिमिटेड (टीसीएनएल)

इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण रू

(राशि लाख रु. में)

विवरण	टीटीएल		आईसीएसआईएल		टीबीएल		बीएचएल		यूटीएल		टीसीआईएल बीना टोल रोड लि.		टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि.		टीसीआईएल ओमान		टीसीएनएल		टीसीआईएल यूएसए एब.		संयुक्त उपक्रम सहायक कंपनी		संबंधी सहित प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		योग	
	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष	2020-21 को समाप्त वर्ष	2019-20 को समाप्त वर्ष
लेनदेन का प्रकृति का विवरण																										
पण्यावर्त						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
अन्य आय	806.79	4,209.70				-		-		-	498.07	1,807.83	321.80	821.08		-	-	-	-	-	1,626.66	6,838.61		-	1,626.66	6,838.61
सामग्री की खरीद						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
उप ठेकेदार भुगतान						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	177.39	205.14	177.39	205.14
अन्य आय																					-	-			-	-
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
लाभांश ब्याज व आय						-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
देनदार व वर्ष की समाप्ति तक			-	10.80		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	10.80		-	-	10.80
अन्य आय	7,761.80	7,638.38	1.72	1.72		-		-	63.35	63.35	10,023.39	8,826.94	5,528.98	4,764.10	1.63	1.44		-	-	-	23,380.87	21,295.93		-	23,380.87	21,295.93
लेनदान व वर्ष की समाप्ति तक																										
अन्य आय	167.42	141.96	73.97	73.97	33.38	22.44		-		-		-		-		-	-	-	-	-	274.77	238.37		-	274.77	238.37
बैंक/दी गई कॉरपोरेट गारंटियां	409.88	409.88				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	409.88	409.88		-	409.88	409.88
बट्टे खाते में डाली गई राशि	806.79	4,209.70			-	-		-		-	498.07	1,807.83		-		-	-	-	-	-	1,304.86	6,017.53		-	1,304.86	6,017.53
संदिग्ध देनदारी/ऋण हेतु प्रावधान	3,942.12	3,926.22	-	-	-	-		-		-	2,813.09	1,964.07		-		-	-	-	-	-	6,755.21	5,890.29		-	6,755.21	5,890.29

58. भारत के सनदी लेकाकार संस्थान द्वारा जारी श्अन्य सत्वों में ब्याज का प्रकटीकरणश् भारतीय ले.मा.–112 की अपेक्षानुसार संयुक्त उपक्रम के संबंध में प्रकटीकरण

संयुक्त नियंत्रित सत्वों/कंपनियों और उनके स्वामित्व के संबंध में सूची का विवरण निम्नानुसार है

छंउम व श्रट ब्वउचंदल	टीसीआईएल के स्वामित्व का प्रतिशत	वोटिंग अधिकार के स्वामित्व का प्रतिशत	ब्याज का विवरण
भारती हैक्साकॉम लिमिटेड	30.00%	30.00%	संयुक्त नियंत्रित सत्व
टीबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड	44.94%	44.94%	संयुक्त नियंत्रित सत्व
युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड	26.66%	26.66%	संयुक्त नियंत्रित सत्व
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स नाइजीरिया लिमिटेड (टीसीएनएल) (निष्क्रिय कंपनी)	40.00%	40.00%	संयुक्त नियंत्रित सत्व
इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)	36.00%	36.00%	संयुक्त नियंत्रित सत्व

परिसंपतितियों, देयताओं, आय व व्यय इत्यादि का अंश

	भारती हैक्साकॉम लिमिटेड		टीबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड		युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड		टीसीएनएल		आईसीएसआईएल	
	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित			अंकेक्षित	अंकेक्षित
वर्ष की समाप्ति तक	**31-Mar-21**	**31-Mar-20**	**31-Mar-21**	**31-Mar-20**	**31-Mar-21**	**31-Mar-20**	**31-Mar-21**	**31-Mar-20**	**31-Mar-21**	**31-Mar-20**
परिसंपत्तियों का अंश	450,105.00	463,041.00	177.15	173.89	1,508.73	1,298.24	-	-	4,396.37	3,929.27
देयताओं का अंश	390,525.00	372,441.00	8.23	8.42	10,575.93	8,643.81	-	-	3,062.64	2,833.20
आय का अंश	141,129.00	116,760.00	85.75	18.43	0.00	0.00	-	-	5,878.19	5,962.40
व्यय का अंश	170,802.00	220,155.00	82.31	19.61	1,721.63	2,120.80	-	-	5,572.92	5,674.14
संयुक्त उपक्रम कं. की आकस्मिक देयता में टीसीआईएल का अंश	-	-		-		-	-	-		-
टीसीआईएल द्वारा उपार्जित संयुक्त नियंत्रित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कंपनी के लिए आकसमिक देयता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टीसीआईएल द्वारा उपार्जित अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपक्रमों के लिए आकस्मिक देयता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उपक्रम कंपनी की पूंजी प्रतिबद्धता में टीसीआईएल का अंश										
टीसीआईएल द्वारा उपार्जित संयुक्त उपक्रम कंपनी के लिए पूंजी प्रतिबद्धता										

59. भा.ले.मा. – 116 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय पट्टे

कंपनी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा अधिसूचित इंडस्ट्रीज के रूप में 1 अप्रैल, 2019 को इंडस्ट्रीज –116 के तहत 'पट्टों' को अपनाया है और संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग करके अपने पट्टों के लिए मानकों को लागू किया है। इससे राइट टू यूज एसेट्स और संबंधित लीज देनदारियों को मान्यता मिली है।

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग की संपत्ति के अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन के लिए नोट 4 को देखें।
2. वर्तमान व गैर–वर्तमान पट्टा देयताओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च, 2020
वर्तमान पट्टा देनदारियां	66.36	270.01
गैर मौजूदा पट्टा देनदारियां	707.76	1,230.29
कुल	**774.12**	**1,500.30**

3. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टे की देनदारियों का संचालन निम्न प्रकार से है:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च, 2020
प्रारंभ में शेष	1,500.30	599.51
वर्ष के दौरान वृद्धि	54.25	1,076.45
वर्ष के दौरान समाप्ति	(706.12)	-
अवधि के दौरान उपार्जित वित्तीय लागत	84.26	153.45
पट्टा देयताओं का भुगतान	(154.56)	(378.25)
विनिमेय अंतर	(4.02)	49.14
समाप्ति पर शेष	**774.12**	**1500.30**

4. नीचे दी गई तालिका पट्टे की देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	31 मार्च 2021		31 मार्च, 2020	
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टों का भुगतान	181.27		443.90	
भविष्य में न्यूनतम पट्टा देय	सकल मूल्य	वर्तमान मूल्य	सकल मूल्य	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	144.95	66.36	407.17	270.01
एक साल के बाद और उसके बाद पांच साल से ज्यादा नहीं	383.59	108.44	960.35	630.55
पांच साल से अधिक	4,673.01	599.32	4,744.40	599.74

5. **पट्टा देयताओं की समाप्तिः**

कुछ रेखांकित परिसंपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, पॉलिसी नं. 1.5 के अनुसार निर्वापन लेखांकन को अपनाया गया है और समाप्ति तिथि तक पट्टा परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के अग्रेषित मूल्य को मान्यता नहीं दी गई है और इनके अंतर को लाभ व हानि विवरण में निम्नानुसार दिखाया गया है:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च, 2020
अमान्य आरओयू परिसंपत्ति	674.98	-
अमान्य आरओयू देयता	(706.12)	-
लाभ व हानि में प्रभारित निवल आय (व्यय)	31.14	-

60. प्रति शेयर आय

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भा.ले.मा. –33 के तहत ष्प्रति शेयर आयष के अनुपालन में, प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित) की गणना के लिए विचारणीय तथ्य निम्नानुसार हैं:

अंशभाजक	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पश्चात लाभ (न्यूमेरिक के रूप में उपयोग किया जाता है (राशि लाख रुपए में)	5,276.58	4,443.20
विभाजक		
– इक्विटी शेयरों की संख्या (10/– रु. अंकित मूल्य)	5,92,00,000	5,92,00,000
– वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य
– प्रति शेयर मूलभूत कमाई की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,92,00,000	5,92,00,000
– प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,92,00,000	5,92,00,000
– प्रति शेयर मूल आय (रु. प्रति शेयर) (10/– रु. का अंकित मूल्य)	8.91	7.51
– प्रति शेयर मिश्रित आय (रुपए प्रति शेयर) (10/ – रुपए का अंकित मूल्य)	8.91	7.51

61. **क) लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय की वैधानिक आयकर दर पर अनुमानित कर व्यय का सामंजस्य इस प्रकार है:**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आयकर से पहले लाभ : (हानि)	**6,618.09**	**8,218.27**
25.168: की कंपनी की वैधानिक आयकर दर पर कर (प्रति वर्ष: 25.168%)	1,665.64	2,068.37
भत्ते/छूट के संबंध में समायोजन		
छूट प्राप्त आय पर कर का प्रभाव	-	-
उन खर्चों पर कर का प्रभाव जो अस्वीकृत हैं	634.90	927.89
आयकर अधिनियम के अनुसार खर्चों पर कर का प्रभाव	(373.69)	(2,284.54)
विदेशी कर क्रेडिट की समाप्त हो चुकी अवधि	-	280.13
लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार कुल कर	**1,926.85**	**991.85**

ख) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध आस्थगित कर देनदारियों (परिसंपत्तियों) के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

विवरण	01.04.2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष	मान्यता प्राप्त/ लाभ और हानि के माध्यम से	अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता प्राप्त / विपरीत	31.03.2021 को अंतिम शेष
संबंधित आस्थगित कर देयताएं / (संपत्ति):				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के दर्ज आधार और कर आधार के बीच अंतर	1,125.81	(559.40)	-	566.41
अपेक्षित साख हानि के लिए भत्ता	(3,287.22)	(181.14)	-	(3,468.36)
लाभ और हानि के विवरण के लिए खर्च की गई राशि का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दी गई	(549.72)	(71.16)	-	(620.88)
अन्य	(490.48)	1.28	-	(489.19)
निवल आस्थगित देयताएं (परिसंपत्तियां)	**(3,201.61)**	**(810.41)**	**-**	**(4,012.02)**

*** विदेशी शाखाओं के आस्थगित कर के रूपांतरण पर 3.28 लाख रूपये का विनिमय लाभ शामिल है।**

62. भारतीय लेखा मानक – 37 के अनुसार, प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	उपदान	अवकाश नगदीकरण	सेवानिवृत्ति कर्मचारी चिकित्सा योजना	आयकर के लिए प्रावधान
01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	964.01	1,802.19	1,317.56	2,804.51
वर्ष के दौरान जोड़	128.16	1,284.20	658.36	1,926.85
वर्ष के दौरान लिया गया	-	-	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान ६ समायोजित/बट्टे खाते डाले गए	(591.08)	(623.06)	(26.32)	(1,001.99)
31.03.2021 तक अंतिम शेष	501.09	2,463.33	1,949.60	3,729.36

विवरण	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	अधूरी परियोजनाओं में नुकसान का प्रावधान	निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	ऋण के नुकसान भत्ते का प्रावधान
01.04.2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष	7,904.35	3,192.68	14.83	1,828.02	1,964.07
वर्ष के दौरान जोड़ '	897.18	-	-	-	1347.09
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डालने के लिए किया गया हानिध्प्रावधान	(806.79)	-	-	-	(498.07)
वर्ष के दौरान कुल योग	90.39	-	-	-	849.02
वर्ष के दौरान लिया गया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित / बट्टे खाते डाले गए	(187.88)	-	-		-
विनिमय समायोजन	(25.55)	(6.26)	-	-	-
31.03.2021 तक अंतिम शेष	**7,781.31**	**3,186.42**	**14.83**	**1,828.02**	**2,813.09**

*तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड से संबंधित 822.69 रुपए की की राशि शामिल है

63. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक माने गए हैं, उन्हें पुनरू पंक्तिबद्ध / पुनर्गठित /पुन:संगठित किया गया है। जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सभी राशियां भारतीय लाख रु. में हैं और इसे निकटतम हजार में रूपांतरित किया गया है।

ये टिप्पणियां तुलनपत्र और लाभ व हानि विवरण के संदर्भ में है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण,
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ('स्वामित्व के अधीन कंपनी') और उसकी सहायक कंपनियों (इस कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है), व इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें समेकित बैलेंस शीट शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक के लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त होने वाले वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) दी है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत मांगी गई अपेक्षित जानकारी के अनुसार सही व सटीक रुप से कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जैसा कि संशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत समेकित स्थिति के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक के समूह के वित्तीय मामले (वित्तीय स्थिति), और उस तारीख तक समाप्त वर्ष के दौरान उनकी समेकित हानि, कुल व्यापक हानि, इक्विटी में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह मामलों का विवरण दिया गया है।

मत का आधार

हमने यह लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण न हो जिसके लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना बनाना और उसे पूरा करना अपेक्षित है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुपालन के लिए कंपनी से मुक्त हैं और हमने स्वतंत्र रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत इन समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, हम अपने उन सभी नीतिगत दायित्वों को भलिभांति पूरा कर रहे हैं जोकि आचार संहित व इन अनिवार्यताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण मामला

हम, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित मामलों के समेकित वित्तीय विवरणों पर की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन पर हमारे द्वारा इन को प्रमुखता से किए जाने की आवश्यकता है। इन मामलों के संबंध में केवल हमारी राय उपयुक्त नहीं होगी:–

1. **तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)** के संबंध में, जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 तक **रू.1866.90 लाख** की कुल संपत्ति को दर्शा रहा है और वर्ष की समाप्ति पर **6.54 लाख रूपए** का कुल राजस्व और **1.14 लाख रूपए का शुद्ध नकदी प्रवाह** प्रतिबिंबित हो रहा है जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं के तहत प्रतिकूल राय दी हैः

   i) एक प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रुप में कंपनी की धारणा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरण के लेखाओं को तैयार किया गया है। हालांकि, कंपनी की 17231.67 लाख रु. (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 980.29 लाख रु. की हानि सहित) की हानि ने कंपनी के निवल मूल्यों का क्षय किया है जिसके चलते इस सहायक कंपनी के विकासशील उद्यम के रूप में आगे बढ़ने पर प्रश्न चिह्न लग गया है। कंपनी ने वर्ष 2017 से अपनी फैक्टरी का संचालन नहीं किया है और तीन वर्षों से कोई बिक्री नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि फैक्टरी में इस समय बिजली की व्यवस्था तक भी नहीं है और परिचालन को फिर से शुरु करने के लिए मशीनों की बड़े स्तर पर ओवरहॉलिंग कराए जाने की आवश्यकता है। कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं से विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास तो कर रही है, किंतु यह भी कि कंपनी को अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए जरुरी, कोई नया आर्डर भी नहीं मिला है।

   लेखापरीक्षा 570 (लेखा मानक) के अनुसार, प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान को आधार मान कर इसके वित्तीय विवरणों के लेखांकन को तैयार किया गया है पर लेखा परीक्षक के विवेकानुसार और प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के लेखांकन का आधार इसके लिए एक प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान का उपयोग करना अनुचित है, तो वहीं लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिकूल राय व्यक्त करने के लिए अनुच्छेद 21 का लागू होना आवश्यक है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्तीय विवरणों के लेखांकन

के लिए प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान की धारणा के आधार पर प्रबंधन के अनौचित्य का प्रकटीकरण शामिल है अथवा नहीं।

इसलिए, उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित कारकों के संचयी प्रभाव पर विचार करते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कंपनी के पुनरुद्धार में वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन की चिंता अनुचित है।

ii) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 (31 मार्च, 2020 तक के तुलनात्मक आंकड़ों सहित) के संदर्भ में उचित मूल्य पर निम्नलिखित देयता/परिसंपत्ति को अभिज्ञापित नहीं किया है और इसका प्रभाव भी निश्चित नहीं हैः

क) मैसर्स फुजीकुरा लिमिटेड को देय राशि 198.07 लाख रु. है जो (विगत वर्ष 200.03 लाख रु.) थीय

ख) व्यापार प्राप्य 713.62 लाख रु. है (इसे अच्छा माना जाता है) जो (पिछले वर्ष रु. 714.10 लाख रुपए था)य

ग) असुरक्षित व्यापार देय राशि 341.15 लाख रु. है जो (पिछले वर्ष रु.344.09 लाख) थी।

2) **टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (सहायक कंपनी)** के संबंध में, जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 तक **7156. 13 लाख रूपये की कुल संपत्ति, 1757.67 लाख रूपये का कुल राजस्व और (–)105.38 लाख रूपये** का शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी सराहनीय राय व्यक्त की हैः

कंपनी, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ('एमपीआरडीसी') द्वारा डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) आधार पर बीना–कुरवई–सिरोंज रोड (राज्य राजमार्ग–64) के निर्माण के लिए कार्य–आदेश दिया गया था। **0.50 कि.मी. से 57.60 कि.मी.** तक का सड़क निर्माण कार्य पूरा किए जाने के बाद अप्रैल 2014 में टोल संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया था। उक्त अनुबंध के अनुसार, इस परियोजना के तहत कंपनी को पूरी रियायत अवधि के दौरान सड़क का संचालन और रखरखाव करने का कार्य करना था और फिर एमपीआरडीसी (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) के रियायती अनुबंध में निर्धारित मानकों के अनुसार परियोजना को वापस सौंपे जाने और रियायती अनुबंध की पूर्व शर्त के अनुसार आवधिक रखरखाव के साथ–साथ नियमित रखरखाव करना भी माना गया। जैसा कि प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई है, कंपनी को वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान रखरखाव परिव्यय के लिए, 14.50 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। उक्त **14.50 करोड़ रूपये** में से, कंपनी को वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) यानी **25–04–2014 से 31–3–2021** के बाद से उपरोक्त व्यय के लिए **6.20 करोड़ रूपये** (नीचे दिए गए विवरण) का प्रावधान करना होगा और यह आवश्यक रुप से भारतीय लेखा मानकों यानि लेखा मानक 11 'निर्माण अनुबंध' और भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुपालन में किया जाना है। किंतु कंपनी उपरोक्त के अनुपालन में, **6.20 करोड़ रूपये** का प्रावधान करने में विफल रही है और तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 11 'निर्माण अनुबंध' और 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं के साथ संकलित नहीं किया है। इसी को विस्तार से नीचे दिया गया हैः

1) भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंध (परिशिष्ट ए) स्पष्ट रूप से सेवा रियायत समझौतों को परिभाषित करता है – जो एक अनुबंध द्वारा शासित व्यवस्था के रूप में जो प्रदर्शन मानकों, कीमतों को समायोजित करने के लिए तंत्र, और मध्यस्थता विवादों की व्यवस्था निर्धारित करता है। ऐसी व्यवस्थाओं में ''बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर'' व्यवस्था शामिल है जो कि कंपनी, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड पर लागू होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, भारतीय लेखा मानकों के परिशिष्ट ए के विशिष्ट खंड 21 के अनुसार ठेका संबंधी दायित्वों के तहत वर्तमान दायित्व को पूरा करने के लिए एक बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार ही सेवाक्षमता के निर्दिष्ट स्तर को मान्यता दी जाएगी। कंपनी, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड अपने परिचालन चरण के दौरान यानी **25–04–2014 से 31–3–2021 तक** सड़क के उपयोग के परिणामस्वरूप की जाने वाली व्यवस्थापना को पहचानने में विफल रही है।

2) कंपनी के प्रबंधन द्वारा, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, परिचालन अवधि यानी **25–04–2014 से 31–3–2024 तक** सड़क के उपयोग के फलस्वरुप किए जाने वाले प्रमुख रखरखाव के लिए, **वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान 14.50 करोड़ रूपये** का खर्च होने की उम्मीद है। तदनुसार, कंपनी को उपरोक्त बिंदु (i) में उल्लिखित भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के साथ पढ़े गए भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के विशिष्ट

खंडों के अनुसार, सुरक्षात्मक उपाय के रुप में रखरखाव लागत के लिए आवश्यक संभावित व्यवस्थापना का अनुमान लगाना चाहिए और उस अवधि के दौरान लागत अर्जित करनी चाहिए जिसके अंत में वित्तीय विवरणों में प्रमुख रखरखाव या सुरक्षात्मक उपाय की आवश्यकता होगी।

प्रमुख रुप से सुरक्षात्मक उपाय के रुप में रखरखाव की लागत को साबित न कर पाने के परिणामस्वरुप वित्तीय वर्ष 2014 –15 से **31 मार्च**, 2021 तक की अवधि के दौरान हुई **6.20 करोड़ रूपए** की हानि को कम करके दिखाया गया है और इसके परिणामस्वरुप बैलेंस शीट के लाभ और हानि खाते में कंपनी की प्रति शेयर आय और प्रावधानों सहित वित्तीय विवरणों पर इसका अनुवर्ती प्रभाव पड़ा है।

वित्तीय वर्ष	संबंधित वर्ष में नुकसान को कम प्रदर्शित करना (भारतीय रूपए करोड़ में राशि)
2014-15	0.63
2015-16	0.70
2016-17	0.79
2017-18	0.89
2018-19	0.96
2019-20	1.06
2020-21	1.17
वित्त वर्ष 2014 –15 से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान हुए नुकसान को कम प्रदर्शित करना	**कुल 6.20 करोड़**

अन्य मामलेः

हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों और उनकी अन्य सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, इनके **वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 तक कुल 17595.53 लाख रूपये** की संपत्ति दर्शाते हैं, और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है कि इस तारीख को समाप्त वर्ष के अनुसार, **2373.62 लाख रूपए का कुल राजस्व** और **(–)165.14 लाख रू. का शुद्ध नकदी प्रवाह** दर्शाया गया है। एक संयुक्त उद्यम के शेयर के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के दौरान **31020 लाख रूपये की शुद्ध हानि** भी शामिल है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों और अन्य सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों उपरोक्त उल्लिखित सहायक कंपनियों की राशि और प्रकटीकरण के संबंध में हमारी राय और समेकित वित्तीय विवरण की हमारी रिपोर्ट, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य दो सहायक संस्थाओं के भी वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। यह **31 मार्च, 2021 तक 668.54 लाख रू. की कुल संपत्ति, 7.29 लाख रू.** के **कुल राजस्व** को दर्शाते हैं और इसी तिथि को **समाप्त वर्ष के दौरान (–)26.10 लाख रू.** के शुद्ध नकदी प्रवाह की भी समेकन की तारीख तक लेखा–परीक्षा नहीं की गई थी। समेकित वित्तीय विवरणों में तीन संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणः वित्तीय जानकारी की, समेकन की तिथि तक लेखा–परीक्षा नहीं की गई और 31 मार्च, **2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 241.09 लाख रू. के शुद्ध लाभ** में समूह का शेयर भी शामिल है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के संबंध में और हमारे भरोसे के लिए उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों पर दी गई रिपोर्ट और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संशोधित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित जानकारियां शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर दी गई लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर वयक्त की गई अपनी राय में हम अन्य जानकारियों को शामिल नहीं कर रहे हैं और न ही हम उन पर किसी भी प्रकार के आश्वासन या निष्कर्ष को व्यक्त करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर की गई हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में हम इस बात पर विचार करें कि क्या दी गई अन्य सूचनाएं समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्त्वपूर्ण है या लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध हमारी अपनी जानकारी ही संगत हैं अथवा जानकारी कहीं भौतिक रूप से गलत तो नहीं है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हमें यह लगे की अन्य जानकारी का कोई बिंदु गलत विवरण के साथ आया है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। फिलहाल, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और शासनिक प्रभार

कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) के तहत समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह और समूह की इक्विटी में समेकित परिवर्तन और अपने संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की हिस्सेदारी का एक सच्चा और निष्पक्ष आवलोकन करता है। समूह में शामिल कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी समूहों के संबंधित निदेशक मंडल, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करते हैं और इस प्रकार से आंके हुए निर्णय लेते हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हों तथा वे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी करते हैं जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें तथा एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की गलत बयानी संबंधी सामग्री, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हों, और पूर्वोक्त की भांति इन्हें ही कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, जैसा लागू हो, वैसे ही समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अनुसार उनकी क्षमता के आकलन व प्रकटीकरण से संबंधित मामलों की रिपोर्ट को उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या उनका संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखते हों या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भी समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संदर्भ में तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण भौतिक रुप से गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटियों से पूरी तरह से मुक्त हैं और हमारा उद्देश्य वो लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कों के आधार पर दिया गया आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है पर यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुपालन में संचालित की गई लेखापरीक्षा सदैव भौतिक गलतबयानी का पता लगा सकती हो। गलतबयानी या धोखाधड़ी त्रुटि से भी हो सकती है और भौतिक रूप प्राप्त की जा सकती है और यथोचित रूप से उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है जो इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए हों।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्य का एक हिस्सा होने के नाते हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह भी बनाए रखते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि, हमः

- हम, समेकित वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के महत्वपूर्ण जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के निवारण में ही लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा के लिए वे साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली सामग्री का पता नहीं लगाने के परिणाम एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना होना भी शामिल हो सकते हैं।

- हम, परिस्थितियों के अनुरुप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशाली है अथवा नहीं।

- हम, उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए, प्रबंधन के प्रगतिशील प्रतिष्ठान के उपयोग के औचित्य के आधार पर और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को एक प्रगतिशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त

हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक प्रतिष्ठान के रूप में अपना कार्य संचालन बंद भी कर सकती है।

- हम, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है अथवा नहीं।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जहां व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से ही यह संभव है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकार या उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए: (1) सर्वप्रथम लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनाय (2) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

हम, अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे व समय के अंदर महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिससे यदि आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां हैं तो अपने ऑडिट के दौरान उन्हें पहचान लें।

हम, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए उन तथ्यों को भी अपने कार्य के दायरे में लाते हैं जिन पर कंपनी द्वारा निगरानी रखी जा रही है, और इस प्रकार के सभी संबंधों और मामलों पर संवाद करने के लिए हमारी स्वतंत्रता पर, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों सहित उचित रूप से विचार कर सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संदर्भ में, समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट में दिए गए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनियों के साथ पठित (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधिनियम की धारा 133 में किए गए संशोधन के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं माना गया है और इसी के मद्देनजर, 5 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

ङ) होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और भारत में स्थित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **'अनुलग्नक ए'** में हमारी अलग रिपोर्ट का आवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पर्याप्तता पर एक असंशोधित मत अभिव्यक्त कर रही है।

च) कंपनी नियम, 2014 (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में लागू सीमा तक शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अथवा जैसा कि 'अन्य मामलों' के पैराग्राफ में भी उल्लेख किया गया है कि:

1) समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी, उसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं –

देखें – समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्यारू 46

2) समेकित वित्तीय विवरणों में, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक होने पर, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, भौतिक पूर्वाभास के तहत नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।

3) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और भारत में स्थित सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि हस्तांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M.No.: 097900
UDIN: 21097900AAAAAQ2878

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31 अगस्त 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

(टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अनुभाग के तहत पैराग्राफ (एफ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने **टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड** (इसके बाद इसे 'धारक कंपनी" कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनियों और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा जाएगा) और संयुक्त नियंत्रित सत्वों के लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक समाप्त अवधि का तुलनपत्र, इसी वर्ष का लाभ व हानि वक्तव्य और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और संबद्ध कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, इनका संबंधित निदेशक मंडल भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और उनका पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी इसमें शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक मत अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने यह लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (दिशानिर्देश नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर यथाप्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट है, के अनुपालन में संचालित की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था क्योंकि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं और तत्पश्चात लेखा परीक्षा करें।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य मामलों के संबंध में नीचे दिए गए पैराग्राफ में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तार्किक आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं जिनमें:

(1) ऐसे रिकॉर्ड रखते जाते हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन और लेनदेन को तार्किक, विस्तृत, सटीक तथा समुचित रूप में प्रतिबिंबित करते हैं,

(2) तार्किक आश्वासन दिए जाते है कि सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए यथावश्यक अनुमतियों के आधार पर लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की रसीदों और खर्चों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की स्वीकृति के साथ ही किया गया है, और

(3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रबंधन का समय पर पता लगाने और रोकथाम के संबंध में

तार्किक आश्वासन प्रदान किए जाते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

आपसी सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या त्रुटि से भौतिक गलतबयानी हो सकती है या उसका पता नहीं लग सकता है। साथ ही, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कोई भी मूल्यांकन इस जोखिम पर आधारित होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन होने या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो जाने पर अपर्याप्त हो जाता है।

मत

हमारे मतानुसार, धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उपक्रम और भारत में निगमित संबद्ध कंपनियों के पास सभी भौतिक पहलुओं को देखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 से प्रभावी है तथा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार किया गया है।

अन्य मामले

तीन सहायक कंपनियों और दो संयुक्त उपक्रम कंपनियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत और भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की सदृश रिपोर्टों पर आधारित है और दो सहायक कंपनियां और तीन संयुक्त उपक्रमों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर उनकी लेखापरीक्षा की गई है। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कृते कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:007814N

पवन कुमार गर्ग
साझेदार
M.No.: 097900
UDIN: 21097900AAAAAQ2878

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31 अगस्त 2021

31 मार्च 2021 तक समेकित तुलनपत्र

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र, व उपकरण	3	3,235.04	3,576.81
(ख) परिसंपततियों के उपयोग का अधिकार	4	1,100.41	1,870.08
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	5	17,803.46	18,710.75
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	61,082.64	91,861.54
(ii) व्यापार प्राप्य	7	1,107.60	853.96
(iii) ऋण	8	48.04	72.09
(iv) अन्य	9	9.97	13.06
(घ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	21	4,012.02	3,201.61
(ड.) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	10	4,479.22	2,225.03
		92,878.40	**122,384.93**
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) मालसूचियां	11	732.04	1,323.48
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	12	202,327.26	172,845.88
(ii) नकदी व नकदी समानक	13	21,501.64	9,275.45
(iii) अन्य बैंक शेष	14	4,483.15	8,289.38
(iv) ऋण और अन्य	15	5,676.28	5,654.80
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	16	3,207.24	2,727.18
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	106,581.72	114,018.37
		344,509.33	**314,134.54**
कुल परिसंपत्तियां		**437,387.73**	**436,519.47**
इक्विटी व देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	2A	5,920.00	5,920.00
(ख) अन्य इक्विटी	2B	96,401.84	124,519.04
कंपनी के स्वामी को देय इक्विटी		102,321.84	130,439.04
(ग) गैर नियंत्रक ब्याज		(6,370.16)	(5,868.72)
कुल इक्विटी		**95,951.68**	**124,570.32**
देयताएं			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	3,145.00	5,482.17
(ii) व्यापार प्राप्य	19	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,129.46	1,628.52
(ख) प्रावधान	22	5,197.45	3,656.20
		9,471.91	**10,766.89**

31 मार्च 2021 तक समेकित तुलनपत्र (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(2) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	3,699.83	26,240.40
(ii) व्यापार प्राप्य	24		
क) लघु और सूक्ष्म उद्यमों की कुल बकाया राशि		247.81	788.60
ख) लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि		199,729.17	164,337.14
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	83,197.99	66,087.35
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	26	29,277.97	24,680.07
(ग) प्रावधान	27	15,811.37	19,048.70
		331,964.14	**301,182.26**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**437,387.73**	**436,519.47**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

टिप्पणियां 1 से 66 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

यह तुलनपत्र समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांकः 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
आय			
परिचालनों से आय	28	175,949.29	175,338.16
अन्य आय	29	1,343.41	674.72
कुल आय		**177,292.70**	**176,012.88**
परिचालन आय			
उपभुक्त सामग्री की लागत	30	2,023.19	3,906.77
स्टाक–इन–व्यापार की खरीद		16,578.43	21,997.51
स्टाक–इन–व्यापार की मालसूची में परिवर्तन	31	-	-
उप–संविदाकार व्यय		110,421.60	93,844.97
कर्मचारी लाभ व्यय	32	29,489.59	30,373.83
वित्तीय लागत	33	1,808.68	3,098.74
मूल्यह्रास व अमूर्तिकरण व्यय	3,4&5	1,506.19	5,591.08
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	34	8,914.10	12,442.19
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		219.34	48.51
किए गए प्रावधान		74.50	811.46
कुल व्यय		**171,035.62**	**172,115.06**
संयुक्त नियंत्रित सत्व एवं कर के लाभ के अंश पूर्व लाभ		6,257.08	3,897.82
अपवादजनक मदें		-	-
संयुक्त नियंत्रित सत्वों (निवल कर) के लाभ/(हानि) का अंश		(30,778.90)	(82,279.50)
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(24,521.82)**	**(78,381.68)**
कर व्यय	35		
– वर्तमान कर		2,155.67	3,207.15
– आस्थगित कर		(813.69)	568.20
कुल कर योग		1,341.98	3,775.35
अवधि (क) के लिए लाभ/(हानि)		**(25,863.80)**	**(82,157.03)**
घटाइए: गैर नियंत्रक ब्याज पर लाभ/(हानि) का अंश		(503.66)	(717.24)
कंपनी के स्वामित्व को देय लाभ/(हानि)		**(25,360.14)**	**(81,439.79)**
अन्यव्यापक आय/(हानि)			
(i) **लाभ व हानि के रूप में पुनरूवर्गीकृत होने वाली मदें**			
विदेशी परिचालनों के अंतरण पर होने वाला विनिमय अंतर		146.81	(7,406.11)
आयकर प्रभाव	35	(39.86)	1,872.01
तदवर्ती अवधियों में लाभ व हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत निवल अन्य व्यापक आय/(हानि)		106.95	(5,534.10)
(ii) **मदें जो लाभ व हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं होंगी**			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/(हानि)		(1,443.36)	(1,230.91)
आय कर प्रभाव	35	365.52	296.32

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
तदवर्ती अवधियों में लाभ व हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं होने वाली निवल अन्य व्यापक आय/हानि		(1,077.84)	(934.59)
अन्य व्यापक आय/हानि निवल कर (i+ii) (B)		**(970.89)**	**(6,468.69)**
घटाइए:– गैर नियंत्रक ब्याज पर अन्य व्यापक आय का अंश		4.54	(27.27)
कंपनी के स्वामियों को देय अन्य व्यापक आय/हानि		**(975.43)**	**(6,441.42)**
निम्न को देय कुल व्यापक आयध्हानिः			
कंपनी का स्वामी		**(26,335.57)**	**(87,881.21)**
गैर नियंत्रक ब्याज		(499.12)	(744.51)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/हानि (क्+ख)		**(26,834.69)**	**(88,625.72)**
10 रु. प्रत्येक का प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	59		
– मूलभूत		(42.84)	(137.57)
– तनुकृत		(42.84)	(137.57)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

टिप्पणियां 1 से 66 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

यह लाभ व हानि लेखा समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांकः 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
क	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कराधान पूर्व निवल लाभ	(24,521.82)	(78,381.68)
	– अपवादजनक मदें	-	-
	कराधान पूर्व निवल लाभ व अपवादजनक मदें	(24,521.82)	(78,381.68)
	निम्न हेतु समायोजन :		
	मूल्यह्रास व अमूर्तिकरण व्यय	1,506.19	5,591.08
	विदेशी विनिमेय लाभ/(हानि)	146.81	(7,406.11)
	परिसंपत्तियों की बिक्री/रद्दीकरण पर लाभ/(हानि)	2.49	3.84
	ब्याज आय	(559.84)	(290.60)
	लाभांश आय	-	(10.80)
	ब्याज आय	1,807.74	2,172.23
	संदिग्ध ऋणोंध्पेशगियों के लिए प्रावधान	74.50	811.46
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	-	4.40
	परिभाषित लाभ योजना पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1,443.36)	(1,230.91)
	कार्य पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(22,987.29)	(78,737.09)
	निम्न हेतु समायोजन :		
	विविध देनदारों में परिवर्तन	(29,809.52)	(23,261.80)
	मालसूचियों में परिवर्तन	591.44	422.30
	व्यापार प्राप्य में परिवर्तन	34,851.24	14,242.90
	वर्तमान/गैर वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में परिवर्तन	(3,320.22)	30,921.04
	अन्य वर्तमानध्गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	5,195.05	(11,214.82)
	परिचालनों से सृजित नकदी	(15,479.30)	(67,627.47)
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा	-	-
	देय आयकर	(2,310.08)	(2,755.50)
	अपवादजनक मदों से पहले नकद प्रवाह	(17,789.38)	(70,382.97)
	अपवादजनक मदें	-	-
	परिचालन गतिविधियों (उपभुक्त) से निवल नकदी – क	**(17,789.38)**	**(70,382.97)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	विदेशी विनिमय लाभ/(हानि) सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(272.04)	(1,976.32)
	उपकरण की बिक्री से आगे	782.09	53.75
	विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण/से आगे	-	-
	निवेश में परिवर्तन	30,778.90	82,279.51
	अन्य बैंक शेष में परिवर्तन	3,806.23	1,985.99
	प्राप्त ब्याज	556.20	172.13
	प्राप्त लाभांश	-	10.80
	निवेश गतिविधियों (उपभुक्त) से निवल नकदी – ख	**35,651.38**	**82,525.86**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	दीर्घकालीन उधार से आगे	(2,337.17)	(1,519.93)

31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी...)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
	पट्टा देयताओं का भुगतान	(154.56)	(378.25)
	देय ब्याज	(1,366.81)	(2,018.78)
	–लाभांश व लाभांश वितरण कर देय	(1,777.27)	(2,116.90)
	वित्तीय गतिविधियों (उपभुक्त) से निवल नकदी – ग	**(5,635.81)**	**(6,033.86)**
	नकदी एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी (क, ख, ग)	12,226.19	6,109.03
	अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं बैंक शेष	9,275.45	3,166.42
	अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं बैंक शेष	21,501.64	9,275.45
	नकदी एवं बैंक शेष में निवल कमी/वृद्धि	12,226.19	6,109.03

नोट :

1 उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय ले.मा.–7 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्दिष्ट 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है

2 बैंकों में 0.02 लाख रु. (विगत वर्ष 0.02 लाख रु.) के शेष सहित अवधि की समाप्ति तक नकदी एवं नकदी समानक विदेशी शाखाओं में रखा हुआ है जिसे वर्तमान विनिमेय प्रतिबंधों के कारण कंपनी प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है.

3 अनाहरित उधार सुविधाएं भावी परिचालन गतिविधियों के लिए उपलब्ध हैं और 31 मार्च, 2020 तक 27,743.71 लाख रु. तक की राशि का निपटान किया जाना है (विगत वर्ष 10,667.46 रु. लाख)

4 कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं

5 विगत वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनर्क्रमबद्ध / पुनर्नियोजितध्पुनिर्समूहीकृत किया गया है

यह लाभ व हानि लेखा समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

रिपोर्टिंग अवधि – 1 अप्रैल, 2020 की शुरूआत तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति – 31 मार्च, 2021 तक शेष
5,920	-	5,920

ख. अन्य इक्विटी

	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	प्रतिभूति प्री. मियम	पूंजी निर्माण भंडार	सामान्य भंडार	अन्य भंडार	प्रतिधारित अर्जन	विदेशी परिचालन से वित्तीय विवरणों में अंतरण पर विनिमेय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल	गैर नियंत्रक ब्याज
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष – अप्रैल 1, 2020 1, अप्रैल 2020 तक रिपोर्ट की शुरूआत पर शेष		**48.22**	**480.11**	**63,533.83**	**-**	**71,266.84**	**(9,045.17)**	**(1,764.79)**	**124,519.04**	**(5,868.72)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय						(25,360.14)	106.99	(1,082.42)	(26,335.57)	**(499.12)**
घटाइएरू देय वर्तमान वर्ष में देय लाभांश						1,777.27			1,777.27	
कोइ अन्य परिवर्तप/अंतरण						(4.36)		-	(4.36)	(2.32)
समापति पर शेष			480.11	63,533.83	-	44,125.07	(8,938.18)	(2,847.21)	96,401.84	(6,370.16)
सामान्य भंडार पर अंतरण				3,499.31		(3,499.31)				
31, मार्च 2021 तक रिपोर्टिंग की समापति पर शेष			**480.11**	**67,033.14**	**-**	**40,625.76**	**(8,938.18)**	**(2,847.21)**	**96,401.84**	**(6,370.16)**

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट को संदर्भित है

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांक: 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियां 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का अंश है

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1.1 लेखाओं का आधार और समेकित वित्तीय विवरण तैयार करनाः

लेखाओं का आधार

i) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त नियंत्रित सत्वों (इसके बाद इन्हें 'समूह' कहा जाएगा) के इन समेकित वित्तीय विवरणों (इसके बाद इन्हें 'समेकित वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार परंपरागत लागत प्रथा के अधीन उपचय आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 133 (अधिनियम) कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक) 2015 यथासंशोधित और अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार भारतीय लेखा मानकों (इसके बाद इसे भारतीय ले.मा. कहा जाएगा) में दिए गए अभिज्ञापन और मापन सिद्धांतों के अनुपालन में तैयार किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

ii) इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रु. में प्रस्तुत किया गया है जोकि मूल कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा अपेक्षित हो, सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख रु. में भारतीय मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है।

मापन का आधार

iii) इन समेकित वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा अपेक्षित हो, ऐतिसाहिक लागत कन्वेंशन के तहत तैयार किया गया है।

(क)प्राक्कलनों का प्रयोग और निर्णय

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान किए जाने अपेक्षित हैं, जो परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रतिवेदित संतुलन तथा वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रासंगिक देयताओं संबंधी प्रकटीकरण तथा वर्ष के दौरान आय और व्यय की प्रतिवेदित रकमों पर प्रभाव डालते हों। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत थे। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। भारतीय ले.मा. के अनुरूप तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण निर्णय, प्राक्कलनों और संभावनाओं में सक्षम होने चाहिए जिससे कि परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय में दर्ज राशियां लेखा नीतियों के अनुरूप दर्शाई जा सकें। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और रेखांकित संभावनाओं की वर्तमान आधार पर समीक्षा की गई है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में अभिज्ञापित किया गया है जिसमें प्राक्कलन का संशोधन हुआ है और जिससे कोई भावी अवधि प्रभावित हो रही है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञापित राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखा नीतियों क् प्रयोग करते हुए संवेदनशील निर्णय के संबंध में जानकारी को निम्नलिखित नोट में शामिल किया गया है:

- **वित्तीय पट्टे का वर्गीकरण**

  अगले वित्तीय वर्ष के भीतर भौतिक समायोजन में होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम का कारण बनने वाली संभावनाओं और प्राक्कलनों के बारे में जानकारी को निम्नलिखित नोट में शामिल किया गया है:

  - व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों की वसूली योग्य राशि.
  - प्रावधान
  - कर परिकलन

1.2 समेकन के सिद्धांतः

सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां कंपनी द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सभी सत्व (विशेष प्रयोजन वाहन सहित) हैं। नियंत्रण मौजूद है या कंपनी के पास सत्व में अपनी भागीदारी का अधिकार रहता है सच में मैं अपना अधिकार होने के कारण कंपनी उन प्रति फलों को प्राप्त करने की योग्यता रखती है जो उसे सत्व से प्राप्त होते हैं। नियंत्रण प्राप्त करने में, संभावित वोटिंग का अधिकार केवल तभी मान्य होता है जब अधिकार मूल रूप से दिए जाएं। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण ों में उस तिथि के समेकित वित्तीय विवरणों को भी शामिल किया जाता है जिस तिथि से नियंत्रण प्रारंभ होता है। कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित सत्वों के वित्तीय विवरण इन नीतियों में उल्लेखित लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एकरूपी लेखा नीतियों का उपयोग करते हुए समेकित किए गए हैं।

नियंत्रण के घाटे तक, समूह सहायक कंपनियों की

परिसंपत्तियों और देयताओं, किसी गैर–नियंत्रक ब्याज और सहायक कंपनियों से संबंधित इक्विटी के अन्य घटकों को अभिज्ञापित नहीं करता है। घाटे के नियंत्रण पर होने वाले किसी भी अतिरेक या घाटे को लाभ व हानि के समेकित विवरण में अभिज्ञापित किया जाता है। यदि कंपनी का पूर्व सहायक कंपनी में कोई हित है, तो उस नियंत्रण के हट जाने की तिथि से उचित मूल्य पर मापा जायेगा। तदनुसार, इसे वर्तमान प्रभाव के स्तर पर इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टी के अनुसार अभिज्ञापित किया जाता है।

निगम और संयुक्त उपक्रम (इक्विटी अकांउटेड इन्वेस्टीज)

निगम वो सत्व होते हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य है उस सत्व की वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भागीदारी किंतु वे इन नीतियों को नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित नहीं करते। महत्वपूर्ण प्रभाव स्थिति में मौजूद रहता है जब कंपनी किसी अन्य सत्व में 20% वोटिंग का अधिकार रखती है। संयुक्त प्रबंधन वह प्रबंधन है जहां संविदात्मक करार के आधार पर कंपनी का संयुक्त नियंत्रण रहता है और कंपनी वित्तीय एवं परिचालन संबंधी निर्णयों में सर्वसम्मति प्राप्त करती है। निगमों और संयुक्त नियंत्रित सत्वों में निवेश को इक्विटी पद्धति (इक्विटी अकांउटेड इन्वेस्टीज) का उपयोग करते हुए गिना जाता है और प्रारंभ में लागत पर अभिज्ञापित किया जाता है। कंपनी के निवेश के वहन मूल्य में अर्जन पर सुव्यवहार, किसी संचित अनर्जक हानियों का निवल शामिल होता है। कंपनी उन सत्वों को समेकित नहीं करती जहां गैर–नियंत्रक ब्याज (एनसीआई) धारक कुछ महत्वपूर्ण भागीदारी अधिकार रखते हैं जो ऐसे सत्वों के व्यापार के सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे सत्वों में निवेश को लेखाओं की इक्विटी पद्धति के आधार पर गिना जाता है। जब कंपनी का हानियों का अंश किसी इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टी में अपने हित से आगे निकल जाता है तो इस हित को शून्य में सीमित करते हुए आगे होने वाली हानि को रोक दिया जाता है बशर्ते कि कंपनी को इन्वेटी की ओर से भुगतान न करना हो या कोई और बाध्यता न हो।

समेकन पर समाप्त होने वाला लेनदेन

अंतर–समूह शेष और लेनदेन, और अंतर–समूह लेनदेन से उत्पन्न होने वाले किसी अप्राप्त आय और व्यय को इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय हटा दिया जाता है। इक्विटी अकांउडेट इन्वेस्टीज के साथ लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ व हानियों को इन्वेस्टी में कंपनी के हित को देखते हुए निवेश से हटा दिया जाता है।

गैर–नियंत्रक ब्याज ("एनसीआई")

एनसीआई को अर्जन की तिथि पर अभिज्ञापित अर्जक की निवल अभिज्ञापित परिसंपत्तियों के उनके अनुपातिक अंश के आधार पर मापा जाता है। किसी सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित जोकि नियंत्रण की हानि के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है के परिवर्तन को इक्विटी लेनदेन के रूप में लिया जाता है।

1.2 आय/व्यय पद्धति

राजस्व अभिज्ञापन

राजस्व को इस आधार पर अभिज्ञापित किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी में प्रवाहित हो और राजस्व को विश्वनीय रूप से मापा जा सके चाहे भुगतान किसी भी अवधि में किया गया हो। राजस्व को संविदात्मक रूप से परिभाषित शर्तों पर किए गए भुगतान के आधार पर मापा जाता है जिसमें सरकार की ओर से संग्रहीत कर व शुल्क शामिल नहीं होते हैं।

(क)परामर्श और/या सेवा अनुबंध

सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के आधार पर समय के साथ या एक समय पर मान्यता दी जाती है।

यदि निष्पादन दायित्व समय के साथ संतुष्टिपूर्वक पूरा हो जाता है, तो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक सेवा के आधार पर प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में राजस्व को मान्यता दी जाती है और यह भौतिक प्रगति, प्रयासों, लेन–देन की कुल अनुमानित लागत, खर्च किए गए समय, सेवा या प्रबंधन द्वारा उपयुक्त किसी अन्य विधि के लिए खर्च की गई लागत के अनुपात पर विचार करने के बाद इनपुट या आउटपुट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य मामलों में जहां निष्पादन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो राजस्व की पहचान उस समय की जाती है जब परिसंपत्ति का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

जैसे सामान्य तौर पर परिसंपत्ति की सुपुर्दगी के समय। इसलिए एक समय में एक इकाई की बिक्री के मामले में प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, और इसलिए राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब प्रदर्शन दायित्व पूरा हो जाता है।

(ख) व्यापार आय

जब कंपनी परिसंपतत्ती के नियंत्रण को अंतरित करती है,

उस समय सामान्यतः परिसंपत्ति की प्रदायगी पर बिंदु आधार पर व्यापार का अभिज्ञापन किया जाता है।

(ग) टर्नकी परियोजनाएं (लागत व संविदाओं सहित)

टर्नकी अनुबंधों के तहत, कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है।

टर्नकी अनुबंधों के लिए, लेनदेन मूल्य वह मूल्य है जो ग्राहक के साथ अनुबंधित स्तर पर सहमति से होता है। पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए एक इनपुट पद्धति का उपयोग करके समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है, क्योंकि बनाई अथवा बढ़ाई जा रही संपत्ति के निर्धारण को ग्राहक को नियंत्रित करता है।

नोट्सः

1) जहां सामग्री की आपूर्ति और कार्यों के लिए एक अनुबंध कोई इकाई नहीं है, वहीं सामग्री की आपूर्ति के लिए राजस्व को 1.3(बी) के तहत व्यापारिक आय के रूप में माना जाता है, जबकि कार्यों का हिसाब 1.3 (सी) के तहत टर्नकी परियोजना के अनुसार किया जाता है, ऊपर।

2) एक अनुबंध के मामले में सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति के लिए, सामग्री की आपूर्ति से आय को 1.3 (बी) के तहत लिया जाता है, जबकि सेवाओं के लिए आय को सेवा अनुबंध के रूप में 1.3 (ए) के तहत लिया जाता है।

(घ) निर्माण– प्रचालन– हस्तांतरण (बिल्ड– ऑपरेट– ट्रांसफर (बीओटी) परियोजनाएंः

i) कंपनी द्वारा शुरू की गई बीओटी परियोजनाओं के तहत सौंप दिए गए निर्माण कार्यों से संबंधित राजस्व को निर्माण की अवधि के दौरान पूर्णता प्रतिशत पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

ii) सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को ऐसी परियोजनाओं के टोल संग्रहण से संबंधित राजस्व का हिसाब तब दिया जाता है जब राशि देय होती है और वसूली निश्चित हो।

iii) सड़क–किनारे मिलने वाली सुविधाओं के लिए लाइसेंस शुल्क का हिसाब अधिवृद्धि या भूमिवृद्धि के आधार पर किया जाता है।

1.4 वारंटी/रखरखाव के आवधिक खर्चों के ले प्रावधान

(क) अनुबंध के पूरा होने पर या जब 1.3 (सी) के तहत कवर की गई परियोजनाओं की वारंटी अवधि शुरू होती है तो अनुमान के अनुसार विशिष्ट आधार पर वारंटी अवधि / रखरखाव के खर्च के लिए प्रावधान किया जाता है। पहले के वर्षों में बनाए गए अतिरिक्त प्रावधान को वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद 'अन्य परिचालन आय' के माध्यम से बट्टे खाते डाला जाता है।

(ख) 1.3 (बी) के तहत कवर की गई आपूर्ति पर वारंटी अवधि /रखरखाव के खर्च के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पहले के वर्षों में बनाया गया अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो तो वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद 'अन्य परिचालन आय' के माध्यम से बट्टे खाते डाला जाता है।

अन्य प्रावधान

जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है तो कानूनी दावों, सेवा वारंटी, परिमाण छूट और रिटर्न के प्रावधानों को मान्यता दी जाती है तो यह संभव है कि इस दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह राशि भी हो सकती है । भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी गई है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंधन द्वारा किए गए सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर एक पूर्व–कर दर है जो पैसे के समय, मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलनों को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.5 पट्टों का लेखांकन

पट्टे

कंपनी, अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या पट्टे के तहत है। अर्थात् अनुबंध, प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या नहीं।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने, परिवर्तन काल से प्रभावित दृष्टिकोण को पहचानने के लिए संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 (परिवर्तन की तिथि) से प्रभावित भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टे' को अपनाया है।

कंपनी, कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों और अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, अन्य सभी पट्टों के लिए एकाकी मान्यता और माप दृष्टिकोण को लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग के अधिकार की संपत्ति को मान्यता देती है।

परिसंपत्ति का उपयोग

कंपनी, पट्टे की आरंभ तिथि से (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से) उपयोग के अधिकार की संपत्ति को मान्यता देती है। किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान, और पट्टे की देनदारियों के पुनरू मापन के लिए समायोजन किया जाता है। उपयोग की सही परिसंपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टे की देनदारियों की राशि और प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है तथा शुरू होने की तारीख से पहले या किसी भी लीज प्रोत्साहन को प्राप्त करने से पहले पट्टे का भुगतान किया जाता है। पट्टे की अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान शुरू होने की तारीख से एक निश्चित आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है।

यदि लीज अवधि या लागत के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है, तो खरीद विकल्प को प्रतिबिंबित करता है, तो मूल्यह्रास की गणना संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर की जाती है।

पट्टा देयताएं

पट्टे की प्रारंभिक तिथि में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज की देनदारियों को पहचानती है। पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान (धन–संपत्ति में निश्चित किए गए भुगतान सहित) के तहत लीज बढ़ोतरी प्राप्य को निकालकर परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल हैं जो एक इंडेक्स या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों को अभिज्ञापित करते हैं। कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प का व्यावहारिक मूल्य भी पट्टे के भुगतान में शामिल होता है और पट्टे को समाप्त करने के लिए अर्थदंड का भुगतान, यदि पट्टा शब्द कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाता हो। वैरिएबल लीज पेमेंट यानि परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी इंडेक्स या रेट पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें उस खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है (जब तक कि वे इन्वेंट्री का उत्पादन करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जिस अवधि या स्थिति में उनका भुगतान होता है।

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में कंपनी लीज प्रारंभ होने की तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ की तारीख के बाद, लीज देयताओं की राशि ब्याज की अभिवृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ जाती है और किए गए लीज भुगतान के लिए कम हो जाती है। इसके अलावा, यदि कोई संशोधन होता है, तो लीज की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है और लीज टर्म, लीज पेमेंट में बदलाव (उदाहरण के लिए, एक इंडेक्स या रेट में बदलाव के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में बदलाव होता है। इस तरह के पट्टे भुगतान का निर्धारण कर) या अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने के लिए एक विकल्प के मूल्यांकन में बदलाव होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई – प्रोपर्टी/प्लांट/ईक्वीपमैंट्स) के नोट और गैर–वर्तमान वित्तीय देनदारियों के नोट–उधार और वर्तमान वित्तीय देनदारियों के नोट में लीज देनदारियों और उपयोग के अधिकार के तहत आने वाली संपत्ति (राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों) को एक अलग लाइन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पट्टे के भुगतान को वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली नकदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अल्पकालिक संपत्ति के अल्पकालिक पट्टे और पट्टे

कंपनी ने सभी परिसंपत्तियों के अल्पआवधिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार के तहत आने वाली संपत्ति (राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों) और लीज देनदारियों की पहचान नहीं करने का फैसला किया है, जिनकी लीज अवधि 12 महीने या उससे कम है और वह कम–मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े भुगतान को सीधे खर्चे के रूप में मानती है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

जिन पट्टों में कपनी स्वयं पट्टाकर्ता है उन्हें वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टा हस्तांतरण सौंपा जाता है उसके पश्चात सभी जोखिमों और अनुबंधों को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के आधार पर स्पष्ट रुप से मान्यता दे दी जाती है।

1.6 भंडार, कलपुर्जे, स्टाक-इन-व्यापार और प्रगतिशील कार्य

क) अप्रयुक्त भंडार व अतिरिक्त कलपुर्जों सहित भंडारों व अतिरिक्त कलपुर्जों का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत के आधार पर किया जाता है।

ख) साज–सामान का मूल्यांकन न्यूनतम लागत अथवा विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग) खुले औजारों को उसी वर्ष के खातों में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष ये खरीदे जाते हैं।

घ) विदेशों में परियोजना पूर्ण होने पर जब उस देश में नई परियोजना की प्रत्याशा न हो तथा वारंटी अवधि के दौरान भी परिसंपत्तियां अपेक्षित न हो तो परिसंपत्तियांध सामान जिन्हें रद्दी मानकर छोड़ दिया गया है, उन्हें निपटान होने तक, संबद्ध मुद्रा की इकाई प्रति मद के हिसाब से मूल्यांकित किया जाता है।

ड़) जिन लेखाओं में राजस्व की गणना, लेखा नीति के पैरा 1.3 (डी) के अनुसार की जाती है, उनके चालू कार्य का मूल्यांकन लागत सहित संबद्ध लाभ पर किया जाता है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधित-बीओटी परियोजनाएं

(क) सॉफ्टवेयर

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को प्रारंभिक मान्यता की लागत पर मापा जाता है यानि प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो परिमित या अनन्त के तौर पर आकलित किया जाता है।

परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और हानि अर्थात ऐसा कोई संकेत होता है या हर साल में एक बार अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है, के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

(ख) पथकर का अधिकार

पथकर अधिकारों को कंपनी द्वारा ली गई बीओटी परियोजनाओं के संबंध में रियायत अवधि के दौरान पथकर आय को एकत्रित करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता या निर्माण सेवा प्रारंभ करने वाले के तौर पर प्राप्त किया गया है। पथकर अधिकारों को संबंधित सीमांत लाभ जैसा कि लेखा नीति 1.3(डी) तथा देय नकारात्मक अनुदानों, यदि कोई हो तो उनके सहित संचित सीमांत लागतों पर परियोजना के परिपूर्णन पर अमूर्त परिसंपत्तियों के तौर पर लिया गया है। परियोजना के पूरा होने तक, इसे प्रगतिशील पूंजी कार्य के तौर पर अभिज्ञापित किया जाता है। प्रशासनिक और अन्य सामान्य उपरी शीर्ष व्यय जोकि अमूर्त परिसंपत्तियों के अर्जन पर रोप्य हैं को अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के तौर पर आवंटित किया जाता है।

परिशोधन

– कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि पर एसएलएम पद्धति पर परिशोधित किया जाता है

– पथकर संग्रहण अधिकार (अमूर्त परिसंपत्तियां) रियायत अवधिध्समझौते में प्रमुख रहे हैं जो कुल अनुमानित राजस्व के लिए वर्ष के वास्तविक राजस्व के अनुपात में पहले साल की वित्तीय वचनबद्धताध समझौते के समय परियोजना ऋण के रूप में प्रदान की अमूर्त परिसंपत्तियों से और बाद के वर्षों में कुल रियायत अवधि की संशोधित अनुमानित कुल राजस्व के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षित की गई हैं।

1.8 विदेशी मुद्राओं का अंतरण

विदेशी मुद्राएं

प्रत्येक विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण में शामिल की गई मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा जिसमें सत्व परिचालन करता है ('कार्यात्मक मुद्रा') का उपयोग करते हुए मापा जाता है।

लेनदेन एवं शेष

– वित्तीय विवरणों में उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जिनमें विदेशी परिचालन (शाखाध्साइट कार्यालय) और रिपोर्टिंग इकाई शामिल हैं, ऐसे विनिमय अंतरों को प्रारंभ में ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन विनिमय अंतरों को शुद्ध निवेश के निपटान पर इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

– विदेशी परिचालन के शुद्ध निवेश के बचाव के हिस्से के रूप में नामित मौद्रिक वस्तुओं पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर। इन्हें ओसीआई में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि शुद्ध निवेश का निपटान नहीं किया जाता है, उस समय, संचयी राशि को लाभ या

हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

– उन मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर के कारण कर शुल्क और क्रेडिट भी ओसीआई में दर्ज किए जाते हैं।

– गैर–मौद्रिक आइटम जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, उनका लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके अंतरण किया जाएगाय और विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को उचित मूल्य के मापन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रस्तुति मुद्रा में अंतरण

ऐसे सत्व जिसकी विदेशी मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है तो उसका अंतरण निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा में किया जाता है

क) प्रस्तुत किए गए प्रत्येक तुलनपत्र (मसलन तुलनात्मक सहित) के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर समापन दर पर अंतरित किया जाता है।य

ख) प्रस्तुत किए गए लाभ व हानि के प्रत्येक विवरण (मसलन तुलनात्मक सहित) के लिए आय और व्यय को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता हैय और

ग) सभी परिणामस्वरूप विनिमेय अंतर अन्य व्यापक आय में अभिज्ञापित किए जाते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ (सी) में संदर्भित विनिमेय अंतर निम्न के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं:

– लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों पर आय और व्यय तथा समापन तिथि पर परिसंपत्तियों और देयताओं का अंतरण।

– समापन दर पर प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियों का अंतरण जोकि विगत समापन दर से भिन्न है।

इन विनिमेय अंतरों को लाभ या हानि में अभिज्ञापित नहीं किया जाता है क्योंकि विनिमेय दरों में होने वाले परिवर्तनों का परिचालनों से वर्तमान और भावी नकद प्रवाहों पर कम या कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। विनिमेय अंतरों की संचित राशि को विदेशी परिचालन के निपटान तक इक्विटी के एक पृथक घटक में प्रस्तुत किया जाता है।

किसी विदेशी परिचालन के निपटान पर उस विदेशी परिचालन से संबंधित विनिमेय अंतरों की संचित राशि, जोकि अन्य व्यापक आय के रूप में अभिज्ञापित की जाती है और इक्विटी के पृथक घटक में संचित की जाती है, उसे लाभ या हानि की इक्विटी (पुनर्वर्गीकरण समायोजन) से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब निपटान पर लाभ या हानि को अभिज्ञापित किया जाता है।

1.9 उधार लागतें

आधार लागतों को प्रारंभ में उचित मूल्य, उपचित लेनदेन निवल लागत पर अभिज्ञापित किया जाता है। आगे की जाने वाली कार्रवाई (निवल लेनदेन लागतें) और निष्क्रय राशि के बीच होने वाले किसी अंतर को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए उधार लागतों की अवधि पर लाभ या हानि में अभिज्ञापित किया जाता है।

1.10 पूंजी सब्सिडी/अनुदान

अनुदान

– सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर अभिज्ञापित किया जाता है जहां एक तार्किक आश्वासन दिया जाए कि कंपनी अनुदान प्राप्त किए जाने पर सभी अनुलग्न शर्तों का अनुपालन करेगी।

– आय से संबंधित सरकारी अनुदान को यथावश्यक रूप से लाभ या हानि में अभिज्ञापित किया जाता है यदि उन्हें अन्य आय के भीतर प्रतिपूर्ति या प्रस्तुति करनी पड़े।

– संपत्ति की खरीद, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के तौर पर निवर्तमान देयताओं में शामिल किया जाता है और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित आयु पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ या हानि के तौर पर जोड़ा जाता है।

1.11 अनुबंध समापन

टर्नकी कार्यों पर राजस्व का अभिज्ञान लेखा नीति 1.3 (सी) के अनुसार किया जाता है। ठेके का समापन तब माना जाता है जब ठेकान्तर्गत अंतिम कार्य पूरा कर लिया जाता है तथा अनुरक्षण/गारंटी अवधि प्रारंभ हो जाती है।

1.12 निवेश

निवेश संपत्तियां

वो संपत्ति जिसे दीर्घकालीन किराये के उद्देश्य से या पूंजी अधिमूल्यन या दोनों, और जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हों, उनको निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति को प्रारंभ में इसकी लागत पर मापा जाता

है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागतें और यथा प्रयोज्य उधार लागतें शामिल हैं। उतरवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की रखाव राशि में केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि व्यय से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी में प्रवाहित होंगे और तदनुसार मद की लागत को मापा जाएगा। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव लागतों को उपचय आधार पर खर्च किया जाता है।

निवेश (भारतीय ले.मा. 101 और 27)

भारत में सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और निगमों को दीर्घकालीन निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ये अग्रेनीत लागतें हैं। हो सकता है कि मूल्य में कमी आए, यदि कंपनी अपसामान्यकरण की वार्षिक परीक्षा के दौरान अपसामान्यकरण का सामना करती हैय तब निवेश को कटौतीबद्ध मूल्य पर दर्शाया जाता है। जिन मामलों में निवेश को विगत 12 माह के लिए लागत मूल्य से कम पर स्टाक एक्सचेंज में कूटबद्ध किया जाता है, वहां इसे लागत में स्थायी कमी के तौर पर लिया जाता है और सीमित मूल्य पर गिना जाता है। कार्यनिष्पादन में सुधार होने पर, इन निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अकूटबद्ध निवेशों के मामले में, यदि छत्तीस माह से कंपनी के कार्यनिष्पादन में कमी आई हो, तो निवेश को कटौतीबद्ध मूल्य पर दर्शाया जाता है। हालांकि, सम मूल्य पर निवेश की प्राप्ति के लिए यदि किसी अन्य पार्टी के साथ कोई समझौता किया जाता है तो निवेश को निरंतर सम मूल्य पर ही दर्शाया जाएगा। कार्यनिष्पादन में सुधार होने पर, इन निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

1.13 भारत और विदेश में स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यहृास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण या निर्माण रहित लागत के संचित मूल्यहृास पर बताया गया है और यदि कोई हानि हो तो वहां नाममात्र मूल्य को कम किया गया है। संपत्ति के अधिग्रहण से सीधे रुप से संबंधित लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। विदेशी मुद्रा में खरीदी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खरीद की तारीख पर विनिमय दर की आधार लागत पर दर्ज किए जाते हैं।

कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक घटक/भाग की लागत को अलग–अलग सुनिश्चित और निर्धारित करती है, यदि घटक/भाग की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण और शेष संपत्ति से भौतिक रुप से अलग व उपयोगी है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अमान्य करार दिया गया हो। पूंजीगत कार्य–प्रगति की बैलेंस शीट की तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत का खुलासा किया जाता है जो उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहृास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है। (भारतीय लेखा मानक–16)

अचल संपत्तियों पर मूल्यहृास

i लीजहोल्ड भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

ii पट्टाधृत भूमियों का मूल्यहृास पट्टे की अवधि पर किया जाता है। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट है, यदि उपयोगी आयु पट्टे की अवधि से कम है तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यहृास को उपयोगी आयु पर प्रभारित किया जाएगा।

iii जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट है अन्य स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहृास उपयोगी आयु पर आधारित सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

iv 5000 रु. तक की लागत की स्थायी परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यहृास उनके अर्जन की तिथि से एक वर्ष के अंदर किया जाता है।

1.14 कराधान

अवधि के दौरान आय कर व्यय या क्रय प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आय कर दर पर आधारित वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय होता है तथा उसे गैरप्रयुक्त कर हानियों पर और अस्थायी अंतरों पर रोप्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं में समायोजित किया जाता है। उस देश में, जहां कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां और निगम परिचालन करते हैं और कर योग्य आय सृजित करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर विधि अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमन के आधार पर वर्तमान आय कर प्रभार को परिकलित किया जाता है। प्रबंधन आवधिक रूप से उन परिस्थितियों, जिनमें लागू कर विनियमों को परिभाषित किया गया है, के संबंध में कर

प्रतिफलों में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है। यह उन प्रावधानों को स्थापित करता है जहां समुचित राशि प्रत्याशित रूप से कर प्राधिकरणों को दी जानी हैं।

वित्तीय विवरण में आस्थगित आय कर और उनकी अग्रेनीत राशि परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर देयता अवधि का उपयोग करते हुए पूर्ण रूप से प्रदान की जाती हैं। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर दरों (विधि) का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है और इन्हें उन स्थितियों में लागू किए जाने की आशा की जाती है जहां संबंधित आस्थगित आय कर परिसंपत्ति को प्राप्त किया जाता है या आस्थगित आय कर देयता का निपटान किया जाता है।

यदि इस बात की संभावना हो कि भावी कर योग्य राशियां अस्थायी अंतरों या हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहेंगी तो ही आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों हेतु अभिज्ञापित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक कंपनियों, शाखाओं और निगमों में निवेशों की अग्रेनीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए और संयुक्त व्यवस्थाओं में, जहां कंपनी स्थायी अंतरों के व्युत्क्रम की टाइमिंग को नियंत्रित करने में सक्षम है, के लिए अभिज्ञापित नहीं किया जाता है और यह संभवन है कि अंतर निकट भविष्य में वापिस नहीं लिए जाएंगे।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक कंपनियों, शाखाओं और निगमों में निवेशों की अग्रेनीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए और संयुक्त व्यवस्थाओं में, जहां कंपनी स्थायी अंतरों के व्युत्क्रम की टाइमिंग को नियंत्रित करने में सक्षम है, के लिए अभिज्ञापित नहीं किया जाता है और यह संभवन है कि अंतर निकट भविष्य में वापिस नहीं लिए जाएंगे और कर योग्य लाभ उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा जिसके बदले अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं उस स्थिति में समायोजित की जाती हैं जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित करने का वैधानिक प्रवर्तनकारी अधिकार हो और जब आस्थगित कर शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हो। वर्तमान कर परिसंपत्तियां और कर देयताओं उस स्थिति में समायोजित की जाती हैं जहां सत्व के पास समायोजित करने का वैधानिक प्रवर्तनकारी अधिकारी हो और वह या तो इसे निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्तियों को प्राप्त कनरे या साथ ही साथ देयताओं का निपटान करने के लिए इच्छुक हो।

वर्तमान और आस्थगित कर को केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां ये अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में अभिज्ञापित की गई मदों से संबंधित हो, लाभ या हानि में अभिज्ञापित किया जाता है। ऐसे मामले में, कर को तदनुसार अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी अभिज्ञापित किया जाता है।

1.15 एजेंसी लेनदेन

क) एजेंसी/प्रायोजन शुल्क का भुगतान बिलों की प्राप्तिः अग्रिम भुगतान की रसीद पर किया जाता है। इसे उपचय आधार पर लेखाओं में लिया जाता है।

ख) कुछ देशों में परियोजना संबंधी कारोबार, एजेंटों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे एजेंटों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के नाम परिसंपत्तियों और देयताओं को लेखाओं के संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियां व देयताएं दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी मालिक है और परियोजना निष्पादन और लाभ/हानि की उत्तरदायी है तथा एजेंट/संयुक्त कंपनियों के माध्यम से लेनदेन इन देशों के कानूनों तथा ठेके के अनुसार अपेक्षित है।

1.16 परिनिर्धारित हर्जाने/दावे

उपभोक्ता या कंपनी द्वारा काटे गए निर्णीत हर्जानोंध्दावों को स्वीकृति आधार पर लिया जाता है तथा विविध व्ययध्आय के लेखे में लिया जाता है।

1.17 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिक और वेतनों हेतु देयताओं, जिसमें गैर–मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिए जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीने के भीतर किया जाना प्रत्याशित है तथा इन सेवाओं को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर संबंधित सेवा में लिया जाता है और इनका मापन उस राशि पर किया जाता है जो देयताओं का निपटान किए जाने पर दी जानी प्रत्याशित होती हैं। देयताओं को तुलन पत्र में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ दायित्व

अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश हेतु देयताओं को कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं दिए जाने की अवधि के

12 माह के भीतर निपटाया जाना प्रत्याशित नहीं है। यहां बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और इसके आधार पर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य का मापन किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकनों में परिवर्तनों के कारण होने वाले पुनरू मापन को लाभ या हानि में अभिज्ञापित किया जाता है।

यदि सत्व के पास रिपोर्टिंग अवधि, भले ही ही वास्तविक निपटान कभी भी किया जाना प्रत्याशित हो, की समाप्ति के बाद कम से कम बार माह के भीतर निपटान करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है तो दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

रोजगार-पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार–पश्चात योजनाओं का परिचालन करती है:

क) निर्धारित लाभ योजनाएं जैसे कि उपदान, रोजगार–पश्चात चिकित्सा योजनाएं, और

ख) निर्धारित योगदान योजनाएं जैसे कि भविष्य निधि

उपदानः– कर्मचारियों को उपदान के भुगतान की जिम्मेदारी 'टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड ग्रुप गेच्युअटी ट्र्स्ट' की है जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान–सह–जीवन पॉलिसी ली हुई है। उक्त पॉलिसी को अस्तित्व में रखने के लिए प्रदत्त/देय राशि को बीमा संबंधी मूल्यांकन के आधार पर लाभ–हानि लेखाओं में लिया जाता है।

अवकाश नकदीकरण

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण कंपनी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

इन लाभों की प्रत्याशित लागतों को रोजगार की अवधि पर वही लेखा पद्धति का उपयोग करते हुए तय किया जाता है जिन पद्धतियों के आधार पर लाभ योजनाओं का निर्धारण किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन या अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्रमापन लाभ और हानियों को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के रूप में प्रभारित या क्रय किया जाता है जिस अवधि में ये उत्पन्न होती हैं।

1.18 देयताएं/आकस्मिक देयताएं

संबंधित मामले के विधिक पहलुओं और तथ्यों के सुविचारित मूल्यांकन के बाद प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है।

1.19 पूर्वदेय खर्च

रु. 25000/– तक के पूर्वदेय खर्च को चालू वर्ष का व्यय माना जाता है तथा संबंधित लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

1.20 विविध

i. अतिदेय ग्राह्य पर ब्याज के दावों को स्वीकृति के आधार पर लेखाओं में लिया जाता है।

ii. बाजार विकास सहायता दावों तथा बीमा संबंधी दावों को स्वीकृति के आधार पर लेखाओं में लिया जाता है।

iii. बीओटी पथकर परियोजना के मामले में, शीर्षलेख पर उपचित व्यय को उसी वित्त वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

1.21 अपसामान्यकरण

1) **वित्तीय परिसंत्तियां**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन करती है चाहे वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का अपसामान्यकरण किया गया हो। भारतीय ले.मा. 109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रय जोखिम प्रकटीकरण पर अपसामान्यकरण हानि के मापन और अभिज्ञापन हेतु प्रत्याशित क्रय हानि (ईसीएल) मॉडल अपेक्षित होता है।

कंपनी अपसामान्यकरण हानि के अभिज्ञान के लिए 'सरलीकृत अभिवृति' अपनाती है। सरलीकृत अभिवृति को अपनाने के लिए कंपनी को क्रय जोखिम में अपना ट्रैक परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाए, यह अपने प्रारंभिक अभिज्ञापन से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन इसीएल पर आधारित अपसामान्यकरण हानि भत्ते को अभिज्ञापित करती है।

2) **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलित करती है कि परिसंपत्ति का अपसामान्यकरण करने के लिए आंतरिकध्बाह्य कारकों से कोई संकेत मिला है अथवा

नहीं। यदि ऐसा को संकेत मिलता है, को तंपनी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का प्राक्कलन करती है। यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या परिसंपत्ति से संबंधित नकदी सृजन इकाई की वसूली योग्य राशि इसकी अग्रेनीत राशि से कम है, तो अग्रेनीत राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक सीमित कर दिया जाता है और इस कटौती को अपसामान्यकरण हानि के रूप में लिया जाता है और लाभ व हानि विवरण में अभिज्ञापित किया जाता है। यदि, रिपोर्टिंग तिथि तक ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पूर्व में आकलित की गई अपसामान्यकरण हानि अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का फिर से आकलन किया जाता है और परिसंपत्ति वसूली योग्य राशि में प्रतिबिंबित होती है। पूर्व में अभिज्ञापित की गई अपसामान्यकरण हानि को तदनुसार लाभ और हानि विवरण में रिवर्स कर दिया जाता है।

1.22 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह करार है जो किसी सत्व की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी दूसरे सत्व की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को विकसित करता है।

प्रारंभिक अभिज्ञापन और मापनरू – सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर अभिज्ञापित किया जाता है और लेनदेन लागत जोकि वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन पर रोप्य को भी समायोजित किया जाता है।

तदनुसार मापनः–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय साधन – यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की जाएं तो वित्तीय साधनों को परिशोधित लागत पर मापा जाता हैः

   - परिसंपत्ति को व्यावसायिक मॉडल में रखा जाए जिसका प्रयोग संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और
   - परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर उस नकद प्रवाह को विकसित करते हैं जिनका बकाया मूलधन राशि पर मूलधन एवं ब्याज (एसपीपीआई) पर किया जाता है.

   प्रारंभिक मापन के बाद, इन वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल) या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग के लिए रखने जाने और ऐसे प्रारंभिक अभिज्ञापन हेतु वर्गीकृत किया गया है। अन्य मामले में, कंपनी ने प्रारंभिक अभिज्ञापन पर एफवीओसीआई या एफवीटीपीएल में से किसी एक में प्रत्यक वित्तीय साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

वित्तीय परिसंपत्ति

- **परिपक्व वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में रखे जाने हेतु**

  यदि कंपनी के पास ऋण सुरक्षा को परिपक्व करने के लिए सकारात्मक इच्छा एवं योग्यता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिपक्व के रूप में रखे जाने हेतु वर्गीकृत किया जाता है. परिपक्व रूप में रखे जाने हेतु परिसंपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत पर प्रत्यक्ष रूप से रोप्य उचित मूल्य पर अभिज्ञापित की जाती हैं। प्रारंभिक अभिज्ञापन के उपरांत, परिपक्व रूप में रखी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां किसी अपसामान्यकरण हानि के बिना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधि ात लागत पर मापी जाती हैं।

- **ऋण एवं प्राप्ति योग्य राशियां**

  ऋण एवं प्राप्ति योग्य राशियां स्थायी या निध ाारित भुगतान सहित वह वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें किसी सक्रिय बाजार में कोट नहीं किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों का अभिज्ञापन प्रारंभ में किसी प्रत्यक्ष रोप्य लेनदेन लागतों सहित उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रारंभिक अभिज्ञापन के उपरांत, ऋणों एवं प्राप्ति योग्य राशियों को किसी अपसामान्यकरण हानि के बिना प्रभावी ब्याज पद्ध ति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।ऋण एवं प्राप्ति योग्य राशियों में नकदी एवं नकदी समानक, और व्यापार एवं अन्य प्राप्य शामिल हैं।

- **नकदी एवं नकदी समानक**

  नकदी एवं नकदी समानकों में शामिल है – तीन माह की परिपक्वता के साथ कॉल जमा या अर्जन तिथि जिसमें उनके उचित मूल्य में परिवर्तनों का महत्वपूर्ण जोखिम है, के बिना नकदी शेष (हाथ

रोकड़, बैंक शेष) और कंपनी द्वारा इनका उपयोग अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के प्रबंधन में किया जाता है।

- **बिक्री हेतु उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियां**

बिक्री हेतु उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियां वे विमार्गीय वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें बिक्री हेतु उपलब्ध के तौर पर लिया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। बिक्री हेतु उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियां प्रारंभ में प्रत्यक्ष रोप्य लेनदेन लागतों सहित उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।

- **व्यापार प्राप्य**

व्यापार प्राप्यों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर और बाद में अपसामान्यकरण के प्रावधान के बिना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी प्रारंभ में निर्गमित ऋण सुरक्षाओं और अधीनस्थ देयताओं को उस तिथि, जब ये उत्पन्न हुए हैं, पर अभिज्ञापित करती है। अन्य सभी वित्तीय देयताएं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाने वाली देयताओं सहित) प्रारंभ में उस तिथि पर अभिज्ञापित की जाती हैं, जोकि कंपनी के संविदात्मक प्रावधान अपनाने वाली पार्टी बनने की तिथि है।

कंपनी उस वित्तीय देयता को अभिज्ञापित नहीं करती जब इसके संविदात्मक दायित्व को रद्द, समाप्त या निपटा दिया गया हो।

कंपनी विमार्गीय वित्तीय देयताओं को अन्य वित्तीय देयताओं की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। ऐसी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में किसी प्रत्यक्ष रोप्य लेनदेन लागतों के बिना उचित मूल्य पर अभिज्ञापित किया जाता है। प्रारंभिक अभिज्ञापन के उपरांत, इन वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

अन्य वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट्स और व्यापार एवं अन्य प्राप्य शामिल हैं।

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 2 क : इक्विटी शेयर पूंजी

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

क. प्राधिकृत, निर्गमित, सदस्यताप्राप्त और प्रदत्त शेयर पूंजीः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत सेयर पूंजी				
10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	160,000,000	16,000	160,000,000	16,000
	160,000,000	16,000	160,000,000	16,000
निर्गमित, सदस्यताप्राप्त और प्रदत्त				
इक्विटी शेयर पूंजी				
10 रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	59,200,000	5,920	59,200,000	5,920
कुल	**59,200,000**	**5,920**	**59,200,000**	**5,920**

ख) शेयरों की संख्या का समायोजनः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
खुला शेष	59,200,000	5,920	59,200,000	5,920
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
समापन शेष	**59,200,000**	**5,920**	**59,200,000**	**5,920**

ग) शेयरधारकों का कंपनी की 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारणः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
इक्विटी शेयर		
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित द्वारा धारित (सं.)	59,200,000	59,200,000
धारण (%)	100	100

नोटः

i) भारत के राष्ट्रपति के नामितियों के रूप में भारत सरकार के आठ अधिकारियों के पास 10 रु. प्रत्येक के 28,000 शेयर हैं.

ii) तुलनपत्र की तिथि से अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी ने :

  i) बोनस शेयरों के तौर पर पूर्ण प्रदत्त शेयर आवंटित नहीं किए

  ii) शेयरों की कोई श्रेणी वापिस नहीं ली.

iii) प्रत्येक इक्विटी में वोट का अधिकार है और कंपनी ने शेयरों की एक ही श्रेणी यानि इक्विटी शेयर ही निर्गमित किए हैं.

iv) सदस्यों का वोट : प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या इक्विटी शेयर के धारक के रूप में एक वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति या तो सामान्य प्रॉक्सी या वोट धारक की ओर से एक वोट देगा.

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 2ख : अन्य इक्विटी

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
i)	**प्रतिभूतियां प्रीमियम**	48.22	48.22
ii)	**पूंजी निर्माण भंडार**	480.11	480.11
iii)	**सामान्य भंडार**		
	खुला शेष	63,533.83	61,207.53
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	3,499.31	2,326.30
	अथ शेष	**67,033.14**	**63,533.83**
iv)	**लाभ व हानि के विवरण में अतिरेक**		
	खुला शेष	71,266.84	157,149.83
	अवधि हेतु लाभ/हानि	(25,360.14)	(81,439.79)
	घटाइए:		
	देय लाभांश	1,777.27	1,755.96
	देय लाभांश वितरण कर	-	360.94
	कोई अन्य परिवर्तन/समायोजन	(4.36)	-
	सामान्य भंडार में अंतरण	3,499.31	2,326.30
	अथ शेष	**40,625.76**	**71,266.84**
v)	**इक्विटी के अन्य घटक**		
	विदेशी परिचालनों में अंतरण पर विनिमेय अंतर (निवल कर)	(8,938.18)	(9,045.17)
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि (निवल कर)	(2,847.21)	(1,764.79)
		(11,785.39)	**(10,809.96)**
	कुल (i+ii+iii +iv+v)	**96,401.84**	**124,519.04**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 3 : संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

3क – मूर्त परिसंपत्तियां (अंतरदेशीय)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास					निवल खंड	
	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अस्थायी संरचना	48.27	-	-	-	48.27	48.27	-	-	-	48.27	-	-
भूमि	454.51	-	-	-	454.51	-	-	-	-	-	454.51	454.51
भवन–आवासीय	66.47	-	-	-	66.47	40.74	0.99	-	-	41.73	24.74	25.73
भवन–कार्यालय	337.95	-	-	-	337.95	223.31	9.84	-	-	233.15	104.80	114.64
फर्नीचर व जुड़नाव	693.03	3.25	-	(5.42)	690.86	653.42	6.68	-	(4.91)	655.19	35.67	39.61
कार्यालयी संयंत्र व उपकरण	222.83	1.00	-	(2.14)	221.69	210.61	5.17	-	(2.02)	213.76	7.93	12.22
विद्युत उपकरण	385.63	68.42	-	(6.41)	447.64	329.51	24.50	-	(3.90)	350.11	97.53	56.12
वाहन	174.31	-	-	(11.27)	163.04	121.11	10.81	-	(11.27)	120.65	42.39	53.20
संयंत्र व मशीनरी	3,923.83	14.49	-	(15.93)	3,922.39	3,410.06	49.47	-	(7.96)	3,451.57	470.82	513.77
कंप्यूटर	1,124.27	28.12	-	(233.63)	918.76	1,030.92	37.24	-	(233.38)	834.78	83.98	93.35
प्रशिक्षण उपकरण	229.04	0.49	-	(0.22)	229.31	204.91	4.00	-	(0.22)	208.69	20.62	24.13
कुल 3क	**7,660.14**	**115.77**	**-**	**(275.02)**	**7,500.89**	**6,272.86**	**148.70**	**-**	**(263.66)**	**6,157.90**	**1,342.99**	**1,387.28**
विगत वर्ष	7,652.97	100.82	-	(93.65)	**7,660.14**	6,152.24	181.59	-	(60.97)	**6,272.86**	**1,387.28**	**1,500.73**

3ख – मूर्त्त परिसंपत्तियां (विदेशी)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड						मूल्यह्रास						निवल खंड	
	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समाया. `जन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समाया. `जन	एक्स. लाभ/ हानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समाया. `जन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समाया. `जन	एक्स. लाभ/ हानि	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अस्थायी संरचना	27.84	-	-	-	(0.71)	27.13	27.84	-	-	-	(0.71)	27.13	-	-
फर्नीचर व जुड़नाव	103.51	0.09	-	(4.79)	(2.47)	96.34	76.05	3.62	-	(1.77)	(1.91)	75.99	20.35	27.46
कार्यालय संयंत्र व मशीनरी	87.10	9.29	-	(10.30)	(2.08)	84.01	79.18	4.25	-	(10.11)	(1.89)	71.43	12.58	7.92
विद्युत उपकरण	154.77	3.83	-	(2.85)	(3.76)	151.99	106.54	8.40	-	(2.53)	(2.67)	109.74	42.25	48.23
वाहन	2,640.66	63.58	-	(67.83)	(54.78)	2,581.63	1,721.67	187.45	-	(61.40)	(37.96)	1,809.76	771.87	918.99
संयंत्र व मशीनरी	2,756.30	47.81	-	(92.09)	(62.90)	2,649.12	1,599.49	145.46	-	(84.82)	(40.11)	1,620.02	1,029.10	1,156.81
कंप्यूटर	166.54	5.95	-	(11.75)	(4.50)	156.24	136.42	15.46	-	(8.14)	(3.40)	140.34	15.90	30.12
कुल 3ख	**5,936.72**	**130.55**	**-**	**(189.61)**	**(131.20)**	**5,746.46**	**3,747.19**	**364.64**	**-**	**(168.77)**	**(88.65)**	**3,854.41**	**1,892.05**	**2,189.53**
विगत वर्ष	5,368.86	536.40	-	(402.32)	433.78	5,936.72	3,445.21	382.39	-	(377.40)	296.99	3,747.19	2,189.53	1,923.65
महा योग (3क+3ख)	**13,596.86**	**246.32**	**-**	**(464.63)**	**(131.20)**	**13,247.35**	**10,020.05**	**513.34**	**-**	**(432.43)**	**(88.65)**	**10,012.31**	**3,235.04**	**3,576.81**
विगत वर्ष महा योग (3क+3ख)	**13,021.83**	**637.22**	**-**	**(495.97)**	**433.78**	**13,596.86**	**9,597.45**	**563.98**	**-**	**(438.37)**	**296.99**	**10,020.05**	**3,576.81**	**3,424.38**

नोट: 1. कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 4 : उपयोग का अधिकार – परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड						मूल्यह्रास						निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौ. रान बिक्री/ समायोजन	विनिमय लाभ्हानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	अंतरण	वर्ष के दौ. रान बिक्री/ समायोजन	विनिमय लाभह्रानि	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक
(अंतरदेशीय)														
भूमि – कार्यालय	605.16	-	-	-	-	605.16	134.99	6.11	-	-	-	141.10	464.06	470.17
भवन – कार्यालय	723.88	-	-	(63.04)	-	660.84	182.90	13.36	-	(1.09)	-	195.17	465.67	540.98
भवन – परियोजना	166.90	67.12	-	(5.06)	-	228.96	36.53	48.77	-	(5.06)	-	80.24	148.72	130.37
कुल अंतरदेशीय	**1,495.94**	**67.12**	**-**	**(68.10)**	**-**	**1,494.96**	**354.42**	**68.24**	**-**	**(6.15)**	**-**	**416.51**	**1,078.45**	**1,141.52**
विगत वर्ष (अंतरदेशीय)	1,266.00	229.94	-	-	-	1,495.94	298.85	55.57	-	-	-	354.42	1,141.52	967.15
विदेशी										-				
भवन – परियोजना	975.66	-	-	(881.08)	(18.35)	76.23	247.10	29.04	-	(216.13)	(5.74)	54.27	21.96	728.56
विगत वर्ष (विदेशी)	-	975.66	-	-	-	975.66	-	234.88	-	-	12.22	247.10	728.56	-
कुल (अंतरदेशीय+ विदेशी)	**2,471.60**	**67.12**	**-**	**(949.18)**	**(18.35)**	**1,571.19**	**601.52**	**97.28**	**-**	**(222.28)**	**(5.74)**	**470.78**	**1,100.41**	**1,870.08**
विगत वर्ष (अंतरदेशीय विदेशी)	1,266.00	1,205.60	-	-	-	2,471.60	298.85	290.45	-	-	12.22	601.52	1,870.08	967.15

नोटः 1. कोष्ठकों में आंकड़े नकारात्मक मूल्यों को दिखाते हैं

नोटः 2

क. भूमि–कार्यालय 99 वर्ष की अवधि के लिए वीएसएनएल से वित्तीय पट्टे के तहत अर्जित उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और पट्टा अवधि पर इसका मूल्यह्रास होता है।

ख. भवन–कार्यालय 99 वर्ष की अवधि के लिए वीएसएनएल से वित्तीय पट्टे के तहत उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और कंपनी अधिनियम में परिभाषित उपयोगी जीवन पर इसका मूल्यह्रास होता है।

ग. भवन – परियोजनाएं (देशी व विदेशी) कार्यालयी, आवासीय भवन हेतु अर्जित उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पट्टा अवधि पर इसका मूल्यह्रास होता है।

नोट 5 – अमूर्त्त परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास					निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्रीत्र/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	अंतरण	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
पथकर संग्रह अधिकार	28,911.73	-	-	-	28,911.73	10,261.16	891.48	-	-	11,152.64	17,759.09	18,650.57
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	398.59	0.09	-	-	398.68	397.84	0.69	-	-	398.53	0.15	0.75
पूर्व संचालन व्यय	47.62	-	-	-	47.62	-	3.40	-	-	3.40	44.22	47.62
पथकर भवन पर अतिरिक्त फर्श का निर्माण (विकासाधीन)	11.81	1.06	(12.87)	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	11.81
कुल	**29,369.75**	**1.15**	**(12.87)**	**-**	**29,358.03**	**10,659.00**	**895.57**	**-**	**-**	**11,554.57**	**17,803.46**	**18,710.75**
विगत वर्ष	29,360.82	8.93	-	-	29,369.75	5,922.35	4,736.65	-	-	10,659.00	18,710.75	23,438.47

* पथकर संग्रह अधिकारों में 13 वर्ष और 6 माह क अवधि के लिए भवानीगढ़–नाभा–गोबिंदगढ, 22 वर्ष और 2 माह के लिए टीसीआईएल बीना टोल रोड (एसपीवी) 25 वर्ष के लिए टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि. (एसपीवी) का पथकर संग्रह शामिल है.

** इसमें टीसीआईएल बीना टोल रोड लि. पथकर संग्रह अधिकारों का 3589.35 रु. का इम्पेयरमेंट शामिल है

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 6: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: निवेश

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घकालीन निवेश		
संयुक्त उपक्रम:		
लागत पर कूटबद्ध		
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स नाइजीरिया लि.		
26000 (विगत वर्ष 26000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 1 नैरा प्रत्येक के और 40 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं		
मूल मूल्य	3.75	3.75
घटाइए रू नैरा के अवमूल्यन के कारण मूल्य में कमी	3.75	3.75
	-	-
भारती हैक्साकॉम लि.		
7,50,00,000 (विगत वर्ष 7,50,00,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 10 रु. प्रत्येक के हैं और 30 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	59,580.00	90,600.00
टीबीएल इंटरनेशनल लि.		
87,641 (विगत वर्ष 87,641) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जो 100 रु. प्रत्येक के और 44.94 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	168.92	165.47
इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लि.		
36,000 (विगत वर्ष 36,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जोकि 100 रु. प्रत्येक के और 36 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	1,333.72	1,096.07
युनाइटेड टेलीकॉम लि. नेपाल		
57,31,900 (विगत वर्ष 57,31,900) इक्विटी शेयर 100 नेपाली रु. प्रत्येक के हैं और 26.66 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	-	-
कुल	**61,082.64**	**91,861.54**
कूटबद्ध निवेश का समग्र मूल्य	-	-
अकूटबद्ध निवेश का समग्र मूल्य	61,082.64	91,861.54

नोट 7: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घ-कालीन व्यापार प्राप्य (आस्थगित क्रय अवधि पर व्यापार प्राप्य)		
असुरक्षित		
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य	-	-
अच्छी मानी गई प्रतिधारण राशि	1,107.60	853.96
क्रय जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि सहित व्यापार प्राप्य	1,157.43	1,176.22
	2,265.03	**2,030.18**
घटाइए: हानि भत्ते हेतु प्रावधान	1,157.43	1,176.22
कुल	**1,107.60**	**853.96**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 8 : गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तिया

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ऋण		
रक्षित		
अन्य अच्छे माने गए		
स्टाफ अग्रिम (वाहनों पर प्रथम प्रभार के बदले अचल संपत्ति और वाहन अग्रिमों पर प्रथम प्रभार के बदले गृह निर्माण पेशगियों का प्रतिनिधित्व)	16.92	32.23
अरक्षित		
अन्य अच्छे माने गए	1.64	1.67
उपार्जित ब्याज जो अच्छे माने गए ऋणों पर देय नहीं है	29.48	38.19
कुल	**48.04**	**72.09**

नोट 9: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियांः अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
बैंक जमा		
12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ जमा	0.15	0.14
(गारंटियों के बदले बैंक के पास रक्षित)		
अच्छी मानी गई सुरक्षा जमा	9.82	12.92
कुल	**9.97**	**13.06**

नोट 10 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
आय कर रिफंड प्राप्य		
अग्रिम कर और टीडीएस	6,281.74	4,037.69
घटाइएः आयकर हेतु प्रावधान	1,802.52	1,812.66
कुल	**4,479.22**	**2,225.03**

नोट 11 : मालसूचियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
मालसूचियां		
प्रबंधन द्वारा ली गईं, मूल्यांकित और प्रमाणित (लागत पर मूल्यांकित)		
– कच्चा माल	199.30	199.30
– डब्ल्यूआईपी	204.81	204.81
–परियोजना स्थलों पर भंडार और कलपुर्जे (उप–ठेकेदारों वाले सहित)	696.37	1,288.29
– अन्य	1.30	1.30
	1,101.78	1,693.70
घटाइएः अप्रचलित/धीमी गति भंडारों हेतु प्रावधान	369.74	370.22
कुल	**732.04**	**1,323.48**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 12: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
वसूले गए बिल		
अरक्षित		
क. छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
अच्छी मानी गई		
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य	95,515.24	62,080.28
अच्छी मानी गई प्रतिधारण राशि	1,124.60	953.54
क्रय जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि सहित व्यापार प्राप्य	3,579.02	3,699.17
	100,218.86	**66,732.99**
ख. अन्य		
अच्छी मानी गई		
अच्छे माने गए व्यापार प्राप्य	67,192.96	72,022.90
अच्छी मानी गई प्रतिधारण राशि	786.40	3,469.97
	67,979.36	**75,492.87**
ग. गैर वसूला गया	37,708.06	34,319.19
कुल (क+ख+ग)	**205,906.28**	**176,545.05**
घटाइए : हानि भत्ते हेतु प्रावधान	3,579.02	3,699.17
कुल	**202,327.26**	**172,845.88**

नोट 13 : वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: नकदी और नकदी समानक

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
नकदी और नकदी समानक		
क. हाथ रोकड़ (अग्रदाय शेष सहित)	22.96	25.98
ख. बैंकों के पास शेष		
वर्तमान खातों में'	2,051.50	2,306.09
काल खातों में	9.17	9.16
	2,060.67	2,315.25
घटाइए: बैंकों में अवरुद्ध कोष के बदले प्रावधान ''	47.32	51.59
	2,013.35	2,263.66
जमा खातों में		
3 माह से कम की परिपक्वता के साथ जमा	14,073.44	6,939.95
बचत बैंक में	1.01	9.84
सीमांत खाते में	38.33	36.02
कुल – ख	**16,126.13**	**9,249.47**
ग. पारगमन में पैसा	2,064.41	-
घ. हाथ में चेक	3,288.14	-
कुल – (क+ख+ग+घ)	**21,501.64**	**9,275.45**

* इथियोपियन बीर (ईटीबी) 951.92 (1675 रु. के समान) (विगत वर्ष ईटीबी 951.92 जोकि रू. 2175.0 के समान है) गैर प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सहित

** अलाइड बैंक ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया और अल खलीफा बैंक, अल्जीरिया का बहुत समय पहले ही लिक्विडेशन हो गया था और बाकाय शेष प्रावधान पूर्व वर्षों के खातों में किया जा चुका है.

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 14: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: अन्य बैंक शेष

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
3 माह से अधिक पर 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ जमा	1,116.42	309.94
ओवरड्राफ्ट सुविधा के बदले बैंकों में रक्षित सावधिक जमा	3,366.73	7,979.44
कुल	**4,483.15**	**8,289.38**

नोट 15: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां: ऋण व अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ऋण		
नकदी या अन्य प्रकार से वसूला गया अग्रिम या वसूले जाने हेतु मान		
रक्षित (अच्छा माना गया)		
– स्टाफ अग्रिम (वाहनों पर प्रथम प्रभार के बदले अचल संपत्ति और वाहन अग्रिमों पर प्रथम प्रभार के बदले गृह निर्माण पेशगियों का प्रतिनिधित्व)	9.13	12.50
अरक्षित		
- अच्छे माने गए	353.65	395.94
उपार्जित ब्याज जो अच्छे माने गए ऋणों पर देय नहीं है	8.79	6.23
उपार्जित ब्याज जो अच्छी मानी गईं जमाओं पर देय नहीं है (कार्यार्थी खाता टीसीआईएल के नाम जमा 357 लाख रु. (विगत वर्ष 638 लाख रु.) पर ब्याज सहित	309.31	418.91
अन्य		
अच्छे माने गए सुरक्षा जमा	4,995.40	4,821.22
कुल	**5,676.28**	**5,654.80**

नोट 16: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अग्रिम कर और टीडीएस	5,134.56	3,719.03
घटाइए: आयकर हेतु प्रावधान	1,927.32	991.85
कुल	**3,207.24**	**2,727.18**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 17: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
नकदी या अन्य प्रकार से वसूला गया अग्रिम या वसूले जाने हेतु मान		
उप-ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को पेशगियां		
अरक्षित		
अच्छी मानी गई	20,947.48	21,898.01
संदिग्ध मानी गई	3,186.42	3,192.68
	24,133.90	25,090.69
घटाइए: संदिग्ध पेशगियों के लिए प्रावधान	3,186.42	3,192.68
	20,947.48	21,898.01
उपार्जित ब्याज जो पेशगियों पर देय नहीं है	1,183.19	847.42
ग्राहकों पर देय राशि		
प्रगतिशील कार्य	434,691.39	454,360.36
घटाइए: प्राप्त बिल	358,381.49	368,257.79
	76,309.90	86,102.57
अन्य अप्राप्त कर	8,141.15	5,170.37
कुल	**106,581.72**	**114,018.37**

नोट 18: गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: उधार

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क) रक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
रूपया ऋण		
बैंकों से	5,315.00	7,177.17
घटाइए: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ नोट: 25)	2,170.00	1,695.00
कुल	**3,145.00**	**5,482.17**

उक्त ऋण दो सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

टीसीआईएल बीना टोल रोड लि. (टीबीटीआरएल)

1. 31.03.2021 तक 1445.00 लाख (विगत वर्ष 2997.68 लाख रु.) की राशि बकाया है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक) की वर्तमान परिपक्वता शामिल नहीं है।
2 उक्त ऋण पर ब्याज दर 1 वर्ष एमसीएलआर दर यानि 31 मार्च, 2021 तक 8-25% + SP 0-25%+Spread 1-25% है।
3. उक्त ऋण तदनुसार 118 और 108 किस्तों में दो भागों में पुनर्भुगतान योग्य है।
4. ऋण एस्क्रो खाते में प्राप्त योग्य अधिकृत प्रथम प्रभार के साथ पूरी बीना कुरवई सिरौंज परियोजना पर अधिकृत प्रथम प्रभार के बदले रक्षित है।

टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि. (टीएलटीआरएल)

1. 31.03.21 तक 1700.00 लाख रु. (विगत वर्ष 2484.49 लाख रु.) की राशि बकाया है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक) से ली गई वर्तमान परिपक्वता शामिल नहीं है।
2. उक्त ऋण पर ब्याज दर 31 मार्च 2021 तक 8.80 प्रतिशत है।
3. उक्त ऋण 120 ग्रेडिड किस्तों पर पुनर्भुगतान योग्य है।
4. ऋण एस्क्रों खाते में प्राप्त योग्य अधिकृत प्रथम प्रभार के साथ पूरी लखनाडोन घनसौर सड़क परियोजना पर अधिकृत प्रथम प्रभार के बदले रक्षित है।

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 19 : गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यमों पर कुल बकाया राशि	-	-
ख. लघु उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों के अलावा अन्य लेनदारों पर कुल बकाया राशि	-	-
कुल	-	-

नोट 20 : गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं: अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. पट्टा देयताएं	707.76	1,230.29
ख. अन्य	421.70	398.23
कुल	**1,129.46**	**1,628.52**

नोट 21 : आस्थगित कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
आस्थगित कर देयता:		
स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित	566.41	1,125.81
कुल	566.41	1,125.81
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,958.40	1,989.37
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	801.96	803.53
अवकाश नकदीकरण/बोनस के लिए प्रावधान	620.88	549.72
हानि भत्तों के लिए प्रावधान	708.00	494.32
अन्य	489.19	490.48
कुल	4,578.43	4,327.42
निवल आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां	**(4,012.02)**	**(3,201.61)**

नोट 22 : गैर वर्तमान प्रावधान

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	1,917.54	1,282.85
ख. अवकाश वेतन नकदीकरण	2,261.02	1,197.78
ग. अन्य (कर्मचारी लाभ)	1,018.89	1,175.57
कुल	**5,197.45**	**3,656.20**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 23: वर्तमान वित्तीय देयताएं: उधार

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क) रक्षित ऋण		
बैंकों से '	1,446.59	13,327.51
(प्राप्यों, स्टाक्स और बैंक सावधिक जमाओं के बदले रक्षित ओवरड्राफ्ट)		
ख) अरक्षित ऋण		
लघु सावधिक ऋण		
बैंकों से विदेशी मुद्रा ऋण	2,253.24	12,912.89
कुल	**3,699.83**	**26,240.40**

बैंकों से रक्षित ऋणों में शामिल है:

*आईडीबीआई बैंक लि. और बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त 1446.59 लाख रु. की राशि (विगत वर्ष 6907.86 लाख रु.) को 3366.73 लाख रु. (विगत वर्ष 7979.44 लाख रु.) की सावधिक जमा राशि के बदले रक्षित रखा गया।

नोट 24: वर्तमान वित्तीय देयताएं: व्यापार प्राप्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हें)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को बकाया राशि	247.81	788.60
क. लघु उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों पर कुल बकाया राशि '	199,621.83	164,240.73
ख) संबंधित पार्टियों को बकाया राशि	107.34	96.41
कुल	**199,729.17**	**164,337.14**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट 2006 (एमएसएमईडी) प्रकटीकरण

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमियों पर बकाया राशि कंपनी के पास उपलब्ध नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क) मूल राशि और उस पर ब्याज प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता पर अदेय है:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमियों पर बकाया मूल राशि	247.81	788.60
''उपर्युक्त पर बकाया ब्याज	-	-
(ख) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाहर आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान राशि के साथ एमएसएमईडी एक्ट, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददाता द्वारा देय ब्याज की राशि	-	-
(ग) भुगतान करने में होने वाले विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया पर वर्ष के दौरान नियत तिथि से बाद में) पर एमएसएमईडी एक्ट. 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर उपार्जित ब्याज का राशि और शेष अदेय राशि	-	-
(ङ.) अनुवर्ती वर्षों में भी देय और शेष अन्य ब्याज की राशि जिसका भुगतान उस तिथि तक होगा जब तकएमएसएमईडी एक्ट 2006 की धारा 23 के तहत कटौतीयोग्य खर्च की अनुमति के बिना लघु उद्यमियों को वास्तविक भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है.	-	-

* कंपनी ने निविदा जारी करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को अभिज्ञापित किया है. सूचना को केवल प्राप्त होने वाली जानकारी के आधार पर ही एकत्र किया गया है.

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 25: वर्तमान वित्तीय देयताएं: अन्य

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. दीर्घकालीन ऋणों पर वर्तमान परिपक्वता	2,170.00	1,695.00
ख उपार्जित ब्याज जो उधारों पर देय नहीं है	1.65	61.58
घ. पट्टा देयताएं	66.36	270.01
ड.. अन्य	80,959.98	64,060.76
कुल	**83,197.99**	**66,087.35**

नोट 26: अन्य वर्तमान देयताएं

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. ग्राहकों से अग्रिम	21,558.71	20,081.48
ख. अन्य देय राशि (जीएसटी, बिक्री कर, सेवा कर और अन्य सहित)	7,719.26	4,598.59
कुल	**29,277.97**	**24,680.07**

नोट 27: वर्तमान प्रावधान

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क. वारंटी अवधि व्ययों के लिए प्रावधान '	12,470.64	14,081.15
ख. कर्मचारी लाभ	2,135.78	4,249.44
ग. अन्य		
– असमाप्त परियोजनाओं में हानियों के लिए प्रावधान	14.83	14.83
– अन्य	1,190.12	703.28
कुल	**15,811.37**	**19,048.70**

* वारंटी अवधि व्ययों के लिए प्रावधान:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
खुला शेष	14,081.15	14,074.60
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्रदत्त	1,561.11	3,489.84
घटाइए: वर्ष के दौरान आहरित	842.60	300.35
घटाइए: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	2,329.02	3,182.94
समापन शेष	**12,470.64**	**14,081.15**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 28 : परिचालनों से आय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
I. उत्पादों की बिक्री	18,527.04	24,025.87
II. सेवाओं की बिक्री		
क) पूरी की गई टर्नकी परियोजनाएं	100,094.26	23,319.19
ख) प्रगतिशील वृद्धि/घटाव		
प्रगतिशील समापन कार्य	434,691.39	454,360.36
घटाइए: प्रगतिशील प्रारंभिक कार्य और समायोजन	454,360.36	383,939.37
	(19,668.97)	70,420.99
ग) रखरखाव/सेवा अनुबंध	67,211.55	52,259.32
घ) परामर्शी परियोजनाएं	4,948.50	3,285.77
ड.) अन्य परियोजनाएं	1,446.10	563.78
III. अन्य परिचालन आय		
उप–ठेकेदार से अग्रिम पर ब्याज	762.63	919.30
उप–ठेकेदार से प्राप्त ऊपरी शीर्ष	-	1.50
निविदाओं की बिक्री	1.66	1.51
बट्टे खाते में डाले गए वारंटी अवधि व्यय हेतु प्रावधान	842.60	300.35
ठेकेदारों से नामिकायन शुल्क	0.42	42.55
बट्टे खाते में डाले गए अतिरेक प्रावधान / देयताएं	1,783.50	198.03
कुल	**175,949.29**	**175,338.16**

नोट 29: अन्य आय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज (सकल)		
स्थायी जमा	556.98	287.18
कर्मचारियों को ऋण	2.86	3.42
ब्याज (सकल)		
स्थायी जमा	-	10.80
कर्मचारियों को ऋण	407.30	373.32
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	376.27	-
कुल	**1,343.41**	**674.72**

नोट 30 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. भंडार व कलपुर्जे		
खुला स्टाक	1,488.89	1,736.23
जोड़िए: खरीद	1,472.02	3,657.19
घटाइए: बेचा गया स्टाक	53.72	-
घटाइए: समापन स्टाक	896.97	1,488.89
उपभुक्त भंडार व कलपुर्जे	**2,010.22**	**3,904.53**
ख. खुले उपकरण		
खुला स्टाक	-	-
जोड़िए: खरीद	12.97	2.24
जोड़िए: प्रत्यक्ष व्यय	-	-
घटाइए: समापन स्टाक	-	-
उपभुक्त खुले उपकरण	**12.97**	**2.24**
कुल (क + ख)	**2,023.19**	**3,906.77**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 31 : स्टाक इन ट्रेड की मालसूचियों में परिवर्तन

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
समापन स्टाक	204.81	204.81
प्रारंभ में स्टाक	204.81	204.81
स्टाक में वृद्धिध्कमी	-	-

नोट 32 : कर्मचारी लाभ व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन (विदेशी डीए सहित)	23,633.42	24,113.52
अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान	32.20	16.01
भविष्य एवं अन्य कोष योगदान	1,582.48	1,634.65
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	804.17	864.86
कैंप व्यय सहित स्टाफ कल्याण	285.19	368.18
वर्दियां	10.01	5.34
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी)	166.84	354.32
बोनस	4.58	3.85
कर्मचारी आवास हेतु किरायाः		
सकलः	1,137.22	1,024.74
घटाइएः वसूलियां	1.00	1.23
अवकाश वेतन नकदीकरण	257.38	464.81
बाल शिक्षा भत्ता	1.58	1.29
भत्ते	1,150.04	1,190.39
अवकाश यात्रा रियायत	48.88	58.38
उपदान	279.74	198.57
कर्मचारी दुर्घटना सामूहिक बीमा	2.32	1.37
पीएफ प्रशासनिक प्रभार	13.28	15.17
सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना	81.26	59.61
कुल	**29,489.59**	**30,373.83**

नोट 33 : वित्तीय लागतें

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज		
सावधिक ऋणों पर ब्याज व्यय	579.24	856.03
ओवरड्राफ्ट एवं अन्य उधारों पर ब्याज व्यय	787.57	1,162.75
विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर हानि	-	926.51
पट्टा देयताओं पर ब्याज	84.26	153.45
ऋण नवीकरण शुल्क	0.94	-
एमपीआरडीसी को देय प्रीमियम पर ब्याज	356.67	-
कुल	**1,808.68**	**3,098.74**

नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

नोट 34 : प्रशासनिक और अन्य व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
किराया	1,200.95	1,182.95
किराया और कर	1,846.26	1,963.43
बीमा	388.00	502.27
बैंक और गारंटी प्रभार	442.55	390.95
व्यापार प्रोत्साहन	27.82	102.10
एजेंसी कमीशन और प्रायोजन शुल्क	132.12	264.97
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	102.50	217.63
परामर्शी	51.04	308.06
विद्युत और जल	170.89	237.80
टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	165.85	173.31
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	124.96	164.75
यात्रा	549.75	915.57
विज्ञापन	8.28	53.67
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1.57	2.06
सेमीनार और प्रशिक्षण	2.66	60.62
मरम्मत और रखरखाव		
संयंत्र और मशीनरी	158.80	151.66
भवन	170.76	86.31
अन्य	62.89	94.11
वर्तमान अंतरण पर हानि (निवल)	-	10.44
चालू वाहन और रखरखाव	441.15	518.01
विविध व्यय	254.59	228.06
टोल संग्रह व्यय	132.55	192.17
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षा शुल्क	42.67	60.32
कराधान मामले	20.84	14.40
प्रमाणन सहित अन्य सेवाएं	9.52	14.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.70	0.28
किराया प्रभार		
मशीनरी	8.03	12.08
वाहन	504.60	572.63
धीमी गति/अप्रचलित भंडारों हेतु प्रावधान	0.38	170.49
निदेशकों का सिटिंग शुल्क	0.45	1.50
वारंटी अवधि व्ययों के लिए प्रावधान	1,561.11	3,489.84
परिसंपत्तियों की बिक्री/रद्दीकरण पर हानि	50.19	3.84
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	-	4.40
दान	0.36	3.00
सुरक्षा व रखरखाव	137.26	138.99
एमपीआरडीसी को प्रीमियम	142.05	135.29
कुल	**8,914.10**	**12,442.19**

नोट 35 : कर व्यय

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर	1,927.32	992.13
पूर्व वर्षों के लिए करों हेतु प्रावधान	(97.31)	46.69
आस्थगित कर देयताध्परिसंपत्तियां	(813.69)	568.20
कुल	**1,016.32**	**1,607.02**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले अन्य नोट

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

36. समेकन के सिद्धांत:

समेकित वित्तीय विवरणों में टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियां (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधारों पर तैयार किए गए हैं:

1. भारतीय लेखा मानक 110 के तहत – कंपनी नियम, 2015 (लेखा मानक) द्वारा अधिसूचित 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार इंट्रा–ग्रुप बैलेंस और इंट्रा–ग्रुप ट्रांजेक्शन को खत्म करने के बाद, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के खाता मूल्य को एक साथ जोड़कर पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर संयोजित किया गया है।

2. संयुक्त उपक्रम के मामले में, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ व हानि विवरण में संयुक्त नियंत्रित सत्वों के लाभ के अंश को जोड़ा गया है। संयुक्त उपक्रम कंपनियों की सूची नोट नं. 39 पर है। संयुक्त उपक्रम होने के नाते इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, टीबीएल इंटरनेशनल लि. और युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के अनंकेक्षित वित्तीय विवरण लाभ व हानि विवरण में लाभ के अंश के रूप में माने गए हैं। इन्हें संबंधित कंपनियों के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31.03.2021 तक आहरित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है।

3. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में एकीकृत परिचालन होने के नाते राजस्व मदों को वर्ष के दौरान प्रचलित औसत दरों पर समेकित किया गया है। सभी परिसंपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर परिवर्तित की गई हैं। समेकन में होने वाले वाले किसी भी तरह के विनिमेय अंतर को लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

4. समेकन में उपयोग की गई सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 तक आहरित है। समेकन के लिए ली गईं सहायक कंपनियों की सूची नोट नं. 37 पर है।

5. टीसीआईएल ओमान एलएलसी और टीसीआईएल यूएसए इंक., जो सहायक कंपनियां हैं, इनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार किया गया है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित, 31.03.2021 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर इनका समेकन किया गया है।

37 समूह सूचना

सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न शामिल है:

क्रम सं.	सत्व का नाम	समागम का देश	31 मार्च, 2021 तक स्वामित्व का अनुपात (%)	31 मार्च, 2019 तक स्वामित्व का अनुपात (%)
1	टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान	Oman	70%	70%
2	टीसीआईएल बीना टोल रोड लि.	India	100%	100%
3	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि.	India	100%	100%
4	तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशंस लि.	India	49%	49%
5	टीसीआईएल यूएसए आईएनसी	USA	100%	100%

38 सामग्री गैर–नियंत्रक ब्याज वाली सहायक कंपनियां ('एनसीआई')

क्रम सं.	विवरण	देश	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान	India	30%	30%
2	तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशंस लि.	India	51%	51%

गैर–नियंत्रक ब्याज के संदर्भ में समेकित स्थिति

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
भौतिक गैर–नियंत्रक ब्याज का समेकित शेषः		
टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान		89.38
तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि.		(5,958.10)
भौतिक गैर–नियंत्रक ब्याज को आवंटित लाभ/हानिः		
टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान		0.79
तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि.		(745.30)

इंट्राग्रुप एलिमनेशन होने से पहले सहायक कंपनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नलिखितः

टीसीआईएल ओमान एलएलसी, ओमान

तुलनपत्र

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां	297.70	300.56
घटाइएः वर्तमान देयताएं	4.89	2.62
कुल इक्विटी	**292.81**	**297.94**
निम्न को देयः		
मूल कंपनी के इक्विटी धारक	204.97	208.56
गैर–नियंत्रक ब्याज	87.84	89.38

लाभ और हानि का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व और अन्य आय		3.72
प्रशासनिक और अन्य व्यय		0.92
वित्तीय लागतें		-
मूल्यह्रास		-
कर पूर्व लाभ/हानि		**2.80**
आयकर और आस्थगित कर		0.28
जारी परिचालनों से वर्ष हेतु लाभ		**2.52**
अन्य व्यापक आय		0.11
कुल व्यापक आय		**2.63**
गैर–नियंत्रक ब्याजों पर देय (विदेशी विनिमय लाभ)		0.79

तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि.

तुलनपत्र

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	829.72	867.44
वर्तमान परिसंपत्तियां	1,037.19	1,011.54
गैर–वर्तमान देयताएं	(1,637.55)	(1,598.25)
वर्तमान देयताएं	(12,893.40)	(11,964.49)
कुल इक्विटी	**(12,664.04)**	**(11,683.76)**
निम्न को देय		
मूल कंपनी के इक्विटी धारक	(6,206.04)	(5,725.66)
गैर–नियंत्रक ब्याज	(6,458.00)	(5,958.10)

लाभ और हानि का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व और अन्य आय	6.54	2.41
परिचालन लागत	110.63	249.09
वित्तीय लागतें	808.87	903.15
मूल्यह्रास	34.82	29.46
अन्य व्यय	41.48	228.69
अपवादजनक मदों और कर पूर्व लाभ/हानि	**(989.26)**	**(1,407.98)**
अपवादजनक मदें	-	-
कर पूर्व लाभ/हानि	**(989.26)**	**(1,407.98)**
आयकर और आस्थगित कर	-	-
जारी वर्ष हेतु लाभ	**(989.26)**	**(1,407.98)**
अन्य व्यापक आय	8.97	(53.54)
कुल व्यापक आय	**(980.29)**	**(1,461.52)**
गैर–नियंत्रक ब्याज पर आय	(499.90)	(745.30)

39 संयुक्त व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी

समूह के हित में निम्न व्यक्तिगत संयुक्त उपक्रमों को इक्विटी पद्धति के उपयोग हेत लिया गया है. निम्न प्रकटीकरण में सभी संयुक्त उपक्रमों को एक साथ लिया गया है

क्रम सं.	सत्व का नाम	समागम का देश	31 मार्च, 2021 तक स्वामित्व का अनुपात (%)	31 मार्च, 2020 तक स्वामित्व का अनुपात (%)
1	टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स नाइजीरिया लि.	नाइजीरिया	40%	40%
2	भारती हैक्साकॉम लि.	भारत	30%	30%
3	टीबीएल इंटरनेशनल लि.	भारत	44.94%	44.94%
4	इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम इंडिया लि.	भारत	36%	36%
5	युनाइटेड टेलीकॉम लि.	नेपाल	26.66%	26.66%

संयुक्त उपक्रमों के लिए संक्षेप में वित्तीय जानकारी

नीचे दी गई तालिका उन संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जिन्हें समूह में लिया गया है. प्रकट की गई जानकारी संबंधित निगमों और संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में उपस्थित राशियों को प्रतिबिंबित करती है.

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
संयुक्त उपक्रमों से लाभ/हानि का अंश	(30,778.90)	(82,279.50)

सभी भौतिक संयुक्त उपक्रमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी
संक्षिप्त तुलनपत्र

विवरण	भारती हैक्साकॉम लि.		टीबीएल इंटरनेशनल लि.		इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम इंडिया लि.		युनाइटेड टेलीकॉम लि.	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
नकदी और नकदी समानक		27,790.00	8.95	20.97	4,631.33	4,063.01	1.86	6.28
अन्य परिसंपत्तियां		276,210.00	332.50	306.67	7,476.54	6,919.62	2,074.37	2,100.85
वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		**304,000.00**	**341.45**	**327.64**	**12,107.87**	**10,982.63**	**2,076.23**	**2,107.13**
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**1,239,470.00**	**52.75**	**53.01**	**104.26**	**95.46**	**3,582.91**	**2,762.51**
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्यों के अलावा)		545,550.00	4.15	5.31	3,478.69	3,337.48	-	12,914.36
व्यापार प्राप्य		183,760.00	4.38	-	1,809.68	1,813.73	-	2,269.74
अन्य वर्तमान देयताएं		252,550.00	3.10	1.87	2,887.16	2,422.23	24,344.60	1,928.89
वर्तमान देयताएं (ग)		**981,860.00**	**11.63**	**7.18**	**8,175.53**	**7,573.44**	**24,344.60**	**17,112.99**
गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्यों के अलावा)		238,670.00	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य		-	-	-	221.86	267.58	-	-
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं		20,940.00	6.69	5.24	109.94	89.94	-	15,309.41
गैर-वर्तमान देयताएं (घ)		**259,610.00**	**6.69**	**5.24**	**331.80**	**357.52**	**-**	**15,309.41**
निवल परिसंपत्तियां (कख-ग-घ)		**302,000.00**	**375.88**	**368.23**	**3,704.80**	**3,147.13**	**(18,685.46)**	**(27,552.76)**

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	भारती हैक्साकॉम लि.		टीबीएल इंटरनेशनल लि.		इंटैलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम इंडिया लि.		युनाइटेड टेलीकॉम लि.	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आय		387,410.00	170.38	21.31	16,147.15	16,523.94	-	-
अन्य आय		2,960.00	20.42	19.84	181.16	166.61	-	-
कुल राजस्व (क)		**390,370.00**	**190.80**	**41.15**	**16,328.31**	**16,690.55**	**-**	**-**
मूल्यह्रास और अमूर्तिकरण		124,970.00	0.35	3.71	6.72	6.72	429.59	443.11
कर्मचारी लाभ व्यय		6,150.00	19.13	17.09	441.33	422.94	66.02	74.30
वित्तीय लागतें		52,600.00	-	-	130.65	3.21	-	-
अन्य व्यय		550,130.00	163.67	22.95	14,901.63	15,388.09	5,962.10	7,437.58
कुल व्यय (ख)		**733,850.00**	**183.15**	**43.75**	**15,480.33**	**15,820.96**	**6,457.71**	**7,954.99**
कर पूर्व लाभ (ग = क–ख)		(343,480.00)	7.65	(2.60)	847.98	869.59	(6,457.71)	(7,954.99)
कर व्यय (घ)		(71,830.00)	-	-	290.34	297.34	-	-
वर्ष हेतु लाभ (ङ. = ग-घ)		**(271,650.00)**	**7.65**	**(2.60)**	**557.64**	**572.25**	**(6,457.71)**	**(7,954.99)**
अन्य व्यापक आय (च)		(20.00)	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय (ङ.-च)		**(271,670.00)**	**7.65**	**(2.60)**	**557.64**	**572.25**	**(6,457.71)**	**(7,954.99)**
वर्ष के दौरान किए गए समायोजन		-	-	-	-	-	-	-
समायोजन के बाद व्यापक आय		**(271,670.00)**	**7.65**	**(2.60)**	**557.64**	**572.25**	**(6,457.71)**	**(7,954.99)**
टीसीआईएल का शेयर		30%	44.94%	44.94%	36%	36%	26.66%	26.66%

40. उचित मूल्य मापन

क. वित्तीय परिसंपत्तियां व देयताएं

वित्तीय साधनों की अग्र राशि और उचित मूल्य श्रेणी वार निम्नलिखित है:

31 मार्च, 2021 तक	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	अमूर्तिकृत लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	61,082.64
(ii) व्यापार प्राप्य		-	203,434.86
(iii) नकदी और नकदी समानक		-	21,501.64
(iv) अन्य बैंक शेष		-	4,483.15
(v) ऋण		-	5,724.32
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	9.97
कुल		**-**	**296,236.58**
वित्तीय देयताएं			
(i) उधार (उपार्जित ब्याज सहित)		-	9,016.48
(ii) व्यापार प्राप्य		-	199,976.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		-	82,155.80
कुल		**-**	**291,149.26**

31 मार्च, 2020 तक	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	अमूर्तिकृत लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	-	-	91,861.54
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	173,699.84
(iii) नकदी और नकदी समानक	-	-	9,275.45
(iv) अन्य बैंक शेष	-	-	8,289.38
(v) ऋण	-	-	5,739.81
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	13.06
कुल	**-**	**-**	**288,866.16**
वित्तीय देयताएं			
(i) उधार (उपार्जित ब्याज सहित)	-	-	33,479.15
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	165,125.74
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	65,959.29
कुल	**-**	**-**	**264,564.18**

ख उचित मूल्य अनुक्रम

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

उचित मूल्य के विभिन्न स्तरों को नीचे परिभाषित किया गया है

स्तर 1: एक सक्रिय बाजार में समान उपकरणों के लिए उद्धृत कीमतें,

स्तर 2: सीधे (यानि कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानि कीमतों से व्युत्पन्न) देखे जाने योग्य बाजार इनपुट, स्तर 1 में इनपुट, और

स्तर 3: इनपुट यानि देखने योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं है। निष्पक्ष मूल्य पूरे या कुछ हिस्सों में शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य या मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो न तो उसी उपकरण में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होते हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होते हैं।

ख1. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – पुनरावर्ती उचित मूल्य माप

31 मार्च, 2021 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
निवेश	-	-	61,082.64

31 मार्च, 2020 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
निवेश	-	-	91,861.54

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

'अनिश्चित निवेशों के उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए , कंपनी स्वतैं मूल्य, लाभप्रदता, निवेश का प्रकार इत्यादि के दौर पर कुछ आयामों पर आधारित मूल्य का आकलन करती है. यह तकनीकें निम्नानुसार हैः

क) परिसंपत्ति दृष्टिकोण – नेट संपत्ति मूल्य विधि

ख) आय दृष्टिकोण – रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) विधि

ग) बाजार दृष्टिकोण – उद्यम मूल्य/बिक्री एकाधिक विधि

ख.2 अमूर्तिकृत लागत पर मापे गए साधनों का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	अग्र मूल्य	उचित मूल्य	अग्र मूल्य	उचित मूल्य
निवेश	61,082.64	61,082.64	91,861.54	91,861.54

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि नकदी और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्तियों, सुरक्षा जमाओं, संबंधित पक्षों को ऋण, अन्य वित्तीय संपत्ति, अल्पकालिक उधार, व्यापार देय और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों आदि के साथ उपकरण अथवा माध्यम हे जिनसे उचित मूल्य अल्पकालिक परिपक्वता के द्वारा काफी हद तक उनकी मूल कीमत का अनुमान लगाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया गया है जिस पर उपकरण परिसमापन बिक्री के अलावा इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में आदान–प्रदान किया जा सकता है।

41. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

समूह की गतिविधियां बाजार जोखिम, परिसमापन जोखिम और क्रय जोखिम के अधीन है। समूह की जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को नियोजित करने और तैयार करने का संपूर्ण दायित्व प्रबंधन का है। यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनका सामना कंपनी करती है और किसी प्रकार कंपनी के वित्तीय विवरणों को यह प्रभावित करती है, यह भी स्पष्ट करती है।

क. क्रय जोखिम

क्रय जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपार्टी समूह के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहती है। समूह को इस क्रय जोखिम का सामना मुख्य रूप से नकदी एवं नकदी समानक, व्यापार प्राप्य और अमूर्तीकृत लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में पड़ता है। समूह निरंतर ग्राहकों और अन्य प्रतिपार्टियों के डिफाल्ट पर निगरानी रखता है और इसकी सूचना क्रय जोखिम नियंत्रकों को देता है।

क.1 क्रय जोखिम प्रबंधन

समूह आंतरिक क्रय वरीयता प्रणाली के आधार पर क्रय जोखिम का आकलन एवं प्रबंधन करता है। आंतरिक क्रय वरीयता विभिन्न विशेषताओं के साथ वित्तीय साधनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निकाली जाती है। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों की श्रेणी के संबंध में अनुमान, इनपुट्स और तथ्यों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी को निम्नलिखित क्रय वरीयता प्रदान करता है.

कः वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर न्यून क्रय जोखिम
खः आधुनिक क्रय जोखिम
गः उच्च क्रय जोखिम

समूह निम्नलिखित के आधार पर प्रत्याशित क्रय हानि हेतु प्रावधान रखता है:

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	प्रत्याशित क्रय हानि हेतु प्रावधान
निम्न क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्रापतियां और अन्य वित्तीय संपत्तियां	12 माह के लिए अपेक्षित हानि
मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्रापतियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	संपूर्ण माह या 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट नुकसान की उम्मीद
उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्रापतियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	अपेक्षित लाइफटाइम क्रेडिट नुकसान, बशर्ते कि वह पूर्ण रुप से प्रदान किया गया हो।

क्रय वरीयता	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
कः न्यून क्रय जोखिम	नकदी एवं नकदी समानक	21,501.64	9,275.45
	अन्य बैंक शेष	4,483.15	8,289.38
	ऋण	5,724.32	5,739.81
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9.97	13.06
खः मध्यम क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य	203,434.86	173,699.84
गः उच्च क्रय जोखिम	व्यापार प्राप्य	4,736.45	4,875.39

नकदी एवं नकदी समानक एवं बैंक जमाएं

नकदी एवं नकदी समानक तथा बैंक जमाओं के संबंध में क्रय जोखिम को देश भर में विभिन्न बैंकों में विविध जमाओं और खातों और उच्च वरीयता बैंकों को स्वाकार करते हुए ही प्रबंधित किया जाता है।

व्यापार एवं अन्य प्राप्य

समूह निरंतर रूप से ग्राहकों और अन्य प्रतिपार्टियों के डिफॉल्ट की निगरानी रखता है, जिन्हें व्यक्तिगत या समूह के रूप में अभिज्ञापित करता है और यह जानकारी क्रय जोखिम नियंत्रकों को देता है। जहां भी समुचित लागत पर उपलब्ध हो बाहरी क्रय वरीयता और/या ग्राहकों या प्रतिपार्टियों पर रिपोर्ट को प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। समूह की नीति केवल साखयोग्य प्रतिपार्टियों से ही लेनदेन करती है।

समूह के समक्ष कोई महत्वपूर्ण क्रय जोखिम जो किसी व्यक्तिगत प्रतिपार्टी या समूह से जुड़ा हो, के संबंध में सामने नहीं आता है। व्यापार प्राप्य जिसमें एक बड़ी संख्या में ग्राहक हों, ग्राहकों के डिफॉल्ट रेट के आधार पर उपलब्ध ऐतिहासिक सूचना जिसे सही नहीं माना गया है।

व्यापार प्राप्य सटीक या प्रत्याशित क्रय हानि पद्धति या प्रत्याशित वसूली योग्य राशियों के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है जोकि अभिज्ञापित ग्राहकों पर निर्दिष्ट डिफॉल्ट अनुभवों के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे। रिपोर्टिंग तिथि तक व्यापार प्राप्य पर कोई ब्याज देय नहीं है।

अमूर्तीकृत लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अमूर्तीकृत परिसंपत्तियों पर मापी गईं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पार्टियों और कर्मचारियों से संबंधित ऋण एवं पेशगियां, सुरक्षा जमाएं और अन्य मदें शामिल होती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय जोखिम को ऐसी राशियों से वसूली योग्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रय हानियां

समूह की नीति केवल साखयोग्य प्रतिपार्टियों से ही लेनदेन करती है।

समूह के समक्ष कोई महत्वपूर्ण क्रय जोखिम जो किसी व्यक्तिगत प्रतिपार्टी या समूह से जुड़ा हो, के संबंध में सामने नहीं आता है। व्यापार प्राप्य जिसमें एक बड़ी संख्या में ग्राहक हों, ग्राहकों के डिफॉल्ट रेट के आधार पर उपलब्ध ऐतिहासिक सूचना जिसे सही नहीं माना गया है।

व्यापार प्राप्य सटीक या प्रत्याशित क्रय हानि पद्धति या प्रत्याशित वसूली योग्य राशियों के प्रावदानों के अनुसार लिया गया है।

31 मार्च, 2021 तक

विवरण	भूल-चूक पर अनुमानित सकल वहन राशि	भूल-चूक की अपेक्षित संभावना	अपेक्षित क्रेडिट घाटा	हानि प्रावधान की निवल शुद्ध राशि
व्यापार प्राप्य	208,171.31	2.28%	4,736.45	203,434.86
नकदी एवं नकदी समानक	21,501.64	0.00%	-	21,501.64
अन्य बैंक शेष	4,483.15	0.00%	-	4,483.15
ऋण	5,724.32	0.00%	-	5,724.32
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9.97	0.00%	-	9.97

31 मार्च, 2020 तक

विवरण	भूल-चूक पर अनुमानित सकल वहन राशि	भूल-चूक की अपेक्षित संभावना	अपेक्षित क्रेडिट घाटा	हानि प्रावधान की निवल शुद्ध राशि
व्यापार प्राप्य	178,575.23	2.73%	4,875.39	173,699.84
नकदी एवं नकदी समानक	9,275.45	0.00%	-	9,275.45
अन्य बैंक शेष	8,289.38	0.00%	-	8,289.38
ऋण	5,739.81	0.00%	-	5,739.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13.06	0.00%	-	13.06

हानि भत्तों का समाधान

31 मार्च, 2020 तक हानि भत्ता	**4,875.39**
वर्ष के दौरान अभिज्ञापित/उलटक्रम की गई असंतुलन हानि	74.50
बट्टे खाते में डाली गई राशि	213.44
31 मार्च, 2021 तक हानि भत्ता	**4,736.45**

ख चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना कोई समूह तब करता है जब वह नकदी एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी करते हुए वित्तीय देयताओं संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई अनुभव करता है। चलनिधि को प्रबंधित करने में किसी समूह की अभिवृत्ति यह रहती है कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त चलनिधि है। समूह अपने रोजमर्रा के कारोबार में नियत नकदी प्रवाह तथा दीर्घकालीन वित्तीय देयताओं

के लिए सूचीबद्ध ऋण सेवा भुगतानों का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करता है। 180 दिनों और 360 दिनों की दीर्घकालीन देयताओं को मासिक रूप से अभिज्ञापित किया जाता है।

वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक समूह की निम्नलिखित अव्यवस्थित उधार सुविधाओं तक पहुंच है

अस्थायी दर	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्ति (नकदी क्रय व अन्य सुविधाएं)	12,746.76	2,087.11

प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी एवं नकदी समानक और चलनिधि स्थिति की वर्तमान संभावना का अनुवीक्षण करता है. समूह बाजार में उस चलनिधि की राशि पर विचार करता है जिस पर कोई सत्व परिचालन करता है।

ख.1 वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका अनुबंधात्मक परिपक्वता के आधार पर समूह की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण करती है। नीचे दी गई तालिका में राशि संविदात्मक गैर छूट प्राप्त नकद प्रवाह है।

31 मार्च, 2021	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
(i) उधार	5,871.48	2,285.00	860.00	-	-	9,016.48
(ii) व्यापार प्राप्य	199,976.98	-	-	-	-	199,976.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	81,026.34	469.52	44.07	16.55	599.32	82,155.80
कुल	**286,874.80**	**2,754.52**	**904.07**	**16.55**	**599.32**	**291,149.26**

31 मार्च, 2020	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
(i) उधार (ब्याज सहित)	27,996.98	2,337.17	2,285.00	860.00	-	33,479.15
(ii) व्यापार प्राप्य	165,125.74	-	-	-	-	165,125.74
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	64,330.77	679.91	286.13	62.74	599.74	65,959.29
कुल	**257,453.49**	**3,017.08**	**2,571.13**	**922.74**	**599.74**	**264,564.18**

ग. बाजार जोखिम

(I) ब्याज दर जोखिम

दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम को कम करना समूह की नीति में शामिल है। समूह बाजार जोखिमों के अधीन है और बैंक के ब्याज दर जोखिमों के कारण बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन हो सकता है। अन्य उधार स्थायी ब्याज दर पर रहता है।

समूह के समक्ष उधारों पर बाजार दर जोखिम निम्नानुसार हो सकते हैं

अस्थायी दर	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
परिवर्तनीय दरें	3,701.48	26,301.98
स्थायी दरें	5,315.00	7,177.17
कुल	**9,016.48**	**33,479.15**

निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में संभावित परिवर्तनों के चलते लाभ व हानि की संवेदनशीलता को प्रकट करती है। इन परिवर्तनों को वर्तमान बाजार परिस्थितियों की सर्वेक्षणीयता के आधार पर माना जाता है। परिकलन प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन पर आधारित होता है और वित्तीय साधनों पर ब्याज दरों में होने वाला परिवर्तन असर करता है।

ब्याज संवेदनशीलता*	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ब्याज दरें – 100 आधार अंकों से बढ़ने पर (31 मार्च 2021 : 100 आधार अंक)	(27.70)	(196.82)

ब्याज दरें – 100 आधार अंकों से बढ़ने पर (31 मार्च 2021 : 100 आधार अंक)	27.70	196.82

* अन्य सभी चार मदों को धारण करना

विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी विनिमेय	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	विदेशी मुद्रा राशि	भारतीय रू.	विदेशी मुद्रा राशि	भारतीय रू.
वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंक वर्तमान खाता / कॉल जमा				
अ.डॉ.	24,522.29	18.02	24,522.29	18.50
बैंक चालू खाता / कॉल जमा				
अ.डॉ.	8,630.57	6.34	7,388.48	5.57
जीबीपी	72.64	0.07	72.57	0.07
यूरो	3,964.94	3.41	5,183.86	4.31
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य				
अ.डॉ.	2,987,666.38	2,195.47	3,325,830.88	2,509.33
ऋण (बैंक)				
अ.डॉ.	3,066,258.65	2,253.24	17,114,495.00	12,912.89
निवल प्रकटीकरण				
अ.डॉ.	(6,020,772.17)	(4,424.35)	(20,408,415.11)	(15,398.15)
जीबीपी	72.64	0.07	72.57	0.07
यूरो	3,964.94	3.41	5,183.86	4.31

निम्नलिखित महत्वपूर्ण दरें लागू की गई हैं:

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

मुद्रा	वर्ष की समाप्त तक स्पाट दरें	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अ.डॉ.	73.485	75.450
जीबीपी	100.880	93.135
यूरो	86.035	83.195

कर के बाद लाभ / (हानि) पर विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन की संवेदनशीलता विश्लेषण

(जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, सभी राशियां लाख रु. में हैं)

मुद्रा	वर्ष +200 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष –200 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
अ.डॉ.	(66.22)	(230.45)	66.22	230.45

मुद्रा	वर्ष +1000 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष –1000 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
जीबीपी	0.0051	0.0049	(0.0051)	(0.0049)

मुद्रा	वर्ष +1000 बीपीएस के लिए लाभ		वर्ष –1000 बीपीएस के लिए लाभ	
	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
यूरो	0.26	0.32	(0.26)	(0.32)

42. पूंजी प्रबंधन नीतियां

समूह का पूंजी प्रबंधन प्रयोजन जोखिम के स्तर के साथ दी जाने वासी सेवाओं और उत्पादों के मूल्य द्वारा शेयरधारकों को लौटाई जाने वाले पर्याप्त रिटर्न और वर्तमान आधार पर समूह की योग्यता को सुनिश्चित करना होता है।

समूह अन्य आय में अभिज्ञापित वित्तीय स्थिति के विवरण के मामले में प्रस्तुत किए जाने के तौर पर अपनी अधीनस्थ ऋण, कम नकदी और नकदी समानक की इक्विटी राशि के आधार पर पूंजी का अनुवीक्षण करता है।

समूह अपनी पूंजीगत संरचना को प्रबंधित करता है और आर्थिक अवस्था में परिवर्तन के आधार पर समायोजन करता है जिसमें जोखिम विशेषताएं शामिल होती हैं। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए समूह शेयरधारकों को दी जाने वाली लाभांश की राशि, शेयरधारकों की रिटर्न पूंजी और पूंजीगत संरचना को समायोजित करना है। समूह द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित राशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
दीर्घकालिक ऋण	5,315.00	7,177.17
कुल इक्विटी	102,321.84	130,439.04
इक्विटी अनुपात के लिए दीर्घकालिक ऋण	**0.05**	**0.06**

43. वित्तीय गतिविधियों से होने वाली देयताओं का समाधान

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली समूह की देयताओं में परिवर्तन को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता हैः

विवरण	दीर्घकालीन उधार	अल्पकालीन उधार	नकदी एवं नकदी समानक	कुल
1 अप्रैल 2020 तक निवल ऋण	**7,177.17**	**26,301.98**	**9,275.45**	**24,203.70**
नकदी लेनदेनः				-
– आगे	-	-	-	-
– पुनर्भुगतान	(1,862.17)	(22,600.50)	-	(24,462.67)
– देय ब्याज	(579.24)	(787.57)	-	(1,366.81)
– नकदी एवं बैंक में लेनदेन	-	-	12,226.19	(12,226.19)
अन्य गैर–नकदी लेनदेन		-		
– ऋण की पुनर्संरचना पर लाभ		-	-	-
– ब्याज व्यय	579.24	787.57	-	1,366.81
31 मार्च तक निवल ऋण (अतिशेष)	**5,315.00**	**3,701.48**	**21,501.64**	**(12,485.16)**

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित उन उद्यमों की जानकारी जिन्हें सहायक कंपनी के रूप में समेकित किया गया है

ईकाई का नाम	निवल परिसंपत्तियां, यानि कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि का अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि
धारण कंपनी				
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	156%	61,118.79	95%	5,276.58
सहायक कंपनियां:				
भारतीय				
तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	(32%)	(12,664.04)	(18%)	(980.29)
टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	(10%)	(4,072.55)	2%	138.59
टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	2%	601.53	(5%)	(299.80)
विदेशी				
टीसीआईएल ओमान एलएलसी	1%	292.81	0%	2.59
टीसीआईएल यूएसए इंक.	1%	349.78	(1%)	(28.91)
सभी सहायक कंपनियों का अल्पसंख्यक हित	(16%)	(6,370.15)	(9%)	(499.12)
	100%	**39,256.17**	**100%**	**5,570.22**

45. सहायक कंपनियों के संबंध में निर्दिष्ट प्रपत्र एओसी-1 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उप धारा (3), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, के पहले प्रावधान के अनुपालन में विवरण:

विवरण	तमिलनाडु टेली. कम्युनिकेशन्स लि.	टीसीआईएल ओमान एलएलसी	टीसीआईएल बीना टोल रोड लि.	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लि.	टीसीआईएल यूएसए इंक.
शेयर पूंजी	4,567.62	286.43	1,957.00	2,311.00	608.14
भंडार एवं अतिशेष	(17,231.67)	6.38	(6,029.55)	(1,709.47)	(258.36)
कुल परिसंपत्तियां	1,866.90	297.70	7,156.13	8,572.50	370.84
कुल देयताएं	14,530.95	4.89	11,228.68	7,970.97	21.06
निवेश	-	-	-	-	-
कुल पण्यावर्त	6.54	5.63	1757.62	609.47	1.66
कराधान पूर्व लाभ	(989.26)	3.20	138.59	(299.80)	(36.40)
कराधान हेतु प्रावधान	-	0.48	-	-	-
कराधान पश्चात लाभ	(989.26)	2.72	138.59	(299.80)	(36.40)
प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-
धारण का प्रतिशत	49%	70%	100%	100%	100%

46. आकस्मिक देयताओं के विवरण के संबंध में प्रकटीकरणः

विवरण	01.04.2020 तक खुला शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.2021 तक समापन शेष
आय कर मामले जिन्हें ऋण के तौर पर नहीं लिया गया है (नीचे देखें)(i) ,	4,382.27	1,020.50	-	5,402.77
बिक्री कर मामले जिन्हें ऋण के तौर पर नहीं लिया गया है नीचे देखें (ii),	148.62	24.85	-	173.47
बिक्री कर मामले जिन्हें ऋण के तौर पर नहीं लिया गया है नीचे देखें (ii),	5,408.41	-	-	5,408.41
विवादित दावे जिनहें ऋण के तौर पर नहीं लिया गया है ख्नीचे देखें(iii),	41,311.80	18,888.89	(17,150.17)	43,050.52
स्पइपसपजपमे वद ज्मतउपदंजमक चंबांहमे	824.00	-	-	824.00

(i) आयकर मामलेः

भारत और विदेशों में प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान आय कर हेतु प्रावधान किया गया और यह अपील प्राधिकरण के निर्णय पर आधारित है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत कंपनी का आकलन वित्त वर्ष 2018–19 में पूरा कर लिया गया था। फिर भी, ऐसे मामलों के लिए आवश्यक नहीं माना गया था जो अपील प्राधिकरण में दर्ज अपीलों (या तो कंपनी या फिर राजस्व विभाग द्वारा) से संबंधित हैं।

(ii) बिक्री करः

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997–98 से लेकर 2001–02 तक कंपनी के पक्ष में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड व्यापार कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2002–03, 2003–04, 2005–06 और 2006–07 तक के लिए जो मांग भेजी गई थी, उसे कंपनी ने ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया है। कंपनी ने उक्त क्रमांक के विरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। (रु. 19.38 लाख)

वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2014–15, वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग, जबलपुर, लखनाडोन और बीकेएस परियोजना द्वारा एक मांग उठाई गई है। कंपनी ने उक्त मांग के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर की है (154.09 लाख रुपये)।

(iii) सेवा करः

कंपनी ने एनएसएफ–ओएफसी परियोजना पर मैसर्स बीएसएनएल पर सेवा कर की प्रयोज्यता के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। सीजीएसटी (लेखापरीक्षा), आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की ओर से 5,408.41 लाख रु. की मांग का पर्यावलोकन किया गया क्योंकि उक्त परियोजना में मैसर्स बीएसएनएल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर देयता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के तहत लंबित मांग की वसूली पर स्टे लगाया गया है।

(iv) विवादित दावेः

विवादित दावों और उन पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो किसी भी अदालत के समक्ष या किसी मध्यस्थ के अधीन विचाराधीन हैं क्योंकि कंपनी ने इन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को 39,730.48 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक – 41,819.86 लाख रुपये) की राशि के काउंटर दावों को भी गिना नहीं गया है।

किसी बाहरी प्रवाह के संबंध में अनिश्चितताओं का खुलासा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

(V) सहायक कंपनियों में से एक के संबंध में:

क. वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 (नवम्बर 2001 तक) के संबंध में अतिरिक्त बिक्री कर

के रूप में 186.09 लाख की राशि की मांग की थी। इस सहायक कंपनी ने उपर्युक्त मांग के संग्रह के बदले मद्रास उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया है और स्टे की मंजूरी देते हुए उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वाणिज्य कर विभाग को ₹75 लाख रुपए की राशि जमा कराई है। क्योंकि मांग विवादित है, इसलिए इसे लेखाओं में नहीं लिया गया है। इस मामले पर नवंबर 2011 को सुनवाई हुई और मामले को एक अन्य मामले में जहां निर्णय निर्धारिती के पक्ष में रहा था, की तरह की रिट अपील के साथ न्याय पीठ के समक्ष रखने के लिए निर्देश जारी किए गए। रिट याचिका पर उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा दिनांक 02.09.2015 को और 09–09–2015 को सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय, मद्रास ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अदालत ने अभी तक अपना आदेश नहीं सुनाया है।

ख. बिक्री कर विभाग नें वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान, बीएसएनएल/एमटीएनएल से आकलन वर्ष 2001–02, 2002–03 ̇दक 2003–04 से संबंधित 'सी' फॉर्म जमा न करने पर 22.95 लाख रुपए की मांग की है। सरकार ने बीएसएनलध एमटीएनएल को अंतरराज्यीय बिक्रियों के संबंध में सी प्रपत्रों पर छूट दी है। सहायक कंपनी ने विभाग के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया है और मामले को बीएसएनएलध्एमटीएनएल को भी संदर्भित किया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

ग. कस्टम प्राधिकरण ने वर्ष 2006–07 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के वर्गीकरण में भिन्नता पाए जाने पर 102.77 लाख रु. की मांग की है। कानूनी कार्यवाहियों को छोड़ते हुए वर्ष 2009–10 के दौरान कस्टम आयुक्त ने कंपनी के पक्ष में आदेश दिया। विभाग ने इस आदेश के बदले अपील की है। सहायक कंपनी ने प्रति अपील दर्ज की है। प्राधिकरण ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 19/12/2017 के माध्यम से मामले को फिर से नए निर्णय के लिए आयुक्त के पास भेज दिया क्योंकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निदेश जारी किया गया था। अतः मामले पर फिर से जिरह होनी है और निर्णय लिया जाना है।

घ. टीसीआईएल को देय ब्याज के बदले टीडीएस की लघु कटौती को लेकर आईटी विभाग द्वारा 17.75 लाख रु. की मांग की गई है। सहायक कंपनी ने आईटी विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखा है।

ड़. एसईबीआई (लिस्टिंग बाध्यताओं और प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) के गैर अनुपालन को लेकर बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान 47.77 लाख रु. और वर्ष 2019–20 के दौरान 38.37 लाख रु. का कुल हर्जाना लगाया है। सहायक कंपनियों ने इन हर्जानों की माफी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अपना पक्ष रखा है।

च. बिक्री कर विभाग ने वर्ष 2011–12 से लेकर 2015–16 तक के संबंध में वित्त वर्ष 2018–19 के वित्तीय वर्ष के दौरान 45.84 लाख रु. की राशि की मांग की थी जिसमें 14.35 लाख रु. सी फार्म की गैर दाखिली पर, 27.29 लाख रु. सी फार्म के बिना सीएसटी बिक्री हेतु आईटीसी रिवर्सल पर, 3.43 लाख रु. खरीददाता और बिक्रीदाता के परस्पर सत्यापन और 0.26 लाख रु. चल परिसंपत्तियों के निष्पादन से संबंधित थे। इसका प्रावधान सहायक कंपनियों के बहीखातों में किया गया है।

47. दिए गए गारंटी और साख पत्र का समेकित विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
क.		
बैंक गारंटी बकाया	65,802.97	83,201.17
समाप्त बैंक गारंटियां	1,980.27	6,292.78
टीटीएल की ओर से दी गई बैंक गारंटियां	409.88	409.88
समाप्त कॉरपोरेट गारंटियां	318.87	318.87
ख. साख पत्र	2,908.70	5,774.96

48. बीएसएनएल, एमटीएनएल, एमपीआरआरडीए, पीजीसीआईएल, डीओपी, बीबीएनएल और अन्य सहित समूह के देनदारों और लेनदारों की शेष राशि पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है।

49. (i) **विदेशी मुद्रा (अरक्षित) के समेकित विवरण का प्रकटीकरणः**

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	रूपए (लाख में)	विदेशी मुद्रा	रूपए (लाख में)	विदेशी मुद्रा
आयात लेनदार	2,195.47	USD 2,987,666.38	2,509.33	USD 33,25,830.88
असुरक्षित ऋण (बैंक)	2,253.24	USD 3,066,258.65	12,912.89	USD 1,71,14,495.00

(ii) विदेशी मुद्रा (अरक्षित) में प्राप्त राशि का समेकित विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	रूपए (लाख में)	विदेशी मुद्रा	रूपए (लाख में)	रूपए (लाख में)
निर्यात देनदार	18.02	USD 24,522.29	18.50	USD 24,522.29
मांग जमा/बैंकों के साथ वर्तमान खाता	6.34	USD 8,630.57	5.57	USD 7,388.48
	0.07	GBP 72.64	0.07	GBP 72.57
	3.41	EUR 3,964.94	4.31	EUR 5,183.86

(iii)विदेशी परियोजनाएं / शाखाएंः परियोजना की अवधि आमतौर पर 1 से 3 वर्ष तक होती है। देय / प्राप्य एक ही मुद्रा में होने के कारण, परियोजना के पूरा होने के बाद भारत में प्रत्यावर्तित होने के लिए आरक्षित भाग अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है।

50 क) **विदेशी मुद्रा (अरक्षित) प्रकटीकरण का समेकित विवरण :**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रवाह		
विदेशी परियोजनाओं में प्रत्यावर्तित राशि	8,827.18	3,869.51
व्यय		
सीआईएफ आधार पर आयात (व्यापारित वस्तुएं)	NIL	NIL
संविदात्मक भुगतान	259.23	NIL
अन्य	NIL	96.91

ख) आयातित और स्वदेशी सामग्री की खपत का उपभोग

मद	31-03-2021 तक समाप्त वर्ष		31-03-2020 तक समाप्त वर्ष	
	राशि	कुल उपभोग का प्रतिशत	राशि	कुल उपभोग का प्रतिशत
क) आयातः				
कच्चा माल	-	-	-	-
भंडार एवं कलपुर्जे	-	-	-	-
खुले उपकरण	-	-	-	-
ख) घरेलूः				
कच्चा माल	-	-	-	-
भंडार व कलपुर्जे	2,010.21	99.36	3,904.53	99.94
खुले उपकरण	12.97	0.64	2.24	0.06
कुल	**2,023.18**	**100.00**	**3,906.77**	**100.00**

ग) भारतीय लेखा मानक–21 के अनुसार, कंपनी के पास निम्नलिखित कार्यात्मक एवं प्रस्तुत के लिए मुद्रा हैः–

प्रभाग	कार्यात्मक मुद्रा	प्रदर्शित मुद्रा
टीसीआईल	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
टीसीआईल – मॉरिशस	मॉरिशस	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – कुवैत	कुवैती दीनार	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – सऊदी अरब	सऊदी रियाल	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – ओमान	ओमानी रियाल	भारतीय रुपया
टीसीआईएल – सिएरा लिओन	सिएरा लिओन लि	भातीय रुपया
टीसीआईएल – अल्जीरिया	अल्जीरियन दीनार	भातीय रुपया
टीसीआईल – इथोपिया	ईथोपियन बिर	भातीय रुपया
टीसीआईएल – बोत्सवाना	बोत्सवाना पूला	भातीय रुपया
टीसीआईएल – नेपाल	नेपाली रुपया	भातीय रुपया
टीसीआईएल – भूटान	एनयू	भातीय रुपया
टीसीआईएल – संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब दीरहम	भातीय रुपया
टीसीआईएल – कतर	कतर रियाल	भातीय रुपया
टीसीआईल – श्री लंका	श्री लंका रुपया	भातीय रुपया
टीसीआईएल – मेसेडोनिया	मेसेडोनियन दीनार	भातीय रुपया

51. क) कुवैत में, अनुबंधों के संबध में परिसंपत्तियों की खरीद सहित लेनदेन एजेंट्स/संयुक्त उपक्रम कंपनियों के नाम पर किया जाता है। 31 मार्च, 2021 तक एजेंटों / जेवी कंपनियों के नाम पर 338.20 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक – 412.29 लाख रुपये) तक की अचल संपत्तियों को बट्टे खाते डाला गया है।

ख) कंपनी ने सरकारी अधिकारियों के साथ रियायत समझौते के अनुसार बिल्ट – ऑपरेट – ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर तीन परियोजनाएं शुरू की हैं। तीन में से दो का संचालन अलग–अलग एसपीवी के जरिए किया जा रहा है। समझौतों के तहत, टोल संग्रह या वार्षिकी भुगतान के लिए रियायत अवधि 13 से 26 वर्ष तक की होगी। उक्त रियायत अवधि के अंत में, सभी सुविधाओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना है।

वित्त वर्ष 2020–21 में नाभा टोल के टोल संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि टोल लेन को 01.04.2015 से जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। 01.10.2020 में भारत सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के खिलाफ विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा चल रहे विरोध / आंदोलन के कारण टोल राजस्व का भारी नुकसान हुआ है।

ग) कंपनी, भारत सरकार के डाक विभाग (डीओपी), के लिए ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान हेतु हार्डवेयर, परिधीय उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टिविटी की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव सेवाओं के लिए एक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना में उपलब्धियों या कार्यसिद्धि के आधार पर भुगतान किया जाना है, इस लिए इस परियोजना के संदर्भ में, 31.03.2021 तक 20,137 लाख रुपए के बिलों की देनदारी बाकि है (पिछले वर्ष 24,304 लाख रुपये) थी।

52. भारत और भारत के बाहर उद्यमों में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लेखांकन नीति संख्या 1.12 के अनुसार मूल्यांकित किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी को संयुक्त उद्यम कंपनी से शून्य लाख रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ।

53. क) कंपनी ने, सभी नियमित सीडीए कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन संशोधन के तहत 2018–19 तक के लिए रु. 57.20 लाख रुपए और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 में शून्य प्रावधान रखा है।

ख) टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक अपने नियमित कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए 1,561.53 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। योजना अनुमोदन के लिए लंबित है और कई कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु के कारण कंपनी से जा चुके हैं, इसलिए पूर्वव्यापी तिथि के साथ योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है। इसलिए, परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए 1,561.53 लाख रुपये के प्रावधान को वित्त वर्ष 2020–21 में हटा दिया गया है और योजना को मंत्रालय से अनुमोदन के बाद संभावित प्रभाव से लागू किया जाएगा।

54.. वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों में की गई देनदारियों / प्रावधानों के लिए 221.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 198.03 लाख रुपये) को बट्टे खाते डाला क्योंकि इनकी अब आवश्यकता नहीं है।

55.. **भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रकटीकरण**

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार उपदान न्यास, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना तथा अवकाश नकदीकरण की स्थिति निम्नलिखित है:

क्रम सं.	विवरण	उपदान	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना
		(निधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
1	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव**				
	01.04.2020 तक दायित्वों का वर्तमान मूल्य	4048.21	384.70	1802.43	1317.56
	ब्याज लागत	249.59	23.96	97.56	81.26
	वर्तमान सेवा लागत	235.45	15.18	169.79	0.00
	दत्त लाभ	(479.60)	-	(623.06)	(26.32)
	दायित्वों का बीमांकिक लाभ्ध्हानि	(129.67)	(8.78)	1027.17	577.10
	31.03.2021 तक दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3923.98	415.06	2473.89	1949.60
2	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	01.04.2020 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3285.00	19.13	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	205.30	-	-	-
	योगदान	591.08	-	-	-
	दत्त लाभ	(479.60)	-	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत संपत्ति पर वापसी	21.91	1.38	-	-
	31.03.2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3623.69	20.51	-	-
3	**योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**				
	01.04.2019 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3285.00	19.13		-
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	205.30	1.38	-	-
	योगदान	591.08	-	-	-
	दत्त लाभ	(479.60)	-	-	-
	ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	21.91	-	-	-
	31.03.2020 पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3623.69	20.51	-	-
	निधिक / (अनिधिक) स्थिति	(300.29)	394.55	(2473.89)	(1,949.60)
4	**अभिज्ञापित बीमांकिक लाभ/हानि**				
	01.04.2020 तक बीमांकिक लाभ्ध्हानि	-	-	-	-
	निवल ब्याज लागत पर शामिल राशियों के अलावा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)ध्हानियां	(21.91)	(5.80)	1025.73	577.10
	अनुभव भिन्नताओं के कारण बीमांकिक (लाभ)ध्हानि	(129.67)	(2.99)	1.44	-
	31.01.2021 तक अभिज्ञापित बीमांकिक (लाभ)/हानि	(151.58)	(8.79)	1027.17	577.10
5	**तुलनपत्र एवं लाभ व हानि विवरण में अभिज्ञापित की जाने वाली राशियां**				
	31.03.2021 तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	3923.98	415.06	2473.89	1,949.60
	31.03.2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3623.69	20.51	-	-
	निधिक स्थिति	-	-	-	-
	तुलन पत्र में अभिज्ञापित निवल परिसंपत्तियांः (देयता)	(300.29)	(394.55)	(2473.89)	(1,949.60)
6	**लाभ व हानि विवरण में अभिज्ञापित व्यय**				
	वर्तमान सेवा लागत	235.45	15.18	169.79	-
	ब्याज लागत	249.59	22.78	97.90	81.26
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(205.30)	-	-	-
	वर्ष के दौरान मानी गई व प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	(151.58)	(8.98)	1026.82	577.10

क्रम सं.	विवरण	उपदान	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना
		(निधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
	लाभ व हानि विवरण में अभिज्ञापित व्यय	128.16	28.98	1294.51	658.36
7	**बीमांकिक लाभ/हानि का विवरण**				
	जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक लाभ/हानि	117.83	-	-	-
	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(207.91)	(5.80)	(1.09)	(109.01)
	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.59)	(2.99)	1028.26	686.11
8	**परिभाषित लाभ बाध्यता की मैच्योरिटी प्रोफाइल**				
	प्रथम वर्ष	380.50	7.66	276.86	33.18
	द्वितीय वर्ष	495.47	8.14	362.21	38.90
	तृतीय वर्ष	348.84	20.41	257.63	47.15
	चतुर्थ वर्ष	515.80	26.71	326.23	53.38
	पांचवां वर्ष	340.20	9.05	226.30	58.30
	पांच वर्ष से ऊपर	1994.05	598.95	1605.44	590.87

56. भारतीय लेखा मानक –108 के अनुसार खंडवार रिपोर्टिंग

कंपनी के परिचालन खंडों को संबंधित निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों और समूह महाप्रबंधकों के माध्यम से अलग–अलग व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है, जो एक रणनीतिक व्यापार इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खंड के साथ प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के अनुसार होता है। इन व्यावसायिक इकाइयों की समीक्षा कंपनी के संबंधित निदेशकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों को रिपोर्ट की गई राशि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किए गए लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है। खंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन खंड राजस्व और खंड परिणाम के आधार पर किया जाता है, उसी तरह जैसे आपवादिक वस्तुओं से पहले परिचालन गतिविधियों से लाभ या हानि का मूल्यांकन करना। तदनुसार, वित्त लागतध्आय, गैर–संचालन व्यय और असाधारण मदों को अलग–अलग खंड में आवंटित नहीं किया गया है।

बाजार की स्थितियों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रबंधन द्वारा इंटर सेगमेंट मूल्य निर्धारण और शर्तों की समीक्षा की जाती है और उनमें परिवर्तन किया जाता है और इस तरह की शर्तों में परिवर्तन अवधि में परिलक्षित होता है।

खंड की संपत्ति में प्रत्येक खंड द्वारा सीधे प्रबंधित संपत्ति शामिल होती है और इसमें मुख्य रूप से प्राप्य, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य–प्रगति, अमूर्त संपत्ति, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति, सूची, नकद और नकद समकक्ष, अंतर–खंड संपत्ति शामिल हैं। खंड देनदारियों में मुख्य रूप से परिचालन देनदारियां शामिल हैं। खंड पूंजीगत व्यय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति में वृद्धि शामिल है।

खंड संरचना की पहचान निम्नानुसार की जाती हैः –

- दूरसंचार परियोजनाएं
- सिविल/बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
- परामर्श और सेवा अनुबंध
- ट्रेडिंग गतिविधियां।
- अन्य परिचालन राजस्व।

खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति और देनदारियों में प्रत्येक खंड के लिए पहचानी गई राशि शामिल है। अन्य गैर–आवंटित व्यय में राजस्व और व्यय शामिल हैं जो व्यक्तिगत खंडों के लिए सीधे पहचान योग्य नहीं हैं।

परिचालन खंड सूचनाः

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लि. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी परिचालन खंड पर भारतीय ले.मान.–108 के पालन में कंपनी का परिचालन खंड

विवरण	टेलीकम्युनिकेशन्स परियोजनाएं		सिविल / अवसंरचना परियोजनाएं				व्यापारिक गतिविधियां		अन्य		अनावंटित		कुल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
क. खंड राजस्व														
बाहरी पण्यावर्त	54,507.65	64,000.82	25,917.64	29,739.37	73,606.15	56,108.86	18,527.04	24,025.87	3,390.81	1,463.24			175,949.29	175,338.16
अंतरिक खंड पण्यावर्त		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**54,507.65**	**64,000.82**	**25,917.64**	**29,739.37**	**72,586.15**	**56,108.86**	**18,527.04**	**24,025.87**	**3,390.81**	**1,463.24**	**-**	**-**	**175,949.29**	**175,338.16**
ब्याज, कर एवं अन्य समायोजन से पूर्व खंड परिणाम	**7,780.12**	**12,203.21**	**178.45**	**1,537.34**	**8,581.84**	**8,088.55**	**169.03**	**2,140.41**	**(1,266.78)**	**1,463.23**	**193.79**	**(7,595.22)**	**15,636.45**	**17,837.52**
घटाइएः ब्याज व्यय	94.16	645.45	-	-	1,065.20	1,187.76	192.08	-	142.18	-	315.06	339.02	1,808.68	2,172.23
जोड़िएः ब्याज आय	16.27	360.22	148.66	78.24	145.96	428.32	77.27	-	159.90	-	11.78	(576.18)	559.84	290.60
जोड़िएः पूर्व अवधि आय (निवल)	-	-		-	-			-		-			-	-
जोड़िएः अन्य आयध्व्यय	(2,940.06)	(3,591.69)	(358.69)	(1,145.62)	(3,936.16)	(1,962.47)	(141.40)	(112.05)	(198.53)	-	(555.69)	(5,246.24)	(8,130.53)	(12,058.07)
जोड़िएः अपवादजनक मद	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-
कर पूर्व लाभ	**4,762.17**	**8,326.29**	**(31.58)**	**469.96**	**3,726.44**	**5,366.64**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.23**	**(665.18)**	**(13,756.66)**	**6,257.08**	**3,897.82**
वर्तमान कर	**0.48**				-						2,155.19	3,207.15	2,155.67	3,207.15
आस्थगित कर	**-**		-	-	-						(813.69)	568.20	(813.69)	568.20
कर पश्चात लाभ	**4,761.69**	**8,326.29**	**(31.58)**	**469.96**	**3,726.44**	**5,366.64**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.23**	**(2,006.68)**	**(17,532.01)**	**4,915.10**	**122.47**
अन्य व्यापक आय	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(970.89)	(6,468.69)	(970.89)	(6,468.69)
निवल कर सहित कुल व्यापक आय	**4,761.69**	**8,326.29**	**(31.58)**	**469.96**	**3,726.44**	**5,366.64**	**(87.18)**	**2,028.36**	**(1,447.59)**	**1,463.23**	**(2,977.57)**	**(24,000.70)**	**3,944.21**	**(6,346.22)**
अन्य जानकारी														-
खंड परिसंपत्तियां	141,907.14	194,392.99	48,352.17	35,402.34	150,808.90	99,668.20	36,547.79	32,682.30			59,771.74	74,373.64	437,387.73	436,519.47
खंड देयताएं	113,302.08	89,232.81	47,506.34	32,386.67	136,940.14	84,562.52	29,116.83	25,872.30			14,570.67	79,894.85	341,436.05	311,949.15
खंड व्यय	83.73	563.76	18.47	85.42	207.02	409.93	-	58.24			5.37	734.40	314.59	1,851.75
मूल्यह्रास	171.43	346.80	675.04	435.71	463.48	4,413.80	19.79	26.92			176.44	367.85	1,506.19	5,591.08

नोटः

(i) सकल जोड़ से संबंधित पूंजी व्यय वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में किए गए हैं

(ii) खंड परिसंपत्तियों में स्थायी परिसंपत्तियां, प्रगतिशील पूंजी कार्य, वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण एवं पेशगियां शामिल हैं

(iii) खंड देयताओं में रक्षित ऋण, अरक्षित ऋण, वर्तमान देयताएं और प्रावधान शामिल हैं

(iv) अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के आंकड़ों में भी उपर्युक्त शामिल है.

भूगौलिक खंडः

		2020.21	2019.20
1.	**खंड राजस्व – बाहरी पण्यावर्त**		
	भारत के भीतर	130,287.99	104,551.96
	भारत से बाहर		
	सउदी अरब	32,872.27	55,430.80
	अन्य	12,789.03	15,355.40
	कुल राजस्व	**175,949.29**	**175,338.16**
2.	**खंड परिसंपत्तियां**		
	– भारत के भीतर	385,094.27	367,187.85
	– भारत से बाहर		
	सउदी अरब	35,689.83	53,798.54
	टीसीआईएल यूएसए	370.84	406.84
	टीसीआईएल ओमान एलएलसी	297.70	300.57
	अन्य	15,935.09	14,825.67
	कुल परिसंपत्तियां	**437,387.73**	**436,519.47**
3.	**खंड देयता**		
	भारत के भीतर	300,653.85	269,255.94
	– भारत से बाहर		
	सउदी अरब	26,820.68	29,603.18
	टीसीआईएल यूएसए	21.07	11.89
	टीसीआईएल ओमान एलएलसी	4.89	2.62
	अन्य	13,935.56	13,075.52
	कुल देयता	**341,436.05**	**311,949.15**
4.	**पूंजी व्यय**		
	भारत के भीतर	184.04	339.52
	भारत से बाहर		
	सउदी अरब	121.00	40.26
	कुवैत	5.27	1,295.22
	टीसीआईएल यूएसए	-	4.32
	अन्य	4.28	172.43
	कुल व्यय	**314.59**	**1,851.75**

57. संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक –24 यानि ष्संबंधित पार्टी प्रकटीकरणष के अनुसार प्रकटीकरण

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री संजीव कुमार (27.01.2021 से प्रभावी)

श्री राजीव गुप्ता (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 26.01.2021 तक अतिरिक्त प्रभार)

ii) पूर्णकालिक निदेशक

श्री राजीव गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री नरेन्द्र जैन, निदेशक (वित्त)

श्री कामेन्द्र कुमार, निदेशक (तकनीकी)

iii) कंपनी सचिव

श्री विशाल कोहली (07.08.2020, पूर्वाह्न से प्रभावी)

श्रीमती रश्मि चावला (07.08.2020 पूर्वाह्न तक)

ख. सहायक कंपनियां

तमिलनाडू टैलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल)

टीसीआईएल ओमान एलएलसी

टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल)

टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल)

टीसीआईएल यूएसए इंक.

ग. सहयोगी कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल)

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटैंट्स नाइजीरिया लिमिटेड (सीएनएल)

इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)

57 (क). कर्मचारी लाभ व्यय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक शामिल हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन व भत्ते	143.71	168.37
भविष्य निधि योगदान	11.05	11.32
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.68	2.01

वित्त वर्ष 2020–21 में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक लेनदेनः–

विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	कंपनी सचिव
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	6.97	137.42	20.24
सेवायोजन उपरांत लाभ	0.61	10.44	1.71
अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ	-	-	-
समाप्ति लाभ	-	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-	-
कुल	**7.58**	**147.86**	**21.95**

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण :

विवरण	आईसीएसआईएल		टीबीएल		बीएचएल		यूटीएल		टीसीएनएल		संयुक्त उपक्रम		संबंधी सहित प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		कुल	
	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष	2021 को समाप्त वर्ष	2020 को समाप्त वर्ष
लेनदेन की प्रकृति का विवरण																
पण्यावर्त				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
अन्य आय				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
सामग्री की खरीद				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
उप ठेकेदार भुगतान				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक और				-		-		-	-	-	-	-	177.39	205.14	177.39	205.14
लाभ											-	-			-	-
अन्य आय				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
लाभांशध्ब्याज आय	-	10.80		-		-		-	-	-	-	10.80		-	-	10.80
वर्ष की समाप्ति पर	1.72	1.72		-		-	63.35	63.35		-	65.07	65.07		-	65.07	65.07
देनदार और अन्य आय											-	-				
वर्ष की समाप्ति पर	73.97	73.97	33.38	22.44		-		-	-	-	107.35	96.41		-	107.35	96.41
लेनदार और अन्य प्राप्य											-	-			-	-
दी गई बैंकध्कॉरपोरेट गारंटियां				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशि			-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-

58. भारतीय लेखा मानक – 116 प्रकटीकरणः

वित्तीय पट्टे

कंपनी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित और 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी ष्पट्टोंष् से संबंधित भारतीय लेखा मानक' 116 को अपनाया है और संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग करके अपने पट्टों के लिए इस मानक को लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप उपयोग के अधिकार की आस्तियों और तदनुरूपी पट्टा देयताओं को मान्यता दी गई है।

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन के लिए नोट 4 देखें:

2. वर्तमान और गैर–वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्तमान पट्टा देनदारियां	66.36	270.01
गैर–वर्तमान पट्टा देनदारियां	707.76	1,230.29
कुल	**774.12**	**1,500.30**

3. वर्ष के दौरान पट्टा देनदारियों में निम्नलिखित उतार–चढ़ाव है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
विवरण	1,500.30	599.51
शुरुआत में संतुलन	54.25	1,076.45
वर्ष के दौरान वृद्धि	(706.12)	-
वर्ष के दौरान समापन	84.26	153.45
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	(154.56)	(378.25)
लीज देयताओं का भुगतान	(4.02)	49.14
विनिमय भिन्नताएं	**774.12**	**1500.30**
अंत में शेष राशि		

4. नीचे दी गई तालिका में बिना छूट के पट्टे की देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
वर्ष के दौरान स्वीकारा गया पट्टे का खर्च (ब्याज और मूल्यह्रास)	181.27		443.90	
भविष्य में देय न्यूनतम पट्टा राशि	कुल मूल्य	वर्तमान मूल्य	कुल मूल्य	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	144.95	66.36	407.17	270.01
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से ज्यादा नहीं	383.59	108.44	960.35	630.55
पांच वर्ष से ज्यादा	4,673.01	599.32	4,744.40	599.74

5. **पट्टा देनदारियों की समाप्तिः**

कुछ मौलिक परिसंपत्तियों की लीज अवधि समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, नीति संख्या 1.5 के अनुसार समाप्ति लेखांकन का पालन करते हुए समाप्ति तिथि के अनुसार पट्टा संपत्ति और पट्टा देयता का वहन मूल्य अमान्य कर दिया गया है और तदनुसार अंतर को लाभ और हानि के विवरण में निम्नानुसार प्रभारित किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आरओयू की संपत्ति की मान्यता रद्द की गई	674.98	-
आरओयू की देयता की मान्यता रद्द की गई	(706.12)	-
पी एंड एल के लिए प्रभारित शुद्ध आय (व्यय)	31.14	-

समेकित वित्तीय विवरण

59. प्रति शेयर आय

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय मानक लेखा –33 'प्रति शेयर आय' के अनुपालन में, प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचारणीय तत्व (मूल और मिश्रित) निम्नानुसार हैं:

विवरण	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष
समूह का कर पश्चात लाभ (न्यूमरेटर के रूप में उपयोग किया गया (लाख रु. में)	(25,360.14)	(81,439.79)
डेनोमिनेटर		
–इक्विटी शेयरों की संख्या(रु. 10 प्रत्येक का अंकित मान)	5,92,00,000	5,92,00,000
–वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या	-	-
– मूल अर्जन प्रति शेयर को परिकलित करते हुए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,92,00,000	5,92,00,000
– तनुकृत अर्जन प्रति शेयर को परिकलित करते हुए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,92,00,000	5,92,00,000
– मूल अर्जन प्रति शेयर (रु. प्रति शेयर) (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मान)	(42.84)	(137.57)
. क्पसनजमक म्तदपदहे च्मत ेंतम; त्ें च्मत ेंतमद्ध ; थ्ंबम अंसनम व्ित् 10ध्. मंबीद्ध	(42.84)	(137.57)

60. लाभ व हानि विवरण में दर्ज सांविधिक आय कर दर से आय कर व्यय तक प्राक्कलित कर व्यय का समाधान निम्नानुसार है:

विवरण	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष
आय कर से पूर्व लाभध्हानि	**(24,521.82)**	**(78,381.68)**
संयुक्त नियंत्रित सत्व के लाभध्हानि हेतु समायोजन	(30,778.90)	(82,279.50)
आय कर से पहले लाभ/हानि	**6,257.08**	**3,897.82**
कंपनी की सांविधिक आय कर दर पर कर	1,666.11	2,068.65
भत्तोंध्और भत्तों के संबंध में समायोजन		
छूट प्राप्त आय का कर प्रभाव	-	-
गैर स्वीकृत व्ययों का कर प्रभाव	634.90	927.89
आय कर अधिनियम के तहत स्वीकृत व्ययों का कर प्रभाव	(373.69)	(2,284.54)
विदेशी टैक्स क्रेडिट समाप्त हो चुका है	-	280.13
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल वर्तमान कर	**1,927.32**	**992.13**

31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	01.04.2020 तक खुला शेष	लाभ एवं हानि के माध्यम से अभिज्ञापित/उत्क्रमित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से अभिज्ञापित/उत्क्रमित	31.03.2021 तक समापन शेष
आस्थगित कर देयताओं/(संपत्ति) के संबंध में:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बहि आधार और कर आधार में अंतर	1,125.81	(559.40)	-	566.41
प्रत्याशित क्रय हानि हेतु भत्ते	(3,287.22)	(181.14)	-	(3,468.36)
लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किए गए व्यय का प्रभाव लेकिन यह भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	(549.72)	(71.16)	-	(620.88)
अन्य	(490.48)	1.29	-	(489.19)
निवल आस्थगित देयताएं/परिसंपत्तियां)	**(3,201.61)**	**(810.41)**	-	**(4,012.02)**

*विदेशी शाखाओं के आस्थगित कर के परिवर्तन पर 3.28 लाख रु. के प्रावधान सहित

61. भारतीय ले.मा.-37 के अनुपालन में प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना	आयकर हेतु प्रावधान
01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	964.01	1,802.19	1317.56	2,804.51
वर्ष के दौरान जोड़	128.16	1,284.20	658.36	1,927.32
वर्ष के दौरान आहरित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान देय/समायोजित/बट्टे खाते में डाले गए	(591.08)	(623.06)	(26.32)	(1,001.99)
31.03.2021 तक समापन शेष	**501.09**	**2,463.33**	**1949.60**	**3,729.84**

विवरण	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	अधूरी परियोजनाओं में हानियों का प्रावधान	निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान
01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	4,875.39	3,192.68	14.83	3.75
वर्ष के दौरान जोड़	74.50	-	-	-
वर्ष के दौरान आहरित		-	-	-
वर्ष के दौरान देय/समायोजित/बट्टे खाते में डाले गए	(187.88)	-	-	-
विनिमय समायोजन	(25.56)	(6.26)	-	-
31.03.2021 तक अंत शेष	**4,736.45**	**3,186.42**	**14.83**	**3.75**

62. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्वः

कंपनी अधिनियम, 2014 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व) को देखते हुए, कंपनी को नियम 2(एफ), जैसा कि इस नियम में परिभाषित है, के संबंध में कोई 'निवल लाभ' नहीं हुआ है और इसीलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर 219.34 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसमें से 203.66 लाख रुपये डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में और मॉरीशस में वहां की आवश्यकता के अनुरुप मॉरिशस के स्थानीय कानून के अनुसार 15.68 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

आईसीएआई द्वारा जारी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखा दिशा निर्देश नोट के संबंध में प्रकटीकरण।

(क) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में शामिल विभिन्न व्यय शीर्षों का विस्तृत विवरणः

क्रम सं.	संगठन का नाम	परियोजना विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
1	स्वच्छ गंगा कोष	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	5.00	-
2	सूर्य मंदिर, पटना का विकास विस्तार कार्य	बाढ़ आदि के कारण अतिरिक्त सिविल कार्य की आवश्यकता पड़ी	80.29	-
3	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद	दूरसंचार सेक्टर कौशल परिषद के माध्यम से कौशल विकास	23.30	5.30
4	राष्ट्रीय खेल विकास कोष	राष्ट्रीय खेल विकास कोष में अंशदान	5.00	-
5	पीएम केयर्स फंड	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ओएम के अनुसार अंशदान	32.72	-
6	स्वास्थ्य सेवा	पेयजल व्यवस्था उपकरण की आपूर्ति व स्थापना	3.40	19.40
7	स्वास्थ्य सेवा	महाराष्ट्र के वाशिम और अकोला जिले में स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा और अपग्रेड किया गया	34.50	-
8	विभिन्न गांवों में रोशनी की व्यवस्था	महाराष्ट्र के अकोला जिले के विभिन्न गांवों में एलईडी लाईटें लगाई गईं	15.00	-
9	भारतीय रेलवे	परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन और प्रौद्योगिकी के प्रोटोटाइप विकास के लिए स्टार्टअप को अनुदान	-	8.85
10	सीएसआर ओवरहेड खर्चे		4.45	4.42
11	मॉरीशस में वहां के स्थानीय कानून के अनुसार सीएसआर व्यय		15.68	10.54
	कुल योग		**219.34**	**48.51**

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरणः

1. वर्ष के अंत तक कंपनी द्वारा खर्च के लिए अपेक्षित सकल राशि 219.34 लाख रु.थी (48.51लाख रु.)
2. वर्ष के दौरान खर्च किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि 88.38 लाख रु. है।
3. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकदी में	राशि जो नकदी में देय है	कुल	नकदी में	राशि जो नकदी में देय है	कुल
i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	-	-	-	-	-	-
ii) उपर्युक्त (i) के अलावा प्रयोजन पर	219.34	-	219.34	48.51	-	48.51
योग	**219.34**	**-**	**219.34**	**48.51**	**-**	**48.51**

63. एक सहायक कंपनी के संबंध में

क) वर्ष 2010–11 के दौरान बीआईएफआर की स्वीकृत योजना के अनुसार संरचनात्मक गठन के बाद सहायक कंपनी का निवल मूल्य 2010–11 में सकारात्मक था। हालांकि, वर्ष 2011–12 के दौरान निवल मूल्य फिर से गिर गया। बीआईएफआर स्वीकृत योजना के तहत यह सहायक कंपनी पहले से ही पुनस्थापना अवधि में है। वर्ष 2010–11 में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के बाजार में मंदी, खराब कार्यनिष्पादन का कारण था।

वर्ष 2012–13 के दौरान सहायक कंपनी ने बीएसएनएल से 3206 कि.मी. की ओएफसी आपूर्ति हेतु ऑर्डर प्राप्त किया था जिसकी कीमत 1597.01लाख रु. है और इसके 50 प्रतिशत भाग का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया और इसके बाद 1602 कि.मी. ओएफसी का आगे ऑर्डर प्राप्त किया और 2013–14 के दौरान उसका कार्यान्वयन किया जिसकी कीमत 798.00 लाख रु. है। इन दो वर्षों के दौरान निष्पादित किए गए ये दो ही प्रमुख आदेश थे।

सरकार के विशेष प्रयोजन माध्यम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (नोफेन) परियोजना के लिए टेंडर दिया। टेंडर खुलने की तिथि 08.05.2013 थी। हालांकि, प्रारंभिक आकलन के अनुसार इसकी लंबाई 600000 कि.मी. थी पर भूगौलिक स्थिति के आधार पर छह पैकेजों में 404995 कि. मी. को कवर करने के लिए टेंडर दिया गया। इस बड़े स्तर पर बीबीएनएल ने आठ माह की समयसीमा का निर्धारण किया। सहायक कंपनी ने दी गई छोटी डिलीवरी अवधि में मात्रा को कवर करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता पर विचार करते हुए एक पैकेज में भाग लिया है। कंपनी ने एपीओ प्राप्त किया है और फरवरी, 2014 के दौरान एक्सेसरीज सहित 5800 किलोमीटर के लिए स्वीकृति दी। एपीओ का मूल्य. 3190.44 लाख रु है। बीबीएनएल ने एपीओ प्राप्त किया और फरवरी 2014 के दौरान 5800 कि.मी. क लिए स्वीकृति दी। बीबीएनएल ने दो चरणों में पीओ जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से प्रत्येक का 50 प्रतिशत है। अप्रैल, 2014 के दौरान, बीबीएनएल ने 2900 किलोमीटर के लिए पहला 50% पीओ जारी किया है, जिसका मूल्य 1595.27 लाख रु. है। सुपुर्दगी की अवधि अक्टूबर, 2014 तक थी। बीबीएनएल ने केवल 1740 किलोमीटर की चार महीने की खेप के लिए समय–समय पर पूर्ण रूप से परेषिती का विवरण जारी किया है। पांचवें महीने की खेप के लिए, 580 किलोमीटर में से केवल 48 किलोमीटर के लिए परेषिती का विवरण प्रदान किया गया था। इसलिए शेष लगभग 1112 किलोमीटर के लिए परेषिती का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। बीबीएनएल ने डिलीवरी शेड्यूल को अक्टूबर, 2014 के बाद और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अतरू 2016–17 और 2017–18 के दौरान 2900 किलोमीटर के लिए शेष लगभग 1112 किलोमीटर और दूसरे 50: पीओ की आपूर्ति निष्पादन के लिए प्रत्याशित थी। तथापि, बीबीएनएल ने परेषितियों के बारे में निर्णय नहीं लिया और इसलिए उसके बाद कोई आपूर्ति नहीं की जा सकी।

सहायक कंपनी ने 24000 कि.मी. 24 एफ एचडीपीई डीएस ओएफसी की आपूर्ति हेतु निविदा में भाग लिया। तकनीकी बोली खुली और सहायक कंपनी तकनीकी रूप में पात्र हो गई। दिनांक 21–05–2015 को वित्तीय बोली खुली जिसके बाद ई–रिवर्स नीलामी हुई जिसमें सहायक कंपनी पात्र नहीं हो पाई।

कंपनी के पास वित्त वर्ष 1016–17 और 17–18 के दौरान 10 करोड़ रु. के रेलवे ऑर्डर थे पर फुजीकुरा जापान से फाइबर उपलब्ध न हो पाने के कारण ऑर्डरों को निष्पादित नहीं किया जा सका।

देश में बड़े स्तर पर ओएफसी की आवश्यकता है। हालांकि सरकारी कार्यार्थियों द्वारा बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और अन्य समस्याओं के कारण प्रापण में विलंब हो रहा है।

ओएफसी बाजार में तेजी आने पर सहायक कंपनी को निरंतर ऑर्डर मिलने की अपेक्षा है। भविष्य में ऑर्डर बुकिंग स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है क्योंकि तमिलनाडू के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु भारतनेट योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडू फाइबरनेट कॉरपोरेशन (टीएएनएफआईएनईटी) को ओएफ केबल की एक बड़े स्तर पर आवश्यकता है। सहायक कंपनी और इसके प्रोत्साहकों ने सहायक कंपनी के उद्धार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

i. अनुबंध निर्माण के लिए नई दिल्ली में 22 फरवरी 2018 को आयोजित तालमेल बैठक के दौरान माननीय संचार मंत्री की उपस्थिति में आईटीआई लिमिटेड (पीएसयू) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ii. दूरसंचार विभाग के तहत बीएसएनएल और टीसीआईएल दोनों के साथ बीएसएनएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण/क्षमता का उपयोग करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। डीओटी ने बीएसएनएल द्वारा सहायक कंपनी के अधिग्रहण के संबंध में

07.03.2019 को हुई बैठक में चर्चा की, मंत्रालय द्वारा बीएसएनएल को टीटीएल की क्षमता का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि बीएसएनएल की आवश्यकता 10000 किमी प्रति वर्ष की सहायक कंपनी की क्षमता के मुकाबले 100000 किमी प्रति वर्ष है। सहायक कंपनी तथा सहायक कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

iii. मौजूदा कुशल जनशक्ति के अधिकतम उपयोग के लिए मौजूदा कुशल कर्मचारियों को फाइबर ऑप्टिक स्प्लिसिंग, सर्वेक्षण, ऑप्टिकल बिछाने पर्यवेक्षण और अन्य दूरसंचार संबंधित सेवा अनुबंधों में बदलने पर ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 तक सहायक कंपनी के सभी कर्मचारियों को टीसीआईएल में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए और प्रतिनियुक्ति के आधार पर 60 कर्मचारियों को टीसीआईएल में शामिल किया गया।सहायक कंपनी के कारखाने और कार्यालय के काम की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीसीआईएल चेन्नई में कुछ कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

iv. तमिलनाडु में ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन (TANFINET), राज्य पीएसयू से अधिमान्य आदेश प्राप्त करना। प्रबंधन लगातार तमिलनाडु सरकार के संबंधित सचिवों और मंत्रियों से संपर्क कर रहा है। टैनफिनेट निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

v. दूरसंचार विभागध्पीएसयूध्तमिलनाडु सरकार से टीसीआईएल की सहायता से नामांकन के आधार पर टर्नकी अनुबंध प्राप्त करना और आदेशों को निष्पादित करना ताकि अतिरिक्त कुशल मानव संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

vi. मौजूदा संयंत्र को और अधिक प्रचालनात्मक बनाने के लिए संयंत्र और मशीनरी की बड़ी मरम्मतध्उन्नयन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहायक कंपनी कारखाने के पुनरुद्धार योजना की शुरुआत के लिए कारखाने में बिजली कनेक्शन बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

vii. टीसीआईएल प्रबंधन तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों और टिडको के सीएमडी के साथ विभिन्न पत्राचार और बैठक के माध्यम से सहायक कंपनी को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहा है।

viii. चूंकि सहायक कंपनी के पास 5.51 एकड़ खाली भूमि है जिसका उपयोग केवल दूरसंचार से संबंधित औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, सार्वजनिक ध् निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में उद्यम करके खाली भूमि का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

ix. दूरसंचार विभाग भी मामले की जांच कर रहा है और आवश्यक डेटा साझा किया गया है। सहायक कंपनी के कारखाने और (रिक्त) भूमि मुद्रीकरण के लिए सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है।

x. प्रमोटर टीसीआईएल ने सीपीएसई में रणनीतिक विनिवेश के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार दीपम के माध्यम से सहायक कंपनी में टीसीआईएल की पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव शुरू किया है। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के साथ भी ऐसा ही किया गया है। रणनीतिक विनिवेश संभावित खरीदारों द्वारा कंपनी के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कोविड–19 महामारी का प्रभाव

तमिलनाडु सबसे अधिक कोविड –19 प्रभावित राज्यों में से एक है और वर्ष 2020 और 2021 के दौरान आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत नेट के कार्यान्वयन के रूप में कोविड –19 के कारण तमिलनाडु सरकार से प्रमुख अपेक्षित केबल ऑर्डर प्राप्त नहीं किए जा सके। यही कारण है कि परियोजना आज तक शुरू नहीं हो पाई। कंपनी के पुनरुद्धार के विभिन्न प्रयास अमल में नहीं आ सके और कोविड –19 महामारी के कारण यह प्रयास और धीमा हो गया। महामारी के हालात को दौरान, निम्नानुसार कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैः

क) टीसीआईएल (प्रमोटर कंपनी) के नवनियुक्त सीएमडी ने 02–04–2021 को सहायक कंपनी परिसर का दौरा किया और टिडको और तमिलनाडु की सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की, ये दोनों कंपनी के पुनरुद्धार के लिए उत्सुक है।

ख) पहले कदम के रूप में, बिजली कनेक्शन बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया गया है और टीसीआईएल द्वारा लंबित बकाया के भुगतान और एचटी कनेक्शन की बहाली के लिए 4.83 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

ग) चूंकि टीसीआईएल प्रबंधन सहायक कंपनी के पुनरुद्धार के लिए उत्सुक है, इसलिए विभिन्न राजस्व सृजन विकल्पों का

पता लगाने हेतु सलाहकार को नियुक्त करने के लिए जनवरी –2021 में ईओआई जारी किया गया था। टीसीआईएल प्रबंधन व्यापक भागीदारी और अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्सुक है और ईओआई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बार महामारी की स्थिति में ढील दिए जाने के बाद ईओआई का निष्कर्ष निकाला जाएगा।

घ) समूह महाप्रबंधक (आईटी एंड ओएफसी)ध्टीसीआईएलध्मुख्यालय और समह महाप्रबंधकधसिविल और बीडीध्टीसीआईएल को टिडको के साथ निकट समन्वय में सहायक कंपनी के लिए व्यवसाय विकास के अवसरों को समझने का कार्य सौंपा गया है।

ङ) जैसा कि तमिलनाडु में नई सरकार ने कार्यभार संभाला है, तमिलनाडु में दूरसंचार बुनियादी परियोजनाओं के लिए नई सरकार के साथ टिडको के माध्यम से अधिमान्य आदेश का अनुसरण किया जा रहा है।

निकट भविष्य के दौरान कार्यक्षेत्र और टीसीआईएल की वित्तीय सहायता के खातों को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर तैयार किया गया है।

क) खरीदार के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी होने के मद्देनजर लंबे समय से लंबित एक देनदार के लिए 339.50 लाख रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया गया है (जो पिछले वर्ष 339.50 लाख रु. था), जिसके लिए सहायक कंपनी के पक्ष में 14 जनवरी 2005 को प्राप्ति की गई थी, लेकिन तब से क्रेता द्वारा अदालत में चुनौती दी गई है। इसके अलावा अदालत ने मामले को बोलने के आदेश के लिए मध्यस्थ को वापस भेज दिया, जो कि 14 नवंबर 2014 को सहायक कंपनी के पक्ष में तर्क, जिरह और लिखित प्रस्तुतियों के बाद दिया गया था।

ख) रेलटेल की ओर से देय 13.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13.40 लाख रुपये) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो मध्यस्थता के अधीन था। आर्बिट्रेशन अवार्ड में, छह दावे सहायक कंपनी के पक्ष में और एक सहायक कंपनी के खिलाफ थे। सहायक कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की है और कार्यवाही जारी है।

ग) भूमिः

i) सहायक कंपनी ने वर्तमान में सीएमडीए से 2.42 एकड़ की भूमि का अर्जन किया है। उक्त भूमि के संबंध में पट्टा ज्ञापन तथा बिक्री समझौता किया गया और भुगतान के पूरा होने पर, कंपनी ने विक्रय विलेख को कार्यान्वित किया तथा इसे मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक को सुपुर्द किया जोकि अभी बैंक के पास ही है तथा जिसके लिए सभी बैंक कंसॉर्टियम से नियम स्वीकृतियां प्राप्त की गईं। कंपनी इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक से बात कर रही है।

ii) सहायक कंपनी के पास तमिलनाडु राज्य सरकार की 7.36 एकड़ फ्री होल्ड भूमि भी है। 2010 में सरकार द्वारा निर्धारित भूमि की लागत का भुगतान सहायक कंपनी द्वारा किया गया था। सरकार द्वारा सहायक कंपनी को भूमि वितरण रसीद जारी की गई थी। तमिलनाडु सरकार की भूमि के मामले में, इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है।

घ) मालसूचियों के तहत 31–03–2021 तक कार्य प्रगति पर है जिसमें कम लंबाई की केबल्स, खराब क्वालिटी की केबल, उत्पादन के अतिरिक्त केबल, टाइप अनुमोदन केबल और विवादित केबल सहित प्राप्त रद्दी शामिल है। उपर्युक्त मदें पुनरीक्षण या आगे की प्रक्रिया के लिए बिक्री योग्य है। जहां भी आवश्यक समझा गया, धीमी गति के अचल डब्ल्यूआईपी मालसूचियों के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।

ङ) आयकर विभाग द्वारा सहायक कंपनी पर 25.42 लाख रु. (वर्ष 2000–01 और 2001–02) की रॉयल्टी राशि की स्रोत पर कर कटौती की मांग की गई। हालांकि, उन्होंने मांग की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। जिसमें से 21.94 लाख रु. को वसूली योग्य रखा गया। उपर्युक्त के लिए कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई अपील प्राधिकरण के पास लंबित है।

च) 1) 42000 कि.मी. की ओएफसी की आपूर्ति हेतु बीएसएनएल, मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अग्रिम क्रय आदेश पर स्टे लगाने के लिए 31–03–2011 के दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी द्वारा एक सिविल मुकदमा दर्ज कराया गया। यह 18000 कि.मी. की आपूर्ति हेतु जनवरी 2011 के दौरान जारी किए गए क्रय आदेश के अलावा है। ओएफसी आपूर्ति हेतु आदेश में 12 नाइलॉन शामिल हैं और विनिर्देशों को एचडीपीई डबल शीटिंग के साथ बदला गया। वर्ष 2011–12 के

दौरान बीएसएनएल ने नए विनिर्देशन के लिए 42000 कि.मी. के लिए टेंडर डाला। प्रारंभ में मामला एपीओ के बदले दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज कराया गया। अब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय से डिला न्यायालय (पटियाला हाउस) में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले पर कार्यवाही चल रही है। अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं है।

2) सहायक कंपनी ने 18000 कि.मी. की आपूर्ति के लिए बीएसएनएल के पीओ के शॉट क्लोजर के संबंध में 2014–15 के दौरान विवाचन क्लॉज रखा था। मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है।

छ) दिनांक 01.08.2005 से लागू 'फॉल क्लॉज' के बीएसएनएल के संशोधन को प्रभावित किए बिना उनके एक आदेश में, सूचीबद्ध प्रदायगी अवधि के दौरान अवार्ड की गई दर को कम करने के लिए बीएसएनएल के विरुद्ध वर्ष 2008 के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय में सहायक कंपनी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई। बीएसएनएल ने इसे खारिज करते हुए सहायक कंपनी के रु. 139.91 लाख रु. के विभेदक दावा बीजक को लौटा दिया। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

ज) कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक परिचालन पट्टा नहीं है। वर्ष के दौरान कोई वित्तीय पट्टा नहीं लिया गया है

झ) अचल संपत्तियों के पूंजीकरण के समय अचल संपत्तियों का घटकीकरण पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा अचल संपत्तियों का घटकीकरण, वर्तमान में कंपनी द्वारा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता है।

ञ) जैसा कि भारतीय लेखा मानक–36 में निर्धारित है, सहायक कंपनी का विचार है कि निरंतर व्यवसाय में नियोजित संपत्ति व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने उपयोगी जीवन पर पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में सक्षम है। सहायक कंपनी को किसी परिसंपत्ति की हानि का कोई संकेत नहीं है और तदनुसार प्रबंधन का विचार है कि वर्ष के दौरान कोई हानि प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

64. कुछ मदों के लिए, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अलग–अलग लेखा नीतियों का पालन किया है। हालांकि, इसका प्रभाव भौतिक नहीं है।

65. सहायक कंपनियों से संबंधित आँकड़ों को समूह वित्तीय विवरणों के अनुरूप लाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

66. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनर्संरेखितध्पुनर्निर्मितध्पुनरू समूहित किया गया है। वित्तीय विवरणों में शामिल सभी राशियों को भारतीय रुपये के लाख में रिपोर्ट किया जाता है और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, तब तक इसे निकटतम हजार में बदल दिया जाता है।

ये तुलनपत्र और लाभ और हानि के विवरण में संदर्भित नोट हैं

निदेशकमंडल की ओर से एवं के लिए

एम हिंगोरानी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता संख्या 097900

नरेंद्र जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 06942419

एन.ए. फारूकी
समूह महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संजीव कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07566882

विशाल कोहली
कंपनी सचिव

दिनांकः 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महलेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुति व्यवस्था के अनुसार टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसे उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 अगस्त, 2020 के माध्यम से उनके द्वारा विवरणित किया गया है

कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है पर तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशन्स लि. (टीटीएल), टीसीआईएल–बीना टोल रोड लिमिटेड, टीसीआईएल–लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड और इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लि. (आईसीएसआईएल) (लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं) के वित्तीय विवरणों की इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल), टीसीआईएल बैलसाउथ लि. (टीबीएल) पर निजी सत्व होने के कारण और टीसीआईएल ओमान एलएलसी, युनाइटेड टेलीकॉम लि. (यूटीएल), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स नाइजीरिया लि. (टीसीएनएल) पर विदेशी सत्व होने के कारण लागू नहीं होते हैं तथा ये विदेशी सत्व संबंधित देशों के कानूनों के अधीन परिचालित होंगे।** तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के लिए न तो कोई संवैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और न ही संवैधानिक लेखापरीक्षा परिचालित की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षा के दस्तावेजों कागजों तक पहुंच के बगैर संचालित की गई और यह मुख्यतया संवैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से हुई पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच पर आधारित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है जिस पर टिप्पणी की जा सके या सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

की ओर से एवं के लिए

(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
(वित्त व संचार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2021

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुति व्यवस्था के अनुसार **टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)** के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 23–10–2021 के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआईएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजी दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त किए बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया जिस पर अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं के लिए

(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
(वित्त व संचार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2021

टेलीकम्युनिकेशन्स
कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश–I,
नई दिल्ली – 110048 भारत

टेलीफोन.: **+91-11-26202020**
फैक्स: **+91-11-26242266**
ई–मेल: **tcil@tcil.net.in**
www.tcil.net.in

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21